सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन पर
निष्पादन लेखापरीक्षा

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मध्य प्रदेश शासन

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्र. 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन पर
निष्पादन लेखापरीक्षा

मध्यप्रदेश शासन

वर्ष 2024 का प्रतिवेदन क्र. 2

विषय-सूची

	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय 1		
प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा रूपरेखा		
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	1.1	1
मलवहन प्रबंधन	1.2	4
संगठनात्मक संरचना	1.3	5
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	6
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	6
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.6	7
लेखापरीक्षा पद्धति	1.7	8
उत्तम प्रथाएं	1.8	9
अभिस्वीकृति	1.9	9
लेखापरीक्षा में अवरोध	1.10	9
अध्याय 2		
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन		
प्रस्तावना	2.1	11
एसडब्ल्यूएम की राज्य नीति और कार्यनीति	2.2	11
यूएलबी स्तर पर एसडब्ल्यूएम योजना का अभाव	2.3	12
उपविधियों का न बनाया जाना	2.4	13
उत्पन्न अपशिष्ट का आकलन न करना	2.5	14
अंतर विश्लेषण नहीं किया गया	2.6	16
अनौपचारिक क्षेत्र का असमन्वय	2.7	19
अपशिष्ट फैलाने पर मौके पर जुर्माना लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करने वाले उपविधि बनाना	2.8	21
पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रतिवेदन तैयार करना	2.9	23
प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास में यूएलबी की प्रगति	2.10	24
अपशिष्ट का पृथक्करण	2.11	27
अपशिष्टों का संग्रहण	2.12	34
परिवहन	2.13	41
नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और उपचार	2.14	44
अपशिष्ट का निपटान	2.15	51
विरासती अपशिष्ट का निपटान	2.16	59
सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ	2.17	63

विषय-सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
क्षमता निर्माण	2.18	66
ठोस अपशिष्ट गतिविधियों की निगरानी	2.19	68
यूएलबी द्वारा एसडब्ल्यूएम गतिविधियों का अनुबंध प्रबंधन	2.20	79
अनुशंसाएँ	2.21	98
अध्याय 3		
मल-जल का प्रबंधन		
परिचय	3.1	101
मलप्रवाह तंत्र की योजना	3.2	101
मल कीचड़ प्रबंधन	3.3	113
निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण	3.4	118
कार्यक्रम कार्यान्वयन	3.5	121
अनुशंसाएँ	3.6	133
अध्याय 4		
विशेष अपशिष्ट		
प्लास्टिक अपशिष्ट	4.1	135
ई-अपशिष्ट	4.2	156
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट	4.3	162
अनुशंसाएँ	4.4	171

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ क्रमांक
1.1	ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को दर्शाने वाला विवरण	173
1.2	यूएलबी की त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था	174
1.3	ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन और मलप्रवाह प्रबंधन से संबन्धित नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना	175
1.4	चयनित यूएलबी की सूची	176
2.1	ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के कई चरणों में हितधारकों की आवश्यक भागीदारी दर्शाने वाला विवरण	177
2.2	एमएसडबल्यू प्रबंधन सेवाओं की सात-चरणीय प्रक्रिया	178
2.3	एमएसडब्ल्यू नियमावली, 2016 के अनुसार लक्षित दर्शक और आवश्यक जागरूकता का प्रकार	180
2.4	विभिन्न क्षमता निर्माण दृष्टिकोण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिन्हें विभिन्न हितधारकों के लिए अपनाया जा सकता है	182

परिशिष्ट		
परिशिष्ट क्रमांक	**शीर्षक**	**पृष्ठ क्रमांक**
2.5	एसपीसीबी द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी का यूएलबी वार सारांश	184
2.6	एसपीसीबी द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी का यूएलबी वार सारांश	186
3.1	अनुपचारित नगरीय मल-जल के स्थानीय जल निकायों में विलीन होने को दर्शाता विवरण	188
3.2	गैर-कार्यात्मक मल कीचड़ उपचार संयंत्र	193
3.3	विशिष्ट मशीनरी की तैनाती न होने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान	195
3.4	कम मोटाई के निष्पादन के कारण अधिक भुगतान	200
3.5	उत्खनित मिट्टी के मद में भुगतान को दर्शाने वाला विवरण	201
3.6	रॉयल्टी शुल्क की कटौती न होना	202
3.7	विलंब हेतु शास्ति अधिरोपित न करना	204
3.8	ठोस चट्टान की लागत की वसूली न होने को दर्शाने वाला विवरण	205
3.9	भराव के लिए दर को गलत तरीके से अपनाए जाने को दर्शाने वाला विवरण	206
3.10	एसटीपी के निर्माण पर एकमुश्त भुगतान और प्रति एमएलडी विभिन्न लागत दर्शाने वाला विवरण	207
	संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली	**209**

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्य की विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु मध्यप्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2017-18 से 2021-22 की अवधि को सम्मिलित करते हुए 'नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लिखित हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गयी है।

निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने में राज्य शासन, संचालनालय यूएडीडी, सभी लेखापरीक्षित यूएलबी और एमपीपीसीबी द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

अनुवादित संस्करण में अंग्रेजी संस्करण से कोई भिन्नता पाए जाने पर, अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत तथ्य मान्य होंगे।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य, ठोस अपशिष्ट से सामग्रियाँ और ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति द्वारा भूमि पर निपटान किए जाने वाले ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करना है। इसी प्रकार, मलवहन प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों द्वारा छोड़े गए सीवेज को समुचित रूप से एकत्रित, परिवहन और सुरक्षित स्तर तक उपचारित किया जाय, और बिना किसी स्वास्थ्य या पर्यावरणीय समस्या पैदा किए इसका निपटान या पुन: उपयोग किया जाय। राज्य सरकार ने सतत् स्वच्छता सेवाएँ और पर्यावरण संरक्षण प्रदान करने के लिए, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम) के लिए वर्ष 2017 में एक राज्य स्तरीय नीति तैयार की है। राज्य के पर्यावरण और सौंदर्य-बोध संबंधी विषयों का समाधान करने में अपशिष्ट प्रबंधन के विषय के महत्व को ध्यान में रखते हुए 'नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन' विषय पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा में 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्षों की अवधि को शामिल किया गया। 413 नगरीय स्थानीय निकायों में से 34 नगरीय स्थानीय निकायों तथा नगरीय विकास और आवास विभाग से प्रासंगिक जानकारी एकत्र कर जुलाई 2022 से फरवरी 2023 के मध्य निष्पादन लेखापरीक्षा की गयी। इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट, सीवेज और विशेष अपशिष्टों की योजना, संग्रहण, परिवहन और निपटान की प्रक्रिया की प्रभावशीलता और मौजूदा निगरानी प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में आश्वासन प्राप्त करना था।

अध्याय 1

नगरीय स्थानीय निकायों को शहर में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट का वास्तविक मूल्यांकन करने के पश्चात राज्य की नीति के अनुरूप एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना तैयार करने की आवश्यकता थी जिससे अपशिष्ट के संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए अपनाए जा सकने वाले विभिन्न विकल्पों का निर्धारण किया जा सके। हालाँकि, नमूना जाँच किए गए 15 नगरीय स्थानीय निकायों ने वर्ष 2017-22 के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट की मात्रा का आकलन नहीं किया था और नमूना जाँच किए गए 15 नगरीय स्थानीय निकायों ने लेखापरीक्षा अवधि 2017-22 के दौरान कोई सर्वेक्षण किए बिना अपशिष्ट उत्पादन के प्रति व्यक्ति अनुमान को अपनाया था। हमने देखा कि इस पद्धति में विश्वसनीयता का स्तर निम्न था। नगरीय स्थानीय निकायों में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा और संरचना तक पहुँचने के लिए अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया था। इसके अलावा, उत्पन्न अपशिष्ट

की मात्रा को कम आँकने से प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त क्षमताओं वाली सुविधाओं का निर्माण हो सकता है। 23 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बुनियादी ढाँचे और संचालन और रखरखाव की वित्तीय स्थिरता का कोई अंतर विश्लेषण नहीं किया गया था। अनौपचारिक क्षेत्र के समन्वय से न केवल नगरीय स्थानीय निकायों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भी योगदान मिलेगा। निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चलता है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अनौपचारिक क्षेत्र (उदाहरणार्थ; कचरा बीनने वाले और कबाड़ी वाले) के समन्वय के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा (नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर को छोड़कर, जहाँ अनौपचारिक क्षेत्र में शामिल व्यक्ति ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों में लगे हुए थे) कार्रवाई नहीं की गई थी। नमूना जाँच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में से 88 प्रतिशत (30 नगरीय स्थानीय निकाय) ने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए स्थल की पहचान की थी जिनमे से 28 नगरीय स्थानीय निकायों ने स्थल का अधिग्रहण कर लिया है और 41 प्रतिशत (14 नगरीय स्थानीय निकायों) ने उद्गम पर अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट का पृथक्करण प्रारम्भ करवा दिया है। सभी 34 नमूना-जाँच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट का द्वार-द्वार संग्रहण सुनिश्चित किया गया था, 56 प्रतिशत नगरीय स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित की थीं, नमूना जाँच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में से 15 प्रतिशत ने या तो जैव-उपचार किया था या अपने पुराने और परित्यक्त क्षेपण स्थलों को ढक दिया था। उद्गम पर अपशिष्ट को पृथक करने से यह सुनिश्चित होता है कि अपशिष्ट कम प्रदूषित है और इसका संग्रह और परिवहन कर आगे की प्रक्रिया की जा सकती है। यद्यपि कि 15 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट उत्पादकों को अपशिष्ट को पृथक करने की प्रथा को पालन में लाया गया गया, लेकिन मिश्रित अपशिष्ट को भूमि भरण क्षेत्र में फेंकने के कारण पृथक्करण का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। पदार्थ पुनर्प्राप्ति सुविधाओं के भौतिक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि इनमें से अधिकांश संचालित नहीं थे, जिसके कारण भूमि भरण क्षेत्र पर अपशिष्ट फेंका जा रहा था। नमूना जाँच किए गए सभी नगरीय स्थानीय निकायों का यह कथन कि उन्होंने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उत्पन्न अपशिष्ट का शत-प्रतिशत संग्रहण का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, सत्यापन योग्य नहीं था, क्योंकि कथन के पुष्टीकरण के लिए अभिलेखों को संधारित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, नमूना जाँच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों के पास उत्पन्न अपशिष्ट और धर्मकाँटे के वास्तविक आँकड़ों की अनुपलब्धता ने कथन की सत्यता पर संदेह पैदा किया। 29 नगरीय स्थानीय निकायों में अभी तक स्वास्थ्यकर भूमिभरण का निर्माण नहीं किया गया था

और 24 नगरीय स्थानीय निकाय ने पुष्टि की थी कि उन्होंने अपने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के आसपास कोई विकास रहित बफर जोन विकसित नहीं किया है। 23 नगरीय स्थानीय निकायों में, बड़ी मात्रा में पुराने अपशिष्ट का निपटान किया जाना अभी भी बाकी है, इनमें से केवल 12 नगरीय स्थानीय निकायों ने पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए डीपीआर तैयार किया है।

अक्टूबर 2017 में गठित राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय की, इसके गठन की दिनांक से पिछले पाँच वर्षों के दौरान आवश्यक नौ बैठकों के स्थान पर केवल तीन बैठकें ही आयोजित की गई थीं। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वैधानिक प्राधिकार/ संचालन सहमति प्राप्त किए बिना अपनी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का संचालन करने वाले नगरीय स्थानीय निकायों के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है।

कुछ नगरीय स्थानीय निकायों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत गतिविधियों के लिए निजी पक्षों को नियुक्त किया था। लेखापरीक्षा ने अपर्याप्त अनुबंध प्रबंधन के कारण उत्पन्न समस्याओं को प्रेक्षित किया, उदाहरणार्थ; रियायतग्राही द्वारा ₹ 7.11 करोड़ (नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर ₹ 4.63 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकाय जबलपुर ₹ 2.48 करोड़) राशि की रॉयल्टी का भुगतान न किया जाना; एक ठेकेदार को टिपिंग शुल्क ₹ 4.76 करोड़ (नगरीय स्थानीय निकाय सतना) का अनियमित भुगतान; अनुबंध की समाप्ति के कारण ₹ 1.51 करोड़ का निष्फल व्यय (नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल) जिसके लिए पर्यवेक्षण एजेंसी को ₹ 2.99 करोड़ का अत्यधिक भुगतान किया गया था; संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता संवर्धित किए बिना ₹ 2.64 (₹ 0.83 करोड़ + ₹ 1.81 करोड़) करोड़ का अनपेक्षित भुगतान (नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल) और एक अनुबंध के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले दो कार्यों (नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर) को अन्य संस्थाओं को दिया गया तथा इसके लिए इन संस्थाओं को ₹ 5.74 (₹ 4.49 करोड़ + ₹ 1.25 करोड़) करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

अध्याय 2

नगरीय स्थानीय निकाय सीवेज के प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी हैं। भारत सरकार (जीओआई) ने राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008 को लागू कर राज्यों और शहरों को निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ) ने मलवहन और सीवेज उपचार प्रणालियों पर एक नियमावली प्रकाशित की है जिसे राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नवंबर 2013 में लागू किया गया। भविष्य में शहर के विकास में किसी भी तरह के अवरोध से बचने के लिए शहरी स्वच्छता

योजना तैयार करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 32 नगरीय स्थानीय निकायों ने शहरी स्वच्छता योजना तैयार नहीं की थी। नमूना जाँच किए गए 34 में से 32 नगरीय स्थानीय निकायों में शहर स्वच्छता टास्क फोर्स का भी गठन नहीं किया गया था। मलवहन प्रणाली की योजना में कमी थी क्योंकि वाणिज्यिक/सार्वजनिक संस्थानों, उद्योगों और वाणिज्यिक भवनों जैसे संस्थानों द्वारा उत्पन्न सीवेज को संज्ञान में लिए बिना 11 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मलवहन प्रणालियों से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों को तैयार किया गया था। इसके अलावा नौ नगरीय स्थानीय निकायों के 11 मलवहन तंत्र का कार्य ठेकेदारों द्वारा आठ से 44 माह की देरी से पूरा किया गया था। 22 नगरीय स्थानीय निकायों में सीवेज उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, छः नगरीय स्थानीय निकायों में आंशिक रूप से कार्यात्मक थी या परीक्षण की स्थिति में थी, तीन नगरीय स्थानीय निकायों में संचालन तथा रखरखाव चरण में थी और तीन नगरीय स्थानीय निकायों में निर्माण कार्य चल रहे थे। सीवेज उपचार की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2017-22 के दौरान लगभग 2,09,726.13 एमएल सीवेज विभिन्न नालों के माध्यम से जल निकायों में मिल गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नौ नगरीय स्थानीय निकायों में मलवहन तंत्र और मलवहन उपचार संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों ने सीपीएचईईओ नियमावली के अंतर्गत आवश्यक सभी घरों के लिए घरेलू सीवेज कनेक्शन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं किया था। परिणामस्वरूप, सात नगरीय स्थानीय निकायों में केवल 36.84 प्रतिशत (3,87,437 घरों में से 1,42,746 घर) सीवेज तंत्र के अंतर्गत शामिल किए गए थे, जिससे मलवहन प्रणाली के निर्माण का मुख्य उद्देश्य विफल हुआ। नगरीय स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई वृहत्त नीति में वर्णित दिशा-निर्देशों के ढाँचे के अंतर्गत सूक्ष्म स्तर पर स्वच्छता सेवा के लिए अपनी नीति निर्धारित करनी थी। हालाँकि, सेप्टेज के सुरक्षित निपटान के लिए समुचित कार्यशैली का अभाव था क्योंकि 26 नगरीय स्थानीय निकायों ने मल कीचड़ और सीवेज प्रबंधन नीति (एफएसएसएम) तैयार नहीं की थी। इसके अलावा, केवल 10 नगरीय स्थानीय निकायों में मल कीचड़ उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) संचालित थे और अन्य 14 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित मल कीचड़ उपचार संयंत्र संचालित नहीं थे। इसके अतिरिक्त, 33 नगरीय स्थानीय निकायों ने सेप्टेज की सफाई के लिए न तो प्रशिक्षण दिया था और न ही सेप्टेज की सफाई के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों की नियमावली तैयार की थी। नौ नगरीय स्थानीय निकायों, जहाँ मलवहन नेटवर्क प्रणाली उपलब्ध थी, में से छः में कोई शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था। तीन नगरीय स्थानीय निकायों के 10 एसटीपी के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि पीएच, टीएसएस, बीओडी, सीओडी जैसे मानकों की

निगरानी के लिए ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी जो मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देश के विरूद्ध थी। लेखापरीक्षा में ठेकेदारों को ₹ 15.45 करोड़ (नगरीय स्थानीय निकाय मुरैना) के जीएसटी के अस्वीकार्य भुगतान; पिछले चालू खाते के बिल में भुगतान की गई राशि को कम आगे बढ़ाने के कारण ₹ 4.88 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान (नगरीय स्थानीय निकाय भिंड ₹ 4.15 करोड़, नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर ₹ 0.55 करोड़ और नगरीय स्थानीय निकाय मुरैना ₹ 0.18 करोड़); निर्धारित राशि की कटौती न होने के कारण ₹ 14.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान (आठ नगरीय स्थानीय निकाय में); विनिर्देशों के अनुसार मद निष्पादित किए बिना एक ठेकेदार को ₹ 6.35 करोड़ (नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर) का अतिरिक्त भुगतान; आकस्मिक कार्य के लिए ₹ 5.73 करोड़ (नगरीय स्थानीय निकाय मुरैना) का अधिक भुगतान, के प्रकरण देखे गए।

अध्याय 3

विशेष अपशिष्ट को उसकी मात्रा, जमाव, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, अथवा जैविक गुणों आदि के कारण विशेष निगरानी और निपटान की आवश्यकता होती है जिससे जन स्वास्थ्य, पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके और इसके संभावित पुनर्चक्रण क्षमता का दोहन भी किया जा सके। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 26 नगरीय स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत आवश्यक होने के बावजूद भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई उपनियम तैयार नहीं किया था, जिसके परिणामस्वरूप इन अपशिष्टों को अन्य अपशिष्टों के साथ भूमि भरण क्षेत्र पर फेंका जा रहा था। भूमिभरण के संयुक्त भौतिक सत्यापन से ज्ञात हुआ कि आवारा मवेशी ऐसे अपशिष्ट को खा रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। नगरीय स्थानीय निकायों के पास प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण सुविधाएं नहीं थीं और न ही प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और निपटान के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ कोई अनुबंध था। इसके अलावा, 29 नगरीय स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक की थैली का उपयोग करने वाले दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रणाली को लागू नहीं किया। परिणामस्वरूप, प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर नियंत्रण का अभाव था। 11 नगरीय स्थानीय निकायों ने 50 माईक्रान से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैली के भंडारण, वितरण, विक्रय और उपयोग पर रोक लगाने के निर्देश जारी नहीं किए। हालाँकि, कुछ नगरीय स्थानीय निकायों ने एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं जैसे गुब्बारे, आइसक्रीम और कैंडी आदि में इस्तेमाल होने वाली प्लेटों, ग्लास, प्लास्टिक की सींकें इत्यादि पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन प्रतिबंध का कठोर कार्यान्वयन नहीं

देखा गया क्योंकि ये प्रतिबंधित वस्तुएँ इन नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में बिक्री के लिए सुलभता से उपलब्ध थीं। इसके अलावा, केवल तीन नगरीय स्थानीय निकायों ने निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के पश्चात सड़क निर्माण कार्यों के लिए गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रयास किए थे जबकि 28 नगरीय स्थानीय निकायों को इस संबंध में अभी भी कार्य करना शेष था। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2018-22 के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट की बहुत कम मात्रा का उपयोग सड़कों के निर्माण में किया गया। इसके अलावा, 22 नगरीय स्थानीय निकायों के पास ई-अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण और इसके अधिकृत नष्टकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता तक पहुँचाने के लिए कोई नीति/योजना नहीं थी। इसके अभाव में, नगरीय स्थानीय निकाय ई-अपशिष्ट नियमों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर सके, जिसके परिणामस्वरूप इन अपशिष्टों को या तो भूमि भरण क्षेत्र पर फेंक दिया गया या ऐसे अपशिष्टों ने बड़ी मात्रा में नगरीय स्थानीय निकायों के कार्यालय भवनों में स्थान ले रखा है।

सूक्ष्म प्लास्टिक से मानव, पशु और पर्यावरण को गंभीर खतरा हो सकता है। मेसर्स एम्प्री द्वारा भोपाल के दो जल निकायों एवं दो निस्पंदन संयंत्रों और इंदौर के एक जल निकाय एवं एक निस्पंदन संयंत्र में किए गए अध्ययन से ज्ञात हुआ कि जल निकाय सूक्ष्म प्लास्टिकों से अत्यधिक प्रदूषित हैं। इन दोनों शहरों के जल उपचार संयंत्रों से आपूर्ति किए गए उपचारित जल में सूक्ष्म प्लास्टिकों के अंश भी थे और यह दीर्घावधि में जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। यह अध्ययन प्लास्टिक अपशिष्ट के उचित संग्रह, पृथक्करण, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान की आवश्यकता को उचित ठहराता है।

भारत सरकार ने व्यक्तियों या संगठन अथवा प्राधिकरणों द्वारा निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और नागरिक संरचनाओं के विध्वंस आदि की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न निर्माण सामग्री, अवशेष, मलबे आदि जैसे निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट के निपटान के लिए निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट नियम, 2016 तैयार किए हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य ने इस संबंध में कोई नीति तैयार नहीं की थी। केवल 16 नगरीय स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट उत्पादकों को उत्पन्न सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रह और पृथक्करण के लिए उत्तरदायी बनाने और अन्य अपशिष्ट (जैसे ठोस अपशिष्ट) इस अपशिष्ट के साथ मिश्रित न हो और इसका पृथक से संग्रहण और निपटान किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। 19 नगरीय स्थानीय निकायों ने अपने अधिकार क्षेत्र अंतर्गत सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए शुल्कों को अधिसूचित नहीं

किया था, 11 नगरीय स्थानीय निकायों ने हालाँकि सी एंड डी शुल्कों को अधिसूचित किया था, परंतु उन्होनें इसके लिए वसूले गए शुल्कों की राशि के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की थी। इसके अलावा, 24 नगरीय स्थानीय निकायों ने इसकी स्थापना के लिए निर्दिष्ट अवधि बीत जाने के बावजूद भी सी एंड डी अपशिष्ट के लिए संग्रह और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए आवश्यक स्थल की पहचान नहीं की थी।

अध्याय-4

अनुशंसाओं का सारांश

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है किः

I ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- नगरीय स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का समुचित आकलन करने और इसके पर्याप्त प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न कचरे के आधारभूत डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 1)

- राज्य शासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक किए गए अपशिष्ट के मिश्रण को रोकना और अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पादकों एवं संग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करके उद्गम पर ही अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 2)

- नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सभी रहवासी कल्याण संघों, बाजार संघों, चारदीवारी वाले समुदायों, संस्थानों, होटलों और रेस्तराओं से अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है और जहाँ तक संभव हो परिसर के भीतर ही कम्पोस्टिंग या जैव-मिथेनेशन के माध्यम से जैव-विघटनीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 3)

- नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए द्वार द्वार से अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा एक मजबूत प्रणाली स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 4)

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा, प्रसंस्करण संयंत्रों और भूमिभरण स्थलों के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 5)

- मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय के माध्यम से इनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित किया जाना एवं पाई गई अनियमितताओं के मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई निर्धारित करके अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी को मजबूत किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 6)

- एमपीपीसीबी द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी प्रणाली स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 7)

- जहाँ ठेकेदारों को अधिक/अनियमित भुगतान किया गया हो, शासन द्वारा उन प्रकरणों की जाँच और जिम्मेदारी तय किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 8)

II मल-जल का प्रबंधन

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सीपीएचईईओ नियमावली के अनुरूप शहरी स्वच्छता योजना को तैयार कर यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि सभी नगर निगम क्षेत्र और सभी घर मलप्रवाह तंत्र से जुड़े हुए हैं।

(अनुशंसा 9)

- मध्यप्रदेश शासन द्वारा मल-जल तंत्र को लागू करने में सभी संबंधित विभागों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 10)

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मल-जल का प्रबंधन सुनिश्चित करना एवं तदनुसार उपचारित जल के पुन: उपयोग और कीचड़ को खाद में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 11)

- मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि मल-जल उपचार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी एसटीपी पर ओसीईएमएस स्थापित किया गया है।

(अनुशंसा 12)

- शासन द्वारा मलप्रवाह परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों के अनुबंधों में अधिक/अनियमित भुगतान करने की जाँच कर जिम्मेदारी तय करना और अंतिम भुगतान करने से पूर्व ठेका की शर्तों और आईएसएसआर दरों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 13)

III विशेष अपशिष्ट

- विभाग द्वारा माइक्रोप्लास्टिक के कारण जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए एकल उपयोग/प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 14)

- नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा पीडब्लूएम नियमों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएँ स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 15)

- एमपीपीसीबी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों ने अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यक प्राधिकार प्राप्त कर लिये है और वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं।

(अनुशंसा 16)

- राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी नीति/योजना/कार्य योजना बनाकर ई-अपशिष्ट नियमों को लागू करना एवं ई-अपशिष्ट नियमों के अनुसार ई-अपशिष्ट के उचित पृथक्करण, संग्रहण और चैनलाईजेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 17)

- एमपीपीसीबी द्वारा ई-अपशिष्ट के उत्पादन और निपटान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न सभी उद्योगों द्वारा ई-अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 18)

- राज्य शासन द्वारा पीडब्ल्यूएम नियमों एवं सी एंड डी अपशिष्ट नियमों को कुशल तरीके से लागू करना एवं निगरानी तंत्र को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करके इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी किया जाना अपेक्षित है। शासन द्वारा सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नीति की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

(अनुशंसा 19)

अध्याय 1

प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा रूपरेखा

अध्याय 1

प्रस्तावना एवं लेखापरीक्षा रूपरेखा

1.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार, ठोस अपशिष्ट में स्थानीय प्राधिकारियों के अधीनस्थ क्षेत्र में उत्पन्न ठोस या अर्ध-ठोस घरेलू अपशिष्ट, स्वच्छता अपशिष्ट, वाणिज्यिक अपशिष्टों, संस्थागत अपशिष्ट, खानपान और बाजार अपशिष्ट तथा अन्य गैर-आवासीय अपशिष्ट, गली सफाइयों, भूमिगत नालियों से निकाली गई या एकत्र की गई गाद, बागवानी अपशिष्ट, कृषि एवं डेयरी अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट को छोड़कर उपचारित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट और ई-अपशिष्ट, बैटरी अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट शामिल हैं।

नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन देश के सभी नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) के मुख्य कार्यों में से एक है। सभी यूएलबी को नगरीय सेवा वितरण, विशेष रूप से नगरीय ठोस अपशिष्ट की सभी प्रणालियों की ध्यानपूर्वक योजना बनाने, कार्यान्वयन और निगरानी करने की आवश्यकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट से सामग्री और ऊर्जा की पुनर्प्राप्ति द्वारा भूमि पर निस्तारित ठोस अपशिष्ट की मात्रा को कम करना है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया नीचे दर्शाई गई है:

चार्ट 1.1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रक्रिया दर्शाने वाला

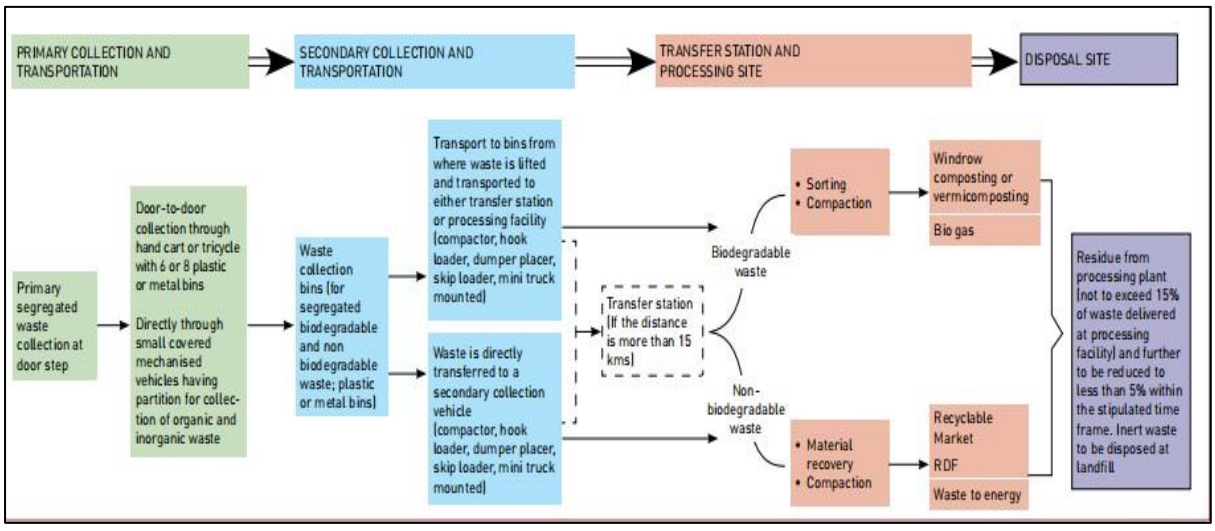

(स्रोतः ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016)

शहरी भारत को शहरी आबादी के बढ़ने से बढ़ती बुनियादी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा

करने की बढ़ती चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बढ़ती जनसंख्या के साथ, देश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन न केवल पर्यावरणीय और सौंदर्य-बोध संबंधी विषयों अपितु प्रति दिन भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के कारण भी एक चुनौती बनकर उभरा है। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान भारत में उत्पन्न, संग्रहित, उपचारित और निपटान किए गए ठोस अपशिष्ट की स्थिति **तालिका 1.1** में दी गई हैः

तालिका 1.1: 2017-18 से 2020-21 के दौरान भारत में ठोस अपशिष्ट का उत्पादन, संग्रहण, उपचार और निपटान की स्थिति

(टन प्रति दिन में)

क्र.सं.	वर्ष	उत्पन्न ठोस अपशिष्ट	संग्रहित ठोस अपशिष्ट	उत्पन्न अपशिष्ट के सापेक्ष एकत्रित अपशिष्ट का प्रतिशत	उपचारित ठोस अपशिष्ट	उत्पन्न अपशिष्ट के सापेक्ष उपचारित अपशिष्ट का प्रतिशत	भूमिभरित ठोस अपशिष्ट
1	2017-18	54,417	45,082	82.85	15,387	28.28	22,905
2	2018-19	1,52,077	1,49,749	98.47	55,760	36.67	50,161
3	2019-20	1,50,847	1,46,054	96.82	70,973	47.05	40,863
4	2020-21	1,60,039	1,52,749	95.44	79,956	49.96	29,427

(स्रोत-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिवेदन)

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के सापेक्ष अपशिष्ट संग्रहण का प्रतिशत, 98.47 से घटकर 95.44 हो गया था, जबकि इसी अवधि के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट के सापेक्ष उपचारित अपशिष्ट का प्रतिशत 36.67 से बढ़कर 49.96 हो गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिवेदन अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति ठोस अपशिष्ट उत्पादन 132.78 ग्राम प्रति दिन (2016-17 के दौरान) से मामूली रूप से घटकर 119.07 ग्राम प्रति दिन (2020-21 के दौरान) हो गया।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए, एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाना महत्वपूर्ण है जिसमें उद्गम स्थल पर अपशिष्ट पृथक्करण; अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन; अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान; सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता शामिल है।

देश में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन जैसी कई पहल और कार्यक्रम लागू किए गए हैं।

(अ) ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नियामक ढाँचा

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 2016 के दौरान बनाए गए विभिन्न अपशिष्ट

प्रबंधन नियम; अपशिष्ट के निपटान और प्रबंधन के लिए एक विधिक ढाँचा प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक रूप अपशिष्ट प्रबंधन का उपयोग करके प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण या कम करने के लिए व्यापक योजना तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नियामक ढाँचा **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

(ब) मध्य प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य में उत्पन्न, संग्रहित, उपचारित और भूमिभरण में फेंके गए ठोस अपशिष्ट का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.2: 2017-18 से 2021-22 के दौरान मध्य प्रदेश में उत्पन्न, संग्रहित/ परिवहन किया गया[1], उपचारित और भूमिभरण किया गया ठोस अपशिष्ट

(प्रति दिन टन में)

क्र.सं.	वर्ष	उत्पन्न ठोस अपशिष्ट	संग्रहित/ परिवहन किया गया ठोस अपशिष्ट	उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष संग्रहित अपशिष्ट का प्रतिशत	उपचारित ठोस अपशिष्ट	उत्पन्न ठोस अपशिष्ट के सापेक्ष उपचारित अपशिष्ट का प्रतिशत	भूमिभरण किया गया ठोस अपशिष्ट
1	2017-18	7,212	6,537	90.64	2,272.5	31.51	4,264.5
2	2018-19	8,000	7,500	93.75	6,100	76.25	1,400
3	2019-20	7,980	7,193	90.14	6,431	80.59	762
4	2020-21	8,022	7,235.5	90.20	6,472	80.68	763.5
5	2021-22	7,115	6,132	86.18	6,059	85.16	76.10

(स्रोत- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीपीसीबी) का प्रतिवेदन)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2017-18 से 2020-21 के दौरान, राज्य में अपशिष्ट संग्रहण का प्रतिशत स्थिर था (2019-20 में 90.14 प्रतिशत और 2018-19 में 93.75 प्रतिशत के बीच) लेकिन वर्ष 2021-22 में यह घटकर 86.18 प्रतिशत हो गया। यद्यपि, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उत्पन्न कुल अपशिष्ट के सापेक्ष अपशिष्ट के उपचार में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। हालाँकि, अपशिष्ट के 100 प्रतिशत संग्रहण और उपचार का लक्ष्य अभी भी प्राप्त किया जाना बाकी है।

[1] विभाग के उत्तर (17 अगस्त 2023) के अनुसार एकत्रित एवं परिवहन किया गया अपशिष्ट का आँकड़ा समान है। हालाँकि, बताए गए आँकड़े एमपीपीसीबी के आँकड़ों से भिन्न थे। इसलिए, लेखापरीक्षा ने एमपीपीसीबी द्वारा दर्शाई गई संग्रहण की मात्रा को परिवहन किया गया मात्रा माना है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि इंदौर और सतना नगरीय स्थानीय निकाय को छोड़कर संग्रहित किए गए अपशिष्ट को या तो अलग नहीं किया गया था या अलग तो किया गया था, लेकिन अंत में उसे एक ही भूमिभरण स्थल पर एक साथ फेंक दिया गया था (**कंडिका 2.12.2** देखें)। इससे पृथक्करण की प्रक्रिया एक निरर्थक श्रम बन गई। इसके अलावा, जैसा कि कंडिका 2.12.2 में चर्चा की गई है, भूमिभरण स्थल पर धर्मकाँटा की अनुपलब्धता थी, जिसके कारण लेखापरीक्षा **तालिका 1.2** में दिए गए आँकड़ों की सटीकता को संपुष्ट नहीं कर सकती है।

1.2 मलवहन प्रबंधन

मलवहन और मलजल उपचार, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का एक अंग है और भारतीय संविधान के अनुसार, यह विषय राज्य सूची के क्षेत्र में आता है। चूँकि यह एक आवश्यक सेवा है, सेवाएँ प्रदान करने की जिम्मेदारी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

मलजल एक प्रकार का अपशिष्ट जल है जो लोगों के समुदाय द्वारा जनित होता है। इसे मात्रा या प्रवाह की दर, भौतिक दशा, रासायनिक और विषाक्त घटक तथा इसकी जीवाणुतत्व-संबंधी स्थिति द्वारा चिन्हित किया जाता है। भारत में मलजल उत्पादन, स्थापित उपचार क्षमता और वास्तविक उपचार की स्थिति (30 जून 2020 तक) **चार्ट 1.2** में दर्शाई गई हैः

चार्ट 1.2: भारत में मलजल उत्पादन, स्थापित उपचार क्षमता और वास्तविक उपचार

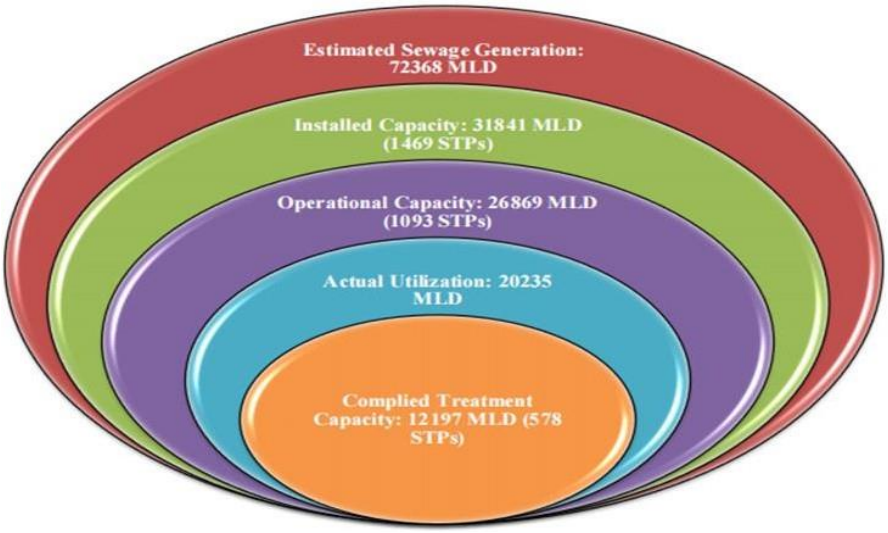

(स्रोतः मलवहन उपचार संयंत्र की राष्ट्रीय वस्तुसूची पर सीपीसीबी का प्रतिवेदन, मार्च 2021)

मलवहन प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समुदाय द्वारा छोड़े गए मलजल को ठीक से संग्रहित, परिवहनित और सुरक्षित स्तर तक उपचारित किया जाए और बिना किसी स्वास्थ्य या पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न किए इसका निपटान या पुनः उपयोग किया जाए। अपर्याप्त अधोसंरचना के कारण, आंशिक रूप से उपचारित और अनुपचारित मलजल को शहरों

और कस्बों के नजदीकी जल निकायों में छोड़ा जाता है।

इस उद्देश्य के लिए, मध्य प्रदेश शासन ने सतत् स्वच्छता सेवाओं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रावधान के माध्यम से, नगरीय आबादी, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और मल कीचड़ प्रबंधन के लिए एक राज्य स्तरीय नीति (2017) तैयार की है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाला नगरीय विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी), सभी यूएलबी के नियंत्रण के लिए नोडल विभाग है। संचालनालय, नगरीय प्रशासन और विकास (यूएडीडी), जो सीधे यूडीएचडी के अंतर्गत कार्य करता है, राज्य शासन और यूएलबी के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यूएडीडी का नेतृत्व आयुक्त करते हैं, जिन्हें संभाग स्तर पर नौ संयुक्त संचालकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। प्रत्येक नगरपालिक निगम के आयुक्त और प्रत्येक नगर पालिका परिषद/ नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी यूएलबी के प्रशासनिक प्रमुख हैं और ठोस अपशिष्ट तथा मलजल प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

एमपीपीसीबी, राज्य में, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विभिन्न नियमों के कार्यान्वयन में लगा हुआ हैं। एमपीपीसीबी, अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रमुख एजेंसी है। **चार्ट 1.3** एमएसडब्ल्यू प्रबंधन की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में सभी स्तरों पर विभिन्न प्राधिकारियों की भूमिका को दर्शाता है।

चार्ट 1.3: विभिन्न स्तरों पर योजना, क्रियान्वयन और निगरानी में प्राधिकारियों की भूमिका

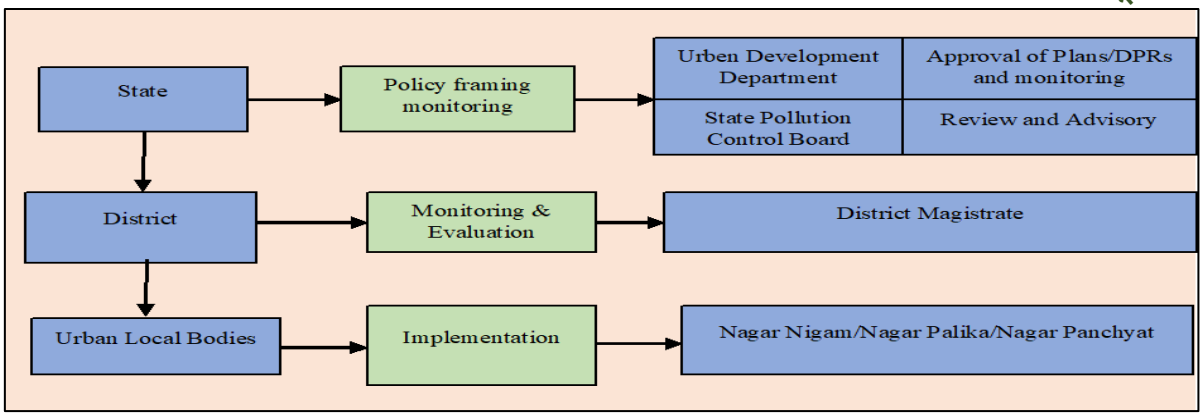

यूएलबी का त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढाँचा **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है और एसडब्ल्यूएम और मलवहन प्रबंधन से संबंधित यूएलबी की संगठनात्मक संरचना **परिशिष्ट 1.3** में दी गई है।

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्याः

- ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन, इसकी योजना, संग्रहण, पृथक्करण, भंडारण, परिवहन, निस्तारण और अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों के सामाजिक समावेशन के संबंध में प्रभावी था, ठोस अपशिष्ट के निस्तारण के लिए स्थापित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएँ प्रभावी और मितव्ययी थीं और ठोस अपशिष्ट गतिविधियों तथा अन्य सामाजिक और पर्यावरणीय पहलू की निगरानी के लिए एक पर्याप्त निगरानी प्रणाली विद्यमान थी;
- मलवहन का प्रबंधन इसकी योजना, संग्रहण, परिवहन और उपचार के संबंध में प्रभावी और पर्याप्त था और मलवहन प्रणाली की निगरानी के लिए एक उपयुक्त निगरानी तंत्र विद्यमान था;
- विशेष अपशिष्ट अर्थात; प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन नियामक रूपरेखा और विभिन्न पर्यावरणीय मानदंडों/ मानकों के संदर्भ में उनकी योजना, संग्रहण, परिवहन और उनके निस्तारण के संबंध में समुचित और प्रभावी था।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निष्पादन के मूल्यांकन के मानदंड, मुख्य रूप से निम्न से प्राप्त किए गए थेः

- भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2016 में जारी नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 और ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और व्यवहार) नियम, 2016;
- मध्य प्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956; और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961;
- मध्य प्रदेश वित्तीय नियम, मध्य प्रदेश निर्माण कार्य विभाग नियमावली;
- केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) नियमावली, अमृत मिशन के दिशानिर्देश;
- अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग तथा मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) नीति के लिए मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय नीति, 2017;
- संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास का प्रशासनिक प्रतिवेदन और बजट;
- सर्वेक्षण प्रतिवेदन और डीपीआर, दरों की एकीकृत मानक अनुसूची (आईएसएसआर);

- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016;
- प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और व्यवहार) नियम, 2016;
- सेवा स्तर बेंचमार्किंग (एसएलबी) दिशानिर्देशों में निर्धारित निष्पादन मानक;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम और नियम 1986;
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008; और
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपशिष्ट प्रबंधन (ठोस और मलजल अपशिष्ट) पर जारी निर्देश, दिशानिर्देश, नीतियाँ।

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

"नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन" की निष्पादन लेखापरीक्षा 2017-18 से 2021-22 तक पाँच वर्षों की अवधि को शामिल करते जुलाई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान की गयी थी। इसमें 34 चयनित यूएलबी **(तालिका 1.3)** में ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और मलवहन से संबंधित अभिलेखों की जाँच शामिल थी।

उपरोक्त से संबंधित अभिलेखों का परीक्षण यूएडीडी, एमपीपीसीबी के कार्यालयों में भी किया गया। चयनित यूएलबी की सूची **परिशिष्ट 1.4** में दी गई है।

तालिका 1.3: नमूना जाँच हेतु चयनित यूएलबी की संख्या

क्र.सं.	यूएलबी की श्रेणी	राज्य में यूएलबी की संख्या	नमूना जाँच की गई यूएलबी की संख्या
1	नगरपालिक निगम	16	8
2	नगर पालिका परिषद	99	11
3	नगर परिषद	298	15
योग		**413**	**34**

(स्रोतः वर्ष 2021-22 के लिए यूएडीडी का प्रशासनिक प्रतिवेदन)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित यूएलबी को **मानचित्र 1.1** में दर्शाया गया हैः-

मानचित्र 1.1: नमूना जाँच के लिए चयनित यूएलबी

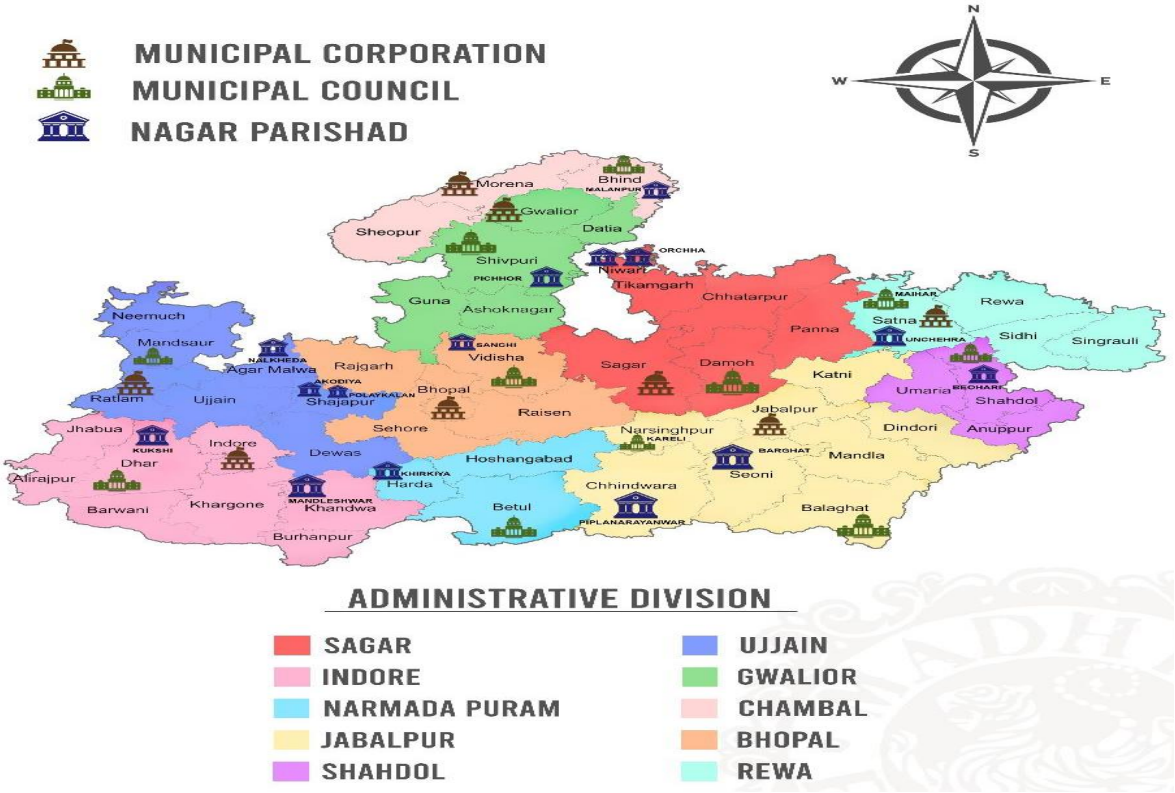

यूएलबी को नमूना जाँच हेतु आइडिया एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सरल यादृच्छिक नमूना पद्धति (संभाग-वार[2]) के माध्यम से चुना गया था।

1.7 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा के लिए यूडीएचडी के प्रमुख सचिव के साथ 3 अक्टूबर 2022 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था। लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तर, नगरपालिका कर्मचारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन और फोटोग्राफिक साक्ष्य का संग्रह शामिल था। दो यूएलबी, भोपाल और इंदौर के जल निकायों में सूक्ष्म प्लास्टिक की उपस्थिति का पता लगाने हेतु परीक्षण भी किया गया था। संबंधित विभाग के साथ निर्गम सम्मेलन मई 2023 में आयोजित

[2] प्रत्येक संभाग में स्थित यूएलबी (नगरपालिक निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषद) के प्रत्येक स्तर से नमूने इस तरह से निकाले गए हैं कि प्रत्येक संभाग का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो। प्रत्येक संभाग से एक नगरपालिक निगम, उसकी नगर पालिका परिषदों का 10 प्रतिशत (लगभग) और उसकी नगर परिषदों का पाँच प्रतिशत (लगभग) का चुनाव इस प्रकार किया गया कि नमूना इकाइयों में शामिल जनसंख्या, संपूर्ण नगरीय जनसंख्या के 25 प्रतिशत से कम न हो। लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल की गई यूएलबी की कुल शहरी आबादी 85.01 लाख थी, जबकि, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल शहरी आबादी 1.92 करोड़ थी।

किया गया था, जिसमें प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई थी। विभागों के दृष्टिकोण को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

1.8 उत्तम प्रथाएं

स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य को भारत के सबसे स्वच्छ राज्य के दर्जे से सम्मानित किया गया था, तथा एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रदेश के 30 शहरों को देश के शीर्ष 100 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में स्थान मिला है। राज्य के इंदौर शहर ने वर्ष 2017 से 2022 तक इस श्रेणी के अंतर्गत लगातार छठी बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है।

इसके अलावा, केंद्र की "अपशिष्ट से धन" अवधारणा के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर इंदौर में 550 टीपीडी क्षमता के एशिया के पहले बायो-सीएनजी संयंत्र की स्थापना (फरवरी 2022) के बाद प्रति दिन 17,500 किलोग्राम बायो-सीएनजी गैस का उत्पादन कर इंदौर नगरपालिक निगम देश के अन्य शहरों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम कर रहा है।

1.9 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित करने में राज्य शासन, संचालनालय यूएडीडी, सभी लेखापरीक्षित यूएलबी और एमपीपीसीबी द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करती है।

1.10 लेखापरीक्षा में अवरोध

यूएडीडी, भोपाल और भोपाल, ग्वालियर, विदिशा तथा भिंड के यूएलबी कार्यालयों में अभिलेखों के पूरे संग्रह के अभाव और लेखापरीक्षा में माँगी गई जानकारी उपलब्ध न कराने (प्रतिवेदन में विभिन्न स्थानों पर टिप्पणी की गई है) के कारण लेखापरीक्षा विश्लेषण में अवरोध उत्पन्न हुआ। इसलिए, चित्रों के रूप में अभिलेखित संयुक्त भौतिक निरीक्षणों के निष्कर्षों को अपर्याप्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभाव को उजागर करने के लिए आधार बनाया गया है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा किए गए अध्ययन और मीडिया प्रतिवेदनों के संदर्भों से भी निष्कर्षों की पुष्टि की गई है।

अध्याय 2

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

अध्याय 2

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

2.1 प्रस्तावना

ठोस अपशिष्ट के अनुचित प्रबंधन से जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र दोनों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि ठोस अपशिष्टों का उचित प्रबंधन और निपटान किया जाए।

भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) के प्रशासन एवं प्रबंधन के ढाँचे को मोटे तौर पर तीन स्तरों- केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों में विभाजित किया गया है। घर, व्यवसाय, उद्योग, अनौपचारिक क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ), समुदाय-आधारित संगठन (सीबीओ), स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी), आदि अन्य हितधारक हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसडब्ल्यूएम के विभिन्न चरणों में इन सभी हितधारकों की भागीदारी आवश्यक है, जैसा कि **परिशिष्ट 2.1** में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने योजना, नीति निर्माण और अन्य प्रकरणों जैसे मूल्यांकन, संग्रहण, पृथक्करण, निपटान, निगरानी और अनुबंध प्रबंधन में कमियाँ देखीं जैसा कि नीचे कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.2 एसडब्ल्यूएम की राज्य नीति और कार्यनीति

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम 11 में कहा गया है कि प्रभारी सचिव, शहरी विकास विभाग अपशिष्ट बीनने वालों, स्व-सहायता और अपशिष्ट के क्षेत्र में काम करने वाले समान समूहों के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों के परामर्श से; इन नियमों, एसडब्ल्यूएम पर राष्ट्रीय नीति और शहरी विकास मंत्रालय की राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति के अनुरूप, राज्य के लिए एक राज्य नीति और एसडब्ल्यूएम कार्यनीति इन नियमों की अधिसूचना के दिनांक, यानी 08 अप्रैल 2016 से एक वर्ष की अवधि के अंदर तैयार करेंगे।

राज्य शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा, एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम 11 (1)(ए) के अंतर्गत दिनांक 05 सितंबर 2018 को "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति-2018" अधिसूचित किया गया है। इस प्रकार, राज्य नीति को अधिसूचित करने में हुई एक वर्ष की देरी, राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दे पर शिथिलता और इस समय के दौरान अव्यवस्थित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के खतरे को इंगित करती है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्य प्रदेश शासन (शासन) ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अगस्त 2023) और कहा कि विलम्ब का प्रमुख कारण मुख्य रूप से राज्य एसडब्ल्यूएम नीति तैयार करने और राज्य मंत्रिमंडल द्वारा इसकी मंजूरी में लगने वाला समय है।

2.3 यूएलबी स्तर पर एसडब्ल्यूएम योजना का अभाव

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम 15 (ए) में निर्धारित है कि स्थानीय प्राधिकारी राज्य नीति और कार्यनीति की अधिसूचना की दिनांक से छः माह के भीतर एसडब्ल्यूएम पर राज्य की नीति और रणनीति के अनुसार एक एसडब्ल्यूएम योजना तैयार करेंगे और राज्य शासन के संबंधित विभागों या राज्य शासन द्वारा अधिकृत एजेंसी को एक प्रति जमा करेंगे। (एमएसडब्ल्यूएम) नियमावली 2016 की कंडिका 1.3 में विहित है कि एमएसडब्ल्यू प्रबंधन सेवाओं की योजना बनाने के लिए सात-चरणों वाली प्रक्रिया **(परिशिष्ट 2.2)** का पालन करना चाहिए, ताकि एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 और भारत सरकार एवं संबंधित राज्य शासनों द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

एमएसडब्ल्यूएम योजना 20-25 वर्षों की दीर्घकालिक रणनीति है, जिसमें कई अल्प-कालिक योजनाएँ (पाँच वर्ष) शामिल हैं। इन अल्पकालिक योजनाओं का मूल्यांकन प्रत्येक 2-3 वर्षों में इनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने भी दोहराया (प्रकरण संख्या 606/ 2018 के आदेशों में) था कि प्रत्येक यूएलबी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य योजना 31 अक्टूबर 2018 तक तैयार की जानी चाहिए और इसे 31 दिसंबर 2019 तक लागू किया जाना चाहिए।

राज्य शासन ने सितंबर 2018 में एसडब्ल्यूएम नीति को अधिसूचित किया था, इस प्रकार, यूएलबी को छः माह (मार्च 2019 तक) के भीतर अपनी एसडब्ल्यूएम योजना तैयार और प्रस्तुत करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 34 यूएलबी में से 25[1] ने राज्य नीति की अधिसूचना की दिनांक से तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी एमएसडब्ल्यू प्रकरणों के समाधान के लिए जुलाई 2022 तक कोई दीर्घकालिक और अल्पकालिक एमएसडब्ल्यूएम योजना तैयार नहीं की थी।

[1] अकोदिया, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल और उचेहरा।

इसके अलावा, तीन यूएलबी[2] ने सूचित किया कि एसडब्ल्यूएम योजना उनके द्वारा तैयार की गई थी। हालाँकि, उनके द्वारा तैयार की गई योजना की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे इसके तैयार होने की तिथि तथा योजना तैयार करने में विलम्ब की अवधि, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकी। पाँच यूएलबी[3] ने लेखापरीक्षा पूछताछ का कोई उत्तर नहीं दिया। केवल एक यूएलबी, पिपलानारायणवार ने इंगित किया कि उन्होंने एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के कार्यान्वयन से बहुत पहले वर्ष 2012-13 में एसडब्ल्यूएम योजना तैयार की थी।

एसडब्ल्यूएम योजना तैयार न करने के परिणामस्वरूप इन यूएलबी में एसडब्ल्यूएम नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन हुआ।

शासन ने उत्तर में कहा (अगस्त 2023) कि 378 यूएलबी की एसडब्ल्यूएम कार्य योजना अगस्त 2017 में प्रकाशित की गई थी जिसे अक्टूबर 2020 में पुनः संशोधित किया गया था।

हालांकि उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, इसके अलावा, विभाग ने मार्च 2023 तक सभी यूएलबी प्रमुखों से कथित कार्य योजना माँगी थी।

2.4 उपविधियों का न बनाया जाना

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 का नियम 15 (ई) विहित करता है कि यूएलबी इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर (अर्थात् अप्रैल 2017 तक) इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए उपविधियाँ तैयार करेंगे और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 34 यूएलबी में से 23[4] ने इन नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए कोई उपविधि नहीं बनायी थी। इसके अलावा, सात यूएलबी[5] ने सूचित किया कि उन्होंने एसडब्ल्यूएम योजना तैयार की थी, लेकिन यूएलबी इंदौर को छोड़कर, कोई अन्य यूएलबी सत्यापन के लिए उपविधियों की प्रति या इसकी तैयार होने की तिथि उपलब्ध नहीं करा सकें। चार यूएलबी[6] ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई उत्तर नहीं दिया है।

उप-विधियों के तैयार न होने से अपशिष्ट का अनुचित निपटान और अपर्याप्त प्रबंधन हो सकता

[2] धार, शिवपुरी और विदिशा।

[3] बरघाट, भिंड, भोपाल, कुक्षी और सतना।

[4] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, मालनपुर, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल और उचेहरा।

[5] धार, इंदौर, मैहर, मंदसौर, पिछोर शिवपुरी और विदिशा।

[6] भिंड, भोपाल, कुक्षी और सतना।

है, जिससे सार्वजनिक स्थानों पर अपशिष्ट का जमाव हो सकता है, अस्वच्छता की स्थिति और सौंदर्यबोधक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन एक यदृच्छया और अव्यवस्थित प्रक्रिया बन सकता है, जिससे अकुशलता और संसाधनों की बर्बादी हो सकती है।

शासन ने अवगत कराया कि (अगस्त 2023) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छतम पोर्टल पर यूएलबी द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, परीक्षण किए गए सभी 34 यूएलबी ने एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों से संबंधित उपविधि तैयार कर ली हैं और उत्तर के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किये।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूएलबी (यूएलबी इंदौर को छोड़कर) द्वारा उपविधियों को अपनाया नहीं गया है और लेखापरीक्षा को प्रदान किया गया सहायक दस्तावेज़ अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह और एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के गैर-अनुपालन के लिए शास्ति/ स्पॉट जुर्माना लगाने की अधिसूचना से संबंधित है। इसके अलावा, उत्तर में उपविधियों के शासन का अनुमोदन/ राजपत्र प्रकाशन को इंगित नहीं किया गया है।

2.5 उत्पन्न अपशिष्ट का आकलन न करना

एसडब्ल्यूएम की योजना बनाने और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शहर की सीमा में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट का एक विश्वसनीय मूल्यांकन आवश्यक है। यूएलबी में उत्पन्न एमएसडब्ल्यू की मात्रा और संरचना; संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान विकल्पों, जिन्हें अपनाया जा सकता है, को निर्धारित करती है। ये जनसंख्या, जनसांख्यिकीय विवरण, शहर या कस्बे में प्रमुख गतिविधियों, आय के स्तर और समुदाय की जीवन शैली पर निर्भर करती है।

एमएसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 की कंडिका 1.4.3.3 में प्रावधान है कि एक अपरिहार्य आवश्यकता के रूप में, प्रत्येक यूएलबी को एमएसडब्ल्यूएम प्रणालियों की प्रभावी ढंग से योजना बनाने और रचना करने के लिए उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा और संरचना का आकलन करना चाहिए। इस प्रकार, मौजूदा प्रणालियों की पर्याप्तता स्थापित करने और उपचार तथा निपटान सुविधाओं की वृद्धि के लिए योजना बनाने के लिए शहर में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का वास्तविक रूप से मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

एमएसडब्ल्यूएम, नियमावली 2016 की कंडिका 1.4.3.3.2 में विहित है कि अपशिष्ट संरचना का निर्धारण करने के लिए एकाधिक स्थानों पर कई नमूने लेने की आवश्यकता होती है क्योंकि दैनिक, मौसमी और सामयिक उतार-चढ़ाव आमतौर पर एक यूएलबी के अंदर देखे जाते हैं। आगे, कंडिका 1.4.5.1 में कहा गया है कि एमएसडब्ल्यूएम योजना विकसित करने के लिए

भावी अपशिष्ट उत्पादन मात्रा और संरचना का अनुमान लगाना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, कारकों जैसे (1) भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान (2) प्रत्याशित जीवनशैली में बदलाव और (3) यूएलबी के सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा में बदलाव पर भी विचार किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 34 यूएलबी में से 15[7] ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट की मात्रा का आकलन नहीं किया था और 15 यूएलबी[8] ने अपशिष्ट की मात्रा का आकलन किया था। चार यूएलबी[9] ने लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। हालाँकि, इनमें से लगभग सभी यूएलबी (यूएलबी इंदौर को छोड़कर) वास्तविक आकलन पर आधारित सही माप करने के स्थान पर प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर[10] आकलन कर रहे थे। प्रति व्यक्ति मूल्यांकन के आधार पर अपशिष्ट उत्पादन का आकलन, उत्पन्न अपशिष्ट की वास्तविक मात्रा से अधिक या कम हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप भूमिभरण स्थल का अनुपयुक्त चयन और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संसाधनों का अपर्याप्त आवंटन जैसी अनुपयुक्त योजना तैयार हो सकती है। इस प्रकार, उत्पन्न कचरे की मात्रा का उचित आकलन करने के लिए यूएलबी में कोई आधारभूत डेटा उपलब्ध नहीं था।

शासन ने अवगत कराया कि (अगस्त 2023) सभी यूएलबी प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के आकलन के लिए स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों का पालन करते हैं और नियमित या पाक्षिक रूप से अपने सभी द्वार-द्वार से संग्रहण वाहनों का तौल या तो उनके स्वामित्व वाले या निजी स्वामित्व वाले धर्मकाँटे पर कर रहे हैं और तौल पावतियों का समुचित संधारण कर रहे हैं। यूएलबी जबलपुर, दमोह, रतलाम और सतना की तौल पावतियाँ साक्ष्य के रूप में संलग्न की गईं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूएलबी ने एमएसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 कि कंडिका 1.4.3.3.2 में बताए गए प्रावधानों के आधार पर उत्पन्न कचरे की औसत मात्रा के आकलन की व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन नहीं किया था। इसके अलावा, उत्पन्न कचरे की मात्रा के कम

---

[7] अकोदिया, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, जबलपुर, करेली, मंडलेश्वर, मालनपुर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, सागर और शहडोल।

[8] बरघाट, दमोह, धार, ग्वालियर, इंदौर, खिरकिया, मैहर, मंदसौर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, साँची, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

[9] भिंड, भोपाल, कुक्षी और सतना।

[10] भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी सर्विस लेवल बेंचमार्क पर हैंडबुक ने तिमाही सर्वेक्षणों/ सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण और घरबारों और प्रतिष्ठानों की प्रतिनिधि संख्या के नमूनों के आधार पर अपशिष्ट उत्पादन अनुमानों को प्रथम वरीयता दी और शहर के आकार के आधार पर प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के अनुभवजन्य मानकों पर आधारित अपशिष्ट उत्पादन अनुमान को निम्न वरीयता दी।

आकलन से प्रदर्शन मानकों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त क्षमता वाली सुविधाओं का निर्माण हो सकता है।

2.6 अंतर विश्लेषण नहीं किया गया

एमएसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 की कंडिका 1.3 विहित करती है कि नगरपालिका प्राधिकारी को एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार शहर में एसडब्ल्यूएम की वर्तमान स्थिति का एक समग्र मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन में उन कमियों या अंतरालों की स्पष्ट रूप से पहचान होनी चाहिए जिन्हें विधिक दायित्वों को पूरा करने के लिए कम करने की आवश्यकता है।

एक समुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने के लिए उपकरणों, वाहनों, जनशक्ति और संचालन तथा अनुरक्षण आवश्यकताओं के अंतर विश्लेषण के लिए, भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ने यूएलबी में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधोसंरचना और सेवाओं के अंतर विश्लेषण के लिए एक टेम्पलेट जारी (नवंबर 2017) किया। टेम्पलेट में द्वार-द्वार से अपशिष्ट संग्रहण, भंडारण और परिवहन, प्रसंस्करण तथा निपटान, जनशक्ति, सूचना, शिक्षा एवं संचार रणनीति और संचालन तथा अनुरक्षण की वित्तीय स्थिरता से संबंधित बुनियादी ढाँचे के अंतर विश्लेषण शामिल थे।

केवल चार यूएलबी (धार, ग्वालियर, मंदसौर और रतलाम) ने सूचित किया कि उन्होंने आवश्यक अंतर विश्लेषण किया है, लेकिन उनके कथन के सत्यापन के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। दूसरी ओर, 23 यूएलबी[11] ने सूचित किया कि उन्होंने संचालन और अनुरक्षण के बुनियादी ढाँचे और वित्तीय स्थिरता का अंतर विश्लेषण नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, सात यूएलबी (भिंड, भोपाल, इंदौर, कुक्षी, सागर, शिवपुरी और सतना) ने लेखापरीक्षा अवलोकनका कोई उत्तर नहीं दिया। इस प्रकार, यूएलबी द्वारा अंतराल विश्लेषण किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

यूएलबी के लिए उनके बुनियादी ढाँचे और वित्तीय स्थिरता में अंतराल की पहचान करने के लिए अंतर विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। इससे यूएलबी अंतरालों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए उचित उपाय करने में सक्षम होंगे। इससे यूएलबी को समग्र सेवा वितरण और संचालन दक्षता सुधार करने में भी मदद मिलेगी।

[11] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, जबलपुर, करेली, खिरकिया, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, साँची, शहडोल, उचेहरा और विदिशा।

शासन ने अवगत कराया कि राज्य ने विभाग के प्रशासनिक ढाँचे की सहायता से यूएलबी में बुनियादी ढाँचों; जैसे वाहनों, प्रसंस्करण संयंत्रों, मशीनरी आदि की उपलब्धता का एक अंतर विश्लेषण किया है और आवश्यक डिजाइन, चित्र, विनिर्देश तथा उनकी खरीद के लिए धनराशि का प्रावधान किया है।

हालाँकि, अंतर विश्लेषण करने से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए 23 यूएलबी ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया कि उनके द्वारा अब तक बुनियादी ढाँचे और संचालन एवं रखरखाव की वित्तीय स्थिरता का कोई अंतर विश्लेषण नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित भी देखा-

2.6.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उपभोक्ता शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 15(एफ) में प्रावधान है कि यूएलबी संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान जैसी ठोस अपशिष्ट सेवाएं प्रदान करने की लागत को वसूल करने के लिए यथोचित उपभोक्ता शुल्क का निर्धारण करेगी। अपशिष्ट उत्पादकों से शुल्क, यूएलबी द्वारा स्वयं या किसी अधिकृत एजेंसी के माध्यम से संग्रहित किया जा सकेगा।

नमूना जाँच किए गए यूएलबी उपभोक्ता शुल्क के आरोपण के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं कर सके, जिसके कारण इस मद में प्राप्त माँग और राजस्व का विश्लेषण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, नमूना जाँच में शामिल यूएलबी द्वारा प्रदान की गई एसडब्ल्यूएम सेवाओं के लिए उपभोक्ता शुल्क के आरोपण की स्थिति नीचे दी गई है-

- नमूना जाँच की गई 15 नगर परिषदों में से केवल नगर परिषद निवाड़ी ने वर्ष 2017-2022 के दौरान एसडब्ल्यूएम के लिए उपभोक्ता शुल्क एकत्र किया। सात नगर परिषदों[12] ने मार्च 2022 तक एसडब्ल्यूएम के लिए कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं लगाया था। तीन नगर परिषदों (खिरकिया, पिपलानारायणवार और साँची) ने इसकी क्रमशः वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से वसूली की। इसके अलावा तीन नगर परिषदों (बरघाट, मंडलेश्वर एवं उचेहरा) ने वर्ष 2021-22 से उपभोक्ता शुल्क लेना शुरू कर दिया है। एक नगर परिषद (कुक्षी) ने लेखापरीक्षा अवलोकनका उत्तर नहीं दिया।

[12] अकोदिया, ब्यौहारी, मालनपुर, नलखेड़ा, ओरछा, पिछोर और पोलायकलाँ।

- नमूना जाँच की गई 11 नगरपालिका परिषदों में से केवल चार नगरपालिका परिषदों[13] ने वर्ष 2017-22 के दौरान एसडब्ल्यूएम के लिए उपभोक्ता शुल्क एकत्र किया। नगरपालिका परिषद शिवपुरी ने अवगत कराया कि एसडब्ल्यूएम के लिए अलग से कोई उपभोक्ता शुल्क नहीं वसूला जा रहा है, यह समेकित कर में शामिल है। दो नगरपालिका परिषदों (विदिशा और बालाघाट) ने मार्च 2022 तक एसडब्ल्यूएम के लिए कोई उपभोक्ता शुल्क का आरोपण नहीं किया था। दो नगरपालिका परिषद (मैहर और शहडोल) 2020-21 और नगरपालिका परिषद दमोह 2021-22 से उपभोक्ता शुल्क संग्रहित कर रहे थे। नगरपालिका परिषद भिंड ने लेखापरीक्षा अवलोकन का उत्तर नहीं दिया।
- ग्वालियर को छोड़कर सभी नमूना जाँच किए गए नगरपालिक निगमों ने वर्ष 2017-22 के दौरान एसडब्ल्यूएम के लिए उपभोक्ता शुल्क एकत्र किया। जबकि नगरपालिक निगम ग्वालियर वर्ष 2019-20 से इसकी वसूली कर रहा था।

2.6.2 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान की अप्राप्ति

14वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल[14] खाते के प्रतिशत के रूप में यूएलबी को मूल अनुदान और निष्पादन अनुदान की अनुशंसा की। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्य शासन ने यूएलबी में निष्पादन अनुदान वितरण हेतु निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की:

1. नगर पालिका को उस वर्ष से संबंधित लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करने होंगे, जो उस वर्ष से दो वर्ष से पहले के नहीं होंगे, जिसमें नगर पालिका निष्पादन अनुदान का दावा करना चाहती है।
2. नगर पालिका को पिछले वर्ष की तुलना में अपने स्वयं के राजस्व में वृद्धि दर्शानी होगी, जैसा कि लेखापरीक्षित लेखों में प्रदर्शित हो।
3. नगर पालिका को अनुदान की अवधि के लिए हर वर्ष बुनियादी शहरी सेवाओं के लिए सेवा स्तर के बेंचमार्क को सुनिश्चित एवं प्रकाशित करना चाहिए और इसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 378 यूएलबी में से 298 और 378 यूएलबी में से 329 यूएलबी ने क्रमशः वर्ष 2018-19 और 2019-20 में निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त

[13] बैतूल, धार, करेली और मंदसौर।

[14] राज्य का शुद्ध कर राजस्व, विभाज्य निधि कहलाता है। केंद्रीय करों में राज्य शासन का हिस्सा, संग्रह शुल्क के रूप में 10 प्रतिशत राशि और निर्दिष्ट राजस्व की कटौती के बाद शुद्ध कर राजस्व प्राप्त होता है।

की थी लेकिन अनुदान की पात्रता राशि ₹ 602.55 करोड़[15] वर्ष 2021-22 तक प्राप्त नहीं हुई थी और यूएलबी उक्त अनुदान प्राप्त करने से वंचित रह गए।

उपर्युक्त कंडिका को, "मध्य प्रदेश में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन" विषयांतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 में भी शामिल किया गया था तथा उक्त अनुदान अभी भी भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था।

2.7 अनौपचारिक क्षेत्र का असमन्वय

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 11(सी) और 11(एम) के अनुसार राज्य शासन को एसडब्ल्यूएम गतिविधियों में अनौपचारिक क्षेत्र (जिसमें कबाड़ीवाले या स्क्रैप डीलर/ लत्ता बीनने वाले/ अपशिष्ट बीनने वाले शामिल हैं) की भूमिका को यथोचित स्वीकार करते हुए राज्य की नीतियों और कार्यनीतियों को तैयार करना था और इन अपशिष्ट चुनने वालों और अपशिष्ट डीलरों के पंजीकरण के लिए एक योजना शुरू करना था। इसके अलावा, एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 15(सी) में विहित किया गया है कि यूएलबी को अपशिष्ट चुनने वालों या अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं के संगठनों की पहचान के लिए एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए द्वार-द्वार से अपशिष्ट संग्रहण में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए उनके साथ समन्वय हेतु एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

राज्य शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2018 के लिए अपनी राज्य नीति में राज्य में अपशिष्ट बीनने वालों के पंजीकरण की योजना शुरू करने और औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रों में संलग्न श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने और अच्छे वातावरण में काम करने को सुगम बनाने का आदेश दिया गया है।

यूएडीडी से राज्य में अपशिष्ट चुनने वालों के पंजीकरण के लिए कोई योजना शुरू करने के संबंध में जानकारी माँगी गई थी, हालाँकि इसका उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अभाव में लेखापरीक्षा इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पायी कि क्या राज्य शासन ने अनौपचारिक क्षेत्रों में लगे श्रमिकों की आजीविका सुनिश्चित करने और अच्छे वातावरण में उनके काम करने की सुविधा के लिए कोई योजना बनाई थी।

इंदौर नगरपालिक निगम (आईएमसी) द्वारा संचालित सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा (एमआरएफ) के भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि स्थल पर लाए गए सूखे अपशिष्ट से

[15] ₹ 602.55 करोड़ (2018-19 के लिए ₹ 260.91 करोड़ और 2019-20 के लिए ₹ 341.64 करोड़)।

पुन: प्रयोज्य सामग्री की छंटाई के लिए फर्म द्वारा अपशिष्ट चुनने वालों को तैनात किया गया था। इसके अलावा, एमपीपीसीबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत मेसर्स एनईपीआरए द्वारा संचालित एमआरएफ में लगभग 443 अपशिष्ट चुनने वाले शामिल थे। ये अपशिष्ट चुनने वाले मेसर्स एनईपीआरए के संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे थे। अन्य अपशिष्ट चुनने वालों का एक बड़ा हिस्सा बगीचे के अपशिष्ट या घरेलू अपशिष्ट को कम्पोस्ट में उपचारित करने के लिए गार्डन कम्पोस्टिंग के कार्य के लिए या सफाई मित्र के रूप में सड़कों/ फुटपाथों को साफ करने, अपशिष्ट एकत्रित करने और स्थानांतरण केंद्रों पर भी कार्य करने के लिए तैनात किया गया था। वे एक निश्चित अवधि के अनुबंध के साथ कार्यरत हैं और अपने खाते में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

चित्र 2.1: आईएमसी के स्वचालित एमआरएफ में संलग्न अपशिष्ट बीनने वाले

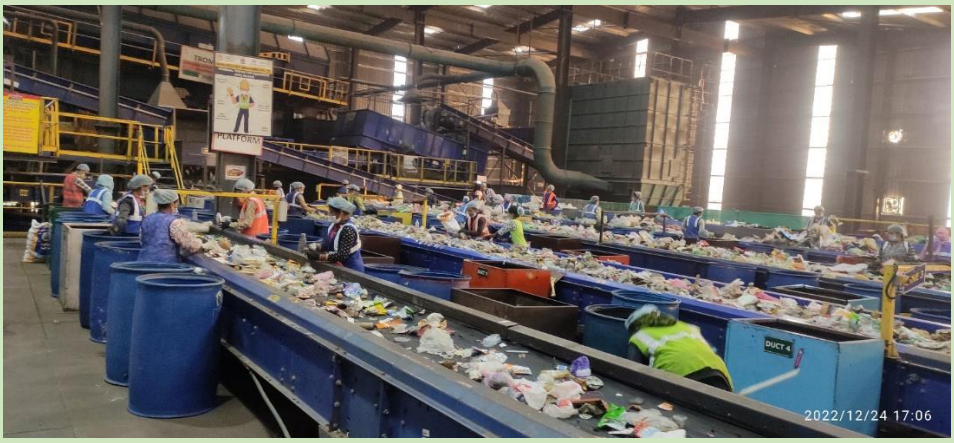

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

यह अनौपचारिक क्षेत्र को सशक्त बनाने और उन्हें औपचारिक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के साथ समन्वयित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है।

हालाँकि, 20 यूएलबी[16] (बैतूल, धार, इंदौर, मैहर, मंदसौर, रतलाम, सागर, शिवपुरी और विदिशा नौ यूएलबी को छोड़कर) ने बताया कि उनके पास अपशिष्ट चुनने वालों के पंजीकरण की कोई योजना नहीं है। पाँच यूएलबी (भिंड, भोपाल, ग्वालियर, कुक्षी और सतना) को अभी संबंधित जानकारी प्रदान करनी थी।

इन यूएलबी द्वारा अपशिष्ट के प्राथमिक (द्वार-द्वार से) संग्रहण में अपशिष्ट बीनने वालों/ अनौपचारिक अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं (अनौपचारिक क्षेत्र) को शामिल न करने के परिणामस्वरूप

[16] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, दमोह, जबलपुर, करेली, खिरकिया, मालनपुर, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, साँची, शहडोल और उचेहरा।

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया को इष्टतम नहीं किया जा सका।

यह अनुशंसा की जाती है कि ये यूएलबी भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अपशिष्ट बीनने वालों को शामिल करने और उन्हें बेहतर कार्य करने की स्थिति और उचित वेतन प्रदान करने के लिए इंदौर नगर निगम के समान कदम उठाएँ। इससे न केवल यूएलबी पर बोझ कम करने में सहायता मिलेगी अपितु अनौपचारिक क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में भी योगदान मिलेगा।

शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि राज्य ने 2018 में ज्योतिर्मय योजना इस उद्देश्य से तैयार की कि सर्वेक्षण में शामिल अनधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों की पहचान की जाय और उनका स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) बनाकर और उन्हें पीपीई किट तथा पहचान पत्र प्रदान कर सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं पर विभिन्न श्रेणियों में अपशिष्ट के पुनः पृथक्करण में संलग्न किया जाय। यह योजना राज्य के सभी यूएलबी द्वारा कार्यान्वित की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊपर बताए गए नौ यूएलबी को छोड़कर किसी भी यूएलबी के पास अपशिष्ट चुनने वालों के पंजीकरण की कोई योजना नहीं थी और केवल यूएलबी इंदौर ने वास्तव में इन अपशिष्ट चुनने वालों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत गतिविधियों में संलग्न किया था।

2.8 अपशिष्ट फैलाने पर मौके पर जुर्माना लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करने वाली उपविधि बनाना

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 15 (जेडएफ) में प्रावधान है कि स्थानीय निकाय का यह कर्तव्य है कि वह उप-विधियों को तैयार करे और उन व्यक्तियों के लिए मौके पर जुर्माना लगाने के लिए मानदंड निर्धारित करे जो इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं या गंदगी फैलाते हैं और बनाए गए उप-विधियों के अनुक्रम में मौके पर जुर्माना लगाने के लिए अधिकारियों को या स्थानीय निकायों को शक्तियाँ सौपें।

यह देखा गया कि मध्यप्रदेश शासन ने एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के जारी होने की दिनांक से चार वर्ष से अधिक समय बीत जाने के पश्चात एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के उल्लंघन के लिए मौके पर ही लगाए जाने वाले विभिन्न जुर्माने निर्धारित करते हुए राजपत्रित अधिसूचना (28 सितंबर 2020) जारी की थी।

नमूना जाँच किए गए यूएलबी ने एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 15(जेडएफ) के अनुसार कूड़े-कचरा फैलाने के लिए मौके पर जुर्माना लगाने के लिए मानदंड के उपविधि नहीं बनाई थी। हालाँकि, नमूना जाँच किए गए 25 यूएलबी[17] ने सूचित किया था कि उन्होंने समाचार पत्रों में मौके पर जुर्माना लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन नमूना जाँच में शामिल यूएलबी द्वारा उपविधि नहीं बनाई गयी हैं। जैसा कि **तालिका 2.1** में वर्णित है, 25 यूएलबी में से केवल सात ने अवगत कराया कि उन्होंने पिछले पाँच वर्षों अर्थात 2017-18 से 2021-22 के दौरान मौके पर जुर्माने के रूप में ₹ 2.16 करोड़ की राशि वसूल की थी।

तालिका 2.1: नमूना जाँच की गई यूएलबी द्वारा मौके पर जुर्माने के रूप में वसूल की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	पाँच वर्षों के दौरान वसूल की गई राशि (₹ में)
1	निवाड़ी	200
2	बैतूल	89,050
3	दमोह	64,900
4	रतलाम	39,38,321
5	जबलपुर	1,60,04,927
6	सागर	14,57,650
7	शिवपुरी	90,000
योग		**2,16,45,048**

(स्रोत: संबंधित यूएलबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जिन 25 यूएलबी में अधिसूचना के जारी होने की बात कही गई थी उनमें से 18 यूएलबी[18], इस सम्बन्ध में अधिसूचना प्रकाशित होने के बावजूद उनके द्वारा वसूली गई मौके पर जुर्माने की राशि की जानकारी प्रदाय नहीं कर सकी।

नमूना जाँच में शामिल पाँच यूएलबी[19] ने अवगत कराया कि उन्होंने अपशिष्ट फेंकने या एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 का पालन करने में विफलता के लिए मौके पर जुर्माना लगाने के लिए कोई उपविधि नहीं बनायी थी। चार यूएलबी (भिंड, भोपाल, कुक्षी और सतना) ने लेखापरीक्षा प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अधिसूचना जारी न करना या अधिसूचना प्रकाशित होने के

[17] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, बैतूल, दमोह, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खिरकिया, मैहर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा।

[18] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, धार, ग्वालियर, इंदौर, खिरकिया, मैहर, मंदसौर, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेड़ा, ओरछा, पिपलानारायणवार, पिछोर, साँची, शहडोल और विदिशा।

[19] ब्यौहारी, करेली, मालनपुर, पोलायकलाँ और उचेहरा।

बावजूद मौके पर जुर्माना लगाने में यूएलबी की निष्क्रियता ने नागरिकों को अपशिष्ट फैलाने से रोकने और एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 का पालन करवाने में विफलता का परिचय दिया है।

शासन ने अवगत कराया कि (अगस्त 2023) कि यूएलबी ने मौके पर जुर्माने के लिए शुल्क अधिसूचित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है और पिछले पाँच वर्षों में मौके पर एकत्र किए गए जुर्माने पर जिन यूएलबी द्वारा डेटा अभी तक प्रदान नहीं किया है उनको डेटा प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्देश जारी करने के अपने आशय को इंगित किया है। यह भी उल्लेख किया गया कि चार यूएलबी[20] ने मौके पर जुर्माने एकत्र किए हैं।

2.9 पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) प्रतिवेदन तैयार करना

दिसंबर 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जारी दिशानिर्देशों (मार्च 2020 में एमओईएफ द्वारा पुनः अधिसूचित) ने सभी एमएसडब्ल्यू परियोजनाओं को बी1 श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया है और इन पर राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से पर्यावरण पूर्वानुमति प्राप्त करनी थी।

पाँच यूएलबी (धार, पिछोर, सागर, साँची और शिवपुरी) ने तथ्यों की पुष्टि के लिए दस्तावेज़ उपलब्ध कराए बिना अवगत कराया कि उन्होंने ईआईए प्रतिवेदन तैयार कर लिया है। इसके अलावा, 24 यूएलबी[21] ने अवगत कराया कि उन्होंने भूमिभरण स्थल और भूमिभरण स्थल पर बनाई गई सुविधाओं के लिए न तो ईआईए प्रतिवेदन तैयार किया है और न ही एसईआईएए से कोई ईआईए अनुमति प्राप्त की है। यूएलबी इंदौर ने सूचित किया कि ईआईए तैयार किये जाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि एमएसडब्ल्यू परियोजनाओं के स्थल 60 वर्ष पुराने हैं। चार यूएलबी (भिंड, भोपाल, सतना और कुक्षी) ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई उत्तर नहीं दिया।

इन 24 यूएलबी द्वारा ईआईए प्रतिवेदन तैयार न करने से स्पष्ट होता है कि इन यूएलबी ने एमएसडब्ल्यूएम गतिविधियों के प्रारम्भ होने से पूर्व अपने अधिकार क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्ट से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के खतरों का आकलन करने का कोई प्रयास नहीं किया है। यूएलबी इंदौर का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं को बी1 श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था अतः इसे स्थापित करने से पूर्व एसईआईएए

[20] यूएलबी-भोपाल ₹ 235.38 लाख, पोलायकलाँ ₹ 0.23 लाख, सतना ₹ 15.15 लाख और उचेहरा ₹ 3,300।

[21] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, शहडोल, उचेहरा और विदिशा।

से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त करनी थी। इस प्रकार, एमएसडब्ल्यूएम परियोजनाओं का पर्यावरणीय प्रभाव अधिकांश यूएलबी द्वारा लागू नहीं किया गया था।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि 45 क्लस्टर भूमिभरण का निर्माण करने और राज्य स्तर पर एक सलाहकार नियुक्त करने की योजना विचाराधीन है। यह सलाहकार इन 45 क्लस्टर भूमिभरण स्थलों के लिए ईआईए प्रतिवेदन तैयार करने में यूएलबी की सहायता करेगा। परिणामस्वरूप, प्रत्येक यूएलबी को अपनी स्वयं की ईआईए प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया गया था कि एसईआईएए के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए यूएलबी इंदौर को निर्देश जारी किए जाएंगे।

2.10 प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढाँचे के विकास में यूएलबी की प्रगति

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 22 में प्रावधान है कि इन नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा, स्थानीय निकायों और अन्य संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, जैसा भी प्रकरण हो, स्वयं सीधे या एजेंसियों को नियुक्त करके निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर बनाया जाएगा। इसलिए, यूएलबी को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे की पहचान करने और एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक बुनियादी ढाँचे को समय पर पूरा करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करने की भी आवश्यकता थी।

एसडब्ल्यूएम के लिए बुनियादी ढाँचे के निर्माण में नमूना-जाँच में शामिल यूएलबी में हुई प्रगति को **तालिका 2.2** में दिखाया गया है।

तालिका 2.2: एसडब्ल्यूएम बुनियादी ढाँचों के निर्माण में नमूना जाँच में शामिल यूएलबी की प्रगति दर्शाना वाला विवरण

क्र.सं.	क्रियाकलाप	नियमों की अधिसूचना की दिनांक से समय सीमा	अपेक्षाओं को प्राप्त करने वाले यूएलबी	यूएलबी जिनको अभी तक अपेक्षाओं को प्राप्त करना था
1	ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थल की पहचान	1 वर्ष	30	3[22] यूएलबी (यूएलबी भोपाल का उत्तर प्रतीक्षित है)
2	स्थल की उपलब्धता	2 वर्ष	28	5 (यूएलबी भोपाल का उत्तर प्रतीक्षित)
3	स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण को लागू करना	2 वर्ष	14	12 (8 यूएलबी के उत्तर प्रतीक्षित)
4	द्वार-द्वार से संग्रहण सुनिश्चित करना	2 वर्ष	34	0
5	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का अलग-अलग भंडारण, संग्रहण और परिवहन सुनिश्चित करना	2 वर्ष	19	11 (4 यूएलबी के उत्तर प्रतीक्षित)
6	1,00,000 या अधिक/ 1,00,000 से कम जनसंख्या वाले यूएलबी के लिए ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना	2/ 3 वर्ष	19	12 (3 यूएलबी के उत्तर प्रतीक्षित)
7	पाँच लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले यूएलबी द्वारा सार्वजनिक या पृथक सैनिटरी भूमिभरण की स्थापना (चार यूएलबी- भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, मानदंड के तहत)	3 वर्ष	1	2 (यूएलबी भोपाल का उत्तर प्रतीक्षित)
8	पाँच लाख से कम जनसंख्या वाले यूएलबी द्वारा सामान्य या क्षेत्रीय सैनिटरी भूमिभरण स्थापित करना (मानदंड के तहत शेष 30 यूएलबी)	3 वर्ष	4	21 (5 यूएलबी के उत्तर प्रतीक्षित)
9	जैव उपचार या पुरानी और परित्यक्त क्षेपण स्थलों को ढँकना	5 वर्ष	5	23 (6 यूएलबी के उत्तर प्रतीक्षित)

ऊपर दी गई **तालिका 2.2** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों में यूएलबी द्वारा की गई प्रगति के बारे में जानकारी प्रदान करती है; नमूना जाँच किए गए 30 यूएलबी (88 प्रतिशत) ने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थल की पहचान की थी। इन 30 यूएलबी में से 28 ने स्थल का अधिग्रहण कर लिया था। इस प्रकार लेखापरीक्षा

[22] यूएलबी पिछोर ने अभी तक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए साइट की पहचान नहीं की थी। यूएलबी सतना, रीवा एमएसडब्ल्यू क्लस्टर का हिस्सा था और यूएलबी जबलपुर ने 'अपशिष्ट से ऊर्जा' संयंत्र स्थापित किया था, जिसके कारण साइट की आवश्यकता मौजूद नहीं थी।

34 यूएलबी में से 28 में भूमिभरण स्थल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सका। नमूना जाँच किए गए 14 यूएलबी (41 प्रतिशत) ने अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों से स्रोत पर ही अपशिष्ट को अलग करवाना शुरू कर दिया था। नमूना जाँच की गई सभी यूएलबी ने घर-घर जाकर अपशिष्ट का संग्रहण सुनिश्चित किया था। नमूना जाँच किए गए 34 यूएलबी में से 56 प्रतिशत ने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित की थीं। नमूना जाँच किए गए 34 यूएलबी में से केवल 15 प्रतिशत ने बताया कि उन्होंने सार्वजनिक या पृथक स्वास्थकर भूमिभरण स्थापित किया था। इसी प्रकार, परीक्षण किए गए यूएलबी में से केवल 15 प्रतिशत ने बताया था कि उनके अधीन पुराने और परित्यक्त क्षेपणस्थलों का या तो जैव-उपचार किया गया था या ढक दिया गया था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जहाँ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, वहीं अन्य में अभी भी महत्वपूर्ण कार्य किया जाना बाकी है। जिन यूएलबी ने अभी तक प्रत्येक गतिविधि के लिए अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है, उन्हें अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में समुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।

शासन ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2023) कि स्वच्छतम पोर्टल के आँकड़ों के अनुसार परीक्षण किए गए सभी यूएलबी ने **तालिका 2.2** में क्रम संख्या 1 से 5 के अंतर्गत सूचीबद्ध क्रियाकलापों को प्राप्त कर लिया है। यह भी बताया गया कि तालिका के क्रम संख्या 2 के अंतर्गत क्रियाकलाप में भिन्नता के लिए कुछ यूएलबी को भूमि स्वामित्व के हक़ के हस्तांतरण में देरी को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। क्रम संख्या 3 के अंतर्गत क्रियाकलाप के लिए यह स्पष्ट किया गया था कि सभी यूएलबी ने स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण को लागू किया था और अभिस्वीकृति दी गई कि कुछ यूएलबी में स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण का प्रतिशत कम हो सकता है। क्रियाकलाप संख्या 8 के मामले में, शासन ने बताया कि, समूहित भूमिभरण तैयार करने की राज्य कार्यनीति के अनुसार, इन 30 यूएलबी को 13 प्रस्तावित समूहित भूमिभरण के अंतर्गत शामिल करने की योजना है।

लेखापरीक्षा का मत है कि भूमिभरण स्थापित करने के लिए यूएलबी को भूमि स्वामित्व के हक़ के हस्तांतरण में विलम्ब अपशिष्ट के अवैज्ञानिक और गैर-टिकाऊ निपटान में योगदान देगा। इसके अतिरिक्त, समूहित भूमिभरण तैयार करने की प्रस्तावित राज्य रणनीति के सफल कार्यान्वयन के लिए गहन निगरानी करने की आवश्यकता है।

2.11 अपशिष्ट का पृथक्करण

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 पृथक्करण को, ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों जिसमें कृषि और डेयरी अपशिष्ट सहित जैव-विघटनीय अपशिष्ट, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट सहित गैर जैवविघटनीय अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रण योग्य ज्वलनशील अपशिष्ट, स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य निष्क्रिय अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट तथा निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट शामिल हैं, की छंटाईबद्ध और अलग-अलग भंडारण के रूप में परिभाषित करता है।

स्रोत पर कचरे को अलग करने से यह सुनिश्चित होता है कि कचरा कम दूषित होता है और इसे एकत्र करके आगे की प्रक्रिया के लिए ले जाया जा सकता है। अपशिष्ट का पृथक्करण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और उपचार प्रौद्योगिकियों को भी इष्टतम करता है। इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग सामग्री का उच्च अनुपात प्राप्त होता है जिसका पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण किया जा सकता है, जिससे नई सामग्री की कम खपत होती है।

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 ने उनके लागू होने के दो वर्षों के भीतर अपशिष्ट पृथक्करण के कार्यान्वयन को अनिवार्य किया है।

पृथक्करण की प्रक्रिया में पाई गई कमियों की चर्चा नीचे कंडिकाओं में की गई है।

2.11.1 स्रोत पृथक्करण के लिए दिशा-निर्देश/निर्देश

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 4(ए) में कहा गया है कि प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक उनके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का पृथक्करण और संग्रहण तीन अलग-अलग भागों जैव-विघटनीय, गैर-जैव-विघटनीय और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट में उपयुक्त डिब्बों में एकत्र करेगा और इन्हें समय-समय पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्देश या अधिसूचना के अनुसार अधिकृत अपशिष्ट बीनने वाले या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपा करेगा। अपशिष्ट संग्राहकों को न केवल अपशिष्ट एकत्र करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि जो अपशिष्ट वे संग्रह करते हैं, वह उचित तरीके से पृथक्कृत किया गया हो। एमएसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 के खंड 2.2.1 के अनुसार, यूएलबी को स्रोत पर ही अपशिष्ट के पृथक्करण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

नमूना जाँच किए गए 13 यूएलबी[23] ने बताया कि उन्होंने अपशिष्ट के संग्रहण के दौरान अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों या अपशिष्ट संग्राहकों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए न तो दिशा-निर्देश दिए थे और न ही अपशिष्ट पृथक्करण की कोई व्यवस्था की थी। नमूना जाँच की गई 18 यूएलबी[24] ने सूचित किया कि अपशिष्ट उत्पन्न करने वालों को अपशिष्ट पृथक्करण के संबंध में निर्देश जारी किए गए थे।

शासन ने बताया कि राज्य, पिछले पाँच वर्षों के दौरान यूएलबी को दिशा-निर्देश, निर्देश और सूचना, शिक्षा एवं संचार क्रियाकलापों जैसे नुक्कड़ नाटक स्क्रिप्ट, माइक घोषणा स्क्रिप्ट, बैनर/ पोस्टर डिजाइन, नारे आदि साझा कर रहा है। शासन ने स्वीकार किया कि सभी यूएलबी में स्रोत पर ही पृथक्करण का स्तर उतना अच्छा नहीं है और कहा कि राज्य यूएलबी में पृथक्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि स्त्रोत पर उचित पृथक्करण की सुविधा के लिए, जमीनी स्तर पर समयबद्ध तरीके से स्त्रोत पृथक्करण के स्तर में सुधार की आवश्यकता है।

2.11.2 अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट के पृथक्करण को लागू करवाने में यूएलबी की विफलता

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 22 में यूएलबी को जैवविघटनीय, पुनर्चक्रण योग्य, ज्वलनशील, स्वास्थय कर अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक और निष्क्रिय ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर ही अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पृथक्कृत करवाने के लिए नियमों की अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की समय सीमा प्रदान की गई है।

- नमूना जाँच किए गए 34 में से 13 यूएलबी[25] ने अवगत कराया कि उन्होंने अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा स्रोत पर ही अपशिष्ट को पृथक्कृत करने को लागू नहीं करवाया है। ये सभी यूएलबी (यूएलबी, सागर और जबलपुर को छोड़कर जहाँ अपृथक्कृत अपशिष्ट को सीधे अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं में ले जाया जा रहा था) अपने भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट को क्षेपित कर रहे थे।

[23] अकोदिया, बरघाट, ब्यौहारी, दमोह, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, निवाड़ी, ओरछा, पोलायकलाँ और सागर।

[24] बालाघाट, बैतूल, धार, ग्वालियर, इंदौर, मैहर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, पिछोर, पिपलानारायणवार, रतलाम, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

[25] अकोदिया, दमोह, जबलपुर, मालनपुर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, सागर, साँची और विदिशा।

- पंद्रह यूएलबी[26] ने सूचित किया कि वे अपशिष्ट उत्पादकों को स्रोत पर ही अपशिष्ट को पृथक करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन 15 यूएलबी में से नौ[27] में पृथक्कृत अपशिष्ट को इन यूएलबी के भूमिभरण स्थलों में एक साथ क्षेपित किया जा रहा था, जिससे पृथक्करण का उद्देश्य विफल हुआ। शेष छः यूएलबी में से यूएलबी धार ने सूचित किया कि वे शून्य भूमिभरण की अवधारणा का अनुपालन कर रहे हैं, हालाँकि, इस यूएलबी में भी अपशिष्ट को क्षेपित किया जाना देखा गया। तीन यूएलबी खिरकिया, मंदसौर और मंडलेश्वर में भी अपशिष्ट फेंका हुआ पाया गया। यूएलबी सतना रीवा क्लस्टर का एक हिस्सा था, इस कारण अपशिष्टों को रीवा में परियोजना स्थल पर ले जाया जा रहा था। अपशिष्ट का समुचित पृथक्करण और प्रसंस्करण सिर्फ यूएलबी इंदौर में ही देखा गया। **चित्र 2.2 से 2.9** में यूएलबी द्वारा अपशिष्टों के ढेरीकरण को दर्शाया गया है।

- शेष छः यूएलबी[28] ने इस विषय पर कोई जानकारी नहीं दी।

चित्र 2.2 से 2.9: भूमिभरण स्थलों पर पाए गये अपशिष्टों का ढेर

चित्र 2.2: यूएलबी, रतलाम में अपशिष्ट का ढेर

चित्र 2.3: यूएलबी, धार में भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट का ढेर

चित्र 2.4: यूएलबी बैतूल में भूमिभरण स्थल पर अपृथक्कृत अपशिष्ट का ढेर

चित्र 2.5: यूएलबी बालाघाट में भूमिभरण स्थल पर अपृथक्कृत अपशिष्ट का ढेर लगाया जाना

[26] बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, धार, ग्वालियर, इंदौर, खिरकिया, मैहर, मंडलेश्वर, मंदसौर, रतलाम, सतना, शहडोल और उचेहरा।

[27] बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, ग्वालियर, मैहर, रतलाम, शहडोल और उचेहरा।

[28] भिंड, भोपाल, करेली, कुक्षी, पिछोर और शिवपुरी।

चित्र 2.6: यूएलबी मंडलेश्वर में भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट का ढेर पाया गया

चित्र 2.7: यूएलबी खिरकिया में भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट का ढेर पाया गया

चित्र 2.8: यूएलबी मंदसौर में भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट का ढेर पाया गया

चित्र 2.9: यूएलबी उचेहरा में भूमिभरण स्थल पर अपशिष्ट का ढेर पाया गया

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने बताया कि जुर्माना लगाया जा रहा है और समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और संचार के अन्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार किया जा रहा है, ताकि अपशिष्ट उत्पादकों को स्रोत पर अपशिष्टों को पृथक करने के लिए बाध्य किया जा सके।

लेखापरीक्षा का मत है कि प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्रोत पर पृथक्करण को जमीनी स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है।

2.11.3 अपशिष्ट पृथक्करण के लिए बनाई गई सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एमआरएफ) में परिचालन संबंधी चुनौतियाँ

सामग्री की पुनर्प्राप्ति घरेलू स्तर पर प्रारम्भ होती है, जहाँ पुनर्चक्रण योग्य सामग्री जैसे समाचार पत्र, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, बोतलें आदि को अपशिष्ट से अलग किया जाता है और कबाड़ी व्यवस्था (स्क्रैप डीलर या हॉलर) या स्थानीय पुनर्चक्रणकर्ताओं को बेचा जाता है। कोई भी वस्तु जो कबाड़ी व्यवस्था को नहीं बेची जा सकती है उसे छोड़ दिया जाता है और वह एमएसडब्ल्यूएम का हिस्सा बन जाती है। ऐसे प्रकरणों में जहाँ स्रोत पर पृथक्करण उपलब्ध नहीं है या कम है वहाँ यह आवश्यक है कि प्रसंस्करण/ भूमिभरण स्थल तक पहुँचने से पूर्व अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए।

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के खंड 15 (एच) के अनुसार, स्थानीय प्राधिकारियों का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व है कि वे पुनर्चक्रण योग्य सामग्रियों की छंटाई के लिए पर्याप्त स्थान के साथ एमआरएफ स्थापित करें, ताकि अनौपचारिक या अधिकृत अपशिष्ट बीनने वालों और अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को अपशिष्ट से पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों को पृथक करने में सक्षम बनाया जा सके और अपशिष्ट उत्पादन के स्रोत या एमआरएफ से पृथक्कृत पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट जैसे कागज, प्लास्टिक, धातु, काँच, कपड़ा के संग्रहण के लिए अपशिष्ट बीनने वालों और पुनर्चक्रणकर्ताओं को सुगम पहुँच प्रदान की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20 यूएलबी ने एमआरएफ का निर्माण किया था, लेकिन भौतिक सत्यापन से पता चला कि ये संचालन (चित्र 2.10 से 2.13) में नहीं थे। इनमें से 11 यूएलबी[29] ने सूचित किया कि इन एमआरएफ के निर्माण पर ₹ 96.65 लाख का व्यय किया गया था, शेष यूएलबी इसके निर्माण पर किए गए व्यय का विवरण प्रदान नहीं कर सकी। नौ यूएलबी[30] में एमआरएफ कार्यरत थे। यूएलबी मुरैना में एमआरएफ नहीं था, और तीन यूएलबी (सतना, सागर और जबलपुर) ने निपटान के अन्य तरीके अपनाए थे। यूएलबी भोपाल ने लेखापरीक्षा अवलोकन का जवाब नहीं दिया।

चित्र 2.10 से 2.13: असंचालित पड़े एमआरएफ

चित्र 2.10: यूएलबी ओरछा में असंचालित एमआरएफ

चित्र 2.11: यूएलबी बैतूल में असंचालित एमआरएफ

चित्र 2.12: यूएलबी पोलायकलाँ में असंचालित एमआरएफ

चित्र 2.13: यूएलबी अकोदिया में असंचालित एमआरएफ

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

[29] अकोदिया, बरघाट, बैतूल, भिंड, करेली, कुक्षी, मालनपुर, ओरछा, पोलायकलाँ, साँची और शहडोल।

[30] दमोह, धार, इंदौर, खिरकिया, मंडलेश्वर, मंदसौर, नलखेड़ा, रतलाम और शिवपुरी।

एमआरएफ के संचालित न होने के कारण संग्रहित किए गए अपशिष्ट को भूमिभरण स्थलों पर क्षेपित किया जा रहा था जैसा कि कंडिका 2.12.2 में बताया गया है।

शासन ने उत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि अधिकांश यूएलबी में पृथक्कृत अपशिष्टों को समुचित प्रकार से संग्रहित करने के लिए जनशक्ति और स्थान की उपलब्धता की कमी के कारण एमआरएफ का रखरखाव ठीक नहीं है और इसी कारण से ये एमआरएफ अपरिचालित या असंचालित हैं। शासन ने यह भी बताया कि बैतूल में एमआरएफ पूरी तरह से चालू है और इसके संचालन के लिए एक एजेंसी को काम पर संलग्न किया गया है।

उत्तर परिकल्पित उद्देश्य के लिए एमआरएफ के उपयोग के दायरे के संबंध में कोई आश्वासन नहीं देता है। इसके अलावा, भौतिक सत्यापन (सितंबर 2022) के दौरान, बैतूल में एमआरएफ को असंचालित पाया गया।

2.11.4 बैठकों का आयोजन न करने के कारण अपशिष्ट पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी का अभाव

सीपीएचईईओ एमएसडब्ल्यू नियमावली 2016 की कंडिका 2.2.2 के अनुसार, यह अनुशंसा की जाती है कि यूएलबी कर्मचारी निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), बाजार संघों, एनजीओ, एसएचजी, और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठके करें जब तक कि समुदाय पूरी तरह से अपशिष्ट के पृथक्करण की प्रथा को न अपना ले।

हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि नमूना जाँच की गई 34 यूएलबी में से 19 यूएलबी[31] ने हितधारकों के साथ ऐसी बैठकें नहीं कीं और चार यूएलबी (भिंड, भोपाल, इंदौर और सतना) ने इस सम्बन्ध में वांछित जानकारी प्रदान नहीं की। 11 यूएलबी[32] ने सूचित किया कि बैठकें पाँच वर्षों के दौरान आयोजित की गई थीं, लेकिन सत्यापन के लिए उनका विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। बैठकें आयोजित करने में विफलता के परिणामस्वरूप यूएलबी द्वारा अपशिष्ट पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी की कमी हुई।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि विभाग सामुदायिक भागीदारी के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है और आरडब्ल्यूए, बाजार संघों आदि के प्रतिनिधियों के साथ अपशिष्ट पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए यूएलबी का सहयोग कर रहा है। इसके अलावा, बताया गया कि अभियान जैसे स्व-सहायता समूह स्वच्छता अभियान (द्वार-

[31] बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, साँची और शहडोल।

[32] अकोदिया, बरघाट, धार, मैहर, मंदसौर, मंडलेश्वर, रतलाम, सागर, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

द्वार से पृथक्करण अभियान), स्वच्छ शौचालय अभियान, स्वच्छता सेवा पखवाड़ा का आयोजन इस उद्देश्य के लिए किया गया। अपशिष्टों को पृथक करने की उत्कृष्ट प्रथाओं के लिए एनजीओ, आरडब्ल्यूए, एसएचजी और यूएलबी स्तर पर समय-समय पर ऑनलाइन बैठकें आयोजित की गईं।

उत्तर विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि 19 नमूना जाँच किए गए यूएलबी ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया कि हितधारकों के साथ ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी।

2.11.5 लाइसेंस रहित स्थानों पर अपशिष्ट पृथक्करण के लिए निगरानी का अभाव

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 4(4) के अनुसार बिना लाइसेंस वाले स्थान पर सौ से अधिक व्यक्तियों के किसी कार्यक्रम या सभा की सूचना स्थानीय निकाय को दी जानी चाहिए।

हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 34 नमूना जाँच की गई यूएलबी में से 27 यूएलबी[33] को ऐसे आयोजनों के आयोजकों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा, तीन यूएलबी (दमोह, मंडलेश्वर और रतलाम) को ऐसे आयोजनों के लिए आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन अपशिष्ट के पृथक्करण की निगरानी दो यूएलबी (दमोह और मंडलेश्वर) द्वारा की जा रही थी। चार यूएलबी (भिण्ड, भोपाल, इंदौर एवं सतना) ने आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं करायी। इसके अतिरिक्त, यूएलबी के पास उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर लाइसेंस रहित स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी नहीं थी। जानकारी की इस कमी के कारण यूएलबी द्वारा इस बात की सही से निगरानी में बाधा हुई कि क्या आयोजक इन आयोजनों में उत्पन्न अपशिष्ट को पृथक कर रहे थे और अपशिष्ट संग्राहकों को सौंप रहे थे।

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 पृथक्करण को; ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों जिसमें कृषि और डेयरी अपशिष्ट सहित जैव-विघटनीय अपशिष्ट, पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट सहित गैर- जैव-विघटनीय अपशिष्ट, गैर-पुनर्चक्रण योग्य ज्वलनशील अपशिष्ट, स्वास्थयकर अपशिष्ट और गैर-पुनर्चक्रण योग्य निष्क्रिय अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक अपशिष्ट और निर्माण तथा विध्वंस अपशिष्ट शामिल हैं, की छंटाई और अलग-अलग भंडारण के रूप में परिभाषित करता है। एसडब्ल्यूएम नियमों के लागू होने के दो वर्ष के भीतर अपशिष्ट का पृथक्करण किया जाना था।

[33] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, धार, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, सागर, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

लेखापरीक्षा ने अपशिष्ट के पृथक्करण से संबंधित एसडब्ल्यूएम नियमों के विभिन्न प्रावधानों के गैर-अनुपालन; जैसे दिशानिर्देश तैयार नहीं करना, स्रोत पर अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए निर्देश जारी न करना, अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट के पृथक्करण को लागू करने में यूएलबी की विफलता, अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए स्थापित एमआरएफ में परिचालन संबंधी चुनौतियाँ, अपशिष्ट पृथक्करण में सामुदायिक भागीदारी की कमी और लाइसेंस रहित आयोजनों में अपशिष्ट पृथक्करण के लिए निगरानी में कमी के उदाहरण देखे ।

इन कारणों से नमूना जाँच की गयी यूएलबी (इंदौर यूएलबी को छोड़कर) द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम लागू होने के लगभग छः वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अपशिष्ट का 100 प्रतिशत पृथक्करण सुनिश्चित नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, यूएलबी भूमिभरण स्थलों पर अपृथक्कृत अपशिष्ट को क्षेपित कर रहे थे जैसा कि **चित्र 2.2 से 2.9 और 4.1 से 4.4** में दिखाया गया है।

2.12 अपशिष्टों का संग्रहण

एमएसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 की कंडिका 2.3.2 में प्रावधान है कि एमएसडब्ल्यूएम में पृथक्कृत नगरीय अपशिष्ट का संग्रह एक आवश्यक कदम है। अप्रभावी अपशिष्ट संग्रह सेवाओं का सार्वजनिक स्वास्थ्य और कस्बों तथा शहरों के सौंदर्य पर प्रभाव पड़ता है। गीले, सूखे और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट को पृथक-पृथक संग्रहित करने से पुनर्चक्रण योग्य पदार्थों की अधिकतम पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित होती है। यह ऐसे अपशिष्टों के लागत प्रभावी उपचार की क्षमता को भी बढ़ाता है जो विभिन्न उत्पादों, जैसे, शुद्ध जैविक अपशिष्ट से खाद का उत्पादन, के लिए परिभाषित न्यूनतम गुणवत्ता मानदंडों को सुगमता से पूरा कर सकता है।

अपशिष्ट संग्रहण सेवा को प्राथमिक और द्वितीयक संग्रहण में विभाजित किया गया है। प्राथमिक संग्रहण इनके उत्पन्न होने के स्रोत जैसे घरों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, होटलों, संस्थानों और अन्य आवासीय या गैर-आवासीय परिसरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को संग्रहित करने, उठाने और हटाने तथा अपशिष्ट को भंडारण डिपो या स्थानांतरण स्थल अथवा सीधे निपटान स्थल तक ले जाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। द्वितीयक संग्रहण में सामुदायिक कूड़ेदानों, अपशिष्ट भंडारण डिपो या स्थानांतरण स्थल से अपशिष्ट को उठाना और अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थलों या अंतिम निपटान स्थल तक इसका परिवहन करना शामिल है।

लेखापरीक्षा ने अपशिष्ट संग्रहण में यूएलबी की प्रभावकारिता की जाँच की और धर्म-काँटे की अनुपलब्धता, घरों और निवासी कल्याण संघों से अपशिष्ट का अपर्याप्त संग्रहण, झाड़ू लगाने

वालों को पत्तियाँ न जलाने के निर्देश जारी न करना, श्रमिकों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सामग्रियों का अभाव आदि जैसी कमियों को पाया, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

2.12.1 राज्य में अपशिष्ट संग्रहण की स्थिति

भारत सरकार द्वारा जारी सेवा स्तर बेंचमार्क (एसएलबी) की पुस्तिका में यूएलबी की जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्पादन के आधार पर अपशिष्ट उत्पादन अनुमानों को न्यूनतम स्तर पर प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य में उत्पन्न एवं संग्रहित अपशिष्ट की मात्रा **तालिका 2.3** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.3: राज्य में उत्पन्न एवं संग्रहित अपशिष्ट की मात्रा (प्रति दिन टन में)

क्र.सं.	अवधि	उत्पन्न अपशिष्ट	एकत्रित अपशिष्ट	संग्रहण प्रतिशत
1	2017-18	7,212	6,537	90.64
2	2018-19	8,000	7,500	93.75
3	2019-20	7,980	7,193	90.14
4	2020-21	8,022	7,235.50	90.20
5	2021-22	7,115	6,132	86.18
	योग	**38,329**	**34,597.50**	**90.26**

(स्रोत: एमपीपीसीबी के प्रतिवेदन)

तालिका 2.3 से यह देखा जा सकता है कि पाँच वर्ष की अवधि में राज्य में एकत्रित अपशिष्ट का प्रतिशत 86.18 प्रतिशत से 93.75 प्रतिशत तक है। उच्चतम प्रतिशत 2018-19 में था जब उत्पन्न अपशिष्ट का 93.75 प्रतिशत एकत्र किया गया था, जबकि सबसे कम प्रतिशत 2021-22 में था जब उत्पन्न अपशिष्ट का केवल 86.18 प्रतिशत एकत्र किया गया था। यद्यपि सभी नमूना जाँच किए गए यूएलबी ने उत्पन्न अपशिष्ट का शत-प्रतिशत एकत्र करने का दावा किया, लेकिन उनके इस कथन को सत्यापित नहीं किया जा सकता क्योंकि यूएलबी के पास दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई अभिलेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, जैसा कि निम्नलिखित कंडिका में उल्लेख किया गया है, यूएलबी के पास उत्पन्न और संग्रहित किए गए अपशिष्ट की मात्रा को तौलने के लिए तौल-काँटा नहीं था, जो दावे की सत्यता पर संदेह पैदा करता है।

2.12.2 तौल-काँटे की अनुपलब्धता

एमएसडब्ल्यूएम नियमावली 2016 की कंडिका 1.4.3.3.1 के अनुसार, घरों, बाजारों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा निर्धारित करना आवश्यक है। इसके अलावा, शहर से एकत्र किए गए सभी अपशिष्ट को स्थानांतरण केंद्र पर या प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के मार्ग में स्थित तौल-काँटों पर तौला जाना चाहिए।

हालाँकि, लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि नमूना- जाँच की गयी 34 यूएलबी में से 23[34] में तौल-काँटे स्थापित नहीं किया गये थे। स्थल के भौतिक सत्यापन के दौरान एक यूएलबी बैतूल में स्थापित तौल-काँटा निष्क्रिय पाया गया। केवल सात यूएलबी[35] में तौल-काँटे कार्यरत थे। तीन यूएलबी (भोपाल, ग्वालियर एवं सतना) से तौल-काँटों की उपलब्धता की सूचना प्रतीक्षित थी। स्थानांतरण केंद्र (गोविंदपुरा स्थानांतरण स्थल, भोपाल) और भोपाल के भानपुर तथा आदमपुर में एमआरएफ के भौतिक सत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि स्थानांतरण केंद्रों से क्षेपण स्थल तक अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किए गए कैप्सूल को तौलने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, आदमपुर छावनी एमआरएफ, भोपाल में स्थापित तौल-काँटे के आँकड़ों को एक्सेल शीट में प्रविष्टियां दर्ज करने के बाद हटाया जा रहा था। एमआरएफ स्थल पर भार की प्रविष्टियां भी हस्तचालित रूप से की गई पाई गईं और एक्सेल शीट में डेटा के साथ हाथ से की गई प्रविष्टियों की नमूना जाँच से अपशिष्ट की मात्रा में अंतर का पता चला। इस प्रकार एक्सेल शीट में दर्ज आँकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। चूँकि अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए ठेकेदार को भुगतान, एमआरएफ में प्राप्त/ अभिलेखित अपशिष्ट की मात्रा के आधार पर किया जाता है, इसलिए तौल आँकड़ों का संरक्षण आवश्यक है।

नमूना जाँच किए गए अधिकांश यूएलबी में एकत्र किए गए अपशिष्टों के तौल के लिए तौलकाँटों की अनुपलब्धता चिंता का विषय है। उचित मात्रा निर्धारण के बिना, इन यूएलबी में अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की दक्षता और प्रभावशीलता का आकलन करना मुश्किल है। इससे यूएलबी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट का शत-प्रतिशत संग्रह करने के दावों की सटीकता पर भी सवाल उठता है। यह आवश्यक है कि यूएलबी स्थानांतरण केंद्रों पर या प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के मार्गों में तौलकाँटों की स्थापना को प्राथमिकता दें ताकि एकत्र किए गए अपशिष्ट की सटीक माप और निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

शासन ने बताया कि नमूना जाँच किये गए अधिकांश यूएलबी में तौलकाँटे नहीं हैं; तौलकाँटे की स्थापना और रखरखाव बहुत महंगा होता है चूँकि इन यूएलबी की जनसंख्या कम है और अपशिष्ट उत्पादन की मात्रा भी कम है। यह भी बताया गया कि विभाग ने प्रत्येक यूएलबी के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संभागवार परामर्शदाता नियुक्त किए हैं और कार्य प्रगति पर है।

---

[34] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, भिंड, दमोह, जबलपुर, करेली, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाडी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, साँची, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा।

[35] धार, इंदौर, खिरकिया, मंदसौर, रतलाम, सागर और उचेहरा।

कम जनसंख्या वाले यूएलबी के संबंध में शासन के कथन से सहमत होते हुए लेखापरीक्षा का मत है कि अपशिष्टों के आँकड़ों को, विशेष रूप से जहाँ यह भुगतान का आधार बनता है, सुनिश्चित और अभिलेखित करने के लिए एक सुव्यस्थित प्रणाली का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

2.12.3 अपशिष्ट का द्वार-द्वार से संग्रहण

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम 15 (बी) में प्रावधान है कि यूएलबी को मलिन और अनियमित बस्तियों, वाणिज्यिक, संस्थागत और अन्य गैर-आवासीय परिसरों सहित सभी घरों से पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण की व्यवस्था करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राज्य के यूएलबी में द्वार-द्वार से संग्रहण सुविधा की स्थिति **तालिका 2.4** में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: राज्य में यूएलबी में द्वार-द्वार से संग्रहण सुविधा की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वर्ष	यूएलबी की कुल संख्या	द्वार-द्वार से संग्रहण के अंतर्गत शामिल की गयी यूएलबी की संख्या	द्वार-द्वार से संग्रहण के तहत शामिल की गयी यूएलबी का प्रतिशत
1	2017-18	378	274	72.49
2	2018-19	378	364	96.30
3	2019-20	378	372	98.41
4	2020-21	378	372	98.41
5	2021-22	406	406	100.00

(स्रोत: एमपीपीसीबी का प्रतिवेदन)

उपरोक्त **तालिका 2.4** राज्य में उन यूएलबी का प्रतिशत दर्शाता है जिनको वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए अपशिष्ट का द्वार-द्वार से संग्रहण के अंतर्गत शामिल किया गया है। आँकड़ों से पता चलता है कि द्वार-द्वार से संग्रहण के अंतर्गत शामिल की गयी यूएलबी का प्रतिशत पिछले कुछ वर्षों से निरंतर बढ़ रहा है। वर्ष 2017-18 में केवल 72.49 प्रतिशत यूएलबी में द्वार-द्वार से संग्रहण था, जबकि वर्ष 2021-22 में सभी 406 यूएलबी ने द्वार-द्वार से संग्रहण लागू किया है। यह राज्य में बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के प्रति सकारात्मक रुझान को परिलक्षित करता है क्योंकि द्वार-द्वार से संग्रहण घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से उचित अपशिष्ट संग्रहण सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है।

2.12.4 रहवासी कल्याण संगठनों से अपशिष्टों का संग्रहण

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम 4 (6,7 और 8) के अनुसार, रहवासी कल्याण संगठनों, बाजार संघों, चारदीवारी वाले समुदायों, संस्थानों, होटलों और रेस्तरां को इस नियम की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित करना आवश्यक है। यह स्थानीय निकाय के साथ साझेदारी में किया जाना चाहिए और इसमें अपशिष्ट को अलग-अलग भागों में संग्रहण की सुविधा शामिल होनी चाहिए। जैव-विघटनीय अपशिष्ट को जहाँ तक संभव हो, परिसर के भीतर कम्पोस्टिंग या बायो-मिथेनेशन के माध्यम से प्रसंस्करण, उपचारण और निपटान किया जाएगा। शेष अपशिष्ट को अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को दिया जाना चाहिए।

हालाँकि, नमूना जाँच से ज्ञात हुआ कि 34 यूएलबी में से नमूना जाँच की गई 14 यूएलबी[36] द्वारा नियम 4 का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। तीन यूएलबी (भिंड, भोपाल और सतना) द्वारा अभी लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर दिया जाना था।

शासन ने अवगत कराया (अगस्त 2023) कि नमूना जाँच की गयी अधिकांश यूएलबी में रहवासी कल्याण संगठन नहीं हैं क्योंकि इन यूएलबी की जनसंख्या बहुत कम है और इन यूएलबी में ज्यादा चारदीवारी वाले समुदाय नहीं हैं। इसलिए रहवासी कल्याण संगठन के प्रावधान का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है।

लेखापरीक्षा का मत है कि यूएलबी के अधिकार क्षेत्र में रहवासी कल्याण संगठन की अनुपस्थिति संस्थानों, होटलों और रेस्तरां जैसी अन्य संस्थाओं को एसडब्ल्यूएम नियमों में प्रदान किए गए अपशिष्ट के पृथक्करण के उनके दायित्वों से छूट नहीं देती है।

2.12.5 ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट जारी करना

एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 15 (ज़ेडडी) के अनुसार, यह सुनिश्चित करना स्थानीय प्राधिकारियों या सुविधा संचालकों का दायित्व है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), जिसमें एक समान प्रतिदीप्तिशील जैकेट, हाथ के दस्ताने, रेनकोट, उपयुक्त जूते और मास्क शामिल हैं, को ठोस अपशिष्ट संभालने वाले सभी श्रमिकों को प्रदान किए जाने हैं। इसके अलावा, यह

[36] अकोदिया, बरघाट, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाडी, ओरछा, पिछोर, पोलायकलाँ और उचेहरा।

अनिवार्य है कि कार्यबल द्वारा उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा और रक्षण के लिए इन पीपीई का उपयोग किया जाए।

हालाँकि, नमूना जाँच किए गए 34 यूएलबी में से, चार यूएलबी (अकोदिया, बालाघाट, खिरकिया और रतलाम) ने ठोस अपशिष्ट संभालने वाले अपने कार्यबल को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं किया और तीन यूएलबी (भिंड, भोपाल और सतना) ने लेखापरीक्षा जाँच का उत्तर नहीं दिया। इसके अलावा, उन यूएलबी में भी जहाँ ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले कार्यबल को पीपीई किट जारी किए गए थे, कुछ यूएलबी में श्रमिकों को आवश्यक पीपीई किट के बिना कार्य करते देखा गया, जैसा कि **चित्र 2.14 और 2.15** में दिखाया गया है। यह उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है, और इस समस्या को सुधारने के लिए उचित उपाय करना महत्वपूर्ण है। यह अनिवार्य है कि स्थानीय प्राधिकारी और सुविधा संचालक यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर दिशा-निर्देश लागू करें कि ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले श्रमिक हर समय अपनी पीपीई किट पहनें। यह न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा बल्कि किसी भी खतरनाक अपशिष्ट से पर्यावरण को दूषित करने से भी रोकेगा।

चित्र 2.14 और 2.15: श्रमिकों का बिना सुरक्षा उपकरणों के काम करते पाया जाना

चित्र 2.14: यूएलबी, ग्वालियर में श्रमिकों का बिना सुरक्षा उपकरणों के कार्य करते पाया जाना

चित्र 2.15: यूएलबी, ब्यौहारी में अपशिष्ट संयंत्र पर बिना सुरक्षा उपकरण के श्रमिक

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले श्रमिकों हेतु पीपीई का प्रावधान न करने या उपयोग न करने से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाने की आवश्यकता है कि ठोस अपशिष्ट को संभालने वाले श्रमिकों को आवश्यक पीपीई किट प्रदान की जाए और कार्यबल द्वारा इसका उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए।

शासन ने अवगत कराया (अगस्त 2023) कि विभाग ने सभी यूएलबी को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं।

2.12.6 आवश्यकता के अनुचित मूल्यांकन के कारण कूड़ेदानों का निष्क्रिय पड़े रहना

आवासन एवं शहरी कार्यों के मंत्रालय द्वारा नवंबर 2017 में जारी अंतराल विश्लेषण नमूना के अनुसार, यूएलबी को क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व और स्थान की उपलब्धता के आधार पर मुख्य मार्गों के किनारे रखने के लिए आवश्यक कूड़ेदानों की संख्या का आकलन करना आवश्यक था।

हालाँकि, नमूना-जाँच किए गए पाँच यूएलबी (रतलाम, पिपलानारायणवार, सतना, ओरछा और अकोदिया) में लेखापरीक्षा ने देखा कि सार्वजनिक सड़कों पर सामुदायिक स्थानों के लिए क्रय किए गए कूड़ेदान भंडार कक्ष या अन्य स्थानों पर निष्क्रिय पड़े थे और बिना उपयोग के क्षतिग्रस्त हो रहे थे/ जंग खा रहे थे, जैसा कि **चित्र 2.16 से 2.19** में दिखाया गया है।

चित्र 2.16 से 2.19: विभिन्न यूएलबी में बेकार पड़े कूड़ेदान

चित्र 2.16: यूएलबी रतलाम के भंडार में पड़े कूड़ेदान

चित्र 2.17: यूएलबी पिपलानारायणवार में निष्क्रिय पड़े स्टील कूड़ेदान

चित्र 2.18: सतना के पुष्करणी पार्क में ढेर लगे कूड़ेदान

चित्र 2.19: अकोदिया में निष्क्रिय पड़े कूड़ेदान

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

यूएलबी, अकोदिया ने सूचित किया कि ये कूड़ेदान स्थापित किए गए थे, लेकिन बाद में ये इसलिए हटा दिए गए क्योंकि पैदल यात्री इन कूड़ेदानों के आसपास अपशिष्ट फैला रहे थे। यूएलबी ओरछा ने सूचित किया कि आवश्यकता पड़ने पर कूड़ेदान स्थापित कर दिये जाएंगे।

संसाधनों के उपयोग में शिथिलता न केवल धन की बर्बादी के रूप में परिणत होती है बल्कि इससे अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं की समुचित कार्यशीलता भी बाधित होती है। यह आवश्यक है कि यूएलबी सावधानीपूर्वक अपनी आवश्यकताओं का आकलन करें और आवश्यकता के अनुसार ही उनका क्रय करें। इसके अतिरिक्त, इन यूएलबी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कूड़ेदानों को तुरंत उपयोग में लाया जाए और क्षति या जंग लगने से बचाने के लिए नियमित रूप से इनका रखरखाव किया जाए। इससे अपशिष्ट संग्रहण सेवाओं को बेहतर बनाने और सभी के लिए स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

शासन ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि आम तौर पर किसी भी बुनियादी ढाँचे के उपकरणों का 20 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जाता है और इसे भंडार कक्ष में संग्रहित किया जाता है और आवश्यकता न होने के कारण हो सकता हो इनका उपयोग न किया गया हो। यूएलबी अकोदिया और ओरछा के संबंध में, शासन ने सूचित किया कि वे छोटे यूएलबी हैं और सड़क के किनारे कूड़ेदान स्थापित करने से आसानी से इनकी चोरी हो जाती है और सुविधाओं का दुरुपयोग होता है, इसलिए जब भी आवश्यकता पड़ती है इसे स्थापित किया जाता है।

2.13 परिवहन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 की कंडिका 2.3.3 के अनुसार, व्यक्तिगत घरों और प्रतिष्ठानों (द्वार-द्वार से संग्रहण) से पृथक्कृत नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्राथमिक संग्रह कंटेनर युक्त धक्कागाड़ी पुशकार्ट, तिपहिया साइकिलों या छोटे यांत्रिकी वाहनों, कॉम्पैक्टरों या टिपिंग वाहनों के उपयोग के माध्यम से क्षेत्र के भू-भाग, सड़कों की चौड़ाई और भवनों के घनत्व के आधार पर पूरा किया जाता है। सँकरे मोहल्लों में; हाथगाड़ी या धक्कागाड़ी अथवा तिपहियों या छोटे यंत्रीकृत वाहनों का उपयोग अपशिष्ट के द्वार-द्वार से संग्रहण के लिए किया जा सकता है, जिसे बाद में आसपास के एक बड़े वाहन में स्थानांतरित किया जा सके। जहाँ व्यक्तिगत घरों या प्रतिष्ठानों तक पहुँच मुश्किल है, वहाँ हाथगाड़ीयों या रिक्शों को निर्धारित स्थानों पर खड़ा किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने अपशिष्ट के परिवहन में यूएलबी की प्रभावोत्पादकता का विश्लेषण किया और विशेष अपशिष्टों के संग्रहण के लिए पृथक डिब्बे का अभाव, और परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में निगरानी तंत्र की कमी जैसे प्रकरणों को पाया, जैसा कि नीचे कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.13.1 विभिन्न अपशिष्टों के संग्रहण के लिए पृथक जगह/कम्पार्टमेंट के बिना वाहनों का उपयोग

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों जैसे कि स्वच्छता, प्लास्टिक और घरेलू खतरनाक अपशिष्ट का अन्य अपशिष्टों के साथ मिश्रण रोकने के लिए उनका पृथक-पृथक संग्रहण करना अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों के पास गीले और सूखे अपशिष्ट के लिए अलग भाग वाले परिवहन वाहन थे। हालाँकि, 14 नगरीय स्थानीय निकायों[37] के वाहनों में विशेष अपशिष्ट जैसे ई-अपशिष्ट, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट, घरेलू खतरनाक और प्लास्टिक अपशिष्ट को ले जाने के लिए अलग-अलग डिब्बे नहीं थे। यह **चित्र 2.20 से 2.21** तक स्पष्ट था।

चित्र 2.20 से 2.21: विशेष अपशिष्टों के संग्रह के लिए बिना डिब्बों वाले वाहन

चित्र 2.20: यूएलबी, शिवपुरी में घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए बिना पृथक बक्सों वाले वाहन

चित्र 2.21: विशिष्ट अपशिष्टों के लिए पृथक डिब्बों के बिना संग्रहण वाहन, यूएलबी, ग्वालियर

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

विशेष अपशिष्टों के लिए पृथक बॉक्सों की कमी से पार-संदूषण का खतरा बढ़ जाता है और अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से समझौता हो सकता है। इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि संबंधित प्राधिकारी समुचित पृथक्करण और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन वाहनों को विशिष्ट अपशिष्टों के लिए अलग-अलग बॉक्सों से युक्त करें।

शासन ने अवगत कराया कि कठोर निगरानी के माध्यम से राज्य ने, वाहनों में चार डिब्बे उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया है और बताया कि कुछ यूएलबी घरेलू खतरनाक और स्वच्छता अपशिष्ट के संग्रह के लिए बोरियों का उपयोग करते हैं।

[37] बालाघाट, ब्यौहारी, भिण्ड, दमोह, ग्वालियर, खिरकिया, मालनपुर, मंदसौर, मुरैना, नलखेडा, ओरछा, पिपलानारायनवार, रतलाम एवं शिवपुरी।

लेखापरीक्षा का मत है कि अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन के लिए यूएलबी द्वारा बैगों का ठीक से लेबल लगाने का कार्य और हैंडलिंग प्रक्रियाओं को लागू किया जा सकता है।

2.13.2 परिवहन वाहनों की निगरानी

सीपीएचईईओ नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली की कंडिका 6.1.3 के अनुसार, सभी शहरों को मैन्युअली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक बुनियादी प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करने की आवश्यकता है। हालाँकि, उन्नत तकनीकों जैसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस), आदि का उपयोग करने से नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एकीकृत और व्यापक समाधान विकसित हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 नगरीय स्थानीय निकायों[38] में अपशिष्ट के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों में जीआईएस प्रणाली के साथ समन्वयित जीपीएस तकनीक नहीं थी। 12 नगरीय स्थानीय निकायों[39] ने आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की। दो नगरीय स्थानीय निकाय, सागर और जबलपुर, पीपीपी प्रणाली के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, इसलिए रियायतग्राही द्वारा वाहनों की निगरानी की जा रही थी। छः नगरीय स्थानीय निकायों[40] के पास परिवहन वाहनों में जीपीएस था, हालाँकि, इनमें से केवल नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर में अपशिष्टों के परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी के लिए एक समन्वयित कमान और नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) था, जैसा कि **चित्र 2.22** में दिखाया गया है।

चित्र 2.22: नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर द्वारा स्थापित आईसीसीसी को दर्शाया गया है

(स्रोत: स्मार्ट सिटी इन्दौर की वेबसाईट)

[38] अकोदिया, भिण्ड, दमोह, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंदसौर, नलखेड़ा, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, साँची एवं शिवपुरी।

[39] बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, भोपाल, धार, ग्वालियर, मैहर, मंडलेश्वर, मुरैना, शहडोल, विदिशा एवं उचेहरा।

[40] बैतूल, इंदौर, निवाड़ी, पिछोर, रतलाम एवं सतना।

जीआईएस प्रणाली के साथ समन्वयित जीपीएस के अभाव में, वाहनों के आवागमन की वास्तविक-समय निगरानी संभव नहीं थी।

शासन ने अवगत कराया (अगस्त 2023) कि अपशिष्ट प्रबंधन सेवा में लगे नगरीय स्थानीय निकाय के सभी वाहनों में जीपीएस लगाने और उनकी नियमित निगरानी करने के निर्देश शासन ने नगरीय स्थानीय निकाय को जारी किए थे। यह भी बताया गया कि सभी वाहनों और सभी नगरीय स्थानीय निकाय में प्रतिदिन जीपीएस सक्रिय रहे, राज्य यह सुनिश्चित करेगा।

2.14 नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण और उपचार

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 (भाग I) की कंडिका 4.1 के अनुसार, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों का चयन और स्वीकृति परिभाषित चयन मानदंडों पर आधारित होना चाहिए और एक विस्तृत यथोचित उद्यम अध्ययन के अंतर्गत होना चाहिए। चयनित तकनीक संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय की विद्यमान स्थितियों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। पृथक्कृत अपशिष्ट का उपचार और प्रसंस्करण न केवल परिचालन लागत को कम करता है बल्कि प्रक्रिया की दक्षता भी बढ़ाता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण और उपचार सुविधाओं में आम तौर पर चार घटक होते हैं: पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग, निपटान, और भस्मीकरण के माध्यम से अपशिष्ट-से-ऊर्जा। नियमावली की धारा 4.3 में आगे प्रावधान है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकों के चयन के लिए एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आईएसडबल्यूएम) ढाँचे का उपयोग एक मार्गदर्शक के रूप में किया जाना चाहिए।

आम तौर पर जैविक अपशिष्ट को खाद बनाने के लिए वातजीवी कंपोस्टीकरण किया जाता है या ऊर्जा पैदा करने के लिए अवायुजीवी रूप से (हवा की अनुपस्थिति में) इसका प्रसंस्करण किया जाता है। पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को पृथक किया जाता है और पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए आगे की आपूर्ति के लिए थोक-विक्रेताओं को भेजा जाता है। उच्च ऊष्माजनक अपशिष्टों की गठरी बनाई जाती है या प्रसंस्कृत किया जाता है और इनका उपयोग ईंधन के रूप में या सीमेंट संयंत्रों में सह-प्रसंस्कृत किया जा सकता है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट की समुचित प्रसंस्करण तकनीकों को अपनाने और उन्हें समन्वयित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन ढाँचे में शामिल करने से अपशिष्ट और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के साथ ही राजस्व उत्पन्न करने में सहायता मिल सकती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना

के कार्यान्वयन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण, उपचार और निपटान के लिए भूमि की पहचान, वैधानिक अनुमति प्राप्त करना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की जरूरत, प्रमुख बुनियादी ढाँचे के लिए कार्ययोजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना, और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रसंस्करण और उपचार सुविधाओं के निर्माण और संचालन के लिए निविदा और अनुबंध प्रबंधन तैयार करना शामिल है।

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कार्य योजना तैयार नहीं किया जाना, पुनर्चक्रण सुविधाओं की कमी, जैव-विघटनीय अपशिष्ट के निपटान के लिए कम्पोस्टिंग या बायोमेथेनेशन की प्रक्रिया को न अपनाना और ठोस अपशिष्ट से उत्पादित कम्पोस्ट का परीक्षण ना करना, जैसी कमियाँ लेखापरीक्षा ने पायीं। इन पर नीचे के कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

2.14.1 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं करना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के भाग-2 की कंडिका 5.2 के अनुसार, अल्पकालिक पंचवर्षीय योजना को कार्य विशिष्ट कार्य योजनाओं (जैसे, सेवा व्यवस्था के लिए सड़क की सफाई और परिवहन) या प्रमुख आधारभूत संरचना संबंधित सेवाएँ जैसे स्थानांतरण केंद्र, प्रसंस्करण या उपचार सुविधाओं, और वैज्ञानिक अपशिष्ट निपटान सुविधाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विस्तार से वर्णित किया जाना चाहिए।

कुल 34 नमूना जाँच किए गए यूएलबी में से 24 यूएलबी[41] के पास न तो बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कोई कार्य योजना थी और न ही प्रमुख बुनियादी ढांचे से संबंधित सेवाओं के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गई थी। केवल सात यूएलबी[42] ने सूचित किया कि उन्होंने एसडब्ल्यूएम के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और कार्य योजना तैयार की है। हालाँकि, इन सभी मामलों में (यूएलबी इंदौर को छोड़कर) सत्यापन के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और कार्य योजना प्रदान नहीं की गई थी। तीन यूएलबी (भिंड, कुक्षी और भोपाल) द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

एसडब्ल्यूएम के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए कार्य योजना और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार न करना अधिकांश यूएलबी में तैयारियों, ध्यान केंद्रण और

[41] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, जबलपुर, करेली, खिरकिया, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलां, रतलाम, सागर, साँची और शहडोल।

[42] धार, ग्वालियर, इंदौर, सतना, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

प्राथमिकता की कमी को दर्शाता है। इससे यह भी पता चलता है कि इन यूएलबी में प्रभावी और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे के विकास और प्रबंधन को सुनिश्चित करने में चुनौतियां हो सकती हैं। तैयारियों की इस कमी के कारणों का आकलन किया जाना चाहिए और किसी भी संस्थागत या क्षमता अंतराल को संबोधित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए जो इस क्षेत्र में प्रगति में बाधा बन सकते हैं।

शासन ने अवगत कराया (अगस्त 2023) कि राज्य ने सभी नगरीय स्थानीय निकायों के लिए ठोस अपशिष्ट, विरासती अपशिष्ट और भूमिभरण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए संभागवार सलाहकारों को सूचीबद्ध किया था। ठोस अपशिष्ट और भूमिभरण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का कार्य प्रगति पर है और विरासती अपशिष्ट हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूर्ण हैं।

2.14.2 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के तहत पुनर्चक्रण आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016; पुनर्चक्रण को "पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट को एक नए उत्पाद या नए उत्पादों के उत्पादन के लिए कच्चे माल में बदलने की प्रक्रिया" के रूप में परिभाषित करता है। नियम में आगे कहा गया है कि पृथक्कृत पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अपशिष्ट चुनने वालों या नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत इस कार्य में शामिल कोई अन्य एजेंसी के माध्यम से पुनर्चक्रण उद्योग को प्रदाय करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

नमूना जाँच किए गए 34 यूएलबी में से 23[43] ने सूचित किया कि उनके पास पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ कोई अनुबंध नहीं है। आठ यूएलबी[44] ने या तो सूचित किया कि उनका पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ अनुबंध है या वे एसडब्ल्यूएम क्लस्टर का हिस्सा थे और अपशिष्ट को वहाँ प्रसंस्करण के लिए भेजा जा रहा था। दो यूएलबी (दमोह और रतलाम) ने कहा कि उनके पास सुविधा है लेकिन इसका विवरण प्रदान नहीं किया गया। यूएलबी, भोपाल ने लेखापरीक्षा अवलोकन का कोई उत्तर नहीं दिया।

चूँकि अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों (34 में से 23) का पुनर्चक्रण करने योग्य अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ कोई अनुबंध नहीं था, जो यह इंगित करता है कि

[43] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिंड, धार, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलां, साँची, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा।

[44] ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मैहर, सागर, सतना और उचेहरा।

इन नगरीय स्थानीय निकायों के अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-पद्धति में एक बहुत अधिक अंतर है, जिससे पर्यावरणीय क्षरण और स्वास्थ्य ख़तरों में वृद्धि हो सकती है। हालाँकि, यह उत्साहवर्धक है कि आठ नगरीय स्थानीय निकायों का पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ अनुबंध है या वे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) समूह का भाग हैं और अपना अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए भेज रहे हैं। यह इंगित करता है कि कुछ नगरीय स्थानीय निकाय सतत् अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-पद्धतियों की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं।

इस प्रकार, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए सभी नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रबंधन कार्य-पद्धतियों में सुधार की आवश्यकता है।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि यूएलबी को निर्देश दिया गया है कि वे स्थानीय रूप से उपलब्ध "कबाड़ी वालों" के साथ उनसे विभिन्न श्रेणियों के पृथक्कृत अपशिष्ट के क्रय के लिए अनुबंध करें।

2.14.3 थोक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा कंपोस्टिंग या जैव-मीथेनेशन प्रक्रिया को न अपनाना

नगरीय ठोस अपशिष्ट नियमावली, 2016 की कंडिका 1.4.5.8.1 में कहा गया है कि विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली एक केंद्रीकृत स्थान पर नगरीय ठोस अपशिष्ट की बड़ी मात्रा को संभालने के बोझ को कम कर सकती है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (नियम 4 और 15) प्रावधानित करता है कि इन नियमों की अधिसूचना की दिनांक से एक वर्ष के भीतर, थोक अपशिष्ट उत्पादकों जैसे कि रहवासी कल्याण और विपणन संघों, चारदीवारी वाले समुदायों और संस्थानों, होटलों और भोजनालयों को स्थानीय निकाय के सहयोग से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिसर के भीतर जैव-विघटनीय अपशिष्ट को कंपोस्टिंग या जैव-मीथेनीकरण के माध्यम से उनके परिसर के भीतर संसाधित, उपचारित और निपटान किया जाय।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- सात नगरीय स्थानीय निकायों[45] के पास बड़े आवासीय परिसर थे, जिनमें से केवल नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर ने सूचित किया कि उन्होंने 77 परिसरों में विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किए हैं। तीन नगरीय स्थानीय निकायों (बालाघाट, ग्वालियर और मुरैना) ने सूचित किया कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत बड़े आवासीय परिसरों में विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा नहीं दिया है। आगे नगरीय स्थानीय निकाय

[45] बालाघाट, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, मुरैना, सागर एवं सतना।

जबलपुर में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, नगरीय स्थानीय निकाय सागर और सतना में एकीकृत क्षेत्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, रीवा समूह की एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का हिस्सा होने के कारण, विकेन्द्रीकृत प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। चार नगरीय स्थानीय निकायों (भिंड, भोपाल, कुक्षी और मैहर) ने कोई उत्तर नहीं दिया। 23 नगरीय स्थानीय निकायों[46] ने सूचित किया कि उनके अधिकार क्षेत्र में कोई बड़े आवासीय परिसर नहीं थे।

- पाँच नगरीय स्थानीय निकायों[47] ने सूचित किया कि उन्होंने बाजारों के आसपास विकेंद्रीकृत खाद संयंत्र स्थापित किए हैं। इन नगरीय स्थानीय निकायों में से, इंदौर और बैतूल ने सूचित किया है कि उन्होंने थोक अपशिष्ट उत्पादक (बीडब्ल्यूजी) के परिसर में क्रमशः 206 और दो विकेन्द्रीकृत खाद संयंत्र स्थापित किए हैं, और शेष तीन नगरीय स्थानीय निकायों (दमोह, मंदसौर और शिवपुरी) ने उनके द्वारा लगाए गए ऐसे संयंत्रों की संख्या सूचित नहीं की है। 25 नगरीय स्थानीय निकायों[48] ने सूचित किया कि उन्होंने बाजारों के आसपास विकेंद्रीकृत खाद संयंत्र स्थापित नहीं किए हैं, और चार नगरीय स्थानीय निकायों (भिंड, भोपाल, कुक्षी और सतना) के उत्तर प्रतीक्षित थे।

2.14.4 जैविक अपशिष्ट से उत्पादित खाद का परीक्षण न करना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I (एच) और (आई) के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से उत्पादित खाद को आर्सेनिक, तांबा, सीसा, पारा, निकल, जस्ता, पीएच, नमी की आवश्यकताओं आदि सहित उर्वरक नियंत्रण आदेश के अंतर्गत निर्धारित मानकों को पूरा करना चाहिए। खाद के सुरक्षित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।

नमूना जॉच किये गए 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से 11[49] ने सूचित किया कि उन्होंने घर पर या बड़े पैमाने पर जैसे कि कृषि क्षेत्रों या सामुदायिक उद्यानों में जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन करने के लिए एनएडीईपी[50] या खाद-गड्ढ़ा की स्थापना की है। इनमें से केवल छः

---

[46] अकोदिया, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, धार, करेली, खिरकिया, मालनपुर, मण्डलेश्वर, मंदसौर, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, रतलाम, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा एवं विदिशा।

[47] बैतूल, दमोह, इन्दौर, मंदसौर एवं शिवपुरी।

[48] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, ब्यौहारी, धार, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल, उचेहरा एवं विदिशा।

[49] बैतूल, दमोह, धार, ग्वालियर, इन्दौर, करेली, मंदसौर, निवाड़ी, रतलाम, सागर एवं शिवपुरी।

[50] नारायन देवराव पंधारीपांडे (एनएडीईपी) जैविक खाद बनाने की एक विधि है।

नगरीय स्थानीय निकाय[51] वस्तुत: खाद बनाने के लिए इनका उपयोग कर रहे थे। नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर ने जैव-सीएनजी संयंत्र (संपीड़ित प्राकृतिक गैस) की स्थापना की थी जिसका उपयोग जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और जैविक खाद बनाने के लिए किया जाता है। हालाँकि, नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर ने यह नहीं बताया कि उनके द्वारा खाद का परीक्षण किया जा रहा है या नहीं। जबकि नगरीय स्थानीय निकाय सागर ने बताया कि वे खाद की गुणवत्ता का परीक्षण कर रहे थे। नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर ने सूचित किया कि उन्होंने विरासती अपशिष्ट के निपटान के लिए खाद संयंत्र स्थापित किया है, हालाँकि, खाद की नगण्य मात्रा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वे इसका लेखांकन नहीं कर रहे हैं। शेष तीन नगरीय स्थानीय निकाय खाद की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं कर रहे थे।

खाद के परीक्षण के अभाव से इसका असुरक्षित उपयोग हो सकता है, जिससे संभावित स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिम हो सकते हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि नगरीय स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत निर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करें और खाद के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट के निपटान के लिए नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा की गई पहल नीचे दर्शाई गई हैं:

(1) नगरीय स्थानीय निकाय इन्दौर द्वारा जैव विघटनीय अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए जैव सीएनजी गैस उत्पादन हेतु पीपीपी मोड पर देवगुराड़िया में 550 टीपीडी जैव-सीएनजी संयंत्र की क्षमता स्थापित की है। संयंत्र 27 मई 2022 से संचालित था। **चित्र 2.23** में संयंत्र का चित्र दर्शाया गया है।

[51] दमोह, ग्वालियर, इन्दौर, मंदसौर, रतलाम एवं सागर।

चित्र 2.23: जैव विघटनीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए आईएमसी का जैव-सीएनजी संयंत्र

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

(2) नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर द्वारा अपने पुराने अपशिष्ट के निपटान हेतु खाद बनाने के लिए ग्राम केदारपुर अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर 390 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता का 'अपशिष्ट से खाद' संयंत्र स्थापित किया था। यह संयंत्र अप्रैल 2022 से संचालित था। दिया गया **चित्र 2.24** नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर द्वारा स्थापित डब्ल्यू टू सी प्लांट को दर्शाता है।

चित्र 2.24: विरासती कचरे के प्रसंस्करण के लिए ग्वालियर नगर निगम का अपशिष्ट से खाद बनाने का संयंत्र

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) हो सकता है कि कुछ यूएलबी के पास उत्पादित खाद की गुणवत्ता और इसके आगे के उपयोग की जाँच करने के लिए प्रयोगशाला या कृषि कॉलेजों के साथ अनुबंध नहीं हो।

2.15 अपशिष्ट का निपटान

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15(जेड एच) के अनुसार, यह नगरीय स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे स्वच्छता भूमि भराव की स्थापना और संचालन के लिए नियम 23 मे निर्दिष्ट समय सीमा के तुरंत बाद मिश्रित अपशिष्ट के भूमि भरण या फेंकना शीघ्र (अर्थात, इस नियम की अधिसूचना से दो वर्ष) बंद करें। इसके अतिरिक्त, नियम 15 (जेड आई) के अनुसार, केवल गैर-उपयोग योग्य, गैर-पुनर्चक्रण योग्य, गैर-जैव विघटनीय, गैर-दहनशील और गैर-प्रतिक्रियाशील अक्रिय अपशिष्ट और अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से पूर्व-प्रसंस्करण अस्वीकार और अवशेषों को स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए। इन स्वच्छता भूमिभरण स्थलों को अनुसूची-I में उल्लिखित विनिर्देशों को पूरा करना चाहिए, लेकिन भूमिभरण में जाने हेतु शून्य अपशिष्ट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परित्यक्त सामग्री को पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 15 (डब्ल्यू) में कहा गया है कि नगरीय स्थानीय निकायों को इन नियमों की अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों और संबंधित बुनियादी ढाँचे का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना चाहिए। यह नगरीय स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे इस कार्य को स्वयं या किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से करें।

नमूना जॉच किए गए 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से 29 नगरीय स्थानीय निकायों[52] ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की अधिसूचना के तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के बावजूद स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों का निर्माण करने में विफल रहे। केवल तीन नगरीय स्थानीय निकायों (इंदौर, सागर और खिरकिया) ने सूचित किया कि उनके द्वारा स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया

[52] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिण्ड, दमोह, धार, जबलपुर, ग्वालियर, करेली, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, रतलाम, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा एवं विदिशा।

गया। नगरीय स्थानीय निकाय, सतना ने सूचित किया कि स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वे रीवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समूह का हिस्सा थे।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि राज्य ने क्लस्टर बनाकर सभी शेष नगरीय स्थानीय निकायों में क्षेत्रीय लैंडफिल अवधारणा पर जिला मुख्यालय में स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों (एसएलएफ) का निर्माण करने का निर्णय लिया है। ऐसे 45 एसएलएफ के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयारी की जा रही हैं और ये मार्च 2024 के अंत तक चालू हो जाएंगे।

यह महत्वपूर्ण है कि सभी नगरीय स्थानीय निकाय अपने निवासियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए अपने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे में सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाएं।

लेखापरीक्षा ने आगे भूमि भरण के लिए भूमि की उपलब्धता, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के आसपास मध्यवर्ती परिक्षेत्र की स्थापना, अपशिष्ट भराव क्षेत्र के चयन और भूमि भरण में आधारभूत सुविधाओं की अनुपस्थिति जैसे प्रकरणों में कमियां देखीं, इन पर नीचे चर्चा की गई है:

2.15.1 भूमि भरण स्थापित करने के लिए भूमि की उपलब्धता

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 22 के अनुसार, 0.5 मिलियन या उससे अधिक की आबादी वाले स्थानीय प्राधिकरणों को नियमों की अधिसूचना के तीन वर्ष के भीतर सार्वजनिक क्षेत्रीय स्वच्छता भूमिभरण सुविधाएं या स्वनिहित स्वच्छता भूमिभरण सुविधाएं स्थापित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, 0.5 मिलियन से कम आबादी वाले स्थानीय प्राधिकरणों को एक वर्ष के भीतर स्थानीय प्राधिकरणों के उपयुक्त समूहों के लिए सार्वजनिक क्षेत्रीय स्वच्छता भूमिभरण सुविधाओं की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थलों की पहचान करनी चाहिए।

इसके अलावा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 11(एफ) और 12(ए) के अनुसार, राज्य और जिला प्राधिकारियों को नियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने और आवंटित करने में स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।

नमूना जाँच किये गये 34 में से 28 नगरीय स्थानीय निकायों[53] ने सूचित किया कि जिला प्राधिकारियों ने ठोस अपशिष्ट गतिविधियों के लिए अलग से भूमि आवंटित की है। दो नगरीय स्थानीय निकायों (मालनपुर और मंडलेश्वर) ने भूमि की पहचान की थी लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अब तक इन नगरीय स्थानीय निकायों को भूमि हस्तांतरित नहीं की गई है, जबकि नगरीय स्थानीय निकाय पिछोर को अभी भी इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि की पहचान करनी थी, इस प्रकार इन नगरीय स्थानीय निकायों के पास आवश्यक भूमि नहीं थी। नगरीय स्थानीय निकाय सतना, रीवा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समूह का हिस्सा था, और नगरीय स्थानीय निकाय जबलपुर ने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया था जिसके कारण भूमि भरण की आवश्यकता नहीं थी। नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भूमि आवंटन के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।

इस प्रकार, अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों (34 में से 28) को जिला अधिकारियों द्वारा ठोस अपशिष्ट गतिविधियों के लिए अलग भूमि आवंटित की गई है। यह एक सकारात्मक प्रगति है क्योंकि उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक समर्पित अपशिष्ट भराव क्षेत्र महत्वपूर्ण है।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि भूमि की उपलब्धता और यूएलबी के बीच की दूरी के आधार पर, स्वच्छ भारत मिशन (यू) 2.0 के अंतर्गत जिला मुख्यालयों पर एक क्षेत्रीय भूमि भरण अवधारणा पर स्वच्छता भूमिभरण की स्थापना के लिए कुल पैंतालीस भूमियों की पहचान की गई है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत तीन यूएलबी (पिछोर, मालनपुर और मंडलेश्वर) पर विचार किया गया है।

उत्तर लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुरूप है।

2.15.2 भूमि भरण स्थानों पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 की अनुसूची I के अनुसार, भूमिभरण क्षेत्रों और प्रसंस्करण संयंत्रों में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए:

- आने वाले वाहनों की निगरानी करने और अनधिकृत व्यक्तियों और आवारा पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए उचित गेट के साथ घेराबंदी या बाड़ा करना।

[53] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिण्ड, दमोह, धार, ग्वालियर, इन्दौर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मंदसौर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा एवं विदिशा।

- वाहनों की आवाजाही के कारण धूल के कणों के उत्पादन से बचने के लिए एक ठोस या पक्की पहुंच और आंतरिक सड़क। इसे वाहनों और अन्य मशीनरी की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए।
- भूमि भरण के लिए लाए गए अपशिष्ट की निगरानी के लिए एक अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा, अभिलेख रखने के लिए एक कार्यालय सुविधा, और प्रदूषण निगरानी उपकरण सहित उपकरण और मशीनरी रखने के लिए आश्रय। ऑपरेटर प्राप्त, प्रसंस्करित और निपटाए गए अपशिष्ट के अभिलेख संधारण के लिए जिम्मेदार है।
- अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर लाए गए अपशिष्ट की मात्रा को मापने के लिए तौल काँटे का प्रावधान, अग्नि सुरक्षा उपकरण और अन्य आवश्यक सुविधाएं।
- रात के समय आसान भूमि भरण संचालन के लिए प्रकाश व्यवस्था सहित पेयजल और अन्य स्वच्छता सुविधाएं।
- ठोस अपशिष्ट ले जाने वाले परिवहन वाहनों की पार्किंग, सफाई, धुलाई के प्रावधान उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

ये सुविधाएं यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि अपशिष्ट भराव क्षेत्र और प्रसंस्करण संयंत्र प्रभावी ढंग से, सुरक्षित और कुशलता से संचालित हों।

जैसा कि कंडिका 2.10 में चर्चा की गई है, 34 यूएलबी में से केवल 28 ने भूमिभरण क्षेत्र प्राप्त किया था, और दो यूएलबी के संबंध में, हालांकि भूमि की पहचान की गई है, भूमि का हस्तांतरण अभी तक नहीं किया गया है। शेष चार यूएलबी में, एक यूएलबी (पिछोर) ने स्थल की पहचान नहीं की है, एक यूएलबी (सतना) रीवा एमएसडब्ल्यू क्लस्टर का हिस्सा था, एक यूएलबी (जबलपुर) ने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया था (जिसके कारण भूमिभरण की कोई आवश्यकता नहीं है) और एक यूएलबी (भोपाल) ने कोई जानकारी नहीं दी। नमूना जाँच किए गए 28 यूएलबी में भूमिभरण स्थलों के भौतिक सत्यापन से पता चला कि 23 यूएलबी[54] अपशिष्ट डंपिंग के लिए भूमि का उपयोग कर रहे थे जैसा कि कंडिका 2.11.2 के अंतर्गत **चित्र 2.2 से 2.9** में दिखाया गया है। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि रीवा क्लस्टर का रियायतग्राही अपशिष्ट को फेंकने के लिए यूएलबी मैहर और उचेहरा की भूमिभरण स्थलों का उपयोग कर रहा था जैसा कि कंडिका 2.20.1.2 में बताया गया है। यूएलबी पिपलानारायणवार

[54] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिंड, दमोह, धार, ग्वालियर, करेली, कुक्षी, मैहर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पोलायकलां, रतलाम, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

और खिरकिया को क्रमशः फरवरी 2022 और मार्च 2022 में जमीन मिली, जिसके कारण अपशिष्ट को एक अस्थायी भूमिभरण में फेंका जा रहा था। नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर, मंदसौर और सागर में दैनिक आधार पर अपशिष्ट का क्षेपण नहीं देखा गया।

इन 28 नगरीय स्थानीय निकायों के भूमिभरण स्थलों पर निम्नलिखित मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थीं।

- **उचित गेट के साथ घेराबंदी करना या बाड़ा करना:** 18 नगरीय स्थानीय निकायों[55] में घेराबंदी नहीं थी और 2 नगरीय स्थानीय निकायों (ओरछा और निवाड़ी) में घेराबंदी थी लेकिन विभिन्न स्थानों पर टूटी हुई पाई गई। नगरीय स्थानीय निकाय पिपलानारायणवार में घेराबंदी का कार्य चल रहा था। नगरीय स्थानीय निकाय बालाघाट में घेराबंदी थी लेकिन दो द्वारों में से सिर्फ एक द्वार स्थापित किया गया था। केवल छः नगरीय स्थानीय निकायों (बैतूल, ग्वालियर, मंदसौर, नलखेड़ा, सागर एवं शिवपुरी) में उचित घेराबंदी थी।
- **कंक्रीट या पक्की पहुंच और आंतरिक सड़क:** 24 नगरीय स्थानीय निकायों[56] के पास अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर कंक्रीट या पक्की पहुंच और आंतरिक सड़क नहीं थी। भूमिभरण क्षेत्र के परिसर के भीतर केवल तीन नगरीय स्थानीय निकायों (ब्यौहारी, इंदौर और रतलाम) में पक्की सड़क थी। एक नगरीय स्थानीय निकाय (मंदसौर) के कुछ स्थानों पर पक्की सड़क थी।
- **अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा:** 22 नगरीय स्थानीय निकायों[57] में अपशिष्ट के निरीक्षण की सुविधा नहीं थी। यह सुविधा केवल छः नगरीय स्थानीय निकायों (बरघाट, ग्वालियर, खिरकिया, मंदसौर, रतलाम और सागर) के पास उपलब्ध थी।
- **तौल काँटा की उपलब्धताः** 23 नगरीय स्थानीय निकायों[58] में भूमिभरण स्थल पर लाए गए अपशिष्टों को तोलने के लिए तौल काँटे की सुविधा नहीं थी। चार नगरीय स्थानीय निकायों

[55] अकोदिया, बरघाट, ब्यौहारी, भिण्ड, दमोह, धार, इन्दौर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मुरैना, पोलायकलॉ, रतलाम, साँची, शहडोल, उचेहरा एवं विदिशा।

[56] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, बैतूल, भिण्ड, दमोह, धार, ग्वालियर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, सागर, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा एवं विदिशा।

[57] अकोदिया, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिण्ड, दमोह, धार, इन्दौर, करेली, कुक्षी, मैहर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा एवं विदिशा।

[58] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, ब्यौहारी, भिण्ड, दमोह, धार, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, सागर, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा एवं विदिशा।

(ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर और रतलाम) में तौल काँटे की सुविधा थी। एक नगरीय स्थानीय निकाय बैतूल में तौल काँटा था लेकिन वह कार्य करने की स्थिति में नहीं थी।

- **पीने के पानी की सुविधा :**18 नगरीय स्थानीय निकायों[59] के पास अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर पीने के पानी की सुविधा नहीं थी। यह सुविधा केवल दस नगरीय स्थानीय निकायों (बालाघाट, बैतूल, धार, ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, सागर, शिवपुरी और विदिशा) में उपलब्ध थी।
- **स्वच्छता सुविधा:** 21 नगरीय स्थानीय निकायों[60] के पास अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर स्वच्छता सुविधाएं नहीं थीं। यह सुविधा केवल सात नगरीय स्थानीय निकायों (बैतूल, धार, इंदौर, रतलाम, सागर, शिवपुरी और विदिशा) में उपलब्ध थी।
- **प्रकाश की व्यवस्थाः** 16 नगरीय स्थानीय निकायों[61] में अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी। यह सुविधा केवल 12 नगरीय स्थानीय निकायों (बालाघाट, दमोह, धार, ग्वालियर, इंदौर, खिरकिया, मंदसौर, मुरैना, रतलाम, सागर, शिवपुरी एवं विदिशा) में उपलब्ध थी।
- **वाहनों के लिए पार्किंग, सफाई और धुलाई की सुविधा:** 24 नगरीय स्थानीय निकायों[62] में अपशिष्ट भराव क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों के लिए पार्किंग, सफाई और धुलाई की सुविधा नहीं थी। यह सुविधा केवल चार नगरीय स्थानीय निकायों (बैतूल, ग्वालियर, मंदसौर और सागर) के पास उपलब्ध थी।

इन कमियों के परिणामस्वरूप भूमि भरण के अंदर आवारा मवेशी देखे गए **(चित्र 2.25 से 2.28)** जो कंडिका 4.1.1 में बताए अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के उपभोग के कारण मवेशियों के स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। ये आवारा मवेशी रोगजनकों के वाहक भी बन सकते हैं और भूमि भरण में अपशिष्ट पदार्थों की खुदाई के कारण हानिकारक गैसों या अन्य प्रदूषकों

---

[59] अकोदिया, बरघाट, ब्यौहारी, भिण्ड, दमोह, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, साँची, शहडोल, एवं उचेहरा।

[60] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, ब्यौहारी, भिण्ड, दमोह, ग्वालियर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मंदसौर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, साँची, शहडोल, एवं उचेहरा।

[61] अकोदिया, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिण्ड, करेली, कुक्षी, मैहर, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, साँची, शहडोल, एवं उचेहरा।

[62] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, भिण्ड, दमोह, धार, इन्दौर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, रतलाम, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा एवं विदिशा।

को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा, भूमि भरण में निरीक्षण सुविधा और धर्म काँटे की सुविधा के अभाव में भी नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्थल पर लाए गए अपशिष्ट के अभिलेखों को संधारित करने और स्थल में प्रवेश करने वाले वाहनों की निगरानी रखने में गैर-अनुपालन हुआ।

चित्र 2.25 से 2.28: विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों में भूमिभरण क्षेत्र के अंदर पाए गए आवारा पशु

चित्र 2.25: नगरीय स्थानीय निकाय बालाघाट के भूमिभरण क्षेत्र पर आवारा पशु

चित्र 2.26: नगरीय स्थानीय निकाय बैतूल, के भूमिभरण क्षेत्र पर आवारा पशु

चित्र 2.27: नगरीय स्थानीय निकाय सतना की भूमिभरण क्षेत्र पर आवारा पशु

चित्र 2.28: नगरीय स्थानीय निकाय शिवपुरी की भूमिभरण क्षेत्र पर आवारा पशु

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ठोस अपशिष्ट के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने और पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत परियोजनाएं शुरू करने के लिए संभाग स्तर पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, लेनदेन सलाहकार और परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं तैयार करने के लिए सलाहकारों को सूचीबद्ध किया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी नगरीय स्थानीय निकाय के पास संयंत्रों के उचित संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं हैं।

2.15.3 बफर जोन की स्थापना न किया जाना

अपशिष्ट प्रबंधन स्थलों में अपशिष्ट प्रसंस्करण/ निपटान सुविधाएं शामिल हैं, जो वायु, जल, भूमि और ध्वनि के रूप में प्रदूषण के स्रोत बन जाते हैं और साथ ही दुर्गंध भी पैदा करते हैं। इसलिए, इन सुविधाओं के आसपास मध्यवर्ती परिक्षेत्र का प्रावधान अनिवार्य रूप से ऐसे प्रदूषकों के जोखिम/ प्रभावों से आसपास रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक है, अपितु अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा में निरंतर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की अनुसूची-I ए (आई एक्स) के अनुसार, स्थापित क्षमता के प्रतिदिन पाँच टन से अधिक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के आसपास बिना विकास के एक मध्यवर्ती परिक्षेत्र को बनाए रखने की आवश्यकता थी। यह मध्यवर्ती परिक्षेत्र सुविधा के कुल क्षेत्र के भीतर स्थापित किया जाएगा और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से स्थानीय निकाय द्वारा प्रकरण-दर-प्रकरण आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-I (ए) में भूमि भरण के लिए स्थलों के चयन के मानदंड भी निर्दिष्ट किए गए हैं। जिसके अनुसार अपशिष्ट भराव क्षेत्र नदी से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर, किसी तालाब, राजमार्ग, बस्ती, सार्वजनिक पार्कों और पानी की आपूर्ति वाले कुओं से 200 मीटर दूर और एयरपोर्ट या एयरबेस से 20 किमी दूर होना चाहिए ।

केवल नगरीय स्थानीय निकाय शिवपुरी ने मध्यवर्ती परिक्षेत्र की स्थापना के बारे में सूचित किया था, हालाँकि, दावे के समर्थन में दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे। इस बीच, 24 नगरीय स्थानीय निकायों[63] ने पुष्टि की कि उन्होंने अपने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के आसपास विकास रहित मध्यवर्ती परिक्षेत्र विकसित नहीं किया है। दो नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल एवं इंदौर ने कोई उत्तर नहीं दिया। नगरीय स्थानीय निकाय मैहर और सतना ने सूचित किया कि वे रीवा समूह का हिस्सा थे, और नगरीय स्थानीय निकाय सागर और जबलपुर ने सूचित किया कि उनकी परियोजनाएं पीपीपी मोड पर काम कर रही हैं क्योंकि उनके पास भूमि भरण नहीं था जिसके परिणामस्वरूप मध्यवर्ती परिक्षेत्र की आवश्यकता नहीं थी। तीन नगरीय स्थानीय निकायों (मंडलेश्वर, मालनपुर और पिछोर) को ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए अभी तक भूमि प्राप्त नहीं हुई थी।

[63] अकोदिया, बरघाट, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिण्ड, दमोह, धार, ग्वालियर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मंदसौर, मुरैना, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायनवार, पोलायकलॉ, रतलाम, साँची, शहडोल, उचेहरा एवं विदिशा।

दो नगरीय स्थानीय निकाय (बैतूल एवं मुरैना) के भूमि भरण स्थल के भौतिक सत्यापन से पता चला कि भूमि भरण स्थल नगरीय स्थानीय निकाय बैतूल में बस्तियों के पास एंव मुरैना में नदी (कुंवारी नदी) के किनारे के पास स्थित था।

यह अनिवार्य है कि सभी नगरीय स्थानीय निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में उल्लिखित मध्यवर्ती परिक्षेत्र हेतु अधिदेश का पालन करें। ऐसा करने में विफलता न केवल पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती है बल्कि जनता के स्वास्थ्य और कल्याण को भी खतरे में डालती है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, नगरीय स्थानीय निकायों को अपने ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधा के आसपास विकास रहित मध्यवर्ती परिक्षेत्र स्थापित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे पर्यावरण और समुदाय के स्वास्थ्य पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को रोका जा सके।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि भूमिभरण क्षेत्रों का चयन हवाई अड्डे, नदी, तालाब, राजमार्ग, सार्वजनिक पार्क और जल आपूर्ति कुओं से निर्धारित दूरी सीमा के अनुसार किया जाता है। यह भी कहा गया कि 22 नगरीय स्थानीय निकायों के लिए नए अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत विचाराधीन है, जहाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जबकि स्थल चयन करते समय इन ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के आसपास एक मध्यवर्ती परिक्षेत्र पर विचार किया जाएगा।

2.16 विरासती अपशिष्ट का निपटान

नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट के निपटान का सबसे प्रचलित तरीका खुले में फेंकना रहा है। ये अपशिष्ट स्थल वायु और भूजल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत थे। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची 1 के खंड 'जे' के अनुसार, ठोस अपशिष्ट जो अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच चुके हैं या जो नए और उचित रूप से डिजाइन किए गए भूमि भरण की स्थापना के बाद अतिरिक्त अपशिष्ट प्राप्त नहीं करेंगे, उन्हें बंद किया जाना चाहिए और जैव खनन द्वारा, अपशिष्ट प्रसंस्करण या पर्यावरणीय प्रभाव को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए उपयुक्त अन्य तरीके से पूर्व स्थिति में लाये जाने चाहिए।

विरासती अपशिष्ट के निपटान के लिए सीपीसीबी दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि विरासती अपशिष्ट के निपटान के लिए यूएलबी विरासती अपशिष्ट के निपटान की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व अपशिष्ट की मात्रा निर्धारित करने के लिए समोच्च सर्वेक्षण और ड्रोन मैपिंग करें।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने भी सूचित किया कि नमूना जाँच किए गए 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से 23 नगरीय स्थानीय निकायों में 22.77 लाख टन विरासती अपशिष्ट था जो निपटान की प्रतीक्षा में था। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने यह भी सूचित किया कि इन 23 नगरीय स्थानीय निकायों में से 12 नगरीय स्थानीय निकायों ने विरासती अपशिष्ट के निपटान के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर ली है और कार्यान्वयन की समय सीमा वर्ष 2023 में है। तथापि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों की प्रति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई थी जिसके कारण यह पुष्टि नहीं की जा सकी की विरासती अपशिष्ट की निकासी का कार्य विस्तृत परियोजना का भाग था। शेष 11 नगरीय स्थानीय निकायों को विरासती अपशिष्ट के निपटान के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना बाकी था।

नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल की अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर अपशिष्ट फेंकने के कारण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय जर्नल और मीडिया रिपोर्टों में प्रकाशित एक प्रकरण अध्ययन में पता चला है

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार नगरीय स्थानीय निकाय नियमों की अधिसूचना की दिनांक से दो वर्ष बाद तक (यानी अप्रैल 2018 तक) भूमि भरण में मिश्रित अपशिष्ट को फेंकना बंद करें और यथा संभव अपशिष्ट का पुनर्चक्रण या पुन: उपयोग करें और केवल ऐसा अपशिष्ट जिसका उपयोग, पुनर्चक्रण न किया जा सके भूमि भरण में जाना चाहिए। नगरीय स्थानीय निकायों को यह जाँचने के लिए पुराने और मौजूदा अपशिष्ट स्थल की भी जाँच करनी चाहिए कि क्या वे "बायोमाइन्ड" या "जैव उपचारित" (जैविक तरीकों का उपयोग करके साफ किए गये) हो सकते हैं, और यदि अपशिष्ट स्थल को उस तरह से साफ नहीं किया जा सकता है, तो पर्यावरण को और अधिक हानि से बचाने के लिए इसे ढका जाना चाहिए।

हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कई नगरीय स्थानीय निकाय अभी भी भूमि भरण में मिश्रित अपशिष्ट को फेंक रहे थे, जबकि उन्हे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका कारण, अपशिष्ट प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिए योजना तैयार न करना और अपशिष्ट को ठीक से संभालने के लिए सुविधाओं की अनुपलब्धता कहा जा सकता है जैसा कि कंडिका 2.14.1 से 2.14.3 में चर्चा की गई है। यह भूमि भरण में जाने वाले शून्य अपशिष्ट के लक्ष्य के प्रतिकूल था। नमूना जाँच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में चित्र **2.29 और 2.30** भूमि भरण की स्थिति को दर्शाते हैं।

चित्र 2.29 और 2.30: भूमिभरण पर अपशिष्टों का फेंका जाना

चित्र 2.29: नगरीय स्थानीय निकाय बालाघाट द्वारा अपशिष्ट को फेंकना

चित्र 2.30: नगरीय स्थानीय निकाय बैतूल द्वारा अपशिष्ट को फेंकना

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

दिसंबर 2021 में भूगोल, भूविज्ञान और पर्यावरण के अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के भानपुर और आदमपुर छावनी, मध्य प्रदेश के दो क्षेपण स्थलों पर नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय और सामुदायिक स्वास्थ्य प्रभावों का आकलन किया गया था। अध्ययन से पता चला कि आदमपुर छावनी के परिचलित क्षेपण स्थल के आसपास के निवासियों ने, भानपुर के ढके हुए क्षेपण स्थल के आसपास रहने वाले निवासियों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य समस्याओं {जैसे टाइफाइड (58 प्रतिशत), छाती से संबंधित बीमारी (24 प्रतिशत), हैजा और डायरिया (34 प्रतिशत), मलेरिया (22 प्रतिशत), और त्वचा संबंधी बीमारियाँ (16 प्रतिशत)} का अनुभव किया।

अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि पर्यावरण पर उनके प्रभाव को कम करने के लिए अपशिष्ट स्थलों का उचित प्रबंधन और देखभाल की जानी चाहिए। स्वास्थ्य समस्याओं के अलावा, अन्य समस्याएं, जैसे कि मक्खियों, चूहों, खराब गंध, और लीचेट्स में उच्च जीवाणु सामग्री के कारण भूजल का प्रदूषण, जो झिल्लियों में दरारों के माध्यम से भूजल में रिसते हैं, को भी देखा गया जैसा कि **चार्ट 2.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.1: अपशिष्ट भराव क्षेत्र पर देखी गई विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को दर्शाते हुए

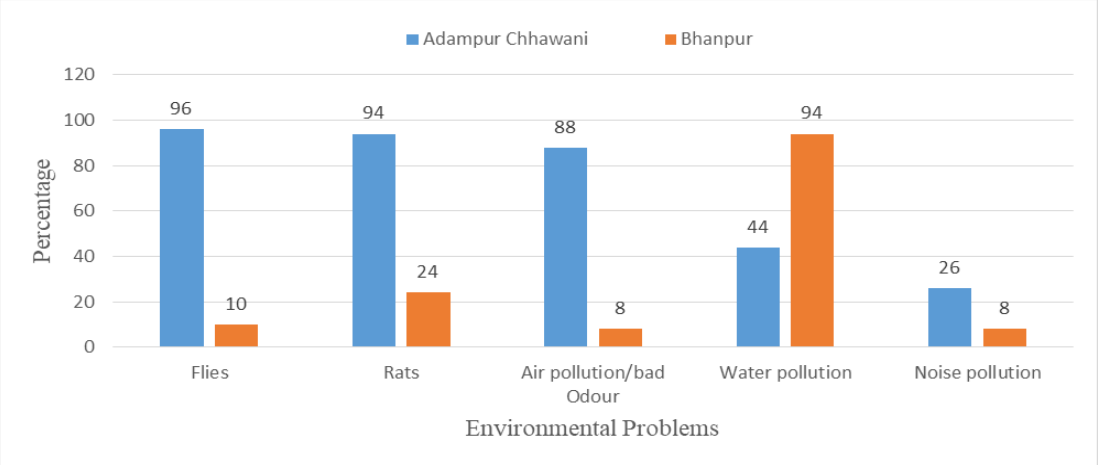

नगर पालिका ठोस अपशिष्ट नियमावली कहती है कि प्राकृतिक परिस्थितियों में, अपशिष्ट का जैविक अंश लगातार विघटित होता है, साथ में एक तेज दुर्गंध और गैसों का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्यता मीथेन गैस होती है। मीथेन गैस अत्यधिक ज्वलनशील है और इससे भूमिभरण में आग लग सकती है, जो हवा में हानिकारक रसायनों और गैसों को भी छोड़ सकती है, जिससे आसपास के समुदायों के लिए स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। नमूना जाँच की गई नगरीय स्थानीय निकायों की भूमिभरण क्षेत्रों के क्षेत्र भ्रमण के दौरान अपशिष्ट भराव क्षेत्र से निकलने वाले धुएं के उदाहरण देखे गए जैसा कि **चित्रों 2.31 और 2.32** में दर्शाया गया है।

चित्र 2.31 और 2.32: भूमिभरण स्थल पर धुंआ

चित्र 2.31: नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर के अपशिष्ट भराव क्षेत्र से निकलने वाला धुंआ

चित्र 2.32: नगरीय स्थानीय निकाय शहडोल के अपशिष्ट भराव क्षेत्र से निकलने वाला धुंआ

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

यूएलबी भोपाल की आदमपुर भूमिभरण क्षेत्र में हाल ही में आग लग गई थी, जिसने मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया था जैसा कि **चित्र 2.33** में दिखाया गया है:

चित्र 2.33: आदमपुर अपशिष्ट भराव क्षेत्र, भोपाल में आग लगने पर अखबार की प्रतिवेदन

Fire erupts at Adampur landfill, may reduce 5L tonne of waste to ashes

RAISING A STINK: ₹2.62Cr 'Spent' On Waste Disposal, Project Deadline Missed

Jamal.Ayub@timesgroup.com

Bhopal: Fire in estimated five lakh tonnes of waste at Bhopal Municipal Corporation (BMC) is smelling of a scam. The fire in waste on Adampur Chhawani landfill site broke in the last 72-hours and has spread to 7 acre so far. Smoke is seen from two kilometers away, threat of methane gas has increased apprehension of the villages nearby.

The timeline for solid waste disposal was 18 months. It ended in September 2022. A private firm was entrusted with the task. BMC claims 400 metres of the landfill was processed.

The landfill site does not have a hydrant. Water has to be sourced from 2 km away. It is not the first fire in the landfill. Around six such major and small incidents have been cited in the last few months.

Eyebrows are being raised over Rs 2.62 crore that was paid for disposal of the waste. Scientific closure was for waste disposal of an estimated five lakh ton. Old waste was brought from old waste dump of the BMC. Contract was till in May 2022, but later extended till September.

According to reports, an audit has objected to the process and payments made to the private firm. The contract was extended due to the pandemic. As things stand, the MoU timeline has expired. Reports points out that work order was released on 27 September 2018. In a short time, processing in full capacity was claimed by the BMC. It is alleged that machines were in place not before November. The timeline of has raised questions, if machines were placed in November how was the processing taking place before that. Electricity connection was sought in October from the Discom, while November was the aforesaid installation of the processing machines. BMC fire wing said on Monday evening that the fire began on Saturday. Since then, the fire brigade personnel have been trying to extinguish the fire. According to fire officer Rameshwar Neel, flammable gas is leaking in the garbage. After extinguishing the fire at one place, suddenly the fire is burning like a furnace at another place.

An estimated six million tonnes of waste has been deposited at the dump yard which began in 2017. Adampur Chhwani, some 12 km outside Bhopal. Around 800 MT of waste collected in Bhopal each day. Land measuring 44 acres was selected for new MSW Management and Disposal site at Aadampur village.

THE NEW LANDFILL

The Adampur Chhavni landfill started operations on December 11, 2019, after a delay of more than two years. The site was started after the orders of NGT to close down the landfill at Bhanpur. It started off with a capacity of 1200 tonne waste processing. However, fire cases have been reported frequently from the site one of them a major fire only in February. Villagers in the vicinity have been objecting to the setting up of the landfill site at Adampuir Chhavani

FIRES

Feb 24, 2023 | Fire spreads to two acre of landfill area

March 8, 2023 | NGT forms a panel to probe Adampur landfill fire

April 22, 2019 | Fire breaks out at Adampur dumpyard. Toxic fumes engulfed surrounding villages as fire rages for over 24 hours

Pic: A Moeed Faruqui

Fire brigade officials say that flammable gas is leaking from the garbage due to fire

6 YRS OF ENVIRONMENT IMPACT ON VILLAGE: BU STUDY

A study by the BU department of environmental sciences and limnology states that self-reported health problems of residents surrounding Adampur Chhawani dumpsite were typhoid (58%), chest related illness (24%), cholera and diarrhea (34%), malaria (22%) and skin infections (16%). But when compared to the residents residing around Bhanpur dumpsite (now closed), the number of respondents who had typhoid, chest-related illness, cholera and diarrhea, malaria and skin infections, stood at 52%, 8%, 22%, 12% and 4% respectively. It was found that residents living nearby the Adampur Chhawani dumpsite are most affected by the dumpsite, finds an environmental assessment of impact of landfill on local population. The study was published in the International Journal of Geography, Geology and Environment last year and was done by Waheed Ahmad Hurra and Abhilasha Bhawsar of the department.

खुले क्षेपण स्थल में अपशिष्ट में आग लगने की घटनाओं के परिणामस्वरूप वायु प्रदूषण हो सकता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि हो सकती है जिसे जलवायु परिवर्तन में योगदान के लिए जाना जाता है। इसलिए क्षेपण स्थल को पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए ठीक से प्रबंधित किया जाना चाहिए और देखभाल की जानी चाहिए।

शासन ने सूचित किया कि 16 यूएलबी ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर ली है और पुराने कचरे के निवारण के लिए निविदा जारी कर दी है। शेष यूएलबी में कचरे की मात्रा कम है जिसका प्रस्तावित ताजा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं से प्रसंस्करण किया जाएगा।

2.17 सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियाँ

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 नगरीय स्थानीय निकायों को सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधि अभियानों के माध्यम से जन जागरूकता पैदा करने और अपशिष्ट पैदा करने वालों को अपशिष्ट को कम करने और गंदगी फैलाने पर रोक लगाने के लिए शिक्षित करने का अधिदेश देता है। नगरीय स्थानीय निकाय नागरिकों को अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़े पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी खतरों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए भी जिम्मेदार थे। एमएसडबल्यूएम सेवाओं की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को उपयोगकर्ता शुल्क या शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधि अभियान को घरों, दुकानों, वाणिज्यिक और संस्थागत परिसरों, नगरपालिका अधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्कूलों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), अनौपचारिक क्षेत्र और मीडिया सहित सभी हितधारकों को लक्षित करना चाहिए। एमएसडबल्यूएम नियमावली 2016 (कंडिका 1.4.5.13.1) लक्षित दर्शकों और आवश्यक जागरूकता के प्रकार को निर्दिष्ट करती है जैसा कि **परिशिष्ट 2.3** में दर्शाया गया है। शहर के अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और अपनी भूमिका का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देश (2017) यह अधिदेशित करता है कि राज्य एचपीसी द्वारा अनुमोदित प्रत्येक वार्षिक योजना में सूचना, शिक्षा और संचार निधि का कम से कम 50 प्रतिशत जमीनी स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को जाना चाहिए। सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए प्रदान की गई धनराशि और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधि की स्थिति **तालिका 2.5** में दर्शायी गई है।

तालिका 2.5: सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए निर्धारित निधि और सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित निधियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	बजट वर्ष	सूचना, शिक्षा और संचार के लिए राशि का प्रावधान	सूचना, शिक्षा और संचार के लिए नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की जाने वाली राशि (क्षमता निर्माण निधि का 50 प्रतिशत)	नगरीय स्थानीय निकायों को वास्तविक हस्तान्तरित राशि	हस्तान्तरित राशि मे कमी
1	2017-18	15.73	7.87	15.15	(-) 7.28
2	2018-19	9.83	4.92	8.63	(-) 3.71
3	2019-20	15.90	7.95	14.64	(-) 6.69
4	2020-21	9.07	4.54	0.32	4.22
5	2021-22	25.85	12.92	10.58	2.34
योग		**76.38**	**38.20**	**49.32**	**(-)11.12**

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान, नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सूचना, शिक्षा और संचार के लिए प्रदान की गई राशि का 50 प्रतिशत से अधिक नगरीय स्थानीय निकायों को स्थानांतरित किया है। हालाँकि, वर्ष 2020-21 से 2021-22 के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को हस्तांतरित राशि आवश्यक 50 प्रतिशत से

कम पाई गई। नगरीय विकास विभाग ने सूचित किया कि इन वर्षों के दौरान नगरीय स्थानीय निकायों को कम राशि हस्तांतरित की गई है क्योंकि वर्ष 2017-18 से 2019-20 में अधिक राशि प्रदान की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- **सभी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मामलों के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित होने योग्य नहीं होना।**

चौबीस नगरीय स्थानीय निकायों[64] ने सूचित किया कि जागरूकता अभियान जैसे आनंद उत्सव (दो नगरीय स्थानीय निकायों), नुक्कड़ नाटक (12 नगरीय स्थानीय निकायों), स्वच्छता पखवाड़ा (दो नगरीय स्थानीय निकायों), अमृत महोत्सव (दो नगरीय स्थानीय निकायों), जन जागरूकता (12 नगरीय स्थानीय निकायों), जिंगल बेल (एक नगरीय स्थानीय निकाय), वॉल पेंटिंग (चार नगरीय स्थानीय निकायों), रैली (तीन नगरीय स्थानीय निकायों), अपशिष्ट पृथक्करण (तीन नगरीय स्थानीय निकायों), होर्डिंग का प्रदर्शन (दो नगरीय स्थानीय निकायों) उनके द्वारा आयोजित किये गये हैं। हालाँकि, साक्ष्यों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि क्या **परिशिष्ट 2.3** (ऊपर संदर्भित) में दर्शाई गई सभी गतिविधियाँ नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा की गई हैं।

शेष 10 नगरीय स्थानीय निकायों (इंदौर, भोपाल, जबलपुर, भिण्ड, मंदसौर, निवाड़ी, बरघाट, पिपलानारायणवार, मालनपुर, नलखेड़ा) ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान उनके द्वारा संचालित सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं दी।

नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आयोजित सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों के व्यापक अभिलेखन की कमी है, जिसके कारण नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों के लिए किए गए प्रयासों का आकलन संभव नहीं था। इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि नगरीय स्थानीय निकाय सूचना, शिक्षा और संचार कार्यक्रमों के प्रति अधिक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं, और आयोजित गतिविधियों का उचित अभिलेखन संधारित रखें।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत स्रोत पृथक्करण, होम कम्पोस्टिंग, तीन आर अवधारणा, गंदगी फैलाना, एकल उपयोग प्लास्टिक

[64] अकोदिया, बालाघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, धार, ग्वालियर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मंडलेश्वर, मैहर, मुरैना, ओरछा, पिछौर, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, सतना, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

और प्लास्टिक बैन, खुले में शौच आदि जैसे विषयों पर विभिन्न सूचना, शिक्षा और संचार अभियान शुरू किए गए थे। इन अभियानों के दृढ़ और निरंतर प्रयासों से नगरीय स्थानीय निकायों में प्रत्येक वर्ष पृथक्कृत अपशिष्ट का प्रतिशत बढ़ रहा है।

लेखापरीक्षा का अभिमत है कि सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों का उचित अभिलेखन पारदर्शिता, जवाबदेही, मूल्यांकन और निरंतर सुधार के लिए महत्वपूर्ण है और यह नगरीय स्थानीय निकायों (यूएलबी) में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करेगा।

2.18 क्षमता निर्माण

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 की कंडिका 1.4.5.5 प्रदान करता है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और प्रशिक्षित करने की तत्काल आवश्यकता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट क्षेत्र को व्यावसायिक बनाने से न केवल मौजूदा परिस्थितियों में अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करने के लिए श्रमिकों की क्षमता का निर्माण होगा बल्कि उनके व्यवसाय के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना भी पैदा होगी। विभिन्न हितधारकों के लिए अपनाए जा सकने वाले विभिन्न क्षमता निर्माण दृष्टिकोण और प्रशिक्षण कार्यक्रम **परिशिष्ट 2.4** में दिए गए हैं।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 11 (के) और 15 (जेडसी) में आवश्यक है कि नगरीय विकास विभाग और नगरीय स्थानीय निकाय, ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन, पृथक्करण और परिवहन या ऐसे अपशिष्ट स्रोत पर के प्रसंस्करण में संलग्न कर्मचारियों (अनुबंध श्रमिकों सहित) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करे।

क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के संबंध में पाए गए अवलोकनों की चर्चा नीचे की गई है:

2.18.1 एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम (आईसीबीपी) के अंतर्गत नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करने में

भारत सरकार ने एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम (आईसीबीपी) के कार्यान्वयन के लिए निर्देश[65] जारी किए (दिसंबर 2017) थे। आईसीबीपी का आयोजन भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न नगरीय योजनाओं जैसे अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम), सभी के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास

[65] पत्र संख्या के-14012/101(25)/2017-सीबीयूडी दिनांक 29 दिसंबर 2017।

योजना और हृदय के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं को मिलाकर किया जाना था।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सूचित किया कि वर्ष 2021-22 में एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत केवल आठ प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं की व्यवस्था की गई थी जैसा कि **तालिका 2.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.6: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र.सं.	आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ कार्यशालाओं की संख्या	कार्यक्रम का नाम	लक्षित समूह
1	5	स्वच्छता की पाठशाला	प्रधान प्रशिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, स्वच्छ भारत मिशन नोडल, स्वच्छता निरीक्षक, कम्प्यूटर ऑपरेटर और तकनीकी कर्मचारी
2	2	सोशल मीडिया	समस्त नगरीय स्थानीय निकाय कर्मचारी
3	1	तीन आर कार्यशाला	समस्त नगरीय स्थानीय निकाय कर्मचारी

2019-21 के दौरान आईसीबीपी के तहत कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था ।

2.18.2 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सभी हितधारकों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित न करना

स्वच्छ भारत मिशन दिशानिर्देशों की कंडिका 9.6 में निर्धारित किया गया है कि राज्यों और नगरीय स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण के लिए प्रासंगिक अधिकारियों (वरिष्ठ स्तर के अधिकारी और क्षेत्र स्तर के अधिकारी दोनों) की पहचान करनी चाहिए और उनके लिए प्रशिक्षण की एक विवरणी तैयार करनी चाहिए (जैसा कि **परिशिष्ट 2.4** में दर्शाया गया है)। यह सुनिश्चित करना राज्य मिशन निदेशक की जिम्मेदारी होगी कि राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की सफलता सुनिश्चित करने के लिए चिन्हित अधिकारी पर्याप्त क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण प्राप्त करें।

नमूना जाँच किए गए और नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से लेखापरीक्षा ने देखा कि 19 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को, 21 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा संग्रहण स्टाफ को, 18 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा परिवहन स्टाफ को, 11 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा एनजीओ/ सीबीओ को, आठ नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया है और प्रसंस्करण स्थल पर कर्मचारियों को 12 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। हालाँकि, इन प्रशिक्षण के लिए

नामांकित व्यक्तियों की संख्या केवल 10 नगरीय स्थानीय निकायों[66] द्वारा प्रदान की गई है। नौ नगरीय स्थानीय निकायों (ग्वालियर, मुरैना, मालनपुर, करेली, सागर, पिपलानारायणवार, खिरकिया एवं पिछोर) ने किसी भी अधिकारी को प्रशिक्षण नहीं दिया था, जबकि दो नगरीय स्थानीय निकायों, भिण्ड एवं भोपाल ने लेखापरीक्षा प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया था।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में लगे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण को प्राथमिकता देना आवश्यक है, और नगरीय स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कर्मियों को पर्याप्त और नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इसकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की नियमित निगरानी और मूल्यांकन भी किया जाना चाहिए।

2.19 ठोस अपशिष्ट गतिविधियों की निगरानी

नगर पालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 की कंडिका 6.1 निर्धारित करती है कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए और योजना के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति का आकलन करने के लिए एक व्यापक निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम और नियमावली के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जानी आवश्यक है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन के संबंध में स्थानीय निकायों के प्रदर्शन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर राज्य नीति और रणनीति की निगरानी और समीक्षा जिला स्तर और राज्य स्तर पर की जानी है जबकि पर्यावरण निगरानी की जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की है।

राज्य, जिला और नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी पर अवलोकनों की नीचे कंडिका में चर्चा की गई है:

2.19.1 राज्य स्तर पर निगरानी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निष्पादित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी और समीक्षा को निर्दिष्ट करता है और सेवा स्तर बेंचमार्किंग[67] (एसएलबी) की उपलब्धियों की रिपोर्टिंग के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकायों में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रावधान की

[66] बालाघाट, बैतूल, धार, कुक्षी, मण्डलेश्वर, मंदसौर, पिछोर, सतना, शहडोल एवं शिवपुरी।

[67] निकाय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रावधान की बेंचमार्किंग के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित संकेतक।

दीर्घकालिक प्रगति की निगरानी करता है। राज्य स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी में कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

2.19.1.1 राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय द्वारा अनियमित और अपर्याप्त निगरानी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की कंडिका 23 में निर्दिष्ट है कि संबंधित राज्य शासन या केंद्र शासित प्रशासन के स्थानीय निकायों के विभाग प्रभारी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अधिसूचना की दिनांक (अर्थात, 8 अप्रैल 2016) से छः महीने के भीतर एक राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन करेंगे। राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय को इन नियमों, राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर रणनीति के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की समीक्षा करने और राज्य शासन को सलाह देने के लिए और इन नियमों के शीघ्र और उचित कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपाय करने हेतु प्रत्येक छः महीने में कम से कम एक बार बैठक करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने लगभग एक वर्ष की देरी से 13 अक्टूबर 2017 को राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय का गठन किया था। आगे यह देखा गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय ने गठन की दिनांक (13 अक्टूबर 2017) से 31 मार्च 2022 तक केवल तीन बैठकें आयोजित की थीं, जबकि इसके विरुद्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार कुल नौं बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक थीं।

इस प्रकार, राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय के गठन में देरी और अपर्याप्त बैठक आयोजित करना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों की अपर्याप्त निगरानी और समीक्षा के साथ-साथ इस संबंध में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में निहित प्रावधानों के उल्लंघन को दर्शाता है। इस निकाय के गठन में विलम्ब तथा अपर्याप्त बैठक के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि कार्यकाल के दौरान अपर्याप्त बैठकों का कारण 2019 में राज्य चुनाव और कोविड-19 की दो लहरों के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य जोखिम संबंधी कारण थे।

2.19.2 जिला स्तर पर निगरानी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 12 (बी) के अनुसार, जिला मजिस्ट्रेट/ उप आयुक्त एक तिमाही में कम से कम एक बार अपशिष्ट पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान पर स्थानीय निकायों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे।

नमूना जाँच किये गये 20 नगरीय स्थानीय निकायों के पास जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की गई ऐसी समीक्षा की कोई जानकारी नहीं थी। चार नगरीय स्थानीय निकायों[68] को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समीक्षा बैठकें आयोजित करने के संबंध में अभी भी सूचना उपलब्ध करवानी थी। जबकि मात्र 10 नगरीय स्थानीय निकायों[69] ने सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट ने समीक्षा बैठकें आयोजित की थी। हालाँकि, यह पता नहीं लगाया जा सका कि समीक्षा त्रैमासिक की गई थी।

यद्यपि, शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि जिला मजिस्ट्रेट अपशिष्ट पृथक्करण, प्रसंस्करण, उपचार और निपटान के प्रदर्शन की जाँच और निगरानी के लिए अपने यूएलबी के साथ नियमित बैठकें कर रहे हैं, इसके लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

2.19.3 नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर नगरीय ठोस अपशिष्ट की निगरानी

एसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 की कंडिका 6.1 के अनुसार, अपनाई गई निगरानी प्रणाली में निम्नलिखित को सुविधाजनक बनाना या शामिल करना चाहिए:

- चिन्हित कर्मचारियों द्वारा आँकड़े का नियमित संग्रह, उदाहरण के लिए, वार्ड-वार अपशिष्ट का संग्रह;
- समग्र प्रणाली की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए एकत्रित जानकारी का विश्लेषण, उदाहरण के लिए, किसी क्षेत्र में 100 प्रतिशत संग्रह तक नहीं पहुंचने के कारण;
- वरिष्ठ अधिकारियों को आँकड़े और उसके विश्लेषण की रिपोर्टिंग;
- आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव करने के लिए तंत्र, उदाहरण के लिए, अतिरिक्त प्रयासों के लिए आकस्मिक योजना जिसमें किसी विशेष वार्ड में संग्रह के लिए सुस्ती, मार्ग परिवर्तित करना या समय परिवर्तित करना जिससे 100 प्रतिशत संग्रह प्राप्त किया जा सके।

[68] भोपाल, इन्दौर, मैहर एवं उचेहरा।

[69] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, धार, रतलाम, सतना, मंदसौर, मंडलेश्वर, शिवपुरी एवं विदिशा।

नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी में पाई गई कमियों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

2.19.3.1 वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत न करना/ विलंब से प्रस्तुत करना

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 15 (जेडए) और (जेडबी) निर्दिष्ट करते हैं कि स्थानीय निकाय आगामी वर्ष के 30 अप्रैल को या उससे पूर्व फॉर्म चार में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और आयुक्त या निदेशक, नगरपालिका प्रशासन अथवा अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। इसके बाद वार्षिक प्रतिवेदन प्रति वर्ष 31 मई तक राज्य नगरीय विकास विभाग या ग्राम पंचायत या ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी सचिव और संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को भेजी जाएगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 15 नगरीय स्थानीय निकायों[70] ने नियमों के अनुसार प्रस्तुत किया जाने वाला आवश्यक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। केवल 15 नगरीय स्थानीय निकाय[71] अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में नियमित थे। चार नगरीय स्थानीय निकायों से सूचना प्रतीक्षित थी।

चूँकि प्रतिवेदन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की विभिन्न गतिविधियों जैसे कि नगरीय स्थानीय निकायों में उत्पन्न, एकत्रित, परिवहन किए गए, प्रसंस्करित और अन्य सुविधाओं की मात्रा के बारे में जानकारी शामिल है, इसे प्रस्तुत न करने के कारण नगरीय विकास एवं आवास विभाग और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों की निगरानी के लिए आवश्यक जानकारी से वंचित थे।

2.19.4 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट की निगरानी

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 16 के अनुसार, संबंधित राज्य का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थानीय निकायों के माध्यम से अपने राज्य में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू करने, पर्यावरण मानकों की निगरानी करने और अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थलों के लिए अनुसूची एक और अनुसूची दो के तहत निर्दिष्ट शर्तों के पालन,

[70] अकोदिया, बरघाट, बैतूल, ब्यौहारी, धार, खिरकिया, मंडलेश्वर, मालनपुर, मुरैना, मैहर, निवाड़ी, ओरछा, पोलायकलॉ, उचेहरा और विदिशा।

[71] बालाघाट, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, कुक्षी, मंदसौर, नलखेडा, पिछोर, पिपलानारायनवार, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल एवं शिवपुरी।

स्थानीय निकाय या किसी सुविधा के संचालक को प्राधिकृत करने, प्राधिकार को निलंबित या रद्द करने और जारी किए गए प्राधिकार को नवीनीकृत करने के लिए उत्तरदायी था ।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी में पाये गये दोष/ कमियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है:

- **नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमिभरण क्षेत्रों पर वायु गुणवत्ता की निगरानी में कमी।**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-16.1.बी में प्रावधान है कि अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थलों के लिए नियम की अनुसूची एक और अनुसूची दो के अंतर्गत निर्दिष्ट मानकों और शर्तों के पालन की निगरानी करना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) का कर्तव्य है। नियम 16.4 में आगे प्रावधान है कि नगरीय स्थानीय निकायों के अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान स्थलों के निकटवर्ती परिवेशी वायु की गुणवत्ता की निगरानी वर्ष में कम से कम एक बार की जानी चाहिए।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदान की गई नगरीय स्थानीय निकायों की अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमिभरण क्षेत्रों पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी के विवरण की जाँच से ज्ञात हुआ कि 34 नमूना जाँच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों में नियमों में निर्धारित आवृति के अनुसार वायु गुणवत्ता निगरानी कार्य नहीं किए गए थे। नगरीय स्थानीय निकाय वार निगरानी का सारांश **परिशिष्ट 2.5** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले पाँच वर्षों (2017-18 से 2021-22) के दौरान नमूना जाँच किए गए 34 नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमिभरण क्षेत्रों पर वायु गुणवत्ता को मापने के लिए आवश्यक 170 परीक्षणों के विरुद्ध 95 परीक्षण किए थे। यह भी देखा गया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान नमूना जाँच की गई 10 नगरीय स्थानीय निकायों[72] में हर वर्ष वायु गुणवत्ता परीक्षण किया था। इसके अलावा, 2017-18 से 2021-22 तक पिछले पाँच वर्षों के दौरान नमूना जाँच किये गये 10 नगरीय स्थानीय निकायों[73] के अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमिभरण क्षेत्रों पर कोई वायु गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया कि

[72] दमोह, इन्दौर, मैहर, मंदसौर, मुरैना, पिपलानारायनवार, सागर, सतना, शहडोल एवं विदिशा।

[73] अकोदिया, ब्यौहारी, ग्वालियर, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, नलखेडा, निवाड़ी, ओरछा एवं पोलायकलॉ।

इनमें से नौ नगरीय स्थानीय निकायों ने भूमिभरण क्षेत्रों की पहचान नहीं की थी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी सूचित किया कि स्थायी बिजली कनेक्शन के अभाव में पाँच नगरीय स्थानीय निकायों (ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, बालाघाट और करेली) में नियमित परीक्षण नहीं किया जा सका था। परिणामस्वरूप, नमूना जाँच किए गये नगरीय स्थानीय निकायों में वायु गुणवत्ता की जाँच करने में 44.12 प्रतिशत की कमी थी।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उत्तर दिया (मई 2023) कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार वायु गुणवत्ता निगरानी के प्रावधान केवल स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों पर लागू थे। इन 34 नगरीय स्थानीय निकायों में केवल पाँच स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्र थे और वर्ष 2017-18 के दौरान जबलपुर में स्वच्छता भूमिभरण को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन भूमिभरण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता की निगरानी (वर्ष में न्यूनतम एक बार) नियमित रूप से की जा रही थी। इसके अलावा, अन्य नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेपण स्थलों पर वायु की गुणवत्ता की निगरानी वर्ष में दो बार नियमित रूप से की जा रही थी।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उत्तर तथ्यात्मक रुप से गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन स्वच्छता भूमिभरण पर वायु गुणवत्ता की निगरानी 84 प्रतिशत थी।

- **यूएलबी में अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमि भरण क्षेत्र पर जल की गुणवत्ता की निगरानी में कमी**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की अनुसूची-I (ई) एसपीसीबी द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी के लिए मानदंड प्रदान करती है। इन मानदंडों के अनुसार, भूमि भरण क्षेत्र की परिधि के 50 मीटर के भीतर भूजल की गुणवत्ता की एक वर्ष में विभिन्न मौसमों यथा गर्मी, मानसून और मानसून के बाद की अवधि में समय-समय पर निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भूजल दूषित नहीं है।

2017-18 से 2021-22 के दौरान एसपीसीबी द्वारा सीपीसीबी को प्रस्तुत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रदान की गई नमूना जाँच की गई यूएलबी के अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमि भरण क्षेत्र पर जल गुणवत्ता की निगरानी के विवरण की जाँच से ज्ञात हुआ कि नमूना जाँच किए गए यूएलबी में जल गुणवत्ता की निगरानी नियमों में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार नहीं की गई थी, विवरण **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एसपीसीबी ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 34 नमूना-जाँच की गयी यूएलबी में अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमि भरण क्षेत्रों पर जल की गुणवत्ता को मापने के लिए आवश्यक 510 परीक्षणों (एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार एक वर्ष में तीन परीक्षणों की आवृत्ति) के विरुद्ध कुल 202 परीक्षण किए थे। इसके अलावा, एमपीपीसीबी ने व्यवस्थित रूप से जल की गुणवत्ता का परीक्षण नहीं किया था क्योंकि इसने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान नमूना जाँच किए गए नौ[74] यूएलबी में अपशिष्ट प्रसंस्करण/ भूमि भरण क्षेत्रों पर जल की गुणवत्ता का कोई परीक्षण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, जल की गुणवत्ता के परीक्षण के संचालन में 60.39 प्रतिशत की कमी थी जो एमपीपीसीबी द्वारा जल की गुणवत्ता की अपर्याप्त और अव्यवस्थित निगरानी को दर्शाती है।

एमपीपीसीबी ने उत्तर दिया (मई 2023) कि एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार जल गुणवत्ता निगरानी के प्रावधान केवल स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्रों पर लागू थे। इन 34 यूएलबी में केवल पाँच स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्र थे और वर्ष 2018-19 के दौरान जबलपुर में स्वच्छता भूमिभरण को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन भूमि भरण क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता की निगरानी (वर्ष में न्यूनतम तीन बार) नियमित रूप से की जा रही थी। इसके अलावा, अन्य यूएलबी के क्षेपण स्थलों पर वायु/ जल की गुणवत्ता की निगरानी नियमित रूप से वर्ष में दो बार की जा रही थी।

एमपीपीसीबी का उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि एमपीपीसीबी द्वारा सीपीसीबी को प्रस्तुत वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन स्वच्छता भूमिभरण पर जल की गुणवत्ता की निगरानी 60 प्रतिशत थी। आगे, अन्य शहरी स्थानीय निकायों के क्षेपण स्थलों पर जल की गुणवत्ता की निगरानी भी नियमित रूप से नहीं की जा रही थी।

शासन ने सूचित किया (अगस्त 2023) कि यूएलबी को निर्देश जारी किए जाएंगे ताकि अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल पर जल गुणवत्ता की निगरानी का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

- **'प्राधिकार/ संचालन की सहमति' प्राप्त किए बिना अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का चालन करने वाले यूएलबी के विरुद्ध एमपीपीसीबी द्वारा दंडात्मक कार्रवाई शुरू न करना**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 डिजाइन, निपटान, उपचार और प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए पर्यावरण निगरानी आवश्यकताओं को प्रदूषण की रोकथाम और इन सुविधाओं के पर्यावरण की दृष्टि से स्थिर संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट करता है। ये

[74] अकोदिया, ब्यौहारी, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा और पोलायकलॉ।

विनिर्देश भाग दो एमएसडबल्यूएम नियमावली के कंडिका 3.2.1, 3.2.12, 3.3.13, 3.5.9, 3.6 और 4.1 में विस्तारित हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 की आवश्यकता के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के संचालक को इन सुविधाओं को स्थापित करने और संचालन शुरू करने से पहले "स्थापित करने और संचालित करने के लिए सहमति" की आवश्यकता थी।

एमपीपीसीबी ने एक्सजीएन (एक्सटेंडेड ग्रीन नोड) डेटा के लिए व्यू ऑथराइजेशन एक्सेस प्रदान किया। 28 जनवरी 2023 तक वेबसाइट पर उपलब्ध डेटा के सत्यापन से पता चला कि 34 चयनित यूएलबी में से केवल 4 यूएलबी (भोपाल, जबलपुर, इंदौर और सागर) ने अपशिष्ट प्रसंस्करण संचालन सुविधाएं के लिए संयुक्त सहमति प्राधिकार (सीसीए)/ स्थापना के लिए सहमति (सीटीई) प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है या प्राप्त किया है। जबलपुर (जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड कथोंडा) और सागर (सागर एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मसवासी) में ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के पास वैध सीसीए थे। इंदौर में चार प्रसंस्करण सुविधाओं में से केवल दो (बायो-सीएनजी प्लांट के लिए इंडो-एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड और एमआरएफ के लिए नेपरा रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड) के पास वैध सीसीए था।

एक प्रसंस्करण सुविधा (देवगुराड़िया, इंदौर में ट्रेंचिंग ग्राउंड) का सीसीए इसकी समाप्ति के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया था और एक अन्य प्रसंस्करण सुविधा (बायो मिथेनेशन प्लांट, कबिटखेड़ी) ने सीटीई प्राप्त किया था लेकिन सीसीए नहीं था, लेकिन इन दोनों प्रसंस्करण सुविधाओं को एक्सजीएन में चालू दिखाया जा रहा था। भोपाल में सात प्रसंस्करण सुविधाओं में से एक (सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, भानपुर) के पास वैध सीसीए था। इसके अलावा, दो प्रसंस्करण सुविधाओं (आरिफ नगर और दानापानी में अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्र) का सीसीए दिसंबर 2022 में इसकी समाप्ति के बाद नवीनीकृत नहीं पाया गया। तीन प्रसंस्करण सुविधाएं (आदमपुर छावनी में मृत पशु शवदाहगृह, भोपाल ग्रीन गैस प्राइवेट लिमिटेड आदमपुर छावनी और एनवीवीएन लिमिटेड, आदमपुर छावनी) सीसीए के बिना संचालित की जा रही थीं।

इसके अलावा, एक प्रसंस्करण सुविधा (मैसर्स ग्रीन रिसोर्सेस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, आदमपुर छावनी) के सीटीई को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था, लेकिन एक्सजीएन डेटा से पता चलता है कि सुविधा चालू थी।

हालाँकि, एक्सजीएन डेटा में शेष 30 नमूना जाँच की गई यूएलबी में स्थापित प्रसंस्करण सुविधाओ के लिए प्राप्त सीटीई/ सीसीए के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं थी|

एमपीपीसीबी ने, लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (मई 2023) कि उसने पहले ही सभी दोषी यूएलबी पर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी थी और नमूना-जाँच में शामिल 34 यूएलबी में से 13 यूएलबी के विरुद्ध न्यायालीय प्रकरण दायर किए थे, जो प्रक्रियाधीन थे।

- **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत उद्योगों द्वारा ऑनलाइन मासिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना**

एमपीपीसीबी जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत संचालन की सहमति (सीटीओ) और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 13 के अंतर्गत निर्माता/ उत्पादक और ब्रांड मालिक के रूप में पंजीकरण प्रदान करता है। सहमति की शर्तों के अनुसार, आवेदक को सहमति आदेश में निर्दिष्ट मासिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रदूषकों के विश्लेषण के लिए नमूने और माप लेने थे और परिणामों को एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रतिवेदन करना था।

लेखापरीक्षा ने 1 अप्रैल 2017 से 24 जनवरी 2023 की अवधि के लिए मॉड्यूल से प्रतिवेदन प्राप्त किया जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों के संबंध में सहमति/ सहमति का नवीनीकरण प्रदान करने के लिए प्रतिवेदन तैयार करता है।

एमपीपीसीबी द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान किए गए एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के 'एसडब्ल्यूएम (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन) के लिए सीसीए मॉड्यूल' के लिए व्यू ऑथराइजेशन से लेखापरीक्षा में पाया गया कि 17 उद्योगों को ठोस अपशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था, जिनमें से 15 उद्योग लाल श्रेणी में आ रहे थे। इन 15 लाल श्रेणी इकाइयों की समीक्षा से पता चला कि इनमें से 14 मासिक परीक्षण प्रतिवेदन अपलोड नहीं कर रहे थे और एक उद्योग को आवश्यकता के अनुपालन में अनियमित पाया गया। जो 14 उद्योग मासिक विवरणी जमा नहीं कर रहे थे, उनमें इंदौर मे इंडो-एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस (बायो सीएनजी प्लांट के संचालक) और होसविन इंसीनरेटर प्राइवेट लिमिटेड (स्वच्छता अपशिष्ट को जलाने मे कार्यरत कंपनी) और सागर में एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड सागर (आईएसडब्ल्यूएम परियोजना को लागू करने वाली), और भोपाल के दो अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्र आरिफ नगर और दानापानी,

और भोपाल में सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (विरासती कचरे के बायोरेमेडिएशन में कार्यरत), और जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड (अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र में संलग्न) शामिल हैं।

इसके अलावा, सीपीसीबी ने सभी एसपीसीबी को पर्यावरण निगरानी के लिए छः महीने की आवृत्ति पर, सभी लाल श्रेणी के उद्योगों का निरीक्षण करने का निर्देश (दिसंबर 2019) दिया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन उद्योगों का निरीक्षण निर्धारित आवृत्ति के अनुसार नहीं किया गया।

15 उद्योगों में, 39 अवसर ऐसे देखे गए जहाँ छः महीने से अधिक के अंतराल के बाद निरीक्षण किए गए जैसा कि दी गई **तालिका 2.7** में बताया गया है।

तालिका 2.7: नमूना-जाँच किए गए उद्योगों में छः महीने से अधिक के अंतराल के बाद ठोस अपशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत उद्योगों का निरीक्षण किए जाने के उदाहरणों की संख्या दर्शाता पत्रक

क्र.सं.	क्षेत्र	पीसीबी आईडी	उद्योग का नाम	जिला	निगरानी आवृत्ति का पालन नहीं किए जाने के उदाहरणों की संख्या
1	एसडब्ल्यूएम	137331	इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड	इंदौर	1
2	एसडब्ल्यूएम	111895	कटनी एमएसडब्ल्यू मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	कटनी	3
3	एसडब्ल्यूएम	114800	सागर एमएसडब्ल्यू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	सागर	3
4	एसडब्ल्यूएम	145908	सिटाडेल आईएसडबल्यूएम प्रोजेक्ट सिंगरौली प्राइवेट लिमिटेड	सिंगरौली	1
5	एसडब्ल्यूएम	19526	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बल्क ड्रग यूनिट)	देवास	5
6	एसडब्ल्यूएम	86511	उज्जैन वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	उज्जैन	5
7	एसडब्ल्यूएम	136464	हबीबगंज रेलवे स्टेशन	भोपाल	2
8	एसडब्ल्यूएम	142991	नगरपालिक निगम भोपाल, दानापानी अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्र	भोपाल	1
9	एसडब्ल्यूएम	142876	नगरपालिक निगम भोपाल, आरिफ नगर अपशिष्ट स्थानांतरण केंद्र	भोपाल	1
10	एसडब्ल्यूएम	120695	सौराष्ट्र एनवायरो प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भोपाल	1
11	एसडब्ल्यूएम	112196	हॉसविन इंसीनरेटर प्राइवेट लिमिटेड इंदौर	इंदौर	3
12	एसडब्ल्यूएम	128753	रीवा वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट लिमिटेड (रीवा एमएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड की सहायक कंपनी)	रीवा	2
13	एसडब्ल्यूएम	118133	नगर पालिका परिषद छतरपुर	छतरपुर	1

क्र.सं.	क्षेत्र	पीसीबी आईडी	उद्योग का नाम	जिला	निगरानी आवृत्ति का पालन नहीं किए जाने के उदाहरणों की संख्या
14	एसडब्ल्यूएम	32483	मंगला इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	देवास	6
15	एसडब्ल्यूएम	28396	जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर	जबलपुर	4
योग					39

(स्रोत: मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक्सजीएन डेटा)

इस प्रकार, सीपीसीबी के आदेशों का अनुपालन इन प्रसंस्करण इकाइयों और एसपीसीबी द्वारा भी नहीं किया गया था। एमपीपीसीबी ने सूचित किया कि उद्योगों/ सुविधाओं को निरीक्षण के दौरान मार्गदर्शक/ सहायता के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक अभिलेख संधारित करने का निर्देश दिया गया है। एमपीपीसीबी ने यह भी सूचित किया कि कार्यालय आदेश संख्या 867 दिनांक 20 अप्रैल 2015 के अनुसार नियमित निरीक्षण प्रथा को समाप्त कर दिया गया है और यादृच्छिक निरीक्षण की प्रथा को अपनाया गया है। यादृच्छिक निरीक्षण दृष्टिकोण के प्रथा को अपनाने के परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन के प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है, और इस तरह पर्यावरणीय क्षति की संभावना बढ़ जाती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो जाता है।

एमपीपीसीबी ने उत्तर दिया (मई 2023) कि प्रारंभ में उद्योगों को उद्योग परिसर के बाहर अपशिष्ट प्रवाहित करने की सहमति प्रदान की गई थी, लेकिन वर्तमान पद्धति में परिसर के बाहर शून्य निर्वहन को लागू करना जल सहमति की अनिवार्य शर्त है, इसलिए, प्रवाह के निर्वहन के लिए मासिक परीक्षण प्रतिवेदन की शर्त एक परामर्शी शर्त बन गई है और अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा, क्षेत्रीय अधिकारी और उनकी टीम द्वारा लाल और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का नियमित रूप से अनुपालन के लिए निरीक्षण किया जा रहा था और निरीक्षण प्रतिवेदन को कार्यालय फाइलों में हार्डकॉपी में संसाधित किया जा रहा था और एक्सजीएन सॉफ्टवेयर में संसाधित नहीं किया जा रहा था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लाल और अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को अभी भी प्रवाह के निर्वहन के लिए मासिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, एमपीपीसीबी द्वारा हार्ड कॉपी में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है।

2.20 यूएलबी द्वारा एसडब्ल्यूएम गतिविधियों का अनुबंध प्रबंधन

नगरपालिक ठोस अपशिष्ट से संबंधित अनुबंधों का प्रबंधन पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, और यह सुनिश्चित करने की एक प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित होना चाहिए कि अपशिष्ट को पर्यावरण की दृष्टि से उचित और लागत प्रभावी तरीके से एकत्र, परिवहन और निपटान किया जाता है। एसडब्ल्यूएम अनुबंधों के प्रबंधन में देखी गई टिप्पणियों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.20.1 अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए अनुबंध

अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) एमएसडब्ल्यू से ताप या बिजली के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सीपीसीबी के पत्र दिनांक 30 जुलाई 2020 के अनुसार अपशिष्ट से ऊर्जा की अवधारणा पर आधारित क्लस्टर आधारित एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मॉडल तीन क्लस्टरों (जबलपुर, रीवा और ग्वालियर) में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है, और यह वर्तमान में एक क्लस्टर (जबलपुर) परिचालन में है।

अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों के अनुबंध प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ सामने आईं:

2.20.1.1 यूएलबी, जबलपुर में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन

जबलपुर नगरपालिक निगम (जेएमसी) और एस्सेल जबलपुर एमएसडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड के बीच कठौंडा, जबलपुर में नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) को ऊर्जा में बदलने के लिए प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए 5 फरवरी 2013 को 20 वर्ष की रियायत अवधि के लिए एक अनुबंध किया गया था।

- रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 5.1 के अनुसार, परियोजना को जेएमसी के अधिकार क्षेत्र में स्थित घरों, सार्वजनिक सेवाओं, कृषि गतिविधियों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और उद्योगों द्वारा उत्पन्न गैर-पृथक ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, जिसमें जैव चिकित्सा अपशिष्ट, सी एंड डी अपशिष्ट, मृत अवशेष और खतरनाक अपशिष्ट शामिल नहीं थे। हालाँकि यह देखा गया कि न तो प्राथमिक और न ही द्वितीयक स्तर पर एमएसडब्ल्यू से जैव चिकित्सा अपशिष्ट और खतरनाक अपशिष्ट का पृथक्करण किया जा रहा था **(चित्र 2.34 और 2.35)**, जो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था।

चित्र 2.34 और 2.35: मिश्रित अपशिष्ट एकत्रित और परिवहन किया जा रहा है

चित्र 2.34: मिश्रित अपशिष्ट संग्रहण

चित्र 2.35: मिश्रित अपशिष्ट संग्रहण

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

- **रियायतग्राही द्वारा रायल्टी जमा न करना**

रियायत अनुबंध के अनुच्छेद 5.3 में यह प्रावधान है कि जेएमसी रियायतग्राही को प्रसंस्करण के लिए सुनिश्चित अपशिष्ट मात्रा के रूप में 450 टीपीडी प्रदान करेगा। इसके अलावा, अनुबंध के अनुच्छेद आठ में प्रावधान है कि जेएमसी द्वारा विकासकर्ता को आपूर्ति किए गए एमएसडब्ल्यू पर ₹ 20.70 प्रति टन की दर से रॉयल्टी का भुगतान रियायतग्राही द्वारा जेएमसी को करना था। यदि जेएमसी एमएसडब्ल्यू की आवश्यक मात्रा देने में विफल रहता है, तो रियायतग्राही एमएसडब्ल्यू के गैर-उपचार के लिए परियोजना सुविधाओं पर होने वाली परिचालन और रखरखाव लागत प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसकी राशि आपस में निर्धारित की जानी थी। अनुबंध की मूल्य अनुसूची आगे निर्दिष्ट करती है कि रियायतग्राही को प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में जेएमसी को राजस्व हिस्सा जमा करना होगा जो कि संबंधित वर्षों में आपूर्ति किए गए वास्तविक अपशिष्ट के आधार पर जमा या समायोजित किया जाएगा।

यह देखा गया कि जेएमसी वर्ष 2014-15 से रॉयल्टी की मांग कर रहा है, लेकिन रियायतग्राही राशि जमा नहीं कर रहा था। लेखापरीक्षा ने देखा कि अप्रैल 2021 तक जेएमसी द्वारा मांगी गई रॉयल्टी की कुल राशि ₹ 2.20 करोड़ तक हो गई थी। इसके अलावा जेएमसी ने अप्रैल 2021 के बाद रॉयल्टी की मांग नहीं की थी, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक रॉयल्टी की कुल बकाया राशि ₹ 2.48 करोड़ की गणना की, जैसा कि **तालिका 2.8** में वर्णित है।

तालिका 2.8: रियायतग्राही द्वारा जमा की जाने वाली वर्षवार रॉयल्टी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	परियोजना स्थल को आपूर्ति की गई एमएसडब्ल्यू की मात्रा (एमटी में))	दर प्रति मी.टन	राजस्व हिस्सा (रॉयल्टी) बढ़ा	रियायतग्राही द्वारा जमा किया गया राजस्व हिस्सा (रॉयल्टी)।	अंतर यदि कोई हो
1	2014-15	1,43,446.365	20.70	0.30	निरंक	0.30
2	2015-16	1,45,803.531	20.70	0.30	निरंक	0.30
3	2016-17	98,548.616	20.70	0.20	निरंक	0.20
4	2017-18	1,04,467.815	20.70	0.22	निरंक	0.22
5	2018-19	1,61,921.174	20.70	0.34	निरंक	0.34
6	2019-20	1,91,273.004	20.70	0.40	निरंक	0.40
7	2020-21	1,51,589.645	20.70	0.31	निरंक	0.31
8	2021-22	1,51,317.000*	20.70	0.31*	निरंक	0.31*
योग				**2.48**		**2.48**

****जेएमसी द्वारा उपलब्ध कराए गए एमएसडब्ल्यू की मात्रा के आधार पर और निर्धारित दर पर लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई राशि***

इंगित किये जाने पर, जेएमसी ने कहा कि रियायतग्राही को रॉयल्टी जमा करने का नोटिस जारी किया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अनुबंध के अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि रियायतग्राही को डिफॉल्टर घोषित करने और अनुबंध को समाप्त करने की कार्रवाई जेएमसी द्वारा की जानी थी।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि विभाग यूएलबी से रियायतग्राही द्वारा रॉयल्टी जमा न करने के संबंध में जानकारी मांगेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि अनुबंध के सभी नियम और शर्तें यूएलबी और रियायतग्राही दोनों द्वारा पूरी की जाती हैं।

2.20.1.2 यूएलबी, रीवा में अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन

पीपीपी मोड पर आईएसडब्ल्यूएम अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना की स्थापना के लिए रीवा एमएसडब्ल्यूएम होल्डिंग और आयुक्त नगरपालिक निगम रीवा के बीच अनुबंध फरवरी 2017 में निष्पादित किया गया था। रियायत अनुबंध 21 वर्षों की अवधि के लिए था, जिसमें से 19 वर्ष आईएसडब्ल्यूएम परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए थे। इस परियोजना में रीवा, सीधी और सतना के तीन जिलों के अंतर्गत आने वाले 28 यूएलबी शामिल थे। इन 28 यूएलबी में तीन नमूना जाँच की गई यूएलबी यानी सतना, मैहर और उचेहरा शामिल थे। अनुबंध के अनुच्छेद 7 में प्रावधान है कि रियायतग्राही को ₹ 1,746 प्रति मीट्रिक टन की

मासिक टिपिंग शुल्क का भुगतान किया जाएगा। टिपिंग शुल्क का चालीस प्रतिशत मौजूदा अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन और निपटान और नये उत्पन्न अपशिष्ट जिसे नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार संसाधित और निपटान नहीं किया गया है, के लिए देय था। शेष साठ प्रतिशत शुल्क तभी देय था जब एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आईएसडब्ल्यूएम) सुविधा के चालू होने के बाद नगरपालिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार अपशिष्ट का प्रसंस्करण और निपटान किया जाता हैं। रीवा में आईएसडब्ल्यूएम परियोजना का निर्माण कार्य अभी भी प्रगति पर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- यूएलबी सतना ने फरवरी 2018 से फरवरी 2021 की अवधि से संबंधित 85,496.55 मीट्रिक टन अपशिष्ट के लिए ₹ 5.97 करोड़ का भुगतान ठेकेदार को ₹ 698.40 प्रति मीट्रिक टन के की दर से किया। मार्च 2021 से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए 45,409.71 मीट्रिक टन अपशिष्ट के लिए ₹ 1,746/- प्रति मीट्रिक टन की दर से ₹ 7.93 करोड़ का भुगतान किया गया। मार्च 2021 से दिसंबर 2022 की अवधि जिसमें आईएसडब्ल्यूएम सुविधा प्रारंभ नहीं हुई थी, के लिए, 45,409.71 मीट्रिक टन अपशिष्ट की मात्रा के लिए ₹ 698.40 प्रति मीट्रिक टन के स्थान पर ₹ 1,746/- प्रति मीट्रिक टन की पूर्ण दर से टिपिंग शुल्क का भुगतान रियायतग्राही को ₹ 4.76 करोड़ (45,409.71 मीट्रिक टन x 1,047.6) के अनियमित भुगतान के रूप मे परिणित हुआ।

शासन ने कहा कि वर्तमान में अपशिष्ट को रियायतग्राही द्वारा एकत्र किया जाता है और प्रसंस्करण सुविधा में संसाधित किया जाता है और प्रसंस्करण के बाद खाद किसानों या उर्वरक कंपनियों को बेची जाती है और आरडीएफ को संयंत्र क्षेत्र में भंडारित किया जाता है जिसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के चालू होने के बाद इसमें निपटान किया जाएगा।

हालाँकि, शासन का उत्तर मार्च 2021 से दिसंबर 2022 तक की अवधि के लिए पूर्ण टिपिंग शुल्क के भुगतान पर ध्यान नहीं देता है।

- यूएलबी, मैहर ने जून 2019 से जनवरी 2021 की अवधि के लिए द्वार-द्वार से संग्रह और अपशिष्ट के परिवहन के लिए टिपिंग शुल्क के रूप में ₹ 65.35 लाख (जून 2019 से सितंबर 2019 की अवधि के लिए ₹ 9.19 लाख, अक्टूबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि के लिए ₹ 11.91 लाख और मार्च 2020 से जनवरी 2021 की अवधि के लिए ₹ 44.26 लाख) का भुगतान किया। रियायतग्राही को आगे कोई भुगतान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में पाया

गया कि रियायतग्राही परियोजना स्थल पर एकत्र किए गए अपशिष्ट को परिवहन करने के स्थान पर वास्तव में मैहर के ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंक रहा था और यूएलबी के तहत सभी वार्डों से अपशिष्ट के संग्रह में भी अनियमित था।

- यूएलबी, उचेहरा ने मई 2019 से नवंबर 2021 की अवधि के लिए द्वार-द्वार से संग्रह और अपशिष्ट के परिवहन के लिए टिपिंग शुल्क के रूप में ₹ 23.93 लाख का भुगतान किया (मई 2019 से जून 2019 की अवधि के लिए ₹ 1.28 लाख, जुलाई 2019 से मार्च 2020 की अवधि के लिए ₹ 9.41 लाख और जनवरी 2021 से नवंबर 2021 की अवधि के लिए ₹ 13.24 लाख)। यूएलबी द्वारा अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 की बीच की अवधि के लिए किया गया भुगतान यूएलबी द्वारा संधारित अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं था। रियायतग्राही को नवंबर 2021 के बाद कोई भुगतान नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि रियायतग्राही एकत्रित अपशिष्ट को परियोजना स्थल पर ले जाने के बजाय वास्तव में उचेहरा के ट्रेंचिंग ग्राउंड में फेंक रहा था।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि विभाग दोनों यूएलबी से जानकारी मांगेगा और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश देगा कि रियायतग्राही वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण सुविधा में कचरे को इकट्ठा, संसाधित और निपटान करे।

2.20.2 डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और स्थानांतरण मॉडल के अंतर्गत एमएसडब्ल्यू का संग्रह और परिवहन

डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और स्थानांतरण मॉडल के अंतर्गत नगरपालिक ठोस अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन कार्य हेतु जबलपुर नगरपालिक निगम (जेएमसी) ने मेसर्स एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 11 अगस्त 2016 को आशय पत्र जारी किया। रियायतग्राही को 15 दिनों के भीतर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और निष्पादन गारंटी की आवश्यक राशि जमा करने के लिए कहा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि फर्म ने परियोजना को लागू करने के लिए जबलपुर वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का गठन (29 अगस्त 2016 को) किया। जेएमसी, जबलपुर वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बीच नवंबर 2016 में 10 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नवगठित एसपीवी ने बोलीदाताओं को निर्देश के पैरा 3 (सी) में दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं किया, जिसके लिए आवश्यक है कि चयनित फर्म को एमएसडब्ल्यू के क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इंगित किए जाने पर, यह कहा गया कि निविदा मैसर्स एस्सेल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को जारी की गई थी, जिसके पास आवश्यक अनुभव था। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि वास्तविक निष्पादन एक ऐसी फर्म द्वारा किया जा रहा था जिसे एमएसडब्ल्यूएम क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था।
- रियायत अनुबंध में प्रावधान है कि छलकाव को खत्म करने और दुर्गंध को कम करने हेतु द्वितीय स्थानांतरण बिंदुओं से एकत्रित अपशिष्ट के परिवहन के लिए पूरी तरह से ढके हुए वाहनों का उपयोग किया जाना था। यह देखा गया कि एमएसडब्ल्यूएम का परिवहन रियायतग्राही द्वारा खुले डम्परों में किया गया था **(चित्र 2.36 और 2.37)**, जो संविदा संबंधी शर्तों के विरुद्ध था।

चित्र 2.36 और 2.37: यूएलबी, जबलपुर में परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले खुले वाहन

चित्र 2.36: बिना ढँके वाहन में अपशिष्ट का परिवहन

चित्र 2.37: बिना ढँके वाहन में अपशिष्ट का परिवहन

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

- काम में सुधार करने के लिए जेएमसी द्वारा जारी कई चेतावनियों के बावजूद सड़कों से एकत्रित अपशिष्ट को रियायतग्राही द्वारा शहर के नाले में फेंका जा रहा था। जबलपुर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की दुर्दशा को मीडिया भी प्रकाशित कर रहा है जैसा कि **चित्र 2.38 और 2.39** में दिखाया गया है।

चित्र 2.38 और 2.39: जेएमसी में गलियों का अपशिष्ट नालियों में डालना और उस पर मीडिया प्रतिवेदन

सौंटी बजाकर निकल जाते हैं, नहीं उठाते कचरा

प्रकाश मिश्र वार्ड : कछियाना और लालमाटी में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था फेल

वार्ड यात्रा

जबलपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

चित्र 2.38: मीडिया प्रतिवेदन

चित्र 2.39: नालियों में कचरा फेंकना

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

अवलोकन को स्वीकार करते हुए जेएमसी ने कहा कि अनुबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव सदस्य परिषद में विचाराधीन था। तथ्य यह है कि एमएसडब्ल्यू कार्य में एसपीवी के अनुभव की कमी के कारण सफाई कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा था।

- रियायत अनुबंध की अनुसूची-2 के अनुसार, रियायतग्राही को जेएमसी को अनुमोदन के लिए एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत करनी थी। हालाँकि यह देखा गया कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन को जेएमसी द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। जेएमसी ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की।
- रियायतग्राही को अनुबंध के तहत अपने दायित्वों के उचित निष्पादन के लिए अनुबंध के समय ₹ 238.14 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी (बीजी) जमा करनी थी (अनुबंध के अनुच्छेद 5.1ए)। बीजी को अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान वैध रखा जाना था। ठेकेदार ने अनुबंध के समय इसके लिए दो बीजी प्रस्तुत की - ₹ 100.00 लाख की एक बीजी 28.10.2020 तक वैध; और अन्य ₹ 138.14 लाख की बीजी 27 मार्च 2021 तक वैध है। समाप्ति से पहले इसका नवीनीकरण न होने के कारण, इन दोनों बीजी की वैधता अवधि समाप्त हो गई है|

  अनुबंध की शर्तों के अनुसार, यदि बीजी को इसकी वैधता अवधि से पहले एक महीने के भीतर नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो बीजी को यूएलबी द्वारा अपने पक्ष में उपयोग किया जाना था, जो नहीं किया गया था। जेएमसी ने उत्तर दिया कि राशि रियायतग्राही के

बिलों से वसूल की जाएगी। तथ्य यह है कि दोनों बीजी की अवधि समाप्त हो गई थी और जेएमसी ने अनुबंध के खंड के अनुसार कार्रवाई नहीं की थी।

- अनुबंध के कार्य के दायरे (अनुच्छेद 2.1) के अनुसार रियायतग्राही को 200 चिन्हित स्थानों पर अर्ध-भूमिगत अपशिष्ट संग्रह डिब्बे स्थापित करने थे। यह देखा गया कि रियायतग्राही ने इस घटक का निष्पादन नहीं किया। जेएमसी ने बाद में ₹ 1.99 करोड़ खर्च कर जबलपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 50 स्थानों पर यह काम कराया। जेएमसी ने तथ्यों की पुष्टि की और कहा कि रियायतग्राही के साथ अनुबंध समाप्त करने का प्रस्ताव एमआईसी में विचाराधीन था।
- आरएफपी दस्तावेजों के खंड 1 के परिशिष्ट के भाग (सी) के अनुसार, बोलीदाता निवासियों के बीच अपशिष्ट संग्रह और निपटान गतिविधियों में सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रसार करने के लिए एक अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार था, जिसकी लागत रियायतग्राही द्वारा वहन की जानी थी। हालाँकि यह देखा गया कि जेएमसी ने सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधि करने के लिए एक अलग एजेंसी (मेसर्स ह्यूमन मैट्रिक्स सिक्योरिटी) को नियुक्त किया और फर्म को ₹ 75.60 लाख की राशि का भुगतान किया। चूँकि सूचना, शिक्षा एवं संचार पहले से ही रियायतग्राही के कार्यक्षेत्र में शामिल था, उसी कार्य को किसी अन्य एजेंसी को सौंपना और उस पर व्यय करना अनियमित था।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि विभाग फर्म को दिए गए अपशिष्ट संग्रहण के काम के संबंध में यूएलबी से जानकारी मांगेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यूएलबी अनुबंध और उसके नियमों और शर्तों का उचित प्रबंधन पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिबद्धता के माध्यम से यह करने के लिए सुनिश्चित करेगा कि कचरा एकत्र किया जाए और प्रसंस्करण सुविधा तक पहुंचाया जाए।

2.20.3 सागर क्लस्टर परियोजना स्थल के लिए आवंटित अस्थायी स्थल पर निपटान नही किया गया विरासती अपशिष्ट

सागर क्लस्टर के लिए एकीकृत क्षेत्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की स्थापना का कार्य दिनांक 27 मार्च 2015 के अनुबंध के अंतर्गत मैसर्स रामकी एनवायरो इंजीनियर्स लिमिटेड को ₹1,692/ एमटी की दर से टिपिंग शुल्क पर दिया गया था। रियायत की अवधि वाणिज्यिक संचालन की तिथि के बाद 19 वर्ष थी। परियोजना को पीपीपी मॉडल के तहत क्रियान्वित किया जाना था।

- आरएफपी दस्तावेज के अनुसार, सागर क्लस्टर की आईएसडब्ल्यूएम परियोजना, हफसिली गांव में स्थापित की जानी थी। नगरीय ठोस अपशिष्ट का संग्रह और परिवहन रियायतग्राही द्वारा अप्रैल 2016 से शुरू किया गया और एकत्रित अपशिष्ट को हफसिली गाँव में फेंका जा रहा था। हफसिली गांव के ग्रामीणों के विरोध के बीच, यूएलबी ने रियायतग्राही को अमौनी गांव में अस्थायी रूप से भूमि का उपयोग करने के लिए कहा, जब तक कि परियोजना के लिए एक अलग भूमि उपलब्ध नहीं करा दी जाती। नवम्बर 2016 (30 नवम्बर 2016) में ग्राम मसवासी में परियोजना हेतु अलग से भूमि आवंटित की गयी। इस बीच की अवधि के दौरान अमौनी गांव में अस्थायी भूमि पर बड़ी मात्रा में अपशिष्ट जमा हो गया। अनुबंध की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही को उसके द्वारा एकत्र किए गए अपशिष्ट को संसाधित करना आवश्यक था। हालाँकि, यूएलबी सागर से कई बार याद दिलाने के बावजूद रियायतग्राही द्वारा अस्थायी साइट पर एकत्रित अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु कोई कदम नहीं लिया गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि अमौनी गाँव में फेंके गए अपशिष्ट ने पहाड़ का आकार ले लिया था **(चित्र 2.40)**। इसके अलावा, डंपिंग स्थल के पास कुछ बस्तियां भी पाई गईं और इस कारण आस-पास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

चित्र 2.40: अमौनी गाँव में फेंके गए अपशिष्ट ने पहाड़ का रूप ले लिया

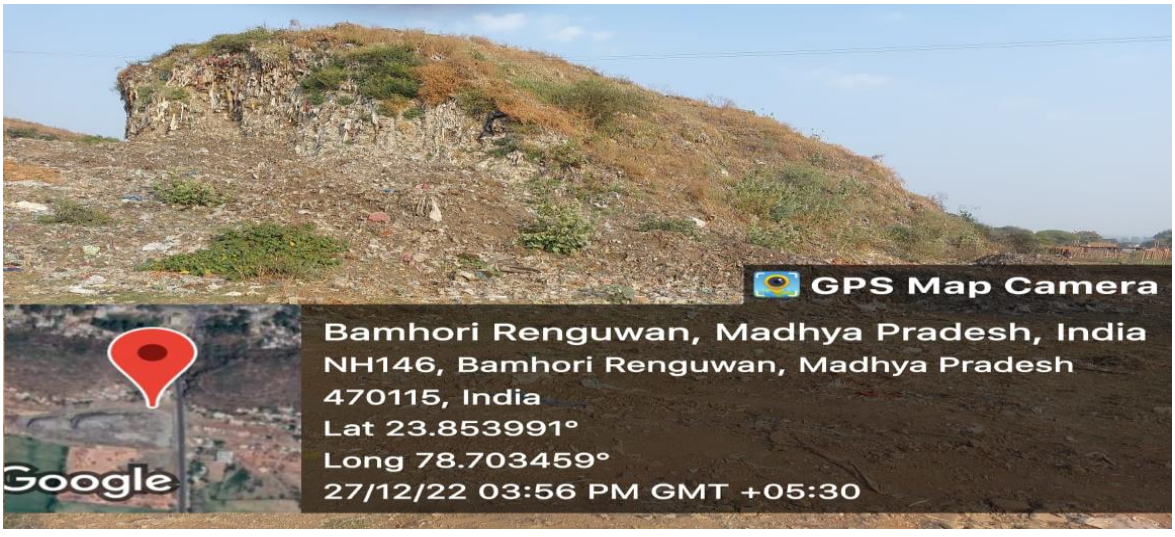

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

उत्तर में यूएलबी सागर ने कहा कि कई पत्राचारों, मौखिक निर्देशों और निगरानी समिति की रियायतग्राही के साथ बैठकों के बावजूद अमौनी गांव में फेंके गए अपशिष्ट के निपटान के लिए

रियायतग्राही द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तथ्य यह है कि अस्थाई स्थल पर भारी मात्रा में अपशिष्ट बिना निपटान के पड़ा हुआ था।

- कार्य के दायरे के अनुसार, एमएसडब्ल्यूएम नियम के अनुपालन में रियायतग्राही पृथक्कृत तरीके से एमएसडब्ल्यू के प्राथमिक संग्रह के लिए जिम्मेदार था। सागर में परियोजना स्थल के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने स्थानांतरण केंद्र के साथ-साथ परियोजना स्थल पर अपृथक्कृत अपशिष्ट को देखा, जो यह दर्शाता है कि प्राथमिक संग्रह के दौरान रियायतग्राही द्वारा एकत्र अपशिष्ट को पृथक्कृत नहीं किया जा रहा था (**चित्र 2.41 और 2.42**), जो अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन था।

चित्र 2.41 और 2.42: यूएलबी, सागर में स्थानांतरण केंद्र के साथ-साथ परियोजना स्थल पर अपृथक्कृत अपशिष्ट

चित्र 2.41: अपृथक्कृत अपशिष्ट

चित्र 2.42: अपृथक्कृत अपशिष्ट

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

उत्तर में, यूएलबी सागर ने इस तथ्य की पुष्टि की कि रियायतग्राही द्वारा अपशिष्ट का पृथक्करण नहीं किया जा रहा था।

- **रियायतग्राही द्वारा ज्वलनशील अपशिष्ट का निपटान न करना**

एसडब्ल्यूएम नियम 2016 की अनुसूची 2 ए (डी) के अनुसार प्रसंस्करण सुविधा से प्री-प्रोसेस और पोस्ट-प्रोसेस परित्यक्त को नियमित आधार पर हटाया जाना था और स्थल पर ढेर लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं को उपयुक्त विक्रेताओं के माध्यम से भेजा जाएगा। 1500 किलो कैलोरी/ किलोग्राम से अधिक न्यूनतम कैलोरी मान वाले गैर-पुनर्चक्रण योग्य उच्च कैलोरी अंश को अलग किया जाना चाहिए और अपशिष्ट से ऊर्जा या आरडीएफ उत्पादन, सीमेंट संयंत्रों या ताप विद्युत संयंत्रों में सह-प्रसंस्करण में भेजा जाना चाहिए। सभी प्रक्रियाओं से होकर केवल अस्वीकृत अपशिष्ट को स्वच्छता भूमिभरण क्षेत्र के लिए भेजा जाएगा। प्रयोगशाला की परीक्षण प्रतिवेदनों से लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि

1500 किलोकैलोरी/ किलोग्राम से अधिक कैलोरी मान वाले ज्वलनशील अपशिष्ट स्थल पर उपलब्ध थे और इन अपशिष्ट के ढेर बिना निपटान के पड़े थे जैसा कि **चित्र 2.43** में दिखाया गया है।

चित्र 2.43: यूएलबी सागर में ज्वलनशील अपशिष्ट बिना निपटान पाया जाना

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

2.20.4 आठ यूएलबी को शामिल करते हुए "क्षेत्रीय एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना भोपाल क्लस्टर" पर निष्फल व्यय

यूएलबी, भोपाल ने भोपाल में आईएसडब्ल्यूएम परियोजना को कार्यान्वयित करने के लिए ₹ 1,260/- प्रति टन के टिपिंग शुल्क पर एक रियायतग्राही (मैसर्स एस्सेल ग्रुप) को कार्य आदेश दिया। रियायत अनुबंध (16 नवम्बर 2016) के खंड 2.2 (बी) (vi) के प्रावधान के अनुसार, यूएलबी, भोपाल अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से उत्पादित बिजली को ₹ 6.39 प्रति यूनिट के समतल शुल्क पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध था। बिजली नियमावली के अनुसार, प्रशुल्क दर को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एमपीईआरसी) द्वारा अपनाया जाना आवश्यक था। एमपीईआरसी द्वारा प्रशुल्क दर को अपनाने की याचिका को इस कारण से अस्वीकृत कर दिया गया कि ₹ 6.39 की दर उन परियोजनाओं के लिए लागू है, जिनमें सरकारी अनुदान शामिल नहीं है। याचिका की अस्वीकृति के कारण रियायत अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- बीच की अवधि के दौरान, यूएलबी, भोपाल ने अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए रियायतग्राही को ₹ 1.51 करोड़ की राशि का भुगतान किया था। अनुबंध की समाप्ति के कारण मैसर्स एस्सेल ग्रुप को दिया गया भुगतान निष्फल रहा।

- इसके अलावा, कार्य के पुरोबंध की तिथि तक, यूएलबी, भोपाल ने उस तिथि तक किए गए कार्य के लिए रियायतग्राही को ₹ 1.51 करोड़ का भुगतान किया था। हालाँकि, रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्य के पर्यवेक्षण के लिए संलग्न स्वतंत्र अभियंता को ₹ 2.99 करोड़ का भुगतान किया गया था, जैसा कि **तालिका 2.9** में वर्णित है-

तालिका 2.9: रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए स्वतंत्र अभियंता को भुगतान की गई राशि को दर्शाते हुए

क्र.सं.	बीजक संख्या	राशि (₹ में)
1	RA01	25,67,500
2	RA02	30,39,783
3	RA03	30,39,783
4	RA04	30,39,783
5	RA05	30,39,783
6	RA06	30,39,783
7	RA07	30,39,783
8	RA08	30,39,783
9	RA09	30,39,783
10	RA10	30,39,783
	योग	**2,99,25,547**

रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए यह अत्यधिक भुगतान जो कि उसके द्वारा किए गए कार्य के मूल्य का 198 प्रतिशत था, संदेहास्पद था क्योंकि रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल ₹ 1.51 करोड़ था। इसके अलावा, पर्यवेक्षण कार्य के लिए भुगतान को न्यायसंगत ठहराने ले लिए स्वतंत्र अभियंता (मैसर्स एम.वी.एस. इंटरनेशनल) द्वारा तैनात इंजीनियरों के विवरण और समर्थित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि चूँकि परियोजना का काम जारी था, इसलिए स्वतंत्र अभियंता को भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अनुबंध की समाप्ति तक रियायतग्राही ने ₹ 1.51 करोड़ मूल्य के कार्य निष्पादित किए थे और रियायतग्राही द्वारा किए गए कार्य के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त स्वतंत्र अभियंता को ₹ 2.99 करोड़ की अत्यधिक राशि का भुगतान किया गया था। इसके लिए कोई औचित्यता प्रदान नहीं किया गया।

2.20.5 परियोजना स्थापना अवधि के दौरान अपशिष्टों के प्रसंस्करण हेतु अनियमित भुगतान

भोपाल में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहर के स्थानांतरण केंद्रों/ अपशिष्ट केंद्रों एवं आदमपुर छावनी में गीले अपशिष्ट से जैविक विधि से कूड़ा खाद/ खाद तैयार करने का कार्य, मेसर्स नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया (एनएसीओएफ) को एक वर्ष की अवधि के लिए ₹ 786 प्रति टन (सितंबर 2018) की दर से प्रति दिन 400 टन के अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए आवंटित किया गया था। खंड 12.14 के अनुसार अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से अनुबंध की अवधि एक वर्ष और तीन महीने (परियोजना की स्थापना के लिए तीन महीने और नियमित संचालन के लिए एक वर्ष) थी।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि कार्य आदेश 27 सितंबर 2018 को जारी किया गया था, अक्टूबर 2018 से नवंबर 2018 की अवधि के लिए अपशिष्ट प्रसंस्करण हेतु ठेकेदार को ₹ 82.68 लाख का भुगतान किया गया था। यह भुगतान संदेहास्पद है क्योंकि अभिलेख (नोट शीट दिनांक 25 मई 2019) से पता चलता है कि रियायतग्राही ने स्थल पर चार स्थानांतरण केंद्रों की स्थापना के लिए सिविल कार्य प्रारम्भ नहीं किया था। यह भी देखा गया कि अपशिष्ट की मात्रा में 400 टन से 800 टन की वृद्धि होने के कारण 15 दिसंबर 2020 को कार्य निरस्त कर दिया गया था।
- इसी बीच कार्यादेश संख्या 312, दिनांक 23 नवंबर 2020 के द्वारा ₹ 333 प्रति टन की दर से प्रतिदिन 800 टन अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए उसी ठेकेदार को कार्य प्रदान किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार को अनुबंध के दूसरे दिन अर्थात 24 नवंबर 2020 से 24 जनवरी 2021 तक 800 टन अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए ₹ 1.81 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। यह भुगतान भी संदेहास्पद प्रतीत होता है क्योंकि पुराने संयंत्र की मौजूदा क्षमता 400 मीट्रिक टन/ प्रति दिन थी और कार्य आदेश जारी होने के दिनांक के एक दिन बाद ही अतिरिक्त मात्रा (दोगुनी क्षमता) का प्रसंस्करण संभव नहीं था। इसके अलावा, यह प्रमाणित करने के लिए अभिलेख भी नहीं था कि ठेकेदार ने नए संयंत्र की खरीद और स्थापना द्वारा प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि की थी।
- कार्य के दायरे में पाँच लाख मीट्रिक टन विरासती अपशिष्ट का निपटान, नए अपशिष्ट का प्रसंस्करण और भूमिभरण क्षेत्र का पूर्ण प्रबंधन सम्मिलित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया

कि 5 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 की अवधि के लिए स्थल (आदमपुर) के लिए नौ पोकलेन मशीन किराए पर लेने हेतु एक अन्य फर्म (मैसर्स ओडेड्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी) को ₹ 58.08 लाख की राशि का भुगतान किया गया था। यह भुगतान अनियमित था क्योंकि आदमपुर भूमिभरण क्षेत्र के पूर्ण प्रबंधन (विरासती अपशिष्ट का निपटान और नए अपशिष्ट का प्रसंस्करण) के लिए निविदा इन मशीनों को किराए पर लेने से बहुत पहले अर्थात 29 अक्टूबर 2020 को स्वीकार की गई थी।

- विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार, ठेकेदार को ₹ 87.50 लाख की लागत से आदमपुर भूमिभरण क्षेत्र पर हरित पट्टी विकसित करना था, लेकिन विशिष्ट क्षेत्र और पौधों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि हरित पट्टी के विकास के लिए ठेकेदार को ₹ 52.50 लाख का भुगतान किया गया था, लेकिन क्षेत्र के भ्रमण के दौरान, भूमिभरण क्षेत्र की ओर सड़क के किनारे बहुत कम पौधे पाए गए जैसा कि **चित्र 2.44** और **2.45** में दिखाया गया है।

चित्र 2.44 और 2.45: भूमिभरण क्षेत्र जहाँ हरित पट्टी विकसित की जानी थी

चित्र 2.44: भूमिभरण स्थल पर नगण्य वृक्षारोपण

चित्र 2.45: भूमिभरण स्थल पर नगण्य वृक्षारोपण

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने अवगत कराया कि (अगस्त 2023) कि बीएमसी ने 800 टीपीडी क्षमता के नए दैनिक एमएसडब्ल्यू के प्रसंस्करण के लिए निविदा जारी की जिसमें मेसर्स एनएसीओएफ ने एल1 यानी ₹ 333/ एमटी की दर प्रस्तुत की और उसको कार्य आदेश जारी किया गया। चूँकि पुराने संयंत्र की आठ घंटे की शिफ्ट में काम करने की मौजूदा क्षमता 400 मीट्रिक टन प्रति दिन थी। रियायतग्राही को कार्य सौंपे जाने के बाद, स्थल पर पर आने वाले दैनिक एमएसडब्ल्यू के लिए एमएसडब्ल्यू का प्रसंस्करण कार्य दो शिफ्टों (यानी प्रत्येक आठ घंटे) में किया गया था। इस प्रकार, ठेकेदार को एमएसडब्ल्यू के दैनिक प्रसंस्करण के लिए भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुराने संयंत्र की क्षमता 400 टीपीडी थी और 800 टीपीडी को संसाधित करने के लिए फर्म द्वारा अपनी मौजूदा क्षमता बढ़ाया जाना था और अन्य बुनियादी ढाँचे का विकास करना था जिसके लिए निविदा पूर्व बैठक में रियायतग्राही को चार महीने का समय प्रदान किया गया था। उत्तर में बताई गई आठ घंटे प्रति पाली की शर्त किसी भी अभिलेख द्वारा समर्थित नहीं थी। इस प्रकार, रियायतग्राही का दावा और अनुबंध के तत्काल दूसरे दिन यानी 24 नवंबर 2020 से 800 टीपीडी के लिए भुगतान न्यायसंगत नहीं है।

शासन को मामले की जाँच करने और अनुबंध के दूसरे दिन से अधिक मात्रा में अपशिष्ट के प्रसंस्करण और सड़क से भूमिभरण स्थल तक वृक्षारोपण के नगण्य जीवितता के लिए ठेकेदार को भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

2.20.6 रियायतग्राही द्वारा कर्तव्यों का पालन न करने के कारण परिहार्य व्यय

मैसर्स इकोग्रीन (ग्वालियर) के साथ रियायत अनुबंध (4 दिसंबर 2017) के खंड 2.1 (ए) में विहित किया गया हैं कि रियायतग्राही आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, होटलों, रेस्तराओं, बाजारों, मैरिज गार्डन, पार्कों, मृत पशुओं, गैर-खतरनाक औद्योगिक अपशिष्ट, उपचारित जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट, आदि के साथ पूरे परियोजना क्षेत्र में उत्पन्न एमएसडब्ल्यू के पूर्ण प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि यूएलबी, ग्वालियर ने 29 दिसंबर 2017 से 9 जून 2020 की अवधि के दौरान ग्वालियर नगरपालिक निगम के विभिन्न स्थानों से मृत पशुओं को उठाने और परिवहन किया था और इसे केदारपुर भूमिभरण क्षेत्र के पास भूमि में गाड़ कर इसका निपटान करने के लिए अन्य एजेंसी (श्री राकेश सिंह जादौन) को ₹ 4.49 करोड़ की राशि का भुगतान, जैसा कि **तालिका 2.10** में दिखाया गया है।

तालिका 2.10: मृत पशुओं के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए अन्य एजेंसी को भुगतान की गई राशि

क्र.सं.	भुगतान अवधि	राशि (₹ लाख मे)
1	29/ 12/ 2017 से 28/ 02/ 2018	24.33
2	01/ 03/ 2018 से 30/ 04/ 2018	27.46
3	01/ 05/ 2018 से 30/ 06/ 2018	28.78
4	01/ 07/ 2018 से 30/ 08/ 2018	32.52
5	01/ 09/ 2018 से 30/ 11/ 2018	50.86
6	01/ 12/ 2018 से 31/ 01/ 2019	35.69
7	01/ 02/ 2019 से 31/ 03/ 2019	31.52

क्र.सं.	भुगतान अवधि	राशि (₹ लाख मे)
8	01/ 04/ 2019 से 31/ 08/ 2019	82.86
9	01/ 09/ 2019 से 09/ 06/ 2020	135.40
योग		**449.42**

मृत जानवरों के शवों के निपटान कार्य के लिए एक अन्य एजेंसी को किया गया भुगतान अनियमित था, क्योंकि रियायतग्राही इसके क्रियान्वयन के साथ-साथ कार्य के दायरे के अनुसार भस्मक की स्थापना (अनुमानित लागत ₹ 3.00 करोड़) के लिए जिम्मेदार था।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि आईएसडब्ल्यूएम परियोजना ग्वालियर का रियायतग्राही अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था, अंततः अनुबंध समाप्त कर दिया गया और व्यय में कोई दोहराव नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त **तालिका 2.10** में दिखाया गया ₹ 4.49 करोड़ (भस्मक यंत्र की लागत के अलावा) का व्यय मेसर्स इकोग्रीन के अनुबंध के वैधता की अवधि से संबंधित है और भुगतान में दोहराव न होने के दावे के सत्यापन हेतु इस मद पर की गई वसूली का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा, मृत जानवरों को जलाने के स्थान पर गाड़ा गया था।

2.20.7 रियायतग्राही के अलावा अन्य एजेंसियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के संचालन पर परिहार्य व्यय

एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (आईएसडब्ल्यूएम) प्रोजेक्ट ग्वालियर क्लस्टर (16 यूएलबी से मिलकर बना हुआ) के लिए रियायत अनुबंध के खंड 2.1(पी) और अनुसूची-7 के अनुसार रियायतग्राही (मैसर्स इकोग्रीन एनर्जी ग्वालियर प्राइवेट लिमिटेड) परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में नागरिकों को उनकी भूमिका के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान को चलाने के लिए जिम्मेदार था। हालाँकि, अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि यूएलबी, ग्वालियर ने स्वच्छ भारत मिशन सर्वेक्षण 2019 के दौरान अन्य एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के संचालन के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 1.25 करोड़ की राशि व्यय की थी, जैसा कि **तालिका 2.11** में वर्णित है।

तालिका 2.11: 2018-19 में विभिन्न सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के संचालन के लिए व्यय

(₹ लाख में)

क्र.सं.	फर्म का नाम	गतिविधि	देयक राशि
1	मैसर्स ओम साईं विजन भोपाल	टीवी/ थिएटर स्पॉट, वृत्तचित्र फिल्मों, आदि का निर्माण।	11.04
2	मेसर्स एसेंट ब्रांड कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड इंदौर	सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के अंतर्गत वीडियो, वृत्तचित्र फिल्में	10.03
3	मेसर्स एसेंट ब्रांड कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड इंदौर	दीवार लेखन	42.20
4	मेसर्स एसेंट ब्रांड कम्युनिकेशन प्रा. लिमिटेड इंदौर	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों में विभिन्न प्रकार के होर्डिंग, बस पैनलों, एलईडी डिस्प्ले और विभिन्न माध्यमों से प्रचार	61.27
योग			**124.54**

अनुबंध के अनुसार, उपर्युक्त वर्णित सभी गतिविधियाँ रियायतग्राही द्वारा की जानी थीं। अन्य एजेंसियों के माध्यम से सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के संचालन के कारण और उपर्युक्त गतिविधियों को संचालित नहीं करने के लिए रियायतग्राही के विरुद्ध की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। इसके अलावा, लेखापरीक्षा दल द्वारा बार-बार प्रयास करने के बावजूद वर्ष 2017-18, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित जानकारी भी यूएलबी, ग्वालियर द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदाय नहीं की गई।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि आईएसडब्ल्यूएम परियोजना ग्वालियर का रियायतग्राही अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा था, अंततः अनुबंध समाप्त कर दिया गया और व्यय में कोई दोहराव नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि **तालिका 2.11** में दिखाया गया ₹ 1.25 करोड़ का व्यय वर्ष 2018-19 से संबंधित है और अनुबंध नवंबर 2020 में समाप्त किया गया था और दोबारा भुगतान न होने को सत्यापित करने के लिए रियायतग्राही से की गई वसूली का कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है।

2.20.8 निजी पार्टी को जीएसटी का अवांछित भुगतान

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 28 जून 2017 की अधिसूचना (संख्या 12/ 2017-केंद्रीय कर (दर) के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 डब्ल्यू के अंतर्गत नगरपालिका

को सौंपे गए कार्यों के संबंध में इसको प्रदान की जाने वाली शुद्ध सेवाओं को जीएसटी के दायरे से छूट दी गयी थी। इस प्रकार, नगरपालिकाओं को प्रदान की जाने वाली आउटसोर्स श्रमिकों की सेवाओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- उपर्युक्त आदेश के विपरीत, नगर पालिका परिषद बैतूल द्वारा सड़कों, पगडंडियों, सार्वजनिक स्थानों आदि की दैनिक सफाई हेतु 50 श्रमिकों की आपूर्ति के कार्य हेतु ठेकेदार को अनियमित रूप से ₹ 25.84 लाख की जीएसटी राशि का अवांछित भुगतान किया गया।

  यूएलबी, बैतूल ने सूचित किया कि श्रम अनुबंध पर जीएसटी का भुगतान जीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार किया गया था।

- इसी तरह**,** नगरपालिका परिषद, दमोह ने एसडब्ल्यूएम गतिविधियों के लिए 143 आउटसोर्स कुशल/ अर्ध-कुशल/ अकुशल श्रमिकों के कार्य के लिए चार एजेंसियों को अनियमित रूप से ₹ 19.56 लाख जीएसटी की राशि का अवांछित भुगतान किया।

शासन ने उत्तर (अगस्त 2023) में कहा कि विभाग को अनुबंध कि शर्तों के बारे में कोई जानकारी नही हैं क्योंकि अनुबंध यूएलबी स्तर पर क्रियान्वयित किया गया था।

2.20.9 संग्रहण, परिवहन और सूचना, शिक्षा एवं संचार जागरूकता गतिविधियों के लिए ठेका

नगरपालिका परिषद बैतूल ने जुलाई 2019 (25 जुलाई 2019) में एक निजी फर्म को "नगरीय ठोस अपशिष्ट और जैव-चिकित्सकीय अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार जागरूकता गतिविधियों" का कार्य सौंपा। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- अनुबंध के शर्त संख्या 5.1 के अनुसार ठेकेदार को एकत्रित एवं ढोए गये अपशिष्ट का नियमित अभिलेख संधारित करना था और उसे यूएलबी, बैतूल के अधिकारियों को प्रस्तुत करना था। हालाँकि, ये अभिलेख न तो नस्ती में उपलब्ध थे और न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। यूएलबी, बैतूल ने उत्तर दिया कि अनुबंधित एजेंसी ने साक्ष्य के रूप में उनके मासिक देयकों के साथ जियो-टैग की गई फोटो बुकलेट उपलब्ध कराई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अनुबंध की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था।
- कार्य के लिए तैनात कर्मचारियों के मासिक वेतन के आधार पर कार्य सौंपे जाने के दिनांक से इस कार्य के लिए ठेकेदार को ₹ 6.49 करोड़ का भुगतान किया गया है। यह प्रणाली स्वच्छ भारत पर गाइडबुक के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी, जिसमें कहा गया था कि

एमएसडब्ल्यू के संग्रहण और परिवहन के लिए भुगतान प्रति वाहन मात्रा अधिकतम अनुमत्य वजन के आधार पर होना चाहिए। ठेकेदार को पारिश्रमिक के भुगतान की प्रणाली उचित नहीं थी, क्योंकि यह ठेकेदार को प्रचुर मात्राओं में अपशिष्ट एकत्र करने और ढोने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती थी। एनपीपी, बैतूल ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

उद्धृत करने पर, शासन द्वारा कोई उत्तर (फरवरी 2024) नहीं दिया गया।

2.20.10 स्थापना और कमीशनिंग कार्य के रियायतग्राही द्वारा रायल्टी का भुगतान न किया जाना

यूएलबी, इंदौर ने नगरीय सूखे अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए स्वचालित सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा की 300 टीपीडी क्षमता की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य पीपीपी मॉडल पर एक फर्म को सौंपा (अक्टूबर 2018)।

अनुबंध के अनुच्छेद 5 "वार्षिक परिचालन शुल्क" के अनुसार, वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने के बाद प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन सूखे अपशिष्ट के अंतर्ग्रहण के लिए पहले ठेका वर्ष और बाद के प्रत्येक ठेका वर्ष के लिए, रियायतग्राही द्वारा नियोक्ता को त्रैमासिक आधार पर ₹ 1.41 करोड़ वार्षिक शुल्क (₹ 35.25 लाख प्रति तिमाही) का भुगतान किया जाना था। दूसरे वर्ष और उसके बाद के वर्षों में वार्षिक शुल्क पिछले वर्ष की राशि पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वृद्धि के अधीन था। इसके अलावा, धारा 3.1 (बी) के अनुसार, 300 टीपीडी के वाणिज्यिक संचालन होने तक, यूएलबी, इंदौर के मौजूदा एमआरएफ (एमआरएफ-1) को कार्य आदेश के दिनांक से, जैसा है जहाँ है के आधार पर रियायतग्राही को सौंप दिया गया था और ठेकेदार को 300 टीपीडी संयंत्र (एमआरएफ-2) के लिए स्वीकृत राशि के समअनुपात में इस सुविधा के लिए भुगतान करना था। अनुबंध की धारा 5.2 "ठेकेदार द्वारा भुगतान" में आगे प्रावधान है कि रियायतग्राही द्वारा रॉयल्टी के भुगतान में देरी पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष का ब्याज देय होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रियायतग्राही ने अपना वाणिज्यिक परिचालन 14 नवंबर 2019 से शुरू किया था। इसलिए, 1 अक्टूबर 2018 से 13 नवंबर 2019 तक की अवधि के लिए, ठेकेदार को मैन्युअल एमआरएफ-1 सुविधा के संचालन के लिए प्रत्येक तिमाही के लिए ₹ 6.08 लाख और 13 नवंबर 2019 के बाद तिमाही आधार पर ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर पर भुगतान करना

था। लेकिन ठेकेदार द्वारा ₹ 4.63 करोड़ की अपेक्षित राशि (जैसा कि तालिका 2.12 में वर्णित है) के विरुद्ध सितंबर 2022 तक केवल ₹ 67.09 लाख जमा किया गया है।

तालिका 2.12: ठेकेदार द्वारा देय रॉयल्टी का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अवधि	रॉयल्टी जो ठेकेदार द्वारा भुगतान किया जाना था
1	01/ 10/ 18 से 30/ 09/ 19 (04 तिमाही)	0.24
2	01/ 10/ 19 से 13/ 11/ 19 (44 दिन)	0.03
3	14/ 11/ 19 से 31/ 12/ 19 (48 दिन)	0.19
4	01/ 01/ 20 से 24/ 03/ 20 (84 दिन)	0.32
5	01/ 04/ 20 से 31/ 03/ 21 (04 तिमाही)	1.48
6	01/ 04/ 21 से 31/ 03/ 22 (04 तिमाही)	1.55
7	01/ 04/ 22 से 30/ 09/ 22 (02 तिमाही)	0.82
योग		**4.63**

यूएलबी, इंदौर ने बकाया रॉयल्टी की राशि जमा करने के लिए ठेकेदार को कई नोटिस जारी किए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि यूएलबी, इंदौर ने रॉयल्टी के भुगतान में देरी के लिए ब्याज घटक की माँग नहीं की थी। इस प्रकार, ब्याज को छोड़कर ₹ 3.96 करोड़ (₹ 4.63 करोड़- ₹ 67.09 लाख) की राशि रियायतग्राही से रॉयल्टी शुल्क के रूप में वसूली के लिए लंबित थी। यूएलबी, इंदौर ने सूचित किया कि रॉयल्टी की बकाया राशि के प्रकरण का शीघ्र ही समाधान कर लिया जाएगा।

उद्धृत किए जाने पर, शासन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया (फरवरी 2024)।

2.21 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि:

1. नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा का समुचित आकलन करने और इसके पर्याप्त प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु अपने अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न कचरे के आधारभूत डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।
2. राज्य शासन द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के विभिन्न चरणों के दौरान पृथक किए गए अपशिष्ट के मिश्रण को रोकना और अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए अपशिष्ट उत्पादकों एवं संग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रणाली तैयार करके उद्गम पर ही अपशिष्ट का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

3. नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा सभी रहवासी कल्याण संघों, बाजार संघों, चारदीवारी वाले समुदायों, संस्थानों, होटलों और रेस्तराओं से अपशिष्ट का संग्रहण और पृथक्करण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है और जहाँ तक संभव हो परिसर के भीतर ही कम्पोस्टिंग या जैव-मिथेनेशन के माध्यम से जैव-विघटनीय अपशिष्ट का प्रसंस्करण सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।
4. नगरीय स्थानीय निकाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए द्वार द्वार से अपशिष्ट के संग्रहण और परिवहन में लगे वाहनों की निगरानी के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा एक मजबूत प्रणाली स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
5. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा, प्रसंस्करण संयंत्रों और भूमिभरण स्थलों के प्रभावी और सुरक्षित संचालन के लिए आवश्यक सभी सुविधाओं का सृजन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।
6. मध्य प्रदेश शासन द्वारा राज्य स्तरीय सलाहकार निकाय के माध्यम से इनकी नियमित बैठकें सुनिश्चित किया जाना एवं पाई गई अनियमितताओं के मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई निर्धारित करके अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों की निगरानी को मजबूत किया जाना अपेक्षित है।
7. एमपीपीसीबी द्वारा सभी नगरीय स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त निगरानी प्रणाली स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
8. जहाँ ठेकेदारों को अधिक/अनियमित भुगतान किया गया हो, शासन द्वारा उन प्रकरणों की जाँच और जिम्मेदारी तय किया जाना अपेक्षित है।

अध्याय 3

मल-जल का प्रबंधन

अध्याय 3

मल-जल का प्रबंधन

3.1 परिचय

मल-जल का प्रबंधन, मलप्रवाह और मल-जल शोधन सेवा वितरण का कार्य; अपने स्वयं के कर्मचारियों, उपकरणों और निधियों के साथ या कुछ मामलों में निजी उद्यमों को शामिल करके किया जाता है। स्थानीय प्रकृति का होने के कारण इसे नगरीय स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण; मल-जल के अशोधित, आंशिक रूप से शोधित और गैर-बिंदु स्रोतों का अप्रयोजित निपटान है और इसका मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। इस समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार (जीओआई) ने राज्यों और नगरों को राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008 को अमल में लाए जाने के नीति निर्देश जारी किया। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति में परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मलप्रवाह और मल-जल शोधन प्रणाली पर केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन[1] नियमावली (एसएसटीएस पर सीपीएचईईओ नियमावली) तैयार किया गया (नवंबर 2013)।

लेखापरीक्षा के दौरान, मल-जल प्रबंधन के पहलुओं के परिप्रेक्ष्य में 34 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। मल-जल प्रबंधन के मुद्दों जैसे; योजना, संग्रह और मल-जल का उपचार, निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ-साथ लेखापरीक्षित नगरीय निकायों में कार्यक्रम कार्यान्वयन पर प्रेक्षित बिन्दुओं पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2 मलप्रवाह तंत्र की योजना

एक प्रभावी मलप्रवाह प्रणाली के संचालन में मल-जल के संग्रह, शोधन और निपटान की एक प्रभावी योजना आवश्यक है। सबसे अधिक आवश्यक है कि शहर के सभी अपशिष्ट उत्पादों का

---

[1] सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नियमावली के रूप में तकनीकी दिशा-निर्देशों की तैयारी में शामिल है, जो कि राज्य पीएचईडी/ राज्य जल बोर्डों/ केंद्र शासित प्रदेशों/ नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जल आपूर्ति और स्वच्छता योजनाओं की आयोजना, डिजाइन बनाने, निर्माण और ओ एंड एम के इनके कार्यों में बुनियादी दस्तावेजों के रूप में उपयोग किया जाता है।

संग्रह, शोधन और निपटान इस प्रकार से किया जाये कि इससे शहर में रहने वाले लोगों के साथ-साथ पर्यावरण पर कोई खतरनाक प्रभाव न पड़े।

मल-जल प्रबंधन योजना से संबंधित पहलुओं यानी शहर स्वच्छता योजना की विद्यमानता, मल-जल उत्पादन के संबंध में मलप्रवाह तंत्र के योजना की जाँच लेखापरीक्षा के दौरान की गई। नमूना जाँच पर आधारित निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.2.1 नगर स्वच्छता योजना तैयार नहीं करना

एक सिटी मास्टर प्लान (सीएमपी) समुदाय में जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए विकास, संरक्षण और पूंजी सुधार परियोजनाओं का मार्गदर्शन करता है। सीएमपी में; शहर के लक्ष्य और उद्देश्य, भूमि उपयोग योजना, शहरी रूपरेखा, आवासीय, बुनियादी ढाँचे, पार्कों, खुली जगह, परिवहन, आर्थिक विकास और ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण शामिल हैं।

नगर स्वच्छता योजना (सीएसपी) भी सीएमपी का अनिवार्य रूप से हिस्सा होगी। एसएसटीएस पर सीपीएचईईओ नियमावली, 2013 की कंडिका 2.4.10 के अनुसार, सभी स्थानीय निकायों को भविष्य में शहर के विकास में किसी भी तरह के टकराव से बचाव का ध्यान रखते हुए, सीएमपी के अनुरूप भविष्य में होने वाले विकास और शहर के विकास के लिए 30 वर्ष की अवधि के लिए सीएसपी तैयार करना आवश्यक है।

सीएसपी में प्राथमिकताओं और संसाधनों के आवंटन में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य योजना एजेंसियों के साथ आपसी सहयोग शामिल है। संग्रह, परिवहन, शोधन और निपटान पहलू, सुविधाओं, उपकरणों और स्थलों का संवर्द्धन और प्रतिस्थापन, प्राथमिकताओं और संसाधनों का आवंटन; सीएसपी की रूपरेखा अवधि को ध्यान में रखते हुए अनिवार्य रूप से तय किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 34 लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों में से केवल इंदौर नगरीय स्थानीय निकाय ने सीएसपी तैयार किया था, 32 नगरीय स्थानीय निकायों ने सीएसपी तैयार नहीं किया जबकि नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल द्वारा इस संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। यद्यपि कि इन 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से 11[2] में मलप्रवाह प्रणाली का निर्माण पहले से ही प्रगति पर है। ऐसी योजना के अभाव में, इन 32 नगरीय स्थानीय निकायों

[2] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मंडलेश्वर, मुरैना, रतलाम, सागर, शहडोल और विदिशा।

में, पहचान, संग्रहण, शोधन और व्यवस्थित तथा नियोजित तरीके से निपटान के लिए समग्र मल-जल प्रबंधन अधूरा है।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि 34 लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों में से 13[3] अमृत 2.0 के हैं और उन्होंने अपनी शहरी जल संतुलन योजना (सीडब्ल्यूबीएपी) तैयार कर भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के (एमओएचयूए) पोर्टल पर अपलोड कर दी है।

शासन के उत्तर पर विचार करते समय तथ्य यह है कि अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों ने अभी तक सीएसपी तैयार नहीं किया है।

3.2.2 नगर स्वच्छता टास्क फोर्स का गठन नहीं किया जाना

एसएसटीएस पर सीपीएचईईओ नियमावली, 2013 की कंडिका 10.5.2.2.1 में एक बहु-हितधारक शहर स्वच्छता कार्य बल (सीएसटीएफ) के गठन की परिकल्पना की गई है, जिसमें (क) शहर का 100 प्रतिशत स्वच्छता अभियान शुरू करने (ख) नागरिकों और हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने (ग) कार्यान्वयन एजेंसी, अन्य सार्वजनिक एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों या निजी दलों द्वारा कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं के लिए अनुबंधित सामग्री और प्रगति प्रतिवेदन को मंजूरी देने (घ) नागरिकों से परामर्श के बाद स्वच्छता कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा शहर के लिए तैयार सीएसपी को मंजूरी देने (ङ) प्रगति की निगरानी के लिए समय-समय पर क्षेत्र का दौरा करना (च) प्रगति के बारे में प्रेस/ मीडिया और राज्य शासन को ब्रीफिंग जारी करने (छ) कार्यान्वयन एजेंसी को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करने (ज) नगरीय स्थानीय निकायों को स्थायी आधार पर शहरव्यापी स्वच्छता के लिए जिम्मेदारियाँ तय करने की अनुशंसा करने के लिए नगरीय निकायों के विभिन्न मंडल और विभाग, जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग (पीएचईडी) जैसे स्वच्छता के लिए सीधे उत्तरदायी एजेंसियां, आदि के प्रतिनिधि शामिल हों।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 34 लेखापरीक्षित नगरीय स्थानीय निकायों में से 32[4] में सीएसटीएफ का गठन नहीं किया गया है जबकि भोपाल और सतना नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इस प्रकार, इसके अभाव में सीएसटीएफ के लिए

[3] बैतूल, भिंड, भोपाल, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रतलाम, सतना, सागर, शिवपुरी और विदिशा ।

[4] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, भिंड, दमोह, धार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलां, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

सीपीएचईईओ नियमावली में परिकल्पित उक्त गतिविधियाँ संपादित नहीं की जा सकी जिसने इन 32 नगरीय स्थानीय निकायों में सीएसपी के कार्यान्वयन की सफलता पर संदेह पैदा किया।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि सीएसटीएफ का गठन केवल नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल, इंदौर, रतलाम और सतना में किया गया था और शेष नगरीय स्थानीय निकाय अपने सीएसटीएफ की स्थापना की प्रक्रिया में हैं।

लेखापरीक्षा का मानना है कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों में समयबद्ध तरीके से सीएसटीएफ का गठन किया जा सकता है।

3.2.3 मलप्रवाह प्रणाली में संस्थानों/ सार्वजनिक शौचालयों को शामिल न करना

सीपीएचईईओ नियमावली की कंडिका 3.7 के अनुसार, सार्वजनिक वाणिज्यिक संस्थानों, उद्योगों और व्यावसायिक भवन अक्सर नगर निगम की आपूर्ति के अलावा अन्य जल का उपयोग करते हैं और अपने तरल अपशिष्ट को नालियों में बहा सकते हैं। अतः, उनके पीने योग्य जल की आवश्यकताओं जैसा कि **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रवाह का अनुमान अलग से किया जाना चाहिए:

तालिका 3.1: संस्थानों के प्रकार और पीने योग्य जल की आवश्यकता

क्र.सं.	संस्थानों के प्रकार	जल आपूर्ति (लीटर में)
1	100 से अनधिक लॉन्ड्री और बिस्तर वाले अस्पताल	340 प्रति बिस्तर
2	हॉस्टल/ बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज, नर्सिंग होम और मेडिकल क्वार्टर	135 एलपीसीडी
3	रेस्तराँ प्रति सीट	70 प्रति सीट
4	डे स्कूल/ कॉलेज, कार्यालय, कारखाने, ड्यूटी कर्मचारी	45 एलपीसीडी
5	सिनेमा, संगीत कार्यक्रम और रंगमंच	15 एलपीसीडी
6	व्यक्तियों को उतारने और चढ़ाने वाले ट्रेन और बस स्टेशन	15 एलपीसीडी

(स्रोतः एसएसटीएस पर सीपीएचईईओ नियमावली, 2013)

मलप्रवाह प्रणाली से संबंधित व्यवहार्यता प्रतिवेदन/ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इन संस्थानों द्वारा उत्पन्न मल-जल के उपचार के लिए 11[5] नगरीय स्थानीय निकायों में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। इन संस्थानों द्वारा उत्पन्न मल-जल पर विचार किए बिना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से मल-जल के अनुचित संग्रहण, उपचार और निपटान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

[5] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रतलाम, सागर, सतना, शहडोल और विदिशा।

उत्तर में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बताया गया कि मलप्रवाह प्रणालियों की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन परामर्शदाताओं द्वारा केवल घरेलू मलप्रवाह प्रणाली को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थी। उत्तर संस्थागत मल-जल स्राव के लिए दोषपूर्ण योजना प्रक्रिया का संकेत देते हैं।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करते समय, मल-जल प्रवाह का आकलन कुल अपशिष्ट आपूर्ति के 80 प्रतिशत (@ 70 -135 एलपीसीडी) के साथ-साथ 10 प्रतिशत अतिरिक्त जल रिसाव के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा प्रारंभिक वर्ष के दौरान मलप्रवाह की मात्रा डिजाइन क्षमता से काफी कम है, इसलिए वाणिज्यिक सार्वजनिक संस्थानों, उद्योगों और वाणिज्यिक भवनों से 5 से 10 प्रतिशत तक के किसी भी अतिरिक्त प्रवाह को आसानी से समायोजित किया जा सकता है।

उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि योजना के दौरान नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया और तंत्र की वहन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

3.2.4 निर्धारित समयावधि में परियोजनाओं का पूरा न होना

मलप्रवाह परियोजना की परिकल्पना नालियों के जल के उपचार के बाद उसका निपटान करने की दृष्टि से की गई है ताकि यह जल मृदा और राज्य की जल निकायों को प्रदूषित न कर सके। जैसा कि यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण था, उसी प्रकार इसका समय पर क्रियान्वयन भी उतना ही महत्वपूर्ण था ताकि आशयित उद्देश्य शीघ्र प्राप्त किया जा सके।

नौ नगरीय स्थानीय निकायों के 11 कार्यों में, ठेकेदार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने में विफल रहे जैसा कि **तालिका 3.2** में वर्णित है-

तालिका 3.2: विलंबित परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय	परियोजना का नाम	कार्य आदेश की तिथि	अवधि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलंब अवधि (मार्च 2023 तक)
1	ग्वालियर	ग्वालियर-मुरार मलप्रवाह	25/09/17	24 माह	24/09/19	31/03/22	30 माह
2	ग्वालियर	ग्वालियर-लश्कर मलप्रवाह	04/10/17	24 माह	03/10/19	02/02/22	31 माह
3	मुरैना	मुरैना मलप्रवाह	12/07/16	24 माह	11/07/19	30/12/21	32 माह
4	भिंड	भिंड मलप्रवाह	08/12/17	24 माह	07/12/19	अपूर्ण	33 माह

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय	परियोजना का नाम	कार्य आदेश की तिथि	अवधि	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलंब अवधि (मार्च 2023 तक)
5	सतना	सतना मलप्रवाह	05/12/16	36 माह	04/12/19	28/05/21 को प्रतिबंधित	34 माह
6	विदिशा	विदिशा मलप्रवाह	20/04/17	24 माह	19/04/19	अपूर्ण	44 माह
7	इंदौर	शहरी नाला टैपिंग	24/01/18	24 माह	23/01/20	अपूर्ण	36 माह
8	इंदौर	इंदौर मलप्रवाह	28/12/17	24 माह	27/12/19	अपूर्ण	37 माह
9	सागर	सागर मलप्रवाह	08/07/16	36 माह	06/07/19	अपूर्ण	36 माह
10	मंडलेश्वर	मंडलेश्वर मलप्रवाह	06/01/18	24 माह	05/01/20	अपूर्ण	39 माह
11	जबलपुर	जबलपुर मलप्रवाह	23/07/21	12 माह	22/06/22	अपूर्ण	8 माह

इस प्रकार, परियोजनाओं में देरी के कारण उत्पन्न मल-जल पास के जल निकायों में मिल रहा है। आस-पास के जल निकायों में अनुपचारित जल के विलय के कुछ **चित्र 3.1 से 3.3** इस प्रकार हैं-

चित्र 3.1 से 3.3: परियोजनाओं में देरी के कारण अनुपचारित मल-जल का जल निकायों में मिलना

सतना में अनुपचारित मल-जल सतना नदी में मिल रहा है

जबलपुर में कंधारी नाले के माध्यम से नर्मदा नदी में मिलने वाला अनुपचारित मल-जल

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि छः नगरीय स्थानीय निकायों (नगरीय स्थानीय निकाय भिंड, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, सागर और विदिशा) में मल-जल उपचार सुविधा का परीक्षण चल रहा था, तीन नगरीय स्थानीय निकायों (नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर, इंदौर और मुरैना) में ओ एंड एम चरण में और तीन नगरीय स्थानीय निकायों (नगरीय स्थानीय निकाय मंडलेश्वर, सतना और शहडोल) में निर्माणाधीन चरण में था।

लेखापरीक्षा का अभिमत है कि विभाग को जल निकायों के और अधिक प्रदूषण से बचने के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.2.5 मल-जल प्रबंधन के लिए बुनियादी ढाँचे का विकास न होना

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सेवा स्तर बेंचमार्किंग हेतु जारी हैंडबुक की धारा 2.2.2 से 2.2.4 के अनुसार, निकाय के सेवा क्षेत्र के 100 प्रतिशत घरों, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य संस्थानों को भूमिगत मल-जल तंत्र द्वारा कवर किया जाएगा और स्थानीय निकाय के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत उत्सर्जित शत-प्रतिशत मल-जल को संग्रहित और उपचारित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-22 की अवधि के दौरान, मल-जल उपचार सुविधा आंशिक रूप से कार्यात्मक थी और छः[6] नगरीय स्थानीय निकायों में परीक्षण की प्रक्रिया चल रही थी, तीन[7] नगरीय स्थानीय निकायों में संचालन एवं अनुरक्षण चरण और तीन[8] नगरीय स्थानीय निकायों में प्रगति पर थी। शेष 22 नगरीय स्थानीय निकायों में मल-जल उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी (मार्च 2023) और उत्पन्न मल-जल अंततः विभिन्न खुले नालों के माध्यम से स्थानीय जल निकायों में मिल रहा था। इस प्रकार, नगरीय निकायों में मल-जल उपचार सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण, 2017-22 के दौरान लगभग कुल 2,09,726.13 एमएल **(परिशिष्ट 3.1)** मल-जल विभिन्न नालों के माध्यम से जल निकायों में मिल गया। खुले नालों से बहने वाले मल-जल के ऐसे पाँच उदाहरण **चित्र 3.4 से 3.8** में दर्शाए गए हैं:

चित्र 3.4 से 3.8: खुले नालों से बहता मल-जल

उमरीहा तालाब, वार्ड नंबर 10, ब्यौहारी

बूढ़ी तालाब, बालाघाट में मिल रहा मल-जल

[6] भिंड, भोपाल, जबलपुर, रतलाम, सागर और विदिशा।

[7] ग्वालियर, इंदौर और मुरैना।

[8] सतना, शहडोल और मंडलेश्वर।

मुरैना नदी में मिलने वाला शंकर टाकीज नाला रेलवे क्रासिंग शहडोल

मंदसौर में नाला शिवना नदी में मिल रहा है

विदिशा में चोरघाट नाला बेतवा नदी में मिल रहा है

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि 22 नगरीय स्थानीय निकाय में, शिवपुरी (पीएचई) में एक एसटीपी परीक्षणाधीन है, मैहर में मलप्रवाह परियोजना के लिए एलओए जारी किया गया है और साँची एडीबी योजना के अंतर्गत है। बैतूल, दमोह और मंदसौर में अमृत 2.0 के अंतर्गत मलप्रवाह परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं और शेष नगरीय स्थानीय निकायों के लिए स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। विदिशा में, 22.25 एमएलडी एसटीपी 2021 से क्रियाशील है। आगे कहा गया कि विदिशा में बेतवा नदी की जल गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक परिणाम दिखाती है।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसमें जल निकायों में अनुपचारित मलप्रवाह के विलय को रोकने के लिए समय सीमा का अभाव है। इसके अलावा, विदिशा में 100 प्रतिशत घरों और

नालों को मलप्रवाह तंत्र से नहीं जोड़ने के कारण, अनुपचारित जल बेतवा नदी में विलीन हो रहा है, जो अपर्याप्त आयोजना को दर्शाता है।

3.2.6 मलप्रवाह कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य प्रावधान का अभाव

घरेलू सीवर कनेक्शनों पर दिशा-निर्देशों के संबंध में सीपीएचईईओ नियमावली की कंडिका 2.11 में परिकल्पना की गई है कि:

- नगरपालिका उपनियमों में संशोधन करें ताकि जहाँ भी सार्वजनिक सीवर प्रदान किया जाता है वहाँ लोगों के लिए घर सेवा संयोजन लेना अनिवार्य हो, अन्यथा, स्थानीय प्राधिकरण घर सेवा संयोजन को बाधित करेगा और राजस्व वसूली की कार्यवाही शुरू करेगा।
- मलप्रवाह परियोजना के ही भाग के रूप में घर सेवा सीवर संयोजन को शामिल करें।

नगरीय स्थानीय निकायों ने घरों के लिए मलप्रवाह संयोजन लेना अनिवार्य नहीं किया। कुल 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से नौ में मलप्रवाह तंत्र और एसटीपी का निर्माण किया गया है। इन नौ नगरीय स्थानीय निकायों में से, घरेलू कनेक्शनों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया और सात नगरीय स्थानीय निकायों में मल-जल कनेक्शनों से जुड़े परिवारों की संख्या बहुत कम थी। मंडलेश्वर, सतना और शहडोल में मल-जल परियोजनाएँ निर्माणाधीन हैं, जबकि नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर द्वारा इस संबंध में कोई जानकारी नहीं प्रदान की गयी। कुल घरों और मलप्रवाह लाइनों से जुड़े घरों का विवरण **तालिका 3.3** में दिया गया है।

तालिका 3.3: परिवारों द्वारा लिए गये कनेक्शनों का विवरण

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	परियोजना के पूर्ण होने की तिथि	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परिवारों की कुल संख्या	मलप्रवाह संयोजन से जुड़े परिवारों की संख्या	संयोजन का प्रतिशत
1	भिंड	07/12/19	13,585	7,735	56.94
2	भोपाल (एडीबी परियोजना)	04/05/20	60,921	8,798	14.44
3	जबलपुर	27/06/20	1,46,900	58,244	39.65
4	मुरैना	28/07/18	26,585	20,100	75.61
5	रतलाम	27/12/19	53,273	29,103	54.63
6	सागर	06/07/19	60,173	4,738	7.87
7	विदिशा	19/04/19	26,000	14,028	53.95
	योग		**3,87,437**	**1,42,746**	**36.84**

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

ऊपर **तालिका 3.3** से यह देखा जा सकता है कि इन नगरीय स्थानीय निकायों में 3,87,437 घरों में से केवल 1,42,746 यानी 36.84 प्रतिशत ने मलप्रवाह संयोजन लिया है। इस प्रकार, मलप्रवाह लाइन डालने का उद्देश्य; अर्थात, जल निकायों और मृदा को प्रदूषण से बचाने के लिए सीवर के जल का उपचार और निपटान, नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा आवासीय सीवर अपशिष्ट को सीवर तंत्र के साथ जोड़ने में विफल रहने के कारण प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए, इसके परिणामस्वरूप, मृदा और जल निकायों में प्रदूषकों का निर्बाध प्रवाह हो सकता है जिससे वह उद्देश्य विफल हो जाएगा जिसके लिए यह योजना परिकल्पित की गई थी।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि जहाँ भी सीवर तंत्र बिछाया गया है, वहाँ ठेकेदार के लिए घर सेवा संयोजन (एचएससी) करना अनिवार्य है। नगरीय स्थानीय निकाय विदिशा, मुरैना, भिंड और भोपाल (जहाँ मलप्रवाह परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं) में अमृत 1.0 के अंतर्गत संशोधित एचएससी लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त कर लिया गया है।

उत्तर विश्वसनीय नहीं है क्योंकि परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भी, नगरीय स्थानीय निकाय विदिशा, मुरैना, भिंड और भोपाल में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में दिखाए गए सभी घरों को नहीं जोड़ा गया है, जिससे परियोजना का उद्देश्य ही विफल हो गया है।

3.2.7 मलप्रवाह सेवा कनेक्शन के लिए उपयोगकर्ता शुल्क न लगाया जाना

भारत सरकार की सेवा स्तर बेंचमार्किंग की हैंडबुक (एसएलबी) की कंडिका 2.2.8 में परिकल्पित है कि सभी संचालन लागतों को उपयोगकर्ता प्रभारों, शुल्कों और करों आदि के संयोजन द्वारा वसूल किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शहरी विकास और आवास विभाग (यूडीएचडी), मध्यप्रदेश शासन ने मध्यप्रदेश नगरपालिका (जल आपूर्ति, मलप्रवाह एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता शुल्क) नियम, 2020 में संशोधन किया था (सितम्बर 2020)। इसके अनुसार जल आपूर्ति, मल-जल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं हेतु उपयोगकर्ता प्रभारों का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि सेवाओं पर किए गए वार्षिक व्यय को पूर्ण रूप से वसूल किया जा सके।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ[9] नगरीय स्थानीय निकायों (जहाँ मलप्रवाह प्रणाली पूर्ण हो गई है) ने उपयोगकर्ता प्रभारों, शुल्कों, करों को लगाने के आदेशों को लागू नहीं किया,

[9] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, मुरैना, रतलाम, सागर और विदिशा।

जिसके कारण नगरीय स्थानीय निकायों को मौजूदा मल-जल प्रणाली के रखरखाव के लिए पृथक से अपने सीमित संसाधनों से धन उपलब्ध कराना पड़ता है।

नगरीय स्थानीय निकाय पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए, उपयोगकर्ता प्रभार न लगाने से अन्य विभिन्न योजनाओं के विकास और अनुरक्षण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि मध्यप्रदेश शासन ने उपयोगकर्ता शुल्क वसूली हेतु राजपत्र क्रमांक 360 दिनांक 28 सितम्बर 2020 जारी कर दिया गया है। यह भी सूचित किया गया कि इस राजपत्र अधिसूचना को अपनाने और नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क के कार्यान्वयन का प्रयास किया जा रहा है।

3.2.8 उपचारित अपशिष्ट जल के उपयोग के लिए योजना का अभाव

मल-जल के उपचार या निपटान का तरीका विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करते समय तय किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का विश्लेषण किया और पाया कि नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल, इंदौर, मुरैना और विदिशा में मलप्रवाह योजनाएँ नगरीय स्थानीय निकायों के जल निकायों को संरक्षित करने और कृषि, बागवानी, सड़कों की धुलाई आदि के लिए उपचारित जल का उपयोग करने हेतु तैयार की गई थी। इसके अलावा, इन नगरीय स्थानीय निकायों के उपचारित और अनुपचारित मल-जल को स्वयं नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय नालों में छोड़ा जा रहा था जैसा कि **चित्र 3.9 से 3.14** में दिखाया गया है।

चित्र 3.9 और 3.10: नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल द्वारा पंचशील नाला में छोड़े गए चार इमली एसटीपी का उपचारित जल

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

चित्र 3.11 और 3.12: नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल द्वारा बड़ा तालाब में छोड़े गए शिरीन नदी एसटीपी का उपचारित जल

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

चित्र 3.13: और 3.14: एसटीपी का उपचारित जल सरस्वती नदी, इंदौर और नाला सं. 1, मुरैना में छोड़े गए, जो अंत में मुरैना में कुंवारी नदी में मिल जाता है

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि एसटीपी से उपचारित अपशिष्ट का कृषि और बागवानी में पुन: उपयोग किया जाता है यदि वे पार्क और खेतों के पास हों। भोपाल में चार इमली और शिरीन में एसटीपी शहर के भीतर स्थित हैं और पुन: उपयोग की संभावनाओं की कमी के कारण अधिकांश उपचारित अपशिष्ट जल निकायों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन उनके संभावित पुन: उपयोग की योजना प्रक्रिया में है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि ये सभी योजनाएँ नगरीय स्थानीय निकायों के निकटवर्ती जल निकायों की सुरक्षा की दृष्टि से तैयार की गई थीं।

3.3 मल कीचड़ प्रबंधन

मल-जल का संग्रह और उपचार मल-जल प्रबंधन का सबसे अभिन्न अंग है। लेखापरीक्षा ने इस पहलू से संबंधित विषयों का विश्लेषण किया और सेप्टेज की सफाई पर प्रशिक्षण की कमी, सेप्टेज प्रबंधन पर कार्य की नियमावली तैयार करना के साथ-साथ मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए उचित कार्यनीति, सेप्टिक टैंकों की अपर्याप्त डी-स्लजिंग/ सेप्टेज का संग्रह और

मल कीचड़ उपचार संयंत्र का कार्यशील न होना जैसी कई कमियां पायीं। इन पर नीचे चर्चा की गई है।

मल कीचड़ कच्चा या आंशिक रूप से पाचित, घोल या अर्धठोस रूप में, मलमूत्र और भूरे जल के साथ या उसके बिना काले जल के सम्मिश्रण का संग्रह, संचयन या उपचार है। यह गड्ढे वाले शौचालयों और सेप्टिक टैंकों का ठोस या स्थिर पदार्थ है। सेप्टिक टैंक के बहिस्राव को नालियों और/ या सीवरों के एक तंत्र में संग्रह और उचित रूप से डिजाइन किए गए शोधन संयंत्र में उपचारित किया जा सकता है। हालाँकि, सेप्टिक टैंकों के तल पर जमा कीचड़ को डिज़ाइन की गहराई तक पहुँचने पर या डिजाइन किए गए डी-स्लजिंग की आवृत्ति के अंत में, जो भी पहले आता हो, एक बार निकालकर अवश्य उपचारित किया जाना चाहिए। परंतु, इस तरह की निकासी केवल निर्वात रिक्तक ट्रकों द्वारा ही संभव है। मल कीचड़ के संग्रह और शोधन की प्रक्रिया को निम्नलिखित **चित्र 3.15** में दर्शाया गया है

चित्र 3.15: संग्रह, परिवहन और उपचार की प्रक्रिया

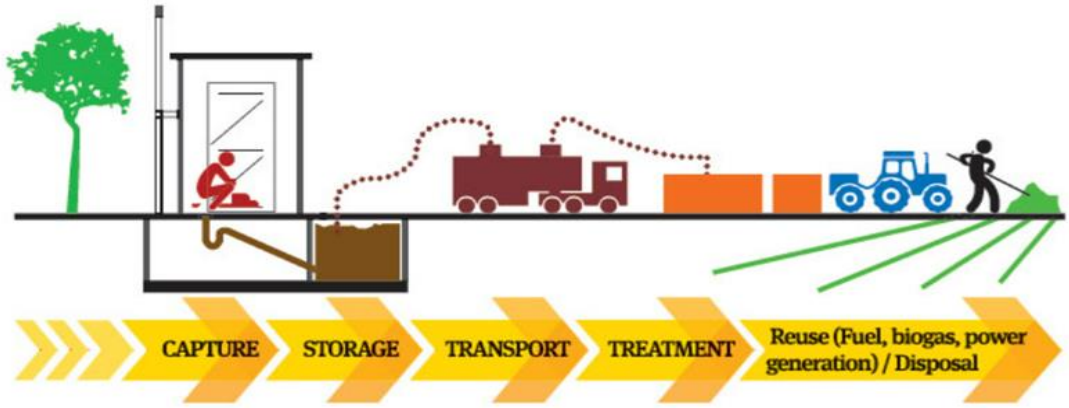

(स्रोत: शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

नगरीय स्थानीय निकाय स्तर पर विभिन्न पहलुओं; जैसे मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के लिए कार्यनीति, संग्रह, परिवहन, उपचार, मल कीचड़ उत्पादन और निपटान की निगरानी आदि के माध्यम से इस मुद्दे का विश्लेषण किया गया।

उपर्युक्त के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है:

(क) नगरीय स्थानीय निकायों में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के लिए समुचित कार्यनीति का अभाव

अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के लिए मध्यप्रदेश शासन राज्य स्तरीय नीति (2017) और एफएसएसएम बताता है कि स्वच्छता सेवा को स्थापित और संचालित करने की

मुख्य जिम्मेदारी प्रत्येक नगर निकाय की होती है। प्रत्येक नगरपालिका शासन को राज्य शासन द्वारा बनाई गई सूक्ष्म नीति में वर्णित दिशा-निर्देशों के ढाँचे के भीतर सूक्ष्म स्तर पर स्वच्छता सेवा के लिए अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि चयनित 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से केवल इंदौर ने एफएसएसएम नीति तैयार की थी, 26[10] नगरीय स्थानीय निकायों ने कोई एफएसएसएम नीति तैयार नहीं की थी। नगरीय स्थानीय निकायों, मैहर, नलखेड़ा, पिछोर, शिवपुरी, उचेहरा ने इस संबंध में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया जबकि नगरीय स्थानीय निकायों, भोपाल एवं सतना ने इस संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की। इस प्रकार इन नगरीय स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में सेप्टेज के सुरक्षित निपटान के लिए उचित कार्यनीति का अभाव है।

नगरीय स्थानीय निकायों ने एफएसएसएम नीति तैयार नहीं करने के तथ्यों को स्वीकार किया, हालाँकि, नगरीय स्थानीय निकायों के उत्तर सूक्ष्म स्तर पर स्वच्छता सेवा के लिए नीति तैयार नहीं करने का कारण नहीं बताते हैं। इसके अलावा, नगरीय स्थानीय निकायों में सुरक्षित निपटान के लिए कोई कार्यनीति नहीं बनाई गई थी।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि राज्य ने एक एफएसएसएम नीति का मसौदा तैयार किया है जो अनुमोदन की प्रक्रिया में है और शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा।

(ख) अकार्यशील मल कीचड़ उपचार संयंत्र

गड्ढे वाले शौचालयों, सेप्टिक टैंक या अन्य स्वच्छता प्रणाली से मल कीचड़ का संग्रह, परिवहन और उपचार; मल कीचड़ प्रबंधन (एफएसएम) है। एफएसएम घनी आबादी वाले उन क्षेत्र में आवश्यक है जहाँ आबादी का एक हिस्सा मलप्रवाह तंत्र से जुड़ा नहीं है और गड्ढे वाले शौचालयों का ढंकना और पुनर्निर्माण करना संभव नहीं है।

मल कीचड़ उपचार संयंत्र (एफएसटीपी) एक वर्मी निस्पंदन आधारित व्यापक और टिकाऊ तकनीकी समाधान है जो मल कीचड़ का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए विकसित किया गया है। एफएसटीपी ठोस और तरल अपशिष्ट को अलग करके उचित उपचार के साथ बागवानी, फ्लशिंग और कृषि जैसे गैर-पीने योग्य उपयोगों के लिए वर्मी कंपोस्ट और जल में परिवर्तित कर सकता है।

[10] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, बैतूल, ब्यौहारी, भिंड, दमोह, धार, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मुरैना, मंदसौर, मालनपुर, मंडलेश्वर, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायणवार, पोलायकलां, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल, और विदिशा।

लेखापरीक्षा ने 34 नगरीय स्थानीय निकायों के अभिलेखों की नमूना जाँच की थी, इनमें से 10[11] नगरीय स्थानीय निकायों में एफएसटीपी क्रियाशील थे और 14[12] नगरीय स्थानीय निकायों में एफएसटीपी कार्य नहीं कर रहे थे, हालाँकि इनके निर्माण पर 2017-22 के दौरान ₹ 1.06 करोड़ **(परिशिष्ट 3.2)** का व्यय किया गया था जबकि बरघाट, निवाड़ी और पिछोर में एफएसटीपी निर्माणाधीन अवस्था में थे तथा इंदौर, भोपाल और विदिशा में एफएसटीपी की आवश्यकता नहीं है जबकि ग्वालियर, जबलपुर, रतलाम और सागर ने कोई जानकारी प्रदाय नहीं की। इसलिए, इन एफएसटीपी पर किए गए व्यय का उपयोग कीचड़ को वर्मी-कम्पोस्ट और गैर-पीने योग्य जल जैसे उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए नहीं किया जा सका। नीचे दिये गये चित्रों में अकार्यशील एफएसटीपी के दो उदाहरण दर्शाए गए हैं:

चित्र 3.16 और 3.17: अकार्यशील एफएसटीपी

नगरीय स्थानीय निकाय धार में अकार्यशील एफएसटीपी

नगरीय स्थानीय निकाय अकोदिया में अकार्यशील एफएसटीपी

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि किसी भी नगरीय स्थानीय निकायों को ओडीएफ++ के रूप में प्रमाणित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एमओएचयूए द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, ओडीएफ+/ ओडीएफ++ प्रमाणित कार्यात्मक उपचार संयंत्र होना अनिवार्य हैं। इसी क्रम में, निरीक्षण किए गए इन 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से 31 नगरीय

[11] बालाघाट, बैतूल, दमोह, खिरकिया, मंडलेश्वर, मुरैना, नलखेड़ा, पिपलनारायणवार, सतना और शिवपुरी।

[12] अकोदिया, ब्यौहारी, भिंड, धार, करेली, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मंदसौर, ओरछा, पोलायकलां, साँची, शहडोल, और उचेहरा।

स्थानीय निकायों को तीसरे पक्ष आधारित सत्यापन और क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से एमओएचयूए द्वारा ओडीएफ ++ या उच्चतर के रूप में प्रमाणित किया गया।

हालाँकि, उत्तर एफएसटीपी की कार्यक्षमता पर लेखापरीक्षा अवलोकन पर बात नहीं करता है।

(ग) सेप्टेज की सफाई पर प्रशिक्षण और सेप्टेज प्रबंधन पर कार्यशैली की नियमावली तैयार करना

शहरी भारत में सेप्टेज प्रबंधन पर शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (जनवरी 2013) परामर्शी टीप की कंडिका 9.2 में कहा गया है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिए उनके संबंधित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उत्पन्न सेप्टेज के साथ-साथ मल-जल को संग्रह करना, परिवहन करना और उचित तरीके से निपटान करना अनिवार्य है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तकनीकी, वित्तीय, विनियामक, क्षेत्र दौरा, निगरानी और मूल्यांकन आदि जैसे विषयों पर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके अलावा, इस परामर्शी टीप की कंडिका 5.3 में कहा गया है कि सबसे अच्छा यह है कि सेप्टेज कार्यक्रम प्रबंधकों द्वारा विशिष्ट उपकरणों के लिए संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा करके और फिर दिन-प्रतिदिन की प्रक्रियाओं के सभी पहलूओं जैसे; (अ) ट्रकों के लिए अनुसूची और मार्ग (ब) टैंक और सफाई की जगह का स्थान निर्धारण (स) समुचित पम्पिंग उपकरण संचालन और कर्मचारी सुरक्षा (द) पंपिंग के बाद सफाई सहित स्थल नियंत्रण (य) उपचार सुविधा पर निपटान प्रक्रियाएँ (र) सभी पंप किए गए टैंकों और निपटान सुविधा पर निकले अपशिष्ट का अभिलेख रखना। कार्यशैली नियमावली, उपकरण संचालकों और नए कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिलेख था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान नमूना जाँच की गई 34 इकाइयों में से 33 द्वारा सेप्टेज की सफाई के लिए न तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया और न ही सेप्टेज प्रबंधन पर कार्यशैली नियमावली तैयार किया गया, जबकि, नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।

उत्तर में, 33 नगरीय स्थानीय निकायों ने स्वीकार किया कि सेप्टेज प्रबंधन में लगे मजदूरों के लिए पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया/ या, आयोजित नहीं किया गया और कार्यशैली नियमावली भी तैयार नहीं कि गयी थी।

3.4 निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण

लेखापरीक्षा ने मलप्रवाह प्रबंधन के अंतर्गत निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण का विश्लेषण किया और पाया कि एसएलबी सेल का गठन नहीं किया जाना, शिकायत निवारण के लिए तंत्र की अनुपस्थिति, एसटीपी पर मुख्य मानकों का परीक्षण न करना, आदि प्रकरणों में अपर्याप्तता पाई गई, इन पर नीचे चर्चा की गई है:

3.4.1 मल-जल से संबंधित शिकायतों के लिए शिकायत निवारण तंत्र का अभाव

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी सेवा स्तर बेंचमार्क पर हैंडबुक की धारा 2.2.7 में कहा गया है कि शिकायतों को प्राप्त करने और लॉग इन करने की प्रणाली नागरिकों के लिए प्रभावी और आसानी से सुलभ होनी चाहिए। ग्राहक संपर्क के बिंदुओं में सामान्य फोन नंबर, वार्ड कार्यालयों में लिखित शिकायतें, संग्रह केंद्रों, ड्रॉप बॉक्सों, वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायतें, आदि शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा, मल-जल से संबंधित शिकायतों के संतोषजनक समाधान के प्रकरणों में, शिकायतों को ट्रैक करने के लिए एक प्रारूप या प्रोफार्मा में शिकायत करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत पुष्टिकृत संतोषजनक समाधान अनुपालना का उपयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मलप्रवाह प्रणाली वाले नौ नगरीय स्थानीय निकायों में से छः[13] नगरीय स्थानीय निकायों में कोई शिकायत निवारण तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।

इंगित किये जाने पर लेखापरीक्षा को कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

3.4.2 बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए एसएलबी (सेवा स्तर बेंचमार्क) लक्ष्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना

• मल-जल तंत्र का कवरेज

एसएलबी हैंडबुक की कंडिका 2.2.2 के अनुसार, यह संकेतक सेवा क्षेत्र में अलग-अलग संपत्तियों तक भूमिगत मलप्रवाह तंत्र की पहुँच को दर्शाता है। इस संकेतक के लिए बेंचमार्क मान 100 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नौ नगरीय स्थानीय निकायों (जहाँ मलप्रवाह तंत्र पूरा हो गया) में से दो में 100 प्रतिशत घर सीवर तंत्र से नहीं जुड़े थे, लेकिन उन्होंने इस संकेतक के लिए 95 से 100 प्रतिशत उपलब्धि दर्शाई है (मार्च 2022 तक)।

[13] ग्वालियर, जबलपुर, मुरैना, रतलाम, सागर और विदिशा।

तालिका 3.4: परिवारों द्वारा प्राप्त कनेक्शनों का विवरण

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परिवारों की कुल संख्या	मलप्रवाह संयोजन से जुड़े परिवारों की संख्या	संयोजन का प्रतिशत	एसएलबी के अनुसार उपलब्धि का प्रतिशत
1	विदिशा	26,000	14,028	53.95	95
2	इंदौर	4,77,421	4,74,826	99.56	100

इस प्रकार, उपर्युक्त नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा दर्शाए गए निष्पादन संकेतक की उपलब्धि त्रुटिपूर्ण थी और बेहतर प्रदर्शन दिखाने के लिए अतिशयोक्तिपूर्ण उपलब्धि को दर्शाया गया था।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि मलप्रवाह परियोजना के अंतर्गत शहर के भीतर 100 प्रतिशत एचएससी को कवर करने के लिए व्यापक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाई गई थी। लेकिन फंड की कमी के कारण अमृत 1.0 के अंतर्गत चरणबद्ध कार्यान्वयन किया गया। 100 प्रतिशत कवरेज प्राप्त करने के लिए बचे हुए तंत्र को अमृत 2.0 के अंतर्गत लिया जाएगा।

- **मल-जल शुल्कों के संग्रह में दक्षता**

एसएलबी हैंडबुक की कंडिका 2.2.9 इंगित करती है कि संग्रह में दक्षता को वर्तमान वर्ष में एकत्रित राजस्व के रूप में परिभाषित किया गया है जो कि संबंधित समयावधि के लिए कुल संचालन राजस्व के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है। इस सूचक के लिए बेंचमार्क मान 50 प्रतिशत था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दो नगरीय स्थानीय निकायों ने मलप्रवाह शुल्कों को अभी तक आरोपित नहीं किया था, लेकिन इस संबंध में उपलब्धि 20 से 50 प्रतिशत के बीच दिखाई गई थी **(तालिका 3.5)।** इस प्रकार, नीचे वर्णित संग्रह में रिपोर्ट की गई दक्षता न केवल त्रुटिपूर्ण थी बल्कि भ्रामक भी थी।

तालिका 3.5.: परिवारों द्वारा प्राप्त संयोजनों का विवरण

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय के नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परिवारों की कुल संख्या	मलप्रवाह संयोजन से जुड़े परिवारों की संख्या	उपयोगकर्ता शुल्क के लिए उपलब्धि का प्रतिशत
1	इंदौर	4,77,421	4,74,826	50
2	विदिशा	26,000	14,028	20

(स्रोत: नगरीय स्थानीय निकाय)

शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि मध्यप्रदेश शासन ने उपयोक्ता शुल्क वसूली हेतु राजपत्र क्रमांक 360 दिनांक 28 सितम्बर 2020 जारी कर दिया है। इस राजपत्र अधिसूचना को अपनाने और नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क के कार्यान्वयन का प्रयास किया जा रहा है।

हालाँकि उपलब्धि के त्रुटिपूर्ण आँकड़े दिखाये जाने के बारे में शासन का उत्तर मौन है।

3.4.3 एसटीपी में ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली स्थापित नहीं की गई थी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 ए के अनुसार, एमपीपीसीबी ने स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से प्रभावी अनुपालन के लिए निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे:

- इंदौर नगरपालिक निगम, नगर पालिकाओं या राज्य में संबंधित निकाय द्वारा मिलियन प्लस शहरों और शेष शहरों/ कस्बों में संचालित किए जा रहे सभी एसटीपी 31 जनवरी 2021 से पूर्व पीएच, टीएसएस, बीओडी, सीओडी जैसे मापदंडों के लिए ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करेंगे और शेष शहरों के लिए इसे 31 जुलाई 2021 से पूर्व स्थापित किया जाना था।
- एसटीपी संचालन प्राधिकारी, भोपाल में पर्यावरण निगरानी केंद्र (ईएससी) के एमपीपीसीबी के सर्वर पर ऑनलाइन प्रवाह निगरानी डेटा को समयबद्ध तरीके से, लेकिन ऊपर बताए गए समय सीमा के पश्चात नहीं, संयोजित और अपलोड करेगा और मापांकन की सुविधाओं एवं छेड़-छाड़ रोधी तंत्र के साथ ओसीईएमएस का नियमित अनुरक्षण और संचालन सुनिश्चित करेगा।

एमपीपीसीबी द्वारा जारी उपर्युक्त निर्देश के आधार पर पात्र नगरीय स्थानीय निकायों को 31 जनवरी 2021 से पूर्व अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले एसटीपी पर ओसीईएमएस स्थापित करना आवश्यक था। तीन[14] नगरीय स्थानीय निकायों में एसटीपी के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 10 एसटीपी पर ओसीईएमएस स्थापित नहीं पाए गए जो एमपीपीसीबी के निर्देशों का उल्लंघन था।

[14] ग्वालियर (4), इंदौर (5) और मुरैना (1)।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि 39 एसटीपी में से 19 की स्थापना पूरी हो गई है और नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर, ग्वालियर और मुरैना में 15 एसटीपी के लिए कार्य आदेश जारी किया गया है।

3.4.4 सल्फर प्रतिरोधी मल-जल पाइपों का उपयोग न करना

यूएडीडी की एकीकृत मानक अनुसूची दर (आइएसएसआर) के अध्याय-12 के नोट 10 में प्रावधान है कि मलप्रवाह कार्यों में उपयोग किए जाने वाले आरसीसी पाइपों के निर्माण के लिए सल्फर प्रतिरोधी सीमेंट का उपयोग किया जाना चाहिए। मलप्रवाह इंजीनियरिंग के लिए सीपीएचईईओ नियमावली के अध्याय 3.12.9 में भी मल-जल तंत्र में सल्फेट प्रतिरोधी पाइपों के उपयोग के लिए प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच[15] नगरीय स्थानीय निकायों में सल्फर प्रतिरोधी आरसीसी पाइप (एनपी-2, एनपी-3 और एनपी-4) का उपयोग नहीं किया गया था। सल्फर प्रतिरोधी पाइपों का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप पाइपों का क्षय तेज गति से हो सकता है, जिससे, पूरी परियोजना का जीवनकाल छोटा हो सकता है।

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि आगामी अमृत 2.0 परियोजनाओं में सल्फाइड-प्रतिरोधी पाइपों का उपयोग अनिवार्य होगा।

3.5 कार्यक्रम कार्यान्वयन

लेखापरीक्षा ने विभिन्न मलप्रवाह परियोजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जाँच की और अधिक भुगतान, अतिरिक्त लागत, कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ और अभिलेखों के रखरखाव में अन्य कमियाँ पाईं। ऐसे कुछ उदाहरणों को **तालिका 3.6** में रेखांकित किया गया है:

तालिका 3.6: मलप्रवाह परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	जीएसटी का अतिरिक्त/ अस्वीकार्य भुगतान	15.45	धारा 3, भाग-1 का खंड 25.1- ठेका की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अंतर्गत ठेका की शर्तों में प्रावधान है कि 'ठेकेदार द्वारा उद्धृत दर को केंद्र और राज्य शासन, स्थानीय निकायों और प्राधिकरणों की बिक्री और अन्य आरोपित राशियाँ, शुल्क, उपकर, टोल, करों सहित माना जाएगा'। इसके अलावा खंड 25.3 में प्रावधान है कि 'विधान में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से करों में कोई भी परिवर्तन ठेकेदार को देय नहीं होगा।' इसलिए, ठेकेदार को जीएसटी सहित करों के कारण कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाना था।

[15] भोपाल, जबलपुर, मुरैना, रतलाम और विदिशा।

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			हालाँकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगर निगम मुरैना में, 1 जुलाई 2017 (जीएसटी की प्रभावी तिथि) के बाद किए गए कार्य[16] के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी घटक के लिए ठेकेदार को उपरोक्त ठेका प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 15.45 करोड़ की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था। जीएसटी का यह अतिरिक्त भुगतान अनुबंध के अनुसार कार्य के लिए देय भुगतान के अतिरिक्त था। इससे ठेकेदार को 15.45 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान हुआ। शासन ने बताया (अगस्त 2023) कि पत्र क्रमांक एफ1-22/2015/18-3 दिनांक 05 अप्रैल 2015 के माध्यम से अमृत योजना के संबंध में निर्णय लेने के लिए मेयर-इन-काउंसिल (एमआईसी) को अधिकृत किया है। इसलिए नगरीय स्थानीय निकाय मुरैना के एमआईसी ने संकल्प संख्या 77 दिनांक 15 नवंबर 2019 के माध्यम से नगरीय स्थानीय निकाय नगरपालिका निधि से 12 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करने के लिए अधिकृत किया । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटी के लिए अलग से भुगतान की स्वीकार्यता के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन पर कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया था। इसके अलावा, एमआईसी मुरैना के संकल्प क्रमांक 77 दिनांक 15 नवंबर 2019 ने ऐसे भुगतान के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी है, जो वास्तव में ठेकेदार को देय नहीं था।
2	चलित देयक में पिछले भुगतान के कम लेखांकन के कारण अधिक भुगतान	4.88	वर्तमान चलित देयक में किए गए कार्य के वास्तविक राशि की गणना करने के लिए देयक पर पिछले देयक की राशि का सही से उल्लेख किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन कार्यों में पिछले कार्य के किए गए कार्य की राशि अगले देयक में त्रुटिपूर्ण तरीके से आगे ले जाई गई, जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 4.88[17] करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। नगरीय स्थानीय निकाय, भिंड ने कहा कि उक्त राशि को 17वें आरए बिल से हटा दिया गया है। नगरीय स्थानीय निकाय, ग्वालियर ने कोई

[16] गणना के लिए विचार किए गए कार्य का अनुमानित मूल्य आईएसएसआर, 2012 की दर पर आधारित था यानी जीएसटी के कार्यान्वयन से पहले।

[17]

क्र.सं.	नगरीय स्थानीय निकाय का नाम	पीएसी (करोड़ में)	पिछले देयक के अनुसार किये गये कार्य का वास्तविक मूल्य		अगले देयक में ले जाए गए किए गए कार्य का अद्यतन मूल्य		अतिरिक्त भुगतान (₹ में)
			देयक क्र.	मूल्य (₹ में)	देयक क्र.	मूल्य (₹ में)	
1	भिंड	70.80	17वाँ	80,63,25,009	18वाँ	76,48,72,900	4,14,52,109
2	ग्वालियर (मुरार)	204.90	18वाँ	1,53,43,65,383	19वाँ	1,52,88,74,851	54,90,532
3	मुरैना	125	7वाँ	22,48,11,109	8वाँ	22,30,03,253	18,07,856
							4,87,50,497

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			जवाब प्रस्तुत नहीं किया और नगरीय स्थानीय निकाय, मुरैना ने बताया कि अभिलेखों के सत्यापन के बाद अधिक भुगतान की वसूली/ समायोजन किया जाएगा। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि चालू बिल में पिछले भुगतान के कम लेखांकन को समाधान के बाद संशोधित कर दिया जाएगा।
3	सड़क मरम्मत कार्य में अनियमितताएँ	14.39	मलप्रवाह तंत्र बिछाने के कार्य के लिए किये गये अनुबंध की धारा-2 में निहित बोलीदाताओं के लिए जारी निर्देशानुसार, ठेकेदार को सड़कों को उनकी प्रारम्भिक स्थितियों के अनुसार पुनर्निर्माण करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा ने सड़क मरम्मत कार्य में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाया- **(क)** यूएडीडी द्वारा सड़कों और पुलों के लिए प्रकाशित एकीकृत मानक दर अनुसूची (आईएसएसआर) (खंड-**III** 2012) के मद 6.2 (ड्राय लीन कंक्रीट) के अनुसार, बिछाने तथा संघनन के दौरान यदि इलेक्ट्रॉनिक सेंसर पेवर का उपयोग नहीं किया जाता है तो एम:20, एम:30 तथा एम:40 पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट कार्य के लिए क्रमश: ₹ 319 प्रति घन मीटर, ₹ 329 प्रति घन मीटर तथा ₹ 335 प्रति घन मीटर की दर से और ड्राय लीन कंक्रीट के ₹ 190 प्रति घन मीटर की दर से राशि वसूली योग्य थी। इसके अलावा, आईएसएसआर के मद 4.1 ग्रैन्युलर सब बेस (जीएसबी), 4.2 और 4.3 वॉटर बाउंड मैकडैम (डब्ल्यूबीएम) के निष्पादन के लिए, यदि कार्य में मोटर ग्रेडर और वाइब्रेटरी रोलर का उपयोग नहीं किया जाता है, तो **₹** 51 प्रति घन मीटर की दर से कटौती की जाएगी। आठ नगरीय स्थानीय निकायों की 12 मलप्रवाह परियोजनाओं में, ठेकेदारों ने सड़क मरम्मत कार्य में आवश्यक इलेक्ट्रिक सेंसर पेवर/ वाइब्रेटरी रोलर/ मोटर ग्रेडर का उपयोग किए बिना ड्राय लीन कंक्रीट, एम:20, एम:30, एम:40 पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, जीएसबी और डब्ल्यूबीएम का कार्य किया, परंतु पूर्ण राशि का भुगतान कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप न केवल सडकों के खराब मरम्मत का कार्य हुआ, बल्कि ठेकेदारों को ₹ 14.39 करोड़ का अधिक भुगतान भी हुआ, जो कि **परिशिष्ट 3.3** में दर्शाया गया है। नगर पालिक निगम, मुरैना ने कहा कि परियोजना में सभी आवश्यक मशीनरी का उपयोग किया गया था इसलिए किसी वसूली की आवश्यकता नहीं है। नगरीय स्थानीय निकाय, इंदौर ने कहा कि विशिष्ट मशीनरी का उपयोग न करने की जाँच कर अंतिम देयक में से कटौती की जाएगी। नगरीय स्थानीय निकाय, भिंड ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और उत्तर दिया कि ठेकेदार के अंतिम देयक में से आवश्यक वसूली की जाएगी। नगरीय स्थानीय निकाय,

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		6.35	भोपाल ने कहा कि मशीनरी का उपयोग सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन से किया गया था। नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल और मुरैना का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पाइप ट्रेंच की संकीर्ण चौड़ाई में आवश्यक मशीनरी का संचालन संभव नहीं था। **(ख)** नगरीय स्थानीय निकाय, ग्वालियर में विस्तृत मलप्रवाह परियोजना प्रणाली के निर्माण का कार्य मेसर्स एनविराड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 195.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के विरुद्ध ₹ 173.32 करोड़ में आवंटित किया गया। कार्य आदेश दिनांक 04 अक्तूबर 2017 को जारी किया गया जिसके अनुसार कार्य को 24 माह अर्थात दिनांक 03 अक्तूबर 2019 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य अपूर्ण है और अब तक ठेकेदार को ₹ 177.84 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। इसी तरह, मुरार में, मलप्रवाह परियोजना प्रणाली के निर्माण का कार्य मेसर्स जयंती सुपर कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 204.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के विरूद्ध ₹ 207.96 करोड़ में आवंटित किया गया। कार्य आदेश दिनांक 25 सितंबर 2017 को जारी किया गया जिसके अनुसार कार्य को 24 माह अर्थात दिनांक 24 सितंबर 2019 तक पूर्ण किया जाना था। कार्य दिनांक 31 मार्च 2022 को पूर्ण हुआ और ठेकेदार को ₹ 177.87 करोड का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों परियोजनाओं में, सड़क मरम्मत की मदें प्रति वर्गमीटर में निर्धारित की गई थीं। परंतु कार्य के क्रियान्वयन के दौरान, ठेकेदार ने इन मदों को अनुमान में निर्धारित मोटाई की तुलना में कम मोटाई में क्रियान्वयित किया, लेकिन ठेकेदार को पूर्ण दर पर भुगतान किया गया था। इस प्रकार, कम मोटाई में कार्य के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 6.35 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ, जो कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि सड़क मरम्मत मद का भुगतान अंतिम माप के बाद किया जाएगा।
		1.03	**(ग)** नगरीय स्थानीय निकाय सागर, में मलप्रवाह परियोजना प्रणाली के निर्माण का कार्य मेसर्स लक्ष्मी सिविल एंड खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर, कोल्हापुर को ₹ 282.61 की अनुमानित लागत के विरूद्ध ₹ 299.10 करोड में आवंटित किया गया। 36 माह की निर्धारित अवधि में दिनांक 06 जुलाई 2019 तक कार्य पूर्ण करने के लिए, कार्य आदेश दिनांक 08 जुलाई 2016 को जारी किया गया। कार्य प्रगति पर था और ठेकेदार को ₹ 247.22 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त परियोजना में प्रारम्भ में सड़क मरम्मत कार्य के लिए, सड़क व पुल कार्य के लिए आईएसएसआर-2012 के अध्याय-6 में दर्शाए गये मद को प्रस्तावित किया गया था।

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		0.67	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में एम:40 कंक्रीट सीमेंट का कार्य मद क्रमांक 6.3 के अनुसार **₹** 4,792 प्रति घन मीटर की दर से प्रस्तावित किया गया था लेकिन वास्तविक रूप से सड़क मरम्मत का कार्य एम:20 कंक्रीट से किया गया जिसके लिए आईएसएसआर के मद सं. 611 की दर ₹ 4,557 प्रति घन मीटर के स्थान पर मद सं. 15.18a(iii) (पुल कार्य के लिए मद) की दर ₹ 4,778 प्रति घन मीटर से भुगतान किया गया। इस प्रकार, गलत मद लागू किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़[18] का अधिक भुगतान हुआ। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि सड़क मरम्मत के भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद किए जाते हैं। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को गलत मद का भुगतान किया गया था।
		7.34	**(घ)** नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर में लश्कर क्षेत्र के मलप्रवाह तंत्र के सड़क मरम्मत कार्य में, बिटुमिनस मैकाडम (बीएम), बिटुमिनस कंक्रीट और सील कोट के कार्यों को एक संयुक्त मद के रूप में ₹ 1,487 प्रति वर्गमीटर की दर से शामिल करके सड़क मरम्मत कार्य के लिए मदों को प्रस्तावित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदार ने 'सील कोट' मद का कार्य नहीं किया बावजूद इसके, नगरीय स्थानीय निकाय, ग्वालियर द्वारा ठेकेदार को पूरा भुगतान किया गया। इस प्रकार, उसके द्वारा नहीं किए गए कार्य के लिए ₹ 0.42 करोड़ (81,116.05X58)-11.165%} का भुगतान किया गया। इसी प्रकार मुरार (ग्वालियर) के मलप्रवाह तंत्र के सड़क मरम्मत कार्य में ठेकेदार द्वारा सील कोट मद का कार्य नहीं किया गया लेकिन नगरीय स्थानीय निकाय, ग्वालियर द्वारा उसे पूर्ण दर पर भुगतान किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य नहीं करने के कारण ₹ 0.25 करोड़ {(42,681.84X58)+1.50%} का अधिक भुगतान हुआ। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि सड़क मरम्मत मद का भुगतान अंतिम माप के बाद किया जाएगा। **(ङ)** नगरीय स्थानीय निकाय, विदिशा, में मलप्रवाह परियोजना प्रणाली के निर्माण का कार्य मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन को ₹ 85.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के विरूद्ध ₹ 91.00 करोड़ में आवंटित किया गया। दिनांक 19 अप्रैल 2019 तक 24 माह की अवधि में कार्य पूर्ण करने के लिए, कार्य प्रारम्भ करने का आदेश दिनांक **20** अप्रैल **2017** को जारी किया गया। कार्य प्रगति पर था तथा 27वें चलित देयक तक **₹ 89.03** करोड़ का भुगतान ठेकेदार को किया गया था।

[18] किए गए कार्य की मात्रा 41,490 घन मीटर, अतिरिक्त भुगतान= 1,02,69,605{41,490 x 221(4,778-4557)}+12%(जीएसटी)।

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			लेखापरीक्षा ने पाया कि, कार्य क्रियान्वयन के दौरान जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए एक अतिरिक्त मद के रूप में **3,35,753.55** घन मीटर मिट्टी (कार्य क्षेत्र से अपशिष्ट स्थल और वापसी) के परिवहन के लिए ठेकेदार को **₹ 2.27** करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था। हालाँकि, इस मद के लिए भुगतान ठेका के अनुसार नहीं था, क्योंकि ठेका के खंड **17.2** के अनुसार, कार्य के दौरान न्यूनतम संभव सार्वजनिक असुविधा के साथ कार्य करने के लिए सभी व्यवस्थाओं के लिए ठेकेदार जिम्मेदार था। इसके अलावा, निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) के अनुसार ठेकेदार को अपना प्रस्ताव उद्धृत करने से पहले स्थल का दौरा करना होगा, ताकि वह स्थल की स्थिति से अवगत हो सके। इस प्रकार, ठेकेदार को **₹** 2.27 करोड़ का भुगतान पहले से ही ठेका दायित्वों के अंतर्गत शामिल हो चुके मद के लिए था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान हुआ। इसी प्रकार, नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल की तीन परियोजनाओं में, कार्य के दौरान जनता की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 4,37,458.60 घन मीटर मिट्टी के परिवहन के लिए ठेकेदारों को **₹** 5.07 करोड़ **(परिशिष्ट 3.5)** की राशि का भुगतान किया गया था। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के कारण, सार्वजनिक असुविधा से बचने के लिए खुदाई की गई मिट्टी को परिवहन किया गया और वापस लाया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि ठेकेदार को कार्य की स्थिति के बारे में मालूम होना आवश्यक था और तदनुसार दर उद्धृत करना था।
		5.52	**(च)** खनन विभाग ने अपने आदेश दिनांक 04 मार्च 2016 द्वारा ठेकेदारों के बिलों से कार्यों में उपभोग की गई सामग्री के लिए रॉयल्टी की कटौती करने और उसे त्रैमासिक आधार पर राजकोष में जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। स्थानीय नगरीय निकायों-इंदौर, ग्वालियर एवं मुरैना के तीन अनुबंधों में ठेकेदार के चलित देयकों से रेत व गिट्टी के उपयोग के लिए रायल्टी प्रभारों के मद में कोई कटौती नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 5.52 करोड़ **(परिशिष्ट 3.6)** का अनुचित वित्तीय लाभ हुआ। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर में रॉयल्टी शुल्क ठेकेदार के अंतिम बिल में काटा जाएगा और नगरीय स्थानीय निकाय ग्वालियर और मुरैना में रॉयल्टी शुल्क अंतिम माप के बाद काटा जाएगा।
		134.98	**(छ)** ठेका की सामान्य शर्तों की धारा **15.1** के अनुसार, कार्य करने के लिए अनुमन्य समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा। समय-सीमा और/ या चरणबद्धता का पालन करने में ठेकेदार से चूक

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			होने पर विफलता पर **0.5** प्रतिशत प्रतिदिन की दर से परिसमापन क्षति भी आरोपणीय होगा। सात नगरीय स्थानीय निकायों के नौ कार्यों में, ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर चरणबद्ध कार्य करने में विफल रहे। कार्यों के पूरा होने में देरी के परिणामस्वरूप, मल-जल उपचार में देरी हुई। इसके अलावा, इस प्रकार के असामान्य विलंब के लिए आरोपणीय ₹ 134.98 करोड़ **(परिशिष्ट 3.7)** की अधिकतम शास्ति के विरूद्ध नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि ठेका अनुबंध के अनुसार पूर्ण परियोजनाओं (ग्वालियर, इंदौर और मुरैना) के लिए परिसमापन क्षति आरोपित किया गया है और चल रही परियोजनाओं पर परिसमापन क्षति कार्य को अंतिम रूप देने के समय आरोपित किया जाएगा। सतना मलप्रवाह परियोजना समाप्त कर दी गई और ठेकेदार की बैंक गारंटी (बीजी) जब्त कर ली गई। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ठेका (पूर्ण परियोजनाओं के लिए) के संदर्भ में शास्ति आरोपित करने से संबंधित आदेश लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
		4.15	**(ज)** ठेका की विशेष शर्त के धारा 3 के खंड 9 के अनुसार- स्थल पर ठेकेदार द्वारा खुदाई की गई कठोर चट्टान जैसी सभी उपयोगी सामग्री नियोक्ता की संपत्ति होगी और ठेकेदार को ₹ 200/ प्रति घनमीटर की निर्गम दर पर जारी की जाएगी। ठेकेदार इस बात के लिए बाध्य होगा कि वह प्राप्त कठोर चट्टान को आवश्यकतानुसार आकार में तोड़कर उसका उपयोग गिट्टी, मेटल समुच्चय आदि के रूप में कंक्रीट कार्य में करेगा और जैसा इंजीनियर द्वारा निर्देशित किया जाय। दो नगरीय स्थानीय निकायों के चार कार्यों में, यद्यपि कि ठेकेदार ने 2,29,296.33 घन मीटर कठोर चट्टान की खुदाई की थी लेकिन ठेका की शर्तों के अनुसार वसूली नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 4.15 करोड़ **(परिशिष्ट 3.8)** की अनुचित वित्तीय सहायता प्रदान की गई। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि ठेकेदार के आगामी/ अंतिम बिलों में लागू राशि की कटौती की जाएगी।
		निरंक	**(झ)** नगरीय स्थानीय निकाय, सतना की मलप्रवाह परियोजना का कार्य ₹ 191.56 करोड़ की लागत पर एक फर्म (मेसर्स केके स्पैन प्राइवेट लिमिटेड) को दिया गया था। वर्षा ऋतु सहित 36 माह के भीतर अर्थात 4 दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का कार्य आदेश (5 दिसम्बर 2016) जारी किया गया। हालाँकि, धीमी प्रगति एवं घटिया कार्य क्रियान्वयन के कारण 6 अप्रैल 2021 को ठेका समाप्त कर दिया गया। ठेका निरस्तीकरण तक ठेकेदार को उसके **22**वें चलित देयक दिनांक 28 मई 2021, तक ₹39.36 करोड़ का भुगतान कर दिया गया था। ₹39.36

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			करोड़ में से ₹ 11.52 करोड़ का भुगतान सड़क मरम्मत कार्यों के लिए किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के अपूर्ण अंतिम बिल को अंतिम रूप देते समय सड़क मरम्मत कार्यों के लिए ठेकेदार को पहले से भुगतान की गई राशि का 50 प्रतिशत ₹ 5.76 करोड़ घटिया कार्य के निष्पादन के कारण कटौती करने का प्रस्ताव था। अपूर्ण अंतिम बिल को अंतिम रूप देने के समय घटिया कार्य के कारण यह कटौती, विभागीय अधिकारियों की ढिलाई को दर्शाती है जो ठेकेदार को 22वें चलित देयक के भुगतान तक घटिया कार्य पर ध्यान देने में विफल रहे। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि चूँकि ठेका समाप्त हो गया है, ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्यों को ₹ 5.76 करोड़ की कटौती के साथ अंतिम बिल की तैयारी के दौरान फिर से मापा गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भुगतान करने से पूर्व विभागीय अधिकारियों द्वारा कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जानी थी और इस प्रकरण में 22वें चलित देयक के भुगतान के बाद घटिया कार्य देखा गया।
4	पाइपलाइन के कार्य में अवरोधक पर अतिरिक्त भुगतान	5.73	ठेका के अध्याय-2 के खंड 1.7 के अनुसार- कार्य की प्रगति के दौरान, ट्रेंचों में पाइप डालने एवं जोड़ने के बाद भरने तक; प्रकाश व्यवस्था, अवरोधक, ट्रेंचों की देखरेख और चौकीदार का निर्वाह, ठेकेदार द्वारा उसकी स्वयं के व्यय पर किया जायेगा। नगरीय स्थानीय निकाय मुरैना, में मलप्रवाह परियोजना प्रणाली के निर्माण का कार्य मेसर्स स्टैंडर्ड इंफ्राटेक इंडिया प्रा. लिमिटेड, हैदराबाद को ₹ 125 करोड़ की अनुमानित लागत के विरूद्ध ₹ 128.07 करोड़ में आवंटित किया गया था। कार्य प्रारम्भ करने का कार्य आदेश दिनांक 12 जुलाई 2016 को 24 माह की निर्धारित अवधि में दिनांक 11 जुलाई 2018 तक कार्य पूर्ण करने के लिए, जारी किया गया। कार्य पूर्ण हो गया और 28वें अंतिम देयक तथा पहले के देयक द्वारा ठेकेदार को ₹ 154.96 करोड़ का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीवर लाइनों के लिए अवरोधकों के लिए 1,57,985 रनिंग मीटर हेतु ₹ 5.73 करोड़ (₹ 363.30 प्रति रनिंग मीटर की दर से निविदा प्रतिशत यानी 2.456 प्रतिशत ऊपर) की राशि का भुगतान ठेकेदार को एक अतिरिक्त मद के रूप में किया गया था, जो कि कार्य का प्रासंगिक होने के कारण भुगतान योग्य नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.73 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ है। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि ठेकेदार का अंतिम बिल लंबित है। मामले की पुनः जाँच की जाएगी और अधिक भुगतान होने पर राशि की वसूली की जाएगी।
5	एसटीपी के निर्माण में ठेकेदार को अधिक	2.78	नगरीय स्थानीय निकाय, विदिशा में मलप्रवाह परियोजना के कार्यक्षेत्र में ₹ 17.81 करोड़ (मूल्य विश्लेषण अनुसूची के अनुसार) की कुल

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	भुगतान के परिणामस्वरूप अवरुद्ध निधि।		लागत पर 6.75 एमएलडी (हरिपुरा पेरिया नाला के पास), 7.75 एमएलडी (अरिहंत कॉलोनी के पास) और 7.75 एमएलडी (गौशाला के पास) के तीन एसटीपी के निर्माण शामिल थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि कार्यक्षेत्र को क्रियान्वयन के दौरान बदल दिया गया और प्रस्तावित तीन एसटीपी के स्थान पर 22.25 एमएलडी के एक एसटीपी का निर्माण किया गया। यद्यपि विभाग इस तथ्य से अवगत था लेकिन एक एसटीपी और तीन एसटीपी के निर्माण में लागत के अंतर की गणना/ समायोजन (₹ 2.78 करोड़) नहीं किया गया था। ठेकेदार को एक एसटीपी के निर्माण के लिए ₹ 18.07 करोड़ (मार्च 2021) का भुगतान किया गया था और ₹ 3.24 करोड़ के बजाय केवल ₹ 46.27 लाख की वसूली की गई थी। नगरीय स्थानीय निकाय ने कहा (मार्च 2023) कि लागत का पूरा अंतर अंतिम बिल में वसूल किया जाएगा। इस प्रकार, यूएलबी द्वारा विवेक की कमी के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 2.78 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ और दो वर्ष से अधिक समय तक निधि अवरुद्ध रही। इसलिए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि ठेका अनुबंध में ब्याज की कटौती का कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार को अग्रिम भुगतान ने ठेकेदार को उस सीमा तक नकदी प्रदान की थी। इसलिए आपत्ति की गई राशि पर ब्याज की वसूली की जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
6	उत्खनन सामग्री की अधिक मात्रा के परिवहन के कारण अधिक भुगतान	0.82	लेखापरीक्षा ने पाया कि नगरीय स्थानीय निकाय, मुरैना के मल-जल परियोजना में, मलप्रवाह पाइपलाइन बिछाने के लिए उपलब्ध फ्लेक्सिबल पेवमेंट, स्ट्रक्चर और कंक्रीट पेवमेंट की 1,50,847 घन मीटर मात्रा को ठेकेदार ने नष्ट किया था। जबकि, नष्ट की गई उक्त मात्रा के विरूद्ध 2,29,616 घन मीटर की मात्रा के पाँच किमी की दूरी के परिवहन के लिए भुगतान किया गया। इस प्रकार, नष्ट की गई मात्रा से अधिक मात्रा के परिवहन के लिए भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 0.82 करोड़ (78,769×104.51) का अतिरिक्त भुगतान हुआ। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार निष्पादित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिवहन की गई सामग्री की मात्रा नष्ट की गई सामग्री की मात्रा से अधिक थी।
7	भराव पर अतिरिक्त भुगतान	0.36	नगरीय स्थानीय निकाय, मुरैना के मल-जल परियोजना में, ठेकेदार ने पाइपों को बिछाने के लिए आवश्यक ट्रेंचों के लिए 4,96,817.43 घन मीटर मिट्टी की खुदाई की थी, जिसे 5,56,330 घन मीटर मिट्टी (भवन

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			आईएसएसआर का मद 2.25) का उपयोग करके भरा गया था। इस प्रकार, पुनर्भरण की गई मात्रा 59,512.57 घन मीटर अधिक थी। उत्खनित मात्रा से भराव की मात्रा की अधिकता के भुगतान के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 0.36 करोड़ (59512.562x60.45) का अधिक भुगतान हुआ। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार निष्पादित किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भराव की मात्रा खाइयों से खोदी गई मात्रा से अधिक थी।
8	दोष दायित्व अवधि के लिए संचालन और अनुरक्षण में अनुरक्षण लागत का अनियमित समावेश	-----	मलप्रवाह कार्यों के ठेका के प्रावधानों के अनुसार परियोजना के सफल समापन के बाद ठेकेदार को 10 वर्षों की अवधि के लिए संचालन और अनुरक्षण करना था। इन 10 वर्षों में से पहले पाँच वर्षों की अवधि दोष दायित्व अवधि थी, जिसमें सभी मरम्मत और रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि, नगरीय स्थानीय निकाय, सागर ने मल-जल तंत्र के निर्माण का कार्य एक फर्म (मेसर्स लक्ष्मी सिविल एंड खिलारी इन्फ्रास्ट्रक्चर, कोल्हापुर) को दिया था और प्रारम्भ के पाँच वर्षों के लिए ₹ 33.28 लाख प्रति वर्ष की दर से सिविल कार्यों के अनुरक्षण, ₹ 74.73 लाख प्रति वर्ष की दर से पाइपलाइनों के अनुरक्षण एवं ₹ 193.90 लाख प्रति वर्ष की दर से एसटीपी के पंपिंग स्टेशनों के अनुरक्षण का प्रावधान अनुबंध में किया गया था, जो कि अनियमित था, क्योंकि प्रथम पाँच वर्षों की अवधि दोष दायित्व अवधि थी और सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण ठेकेदार द्वारा उसकी लागत से किया जाना था। यदि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रावधानों के अनुसार भविष्य में इसका भुगतान किया जाता है तो इससे ठेकेदार को ₹ 15.09 करोड़ (33.28 लाख x 5+74.73 लाख x 5+193.90 लाख x 5) की अनुचित वित्तीय सहायता मिल सकती है। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए संचालन और अनुरक्षण का कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा ठेकेदार के भुगतान कार्यक्रम में उचित संशोधन किया जाना चाहिए।
9	नींव के भराव के लिए अनियमित भुगतान	0.94	नगरीय स्थानीय निकाय, भोपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोलार क्षेत्र की मल-जल परियोजना का कार्य मेसर्स अंकिता कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपर्युक्त परियोजना के दक्षिण जोन-3 में मलप्रवाह तंत्र और एसटीपी के निर्माण में नींव कार्य के भराव के लिए ठेकेदार ने एक अतिरिक्त मद (आईएसएसआर की मद संख्या 2.27.3) का दावा किया था। इसके अलावा, पीडीएमसी वैपकॉस लिमिटेड (कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और ठेकेदार के देयकों के पुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार फर्म) ने नींव भराव में उपयोग की गई सामग्री का

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			परीक्षण किया और भराव कार्य की दरों (आईएसएसआर की मद सं. 2.27.3 @570-10%=513) के संबंध में आपत्ति उठाई, क्योंकि नींव भराव के कार्य में उपयोग की गई सामग्री मुरुम/ हार्ड कोपरा के स्थान पर रेत मिश्रित मिट्टी थी। वैपकॉस ने यह भी अभिलेखित किया कि ऐसा प्रतीत होता है कि पाइपलाइन ट्रेंचों की खुदाई से प्राप्त सामग्री का उपयोग नींव भराई कार्य में किया गया था। पीडीएमसी द्वारा उपर्युक्त आपत्ति के बावजूद, नींव भराव के लिए ₹ 1.14 करोड़ (22,160.062 घन मीटर @513=1,13,68,399) की राशि का भुगतान ठेकेदार को किया गया था। इस प्रकार पीडीएमसी पत्र के संदर्भ में यह भुगतान अनियमित है क्योंकि ठेकेदार को केवल 87.70 प्रति घन मीटर की दर से परिवहन शुल्क देय था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 94,24,246 {22160 X(513-87.70)} का अनियमित भुगतान हुआ। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि भुगतान स्थल पर सामग्री भरे जाने के अनुसार किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सामान्य उत्खनित मिट्टी (और मुरुम नहीं) का भुगतान नगरीय स्थानीय निकाय के सलाहकार की अनुशंसा के अनुसार किया जाना था।
10	मद "भरने" के लिए इकाई दर के गलत अनुप्रयोग के कारण परिहार्य व्यय	1.71	यूएडीडी के पास भवन निर्माण कार्यों तथा जल आपूर्ति, मलप्रवाह और नलकूप कार्यों के लिए अलग-अलग आईएसएसआर था। दोनों आईएसएसआर में 'सभी प्रकार कीं मिट्टी की खुदाई' और 'ट्रेंचों में भराव के लिए उपलब्ध खुदाई वाली मिट्टी (चट्टान को छोड़कर)' के कार्यों के लिए अलग-अलग दरें हैं। दूसरे मद अर्थात, 'ट्रेंचों में भराव के लिए उपलब्ध खुदाई की गई मिट्टी को भरना...' की दर भवन निर्माण कार्यों के आईएसएसआर की दर से ₹ 30 अधिक है, जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में दर्शाया गया है। मुरैना नगर की मलप्रवाह व्यवस्था के अनुबंध में, ट्रेंच उत्खनन की दर जल आपूर्ति, मलप्रवाह एवं नलकूप कार्यों की आईएसएसआर से ली गयी थी लेकिन 'भराई' के मद को भवन निर्माण कार्यों की आईएसएसआर से लिया गया था (जो ₹ 30 अधिक है)। इस प्रकार, उच्च दर की सामग्री को अपनाने के परिणामस्वरूप ठेकेदार को ₹ 1.71 करोड़[19] का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

19

28वें चलित देयक तक क्रियान्वयित मात्रा (घन मीटर में)	दर मलप्रवाह के आईएसएसआर के अनुसार निविदा प्रतिशत को शामिल कर देय दर (घन मीटर में)	भवन के आईएसएसआर के अनुसार निविदा प्रतिशत को शामिल कर देय दर (घन मीटर में)	दर अंतर (घन मीटर में) (स-ब)	कुल अतिरिक्त भुगतान (₹) (अ×द)
अ	ब	स	द	य
5,56,330	29.71 (29+.71)	60.45 (59+1.45)	30.74	1,71,01,584

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि भराव दर ठेका अनुबंध की धारा -4 (बिल ऑफ क्वान्टिटी) से ली गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यूएडीडी के मलप्रवाह कार्यों के आईएसएसआर में उपलब्ध उत्खनन सामग्री से भरने की वस्तु की दर को अनुबंध में लागू किया जाना था। अनुबंध/ बीओक्यू में अन्य आईएसएसआर की दरों के ऐसे प्रावधान के परिणामस्वरूप ₹ 1.71 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ
11	एसटीपी का विस्तृत माप अभिलेखित नहीं किया जाना	537.17	एमपीडब्ल्यूडी नियमावली की कंडिका 4.017 के अनुसार, माप पुस्तिका एक सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख है। यह किए गए कार्य की मात्राओं, किए गए क्रय के सभी खातों का आधार है, और इसमें तथ्यों का ऐसा पूरा अभिलेख होना चाहिए जिससे कि यह न्यायालय में निर्णायक साक्ष्य हो सके। कार्य/ सामग्री का विवरण स्पष्ट और इस प्रकार होना चाहिए कि इसकी आसानी से पहचान और जाँच की जा सके। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि सात नगरीय स्थानीय निकायों के 11 कार्यों में एसटीपी के निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों को ₹ 537.17 करोड़ **(परिशिष्ट 3.10)** का एकमुश्त भुगतान किया गया था, जिसके लिए ऊपर बताए अनुसार विस्तृत माप नहीं रखा गया था और लेखापरीक्षा द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके अलावा, कार्य में प्रयुक्त धातु, रेत आदि जैसी सामग्रियों पर लगने वाली रॉयल्टी का भी पता नहीं लगाया जा सका। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि एसटीपी की माप पुस्तिका में दर्ज की जाती है। अनुमोदित भुगतान अनुसूची के अनुसार कार्यों को माप पुस्तिका (एमबी) में दर्ज किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्र लेखापरीक्षा के दौरान एसटीपी की कोई माप पुस्तिका/ विस्तृत माप की पंजी लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की गयी थी।
12	एसटीपी के निर्माण के लिए दरों का अनुचित प्रकार से लागू होना		लेखापरीक्षा में पाया गया कि यूएडीडी के आईएसएसआर में एसटीपी के निर्माण के लिए मदों की दर प्रदान नहीं की गई थी। इसकी अनुपस्थिति में, नगरीय स्थानीय निकाय या पीडीएमसी ने एसटीपी के निर्माण की लागत के अनुमान के लिए विभिन्न राज्यों/ संस्थानों के एसओआर में उपलब्ध दरों को मनमाने ढंग से अपनाया। एक समान दर न अपनाने के परिणामस्वरूप विभिन्न एसटीपी कार्यों में प्रति एमएलडी ₹ 0.73 करोड़ से ₹ 2 करोड़ तक की लागत में अंतर आया, जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में दिखाया गया है। शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि अनुमान प्रचलित आईएसएसआर और दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए थे और निविदाएं जारी की गई थीं।

क्र. सं.	प्रेक्षण का संक्षिप्त विवरण	(राशि ₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी
			उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त कार्य के लिए अपनाई गई दरों में कोई एकरूपता नहीं थी और ऐसे समान कार्यों के लिए मनमाने ढंग से दूसरे राज्य से अलग-अलग एसओआर की दरें अपनाई गईं।

3.6 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

9. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सीपीएचईईओ नियमावली के अनुरूप शहरी स्वच्छता योजना को तैयार कर यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि सभी नगर निगम क्षेत्र और सभी घर मलप्रवाह तंत्र से जुड़े हुए हैं।
10. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मल-जल तंत्र को लागू करने में सभी संबंधित विभागों के समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने पर विचार किया जाना अपेक्षित है।
11. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा मल-जल का प्रबंधन सुनिश्चित करना एवं तदनुसार उपचारित जल के पुन: उपयोग और कीचड़ को खाद में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।
12. मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि मल-जल उपचार की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सभी एसटीपी पर ओसीईएमएस स्थापित किया गया है।
13. शासन द्वारा मलप्रवाह परियोजनाओं के अंतर्गत कार्यों के अनुबंधों में अधिक/अनियमित भुगतान करने की जाँच कर जिम्मेदारी तय करना और अंतिम भुगतान करने से पूर्व ठेका की शर्तों और आईएसएसआर दरों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित किया जाना अपेक्षित है।

अध्याय 4

विशेष अपशिष्ट

अध्याय 4

विशेष अपशिष्ट

विशेष अपशिष्ट में किसी भी ठोस अपशिष्ट या ठोस अपशिष्टों का मिश्रण शामिल होता है जिसकी मात्रा, सांद्रता, भौतिक और रासायनिक विशेषताओं या जैविक गुणों के कारण, मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण की रक्षा करने और इसकी पुनर्चक्रण क्षमता का दोहन करने के लिए, विशेष निगरानी और निपटान की आवश्यकता होती है।

विशेष अपशिष्ट में मुख्य रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट और जैव-अपशिष्ट शामिल होता है। विशेष अपशिष्ट के अंतर्गत, तीन अपशिष्टों जैसे प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट, सी एंड डी अपशिष्ट को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। इन तीनों अपशिष्टों के प्रबंधन में पाई गई कमियों की चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई है-

4.1 प्लास्टिक अपशिष्ट

आज, प्लास्टिक लगभग हर वस्तु; हमारे धन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक में उपस्थित है और इसका उपयोग पैकेजिंग, भवन, निर्माण, परिवहन, औद्योगिक मशीनरी एवं स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। प्लास्टिक अपशिष्ट से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए, दीर्घकालीन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पी डब्ल्यू एम) की कमी हमारे पर्यावरण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विश्व स्तर पर एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के वर्ष 2019-20 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार, वर्ष 2019-20 की अवधि में भारत (सभी 35 राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों) में अनुमानित प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन लगभग 34,69,780 एमटीपीए[1] था। इसके अतिरिक्त, विगत पाँच वर्षों (2015-16 से 2019-20 तक) में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन लगभग दोगुना हो गया। वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान विभिन्न राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों में प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन और प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन का प्रतिशत वार वितरण **चार्ट 4.1 और 4.2** में दर्शाया गया है-

---

[1] मिलियन टन प्रति वर्ष।

चार्ट 4.1: भारत के राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रतिशत	चार्ट 4.2: वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन
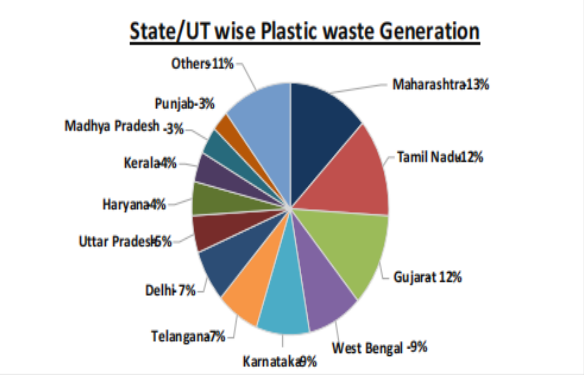	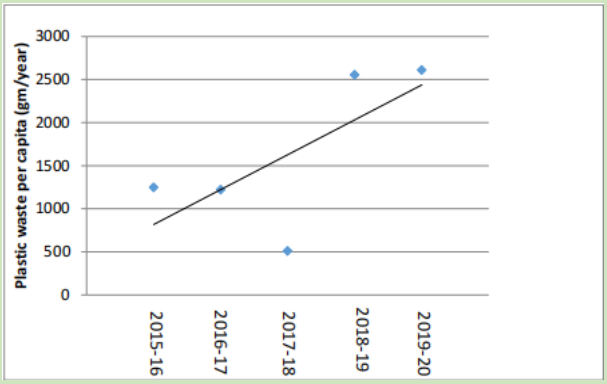

(स्रोत: वर्ष 2019-20 के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर सीपीसीबी का वार्षिक प्रतिवेदन)

वर्ष 2019-20 की अवधि में प्लास्टिक उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान केवल तीन प्रतिशत था। वर्ष 2017-22 के दौरान मध्यप्रदेश में उत्पन्न एवं पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थिति **तालिका 4.1** में दी गई है।

तालिका 4.1: वर्ष 2017-22 के दौरान मध्यप्रदेश में उत्पादित एवं निस्तारित प्लास्टिक अपशिष्ट की स्थिति

(मात्रा एम.टी.पी.ए. में)

क्र.सं.	वर्ष	उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट	प्लास्टिक अपशिष्ट का निस्तारण (पुनर्चक्रण, सह-प्रसंस्करण, सड़क निर्माण आदि के माध्यम से)	उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट की तुलना में पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रतिशत (प्रतिशत में)	पुनर्चक्रण न किया गया प्लास्टिक अपशिष्ट
1	2017-18	61,037.00	48,155.26	78.89	12,881.74
2	2018-19	72,327.39	72,065.35	99.64	262.04
3	2019-20	1,21,079.00	1,16,898.00	96.55	4,181.00
4	2020-21	1,38,483.58	1,18,988.62	85.92	19,494.96
5	2021-22	1,32,955.40	2,85,902.10[2]	215.04	निरंक

(स्रोत: एमपीपीसीबी द्वारा सीपीसीबी को प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन)

[2] प्लास्टिक के उत्पादन और निपटान का डेटा सीपीसीबी को प्रस्तुत किए गए एमपीपीसीबी के वर्ष 2016-17 से 2021-22 के वार्षिक प्रतिवेदनों से लिया गया है। वर्ष 2021-22 की एमपीपीसीबी के वार्षिक प्रतिवेदन में स्थानीय कबाड़ियों द्वारा विरासती अपशिष्ट स्थलों से संग्रह किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और राज्य के बाहर से संग्रह किए गए प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के कारण (2,85,902.10 एमटीपीए) प्लास्टिक अपशिष्ट का निपटान, उत्पादित अपशिष्ट (1,32,955.40 एमटीपीए) से अधिक दिखाया गया।

तालिका 4.1 से यह देखा जा सकता है कि 2017-21 की अवधि में प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लागू किए जाने के बाद भी 226.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करके, 61,037 एमटीपीए से बढ़कर 1,38,483.58 एमटीपीए हो गया है। हालाँकि, वर्ष 2021-22 के दौरान प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन थोड़ा कम हुआ है, लेकिन फिर भी यह वर्ष 2017-18 के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का 217.83 प्रतिशत था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान पुनर्चक्रित अपशिष्ट का प्रतिशत 78.89 से 99.64 प्रतिशत के बीच था।

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नियामक संरचना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार ने, प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और संचालन) नियम, 2011 (पीडब्ल्यू नियम, 2011) को अधिसूचित किया (फरवरी 2011)। इसे भारत सरकार द्वारा अधिसूचित (18 मार्च 2016) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (पीडब्लूएम नियम, 2016) द्वारा संशोधित किया गया था। ये नियम प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, स्थानीय निकाय, निर्माता, आयातक और उत्पादक पर लागू थे।

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा, पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के गैर-अनुपालन जैसे उपनियम बनाने, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं की स्थापना, पीडब्ल्यूएम प्रणाली की स्थापना में उत्पादकों की सहायता लेने, प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने, सड़कों के निर्माण ऊर्जा पुनः प्राप्ति में प्लास्टिक का उपयोग करने, पीडब्ल्यूएम के लिए एसएलएसी के गठन तथा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण की रूप-रेखा तैयार करने सहित अनेक विषयों पर कमियाँ पाईं। लेखापरीक्षा ने पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अनुसार आवश्यक निगरानी में भी कुछ कमियाँ पाईं। लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई इन कमियों की चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई है।

4.1.1 प्लास्टिक अपशिष्टों, उनके प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के प्रबंधन के लिए उपनियम तैयार करना

पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 6 (4) के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय को इन नियमों के प्रावधानों को समाहित करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उप-नियम बनाना आवश्यक था। इसके अलावा, पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 का नियम 6 (1) यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण,

परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए या तो स्वयं या एजेंसियों अथवा उत्पादकों को संलग्न कर बुनियादी ढाँचे के विकास और स्थापना के लिए उत्तरदायी होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की गई कुल 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से केवल तीन[3] ने प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उपनियम तैयार किए थे, हालाँकि, इस संबंध में धार और पिछोर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 26[4] नगरीय स्थानीय निकायों ने इसके लिए उपनियम तैयार नहीं किया, जबकि शेष पाँच[5] नगरीय स्थानीय निकायों ने उपनियम बनाने के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी थी। जिसके परिणामस्वरूप-

- नगरीय स्थानीय निकाय इन नियमों को प्रभावी तरीके से लागू नहीं कर सके और नगरीय स्थानीय निकाय में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, नगर निगम के भूमिभरण स्थल में, ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पड़ा पाया गया जैसा कि चित्र **4.1 और 4.2** में दर्शाया गया है।

चित्र 4.1 और 4.2: नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया गया प्लास्टिक अपशिष्ट

चित्र 4.1- मुरैना में भूमिभरण स्थल पर अन्य नगरीय अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया गया प्लास्टिक अपशिष्ट	**चित्र 4.2- नलखेड़ा में भूमिभरण स्थल पर अन्य नगरीय अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया गया प्लास्टिक अपशिष्ट**

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

- भूमिभरण स्थल पर प्लास्टिक अपशिष्ट अन्य नगरीय अपशिष्ट के साथ मिला हुआ पड़ा था। इन प्लास्टिक मिश्रित अपशिष्ट को पशुओं द्वारा उपभोग करते हुए पाया गया जैसा कि **चित्रों 4.3 से 4.6** में दर्शाया गया है-

---

[3] धार, इंदौर और पिछोर।

[4] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल, उचेहरा और विदिशा।

[5] भिंड, भोपाल, मैहर, शिवपुरी और सतना।

चित्र 4.3 से 4.6: पशुओं द्वारा उपभोग किया जा रहा प्लास्टिक अपशिष्ट

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>चित्र 4.3- शिवपुरी भूमिभरण स्थल पर पशुओं द्वारा उपभोग किया जा रहा प्लास्टिक अपशिष्ट</td>
<td>चित्र 4.4- भिंड भूमिभरण स्थल पर पशुओं द्वारा उपभोग किया जा रहा प्लास्टिक अपशिष्ट</td>
</tr>
<tr>
<td>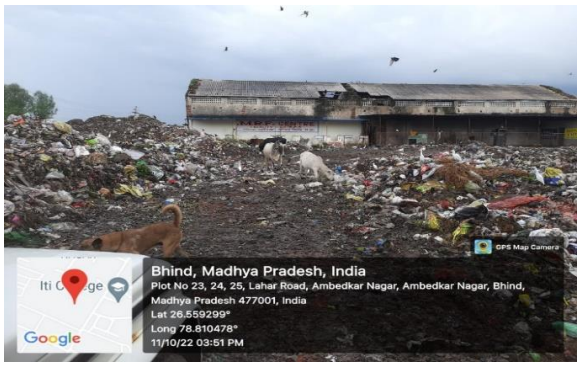
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>चित्र 4.5- भिंड भूमिभरण स्थल पर पशुओं द्वारा उपभोग किया जा रहा प्लास्टिक अपशिष्ट</td>
<td>चित्र 4.6- कुक्षी भूमिभरण स्थल पर पशुओं द्वारा उपभोग किया जा रहा प्लास्टिक अपशिष्ट</td>
</tr>
</table>

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

- लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि 26[6] नगरीय स्थानीय निकायों के पास प्लास्टिक अपशिष्ट के सुरक्षित पुनर्चक्रण/ निस्तारण के लिए न तो कोई प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण/ निस्तारण की सुविधा थी और न ही प्लास्टिक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण या निस्तारण के लिए अपशिष्ट पुनर्चक्रण एजेंसियों/ उत्पादकों के साथ कोई अनुबंध किया गया था। केवल पाँच[7] नगरीय स्थानीय निकायों के पास पुनर्चक्रण सुविधाएँ थीं लेकिन इन नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और शेष तीन[8] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया। परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में बिना पुनर्चक्रित प्लास्टिक

---

6 अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मंदसौर, मालनपुर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, सागर, साँची, शहडोल, उचेहरा और विदिशा।

7 धार, इंदौर, मंडलेश्वर,रतलाम और सतना।

8 भिंड, भोपाल और मैहर।

अपशिष्ट, अपशिष्ट प्रसंस्करण स्थल/ भूमिभरण स्थल और जल स्रोतों के पास **(चित्र 4.7 से 4.12)** मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाते हुए पड़ा था।

चित्र 4.7 से 4.12: प्रसंस्करण/ भूमिभरण स्थल और जल स्रोतों के निकट बिना पुनर्चक्रित प्लास्टिक अपशिष्ट

चित्र 4.7: करेली में भूमिभरण स्थल पर पड़ा हुआ/ अनुपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट

चित्र 4.8: रतलाम में भूमिभरण स्थल पर पड़ा हुआ/ अनुपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट

चित्र 4.9: दमोह में जल निकायों के पास पड़ा हुआ/ अनुपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट

चित्र 4.10: शिवपुरी में जल निकायों के पास पड़ा हुआ/ अनुपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट

चित्र 4.11: रतलाम में जल निकायों के पास पड़ा हुआ/ अनुपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट

चित्र 4.12: खिरकिया (हरदा) में जल निकायों के पास पड़ा हुआ/ अनुपचारित प्लास्टिक अपशिष्ट

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

शासन ने कहा (अगस्त 2023) कि सभी 34 नगरीय स्थानीय निकायों ने मध्यप्रदेश शासन की राजपत्र अधिसूचना (नं. 05-एफ 1-02/ 2021/ 18-3) के अनुसार नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पर अपने नगरपालिका उपनियम तैयार किए थे, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन

के प्रावधानों को भी शामिल किया गया। आगे कहा गया कि सभी 34 नगरीय स्थानीय निकायों के पास अलग-अलग डिब्बों में सूखे अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण के लिए सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएँ (एमआरएफ) थीं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को पीडब्लूएम नियमों के प्रावधानों को शामिल करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अलग से उपनियम बनाने की आवश्यकता थी। जैसा कि उत्तर में बताया गया है, दिनांक 22 मार्च 2021 की राजपत्र अधिसूचना, केवल नगरीय स्थानीय निकाय इंदौर के प्लास्टिक अपशिष्ट उपनियमों की है, जबकि अन्य 33 नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा तैयार किए गए उपनियमों के संबंध में उत्तर के पुष्टीकरण हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसके अलावा, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण/ निपटान के लिए सुविधाओं के विद्यमान होने या अपशिष्ट पुनर्चक्रण एजेंसियों/ उत्पादकों के साथ किसी अनुबंध के संबंध में प्रस्तुत उत्तर किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है।

4.1.2 प्लास्टिक थैली उपलब्ध कराने के इच्छुक दुकानदारों एवं फुटपाथ विक्रताओं को पंजीकृत नहीं किया जाना

पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 का नियम 15 यह निर्धारित करता है कि:

- किसी भी वस्तु के वितरण के लिए ग्राहकों को प्लास्टिक थैली उपलब्ध कराने के इच्छुक दुकानदार और फुटपाथ विक्रेता स्थानीय निकाय में पंजीकृत होंगे। स्थानीय निकाय, पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के अंतिम प्रकाशन की दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर, संबंधित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क के भुगतान पर, ऐसे पंजीकरण के लिए प्रावधान करेगा;
- केवल पंजीकृत दुकानदार या फुटपाथ विक्रेता ही वस्तुओं के वितरण के लिए प्लास्टिक थैली उपलब्ध कराने के पात्र होंगे; तथा
- स्थानीय निकाय, थैली के लिए ग्राहकों द्वारा भुगतान की गई राशि का अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अनिवार्य रूप से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की सततता के लिए उपयोग करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 29[9] नगरीय स्थानीय निकायों के पास उन दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं के पंजीकरण के लिए कोई प्रणाली नहीं थी जो ग्राहकों को सामान ले जाने

[9] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, सतना, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

के लिए प्लास्टिक थैली उपलब्ध कराने के इच्छुक थे। यह प्रणाली केवल धार नगरीय स्थानीय निकाय में लागू की गई थी, लेकिन लेखापरीक्षा को इस संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया जबकि चार[10] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

इस प्रकार, ऐसी प्रणाली के अभाव में, नगरीय स्थानीय निकायों ने न केवल वस्तुओं को ले जाने के लिए प्लास्टिक थैली उपलब्ध कराने वाले दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं पर अपना नियंत्रण नहीं रखा बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की सततता हेतु दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क की वसूली करने से भी वंचित हो गए।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सभी 34 नगरीय स्थानीय निकाय पंजीकृत थे और एकल प्रयोग प्लास्टिक (एसयूपी) के अनुपालन के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) निगरानी मॉड्यूल में एक खाता बनाया गया था। नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट की संस्थाओं को पोर्टल पर जोड़ा जा रहा है और राज्य भर में 1,000 से अधिक संस्थाएँ पहले से ही पंजीकृत हैं और यह एक सतत् प्रक्रिया है। पंजीकृत संस्थाओं को नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त फील्ड निरीक्षण अधिकारी को आवंटित किया जाता है और पीडब्लूएम के नवीनतम मानदंडों के अनुसार इकाई का निरीक्षण किया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि किसी भी वस्तु के वितरण के लिए ग्राहकों को प्लास्टिक वितरण बैग उपलब्ध कराने के इच्छुक सभी दुकानदारों और फुटपाथ विक्रेताओं को पीडब्लूएम नियम 2016 के नियम 15 के अनुसार, नियमों के प्रकाशन की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर नगरीय स्थानीय निकायों के साथ पंजीकृत किया जाना था। इसके अलावा, संस्थाओं का कथित पंजीकरण सीपीसीबी पोर्टल के संचालन (फरवरी 2022) के बाद से ही किया जा रहा है।

4.1.3 पीडब्ल्यूएम के लिए प्रणाली स्थापित करने में उत्पादकों की सहायता नहीं लेना

पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के खंड 6 (3) में कहा गया है कि स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए उत्पादकों की सहायता लेंगे और ऐसी प्रणाली इन नियमों के भारत के आधिकारिक राजपत्र में, अंतिम प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष के भीतर स्थापित की जाएगी।

[10] भिंड, भोपाल, इंदौर और मैहर।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 29[11] नगरीय स्थानीय निकायों ने पीडब्ल्यूएम के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु न तो उत्पादकों से कोई सहायता माँगी और न ही पीडब्ल्यूएम के लिए ऐसी कोई प्रणाली बनाई। केवल नगरीय स्थानीय निकाय धार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रणाली स्थापित करने में उत्पादकों से सहायता माँगी थी, हालाँकि, सहायता माँगने के संबंध में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अलावा, चार[12] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। अतः यह स्पष्ट है कि इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा उत्पादकों की सहायता से, उनके द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक के प्रबंधन के लिए, कोई योजना तैयार नहीं की गई थी। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन पर नगरीय स्थानीय निकायों की ओर से लापरवाही को दर्शाता है।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि राज्य स्तरीय बैठकों में उत्पादकों से सहायता/ सुझाव लिये गये थे। उत्पादकों के अलावा, प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादक संघ के सदस्य, एनजीओ और इस मामले के विशेषज्ञ भी वहाँ थे।

हालाँकि, इस संबंध में शासन द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.1.4 प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर रोक लगाने की पहल नहीं किया जाना

पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 4 (1) (सी) के अनुसार, थैली, प्लास्टिक शीट या इस तरह के सामान का निर्माण, आयातक भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग, या प्लास्टिक शीट और बहुस्तरीय पैकेजिंग से बना कवर; नवीन या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बना होगा जिसकी मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं होगी।

चयनित नगरीय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 11[13] नगरीय स्थानीय निकायों ने, 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले नवीन या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने थैली के भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किये। इसके अलावा, 19[14] नगरीय स्थानीय निकायों ने ऐसे निर्देश जारी किए थे और

---

[11] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, सतना, शहडोल, उचेहरा और विदिशा।

[12] भिंड, भोपाल, मैहर और शिवपुरी।

[13] अकोदिया, ब्यौहारी, दमोह, ग्वालियर, करेली, खिरकिया, मुरैना, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, सागर और उचेहरा।

[14] बालाघाट, बरघाट, बैतूल, धार, जबलपुर, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, रतलाम, साँची, सतना, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा।

चार[15] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी। इस प्रकार, 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक के उपयोग को कम करने हेतु, नमूना जाँच की गई अधिकांश नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा बचाव को प्रयुक्त नहीं किया।

आगे यह देखा गया कि मध्यप्रदेश शासन ने राजपत्र अधिसूचना (मई 2017) के माध्यम से केवल प्लास्टिक वितरण बैग के उत्पादन, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। लेखापरीक्षा के दौरान, चयनित 34 नगरीय स्थानीय निकायों में यह देखा गया कि ₹ 4.74 लाख किलोग्राम प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए गए और ₹ 1.81 करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में 50 माईक्रान से कम मोटाई की एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध जुलाई 2022 से ही लगाया गया था। स्पष्ट रूप से, प्लास्टिक की अन्य वस्तुओं जैसे 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक शीटों, प्लेटों, स्टिकों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं किया गया था।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि उसने पीडब्लूएम नियमों का अनुपालन करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया था और एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किया था।

तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 34 नगरीय स्थानीय निकायों में से 11 नगरीय स्थानीय निकायों ने एकल प्रयोग प्लास्टिक के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला कोई आदेश जारी नहीं किया है। इसके अलावा, नगरपालिक निगम, जबलपुर के अंतर्गत बाजार में प्रतिबंधित एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का खुलेआम व्यापार किया जा रहा था, जैसा कि नीचे दिखाया गया है-

प्रतिबंध के बावजूद एकल प्रयोग प्लास्टिक की बिक्री

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 (सी) के अनुसार, नवीन या पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बनी थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए थी। नगरपालिक निगम जबलपुर ने जुलाई 2022 से प्लेटों, ग्लास, गुब्बारों, आइसक्रीम और कैंडी में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक के स्टिकों में एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था (नवंबर 2021)। जबलपुर शहर में भ्रमण के दौरान यह पाया गया कि ये प्रतिबंधित वस्तुएँ बाजार में बेची जा रही थीं जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है:

[15] भिंड, भोपाल, इंदौर और मैहर।

चित्र 4.13 और 4.14 में दिखाया गया है कि प्रतिबंधित वस्तुएँ बाज़ार में बेची जा रही थीं

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

उपरोक्त से यह स्पष्ट था कि नगरीय स्थानीय निकाय, जबलपुर में एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का अनुसरण नहीं किया जा रहा था और निगम द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी।

4.1.5 सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग

पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 का नियम 5 (1)(बी) निर्धारित करता है कि स्थानीय निकाय, भारतीय सड़क कांग्रेस दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क निर्माण या ऊर्जा पुनर्प्राप्ति या अपशिष्ट

से तेल आदि के लिए, निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इन प्रौद्योगिकियों के लिए निर्दिष्ट मानकों और प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन करते हुए, प्लास्टिक अपशिष्ट (मुख्यतः वे प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे आगे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है) के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केवल तीन[16] नगरीय स्थानीय निकायों को छोड़कर, जिन्होंने इस संबंध में प्रयास किए थे, 28[17] नगरीय स्थानीय निकायों ने सड़क निर्माण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट (प्लास्टिक अपशिष्ट जिसे आगे पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता) के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। भिंड, मैहर और भोपाल नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया।

परिणामस्वरूप, वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट में से, सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग बहुत कम (0.29 प्रतिशत से 1.72 प्रतिशत के बीच) रहा, जबकि वर्ष 2017-18 के दौरान यह 14.45 प्रतिशत था। साथ ही, खतरनाक प्लास्टिक की पुनर्चक्रण प्रक्रिया को बेहतर और सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इष्टतम नहीं बनाया जा सका।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि मध्यप्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों ने सड़क निर्माण में प्लास्टिक के पुन: उपयोग, सह-प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण और उपयोग में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

तथ्य यह है कि शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट का 0.61 प्रतिशत रहा है।

4.1.6 पीडब्ल्यूएम के लिए राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के गठन में देरी और इसकी बैठकों का अपर्याप्त आयोजन

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियम 2016 के नियम 16 के अनुसार, राज्य शासन द्वारा, पीडब्लूएम नियमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, एक राज्य स्तरीय

[16] धार, रतलाम और सतना।

[17] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, सागर, साँची, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

सलाहकार समिति (एसएलएसी) का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें राज्य शासन के विभिन्न विभागों के कुल दस सदस्य, एक अध्यक्ष[18] और संयोजक[19] शामिल हों। एसएलएसी को प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बैठक करनी होगी और यदि वह आवश्यक समझे तो विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य शासन ने, पीडब्ल्यूएम नियमों के कार्यान्वयन की प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से, एसएलएसी का गठन नवंबर 2016 में दो महीनों की देरी से किया। आगे यह देखा गया कि एसएलएसी ने, वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान, केवल तीन बैठकें आयोजित कीं, जबकि पीडब्ल्यूएम नियमों के अनुसार एसएलएसी के गठन की दिनांक (नवंबर 2016) से कुल दस बैठकें आयोजित की जानी आवश्यक थीं।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि कुछ अप्रत्याशित घटनाओं जैसे राज्य में विधान सभा चुनाव, कोविड-19 स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव आदि के कारण एसएलएसी की पर्याप्त बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं।

तथ्य यह है कि एसएलएसी की अपर्याप्त बैठकों के कारण इस समिति के गठन का मूल उद्देश्य विफल हुआ।

4.1.7 विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) का तात्पर्य है किसी उत्पाद के जीवन के अंत तक उसके पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन के लिए उत्पादक की जिम्मेदारियाँ।

पीडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम 9 (1) और 9 (2) के अनुसार, उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) को, इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से छः महीने की अवधि के भीतर, राज्य नगरीय विकास विभागों को पृथक या सामूहिक रूप से शामिल करते हुए, ईपीआर के आधार पर अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली की रूप-रेखा पर काम करना था तथा स्थापना या संचालन अथवा नवीनीकरण के लिए सहमति प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय इसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि अपशिष्ट उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों ने राज्य नगरीय विकास विभागों की भागीदारी के साथ ईपीआर पर आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली की रूप-

[18] सचिव, शहरी विकास विभाग।

[19] निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।

रेखा पर काम नहीं किया क्योंकि यूएडीडी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह कहते हुए अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा तैयार की गई किसी भी कार्य योजना/ रूपरेखा को प्रस्तुत नहीं किया गया कि ईपीआर की निगरानी और पर्यवेक्षण सीपीसीबी द्वारा प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए बनाये गए केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के माध्यम से की जाती है।

अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा तैयार की जाने वाली ऐसी कार्य योजना/ रूप-रेखाओं के अभाव में प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों पर उनके ईपीआर दायित्वों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार बनाने हेतु जिससे राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट को कम किया जा सके और इसका वैज्ञानिक निपटान किया जा सके, प्रभावी नियंत्रण रखना संभव नहीं होगा।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि ईपीआर के आधार पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के तौर-तरीकों पर सीपीसीबी द्वारा विकसित ईपीआर पोर्टल के माध्यम से राज्य में एमपीपीसीबी द्वारा चिन्हित पीआईबीओ और प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा पहले ही रूपरेखा तैयार किया जा चुका है।

हालाँकि, सीपीसीबी ने फरवरी 2022 में पीडब्लूएम नियमों में संशोधन के बाद ही ईपीआर पोर्टल विकसित किया है और नगरीय स्थानीय निकायों के साथ-साथ राज्य शासन ने लेखा परीक्षा अवधि के लिए पीडब्लूएम, नियम 2016 के अनुसार अपशिष्ट उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों की भागीदारी के साथ ईपीआर पर आधारित अपशिष्ट संग्रह प्रणाली के रूप-रेखा पर काम नहीं किया है।

4.1.8 एमपीपीसीबी द्वारा की जाने वाली निगरानी में कमियाँ

एमपीपीसीबी अपने एक्सटेंडेड ग्रीन नोड (एक्सजीएन) सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में शामिल विभिन्न हितधारकों की निगरानी करता है। प्लास्टिक, ई-अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट के लिए एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का समेकित सहमति और प्राधिकार (सीसीए) मॉड्यूल प्लास्टिक, ई-अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उद्योगों को निर्धारित अवधि के दौरान प्रदान की जाने वाली सहमति/ सहमति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन तैयार करता है।

लेखापरीक्षा ने एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के सीसीए मॉड्यूल के माध्यम से प्रतिवेदन तैयार किया गया प्लास्टिक क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित डेटा प्राप्त किया और पाया कि अप्रैल 2017 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान, प्लास्टिक क्षेत्र के कुल 543 उद्योगों को सहमति प्रदान

की गई/ सहमति नवीनीकरण किया गया। इन 543 प्लास्टिक क्षेत्र के उद्योगों में से, लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा के लिए ₹ 0.45 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्लास्टिक क्षेत्रों के कुल 66 लाल श्रेणी उद्योगों का चयन किया। प्लास्टिक उद्योगों के संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित कमियाँ पाईं-

• सीसीए वैधता के बिना प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों का कार्य करना

पीडब्ल्यूएम नियम 2016 के नियम 13 के अनुसार, प्रत्येक उत्पादक, पुनर्चक्रणकर्ता और निर्माता को उत्पादन प्रारम्भ होने से पूर्व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार प्राप्त पंजीकरण को अवधि समाप्ति होने के पश्चात नवीनीकृत कराया जाना चाहिए।

एक्सजीएन सॉफ्टवेयर से प्राप्त किये गए डेटा से, लेखापरीक्षा ने यह देखा कि सात प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों ने स्थापना सहमति (सीटीई) प्राप्त की थी जिनमें से केवल चार ने सीसीए प्राप्त किया था जबकि शेष तीन[20] प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों ने सीसीए प्राप्त नहीं किया था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि उपरोक्त चार उद्योगों में से, जिन्होंने पहले सीसीए प्राप्त किया था, तीन[21] उद्योगों का सीसीए मार्च 2019 और जून 2021 के मध्य समाप्त हो गया था।

इस प्रकार, कुल छ: प्लास्टिक प्रसंस्करण अपशिष्ट उद्योग (तीन उद्योग जिन्होंने सीसीए प्राप्त नहीं किया तथा तीन उद्योग जिन्होंने अपने सीसीए का नवीनीकरण नहीं किया था) बिना सीसीए/ वैध सीसीए के काम कर रहे थे क्योंकि इन सभी छ: उद्योगों को एक्सजीएन में 'संचालन में' दिखाया गया था। हालाँकि, एमपीपीसीबी द्वारा इन उद्योगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई प्रारम्भ करना अभिलेखों में नहीं पाया गया। यह दर्शाता है कि एमपीपीसीबी द्वारा की गई निगरानी अपर्याप्त है जो राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में एक अवरोध है।

[20] चित्रकूट सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, सतना, करन स्टाम्पिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्वालियर और सार्थक सामुदायिक विकास एवं जनकल्याण संस्था, बेरसिया रोड, भोपाल।

[21] अरिहंत इंडस्ट्रीज, उज्जैन, एनवायरनमेंट केयर सलूशन, सतना और सार्थक सामुदायिक विकास एवं जनकल्याण संस्था, विदिशा रोड, भोपाल।

- **उद्योगों का अपर्याप्त निरीक्षण**

सीपीसीबी ने एसपीसीबी को निर्देश दिया (दिसंबर 2019) कि पर्यावरण निगरानी के लिए, अन्य लाल श्रेणी[22] उद्योगों का अधिमानतः छः माह की आवृत्ति पर निरीक्षण किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने ₹ 0.45 करोड़ के पूंजी निवेश वाले 66 लाल श्रेणी के प्लास्टिक क्षेत्र के उद्योगों की समीक्षा की और पाया कि एमपीपीसीबी ने सभी 66 उद्योगों का निरीक्षण 219 अवसरों पर, छः माह से अधिक के अंतराल पर किया तथा सीपीसीबी निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। इससे लाल श्रेणी के उद्योगों की गतिविधियों पर अपर्याप्त नियंत्रण के कारण निगरानी में कमी का संकेत मिलता है।

- **उद्योगों द्वारा ऑनलाइन मासिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना**

एमपीपीसीबी; जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत, उद्योगों को संचालन अनुमति (सीटीओ) प्रदान करता है तथा पीडब्ल्यूएम नियम, 2016 के नियम 13 के अंतर्गत इन्हें निर्माता/ उत्पादक और ब्रांड मालिक के रूप में पंजीकृत करता है।

सहमति की शर्तों के अनुसार, निगरानी डेटा के संकलन में निगरानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नमूने और माप, दिशा-निर्देशों की घोषणा, प्रदूषकों के विश्लेषण के लिए परीक्षण प्रक्रियाएँ स्थापित करना इत्यादि शामिल रहते हैं। तदनुसार, आवेदक ऊपर निर्दिष्ट मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नमूने और माप लेता है तथा एक्सजीएन के माध्यम से एमपीपीसीबी को इनकी ऑनलाइन रिपोर्ट करता है तथा निगरानी गतिविधियों से प्राप्त सभी सूचनाओं का ऑनलाइन अभिलेख रखता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लाल श्रेणी के 66 उद्योगों में से केवल तीन[23] ही नियमित रूप से मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते थे जबकि 22[24] उद्योगों ने मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने

---

[22] सीपीसीबी द्वारा 7 मार्च 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार, लाल श्रेणी के उद्योग वे उद्योग हैं जिनका प्रदूषण सूचकांक अंक 60 और उससे अधिक है।

[23] जे पी रीवा प्लांट, पैनसोनिक एनर्जी इंडिया कंपनी लिमिटेड और ट्राइडेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड।

[24] डिलाइट डेयरी लिमिटेड, गुलशन पॉलीओल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कोका-कोला बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, केजेएस सीमेंट (1) लिमिटेड, लिविंग फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नागोरी सीमेंट लिमिटेड, ओएसिस डिस्टिलरीज लिमिटेड, शिवपुरी, ओएसिस डिस्टिलरीज लिमिटेड, धार, ओएस्टर एक्ज़िम प्राइवेट लिमिटेड, पार्ले एग्रो प्रा. लिमिटेड, पवन श्री फूड इंटरनेशनल प्रा. लिमिटेड, मैसर्स प्रिज्म जोंसन लिमिटेड (सीमेंट डिवीजन-I), मैसर्स प्रिज्म जोंसन लिमिटेड (सीमेंट डिवीजन-II), सतगुरु इंडस्ट्रीज, शक्ति शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रुअरीज लिमिटेड, स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पंच महल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क

में अनियमितता दिखाई और 41 उद्योगों ने सहमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एमपीपीसीबी को कोई मासिक परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया। इसके उपरांत भी एमपीपीसीबी ने दोषी उद्योगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस तरह के मामूली अनुपालन से, उद्योगों द्वारा सहमति की शर्तों के पालन पर एमपीपीसीबी के कमजोर नियंत्रण के संकेत मिलते है जिससे अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन होता है।

4.1.9 जल निकायों में माइक्रो प्लास्टिक्स संदूषण

माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं जो सौंदर्य प्रसाधन, कपड़े और औद्योगिक प्रक्रियाओं सहित विभिन्न स्रोतों से प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। यूनाइटेड स्टेट नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) के अनुसार, माइक्रोप्लास्टिक्स कोई विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक नहीं है बल्कि यह किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का टुकड़ा है जिसकी लंबाई पाँच मिमी से कम है। माइक्रोप्लास्टिक का स्रोत और प्रभाव **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है-

चार्ट 4.3: माइक्रोप्लास्टिक के स्रोत और मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव को दर्शाने वाला चार्ट

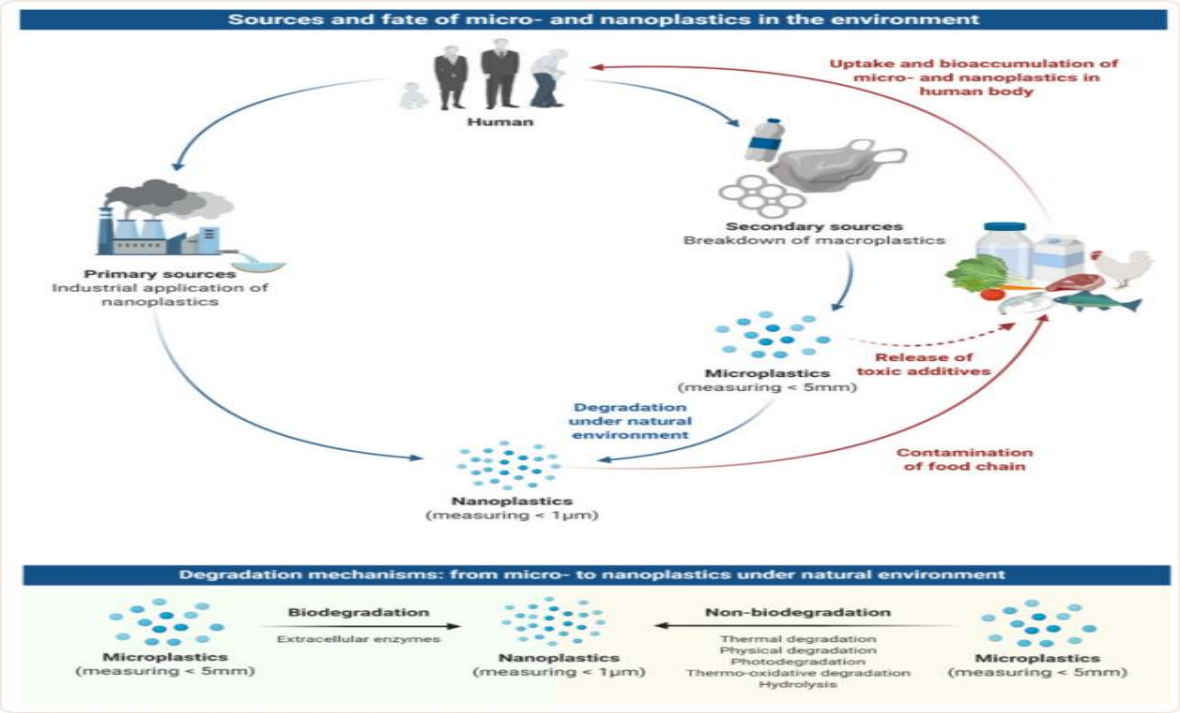

(स्रोत: राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र का प्रतिवेदन)

प्रोडक्ट, उदयपुर बेवरेज लिमिटेड, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, वैकमेट इंडिया लिमिटेड और वीआरएस फूड्स लिमिटेड।

मानव पर माइक्रोप्लास्टिक्स की विषाक्तता का आकलन मुख्य रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और पल्मोनरी विषाक्तता पर केंद्रित है, जिसमें ऑक्सीडेटिव तनाव, सूजन प्रतिक्रियाएँ और उपापचय संबंधी विकार शामिल हैं।

मध्यप्रदेश के अधिकतर शहरों और कस्बों में प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान तथा मलप्रवाह के उपचार की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण **प्लास्टिक अपशिष्ट** का एक बड़ा भाग, जल निकासी तंत्र, वर्षा के जल या वायु के माध्यम से इन शहरों और कस्बों के पास स्थित जल निकायों (नदियों, तालाबों, जलाशयों, आदि) में चला जाता है जो जल निकायों में सूक्ष्म कणों को पुनः उत्पन्न करता है एवं छोड़ता है तथा मानव, पशु तथा पर्यावरण के लिए संभावित गंभीर खतरा पैदा करता है।

इस कार्यालय ने भोपाल तथा इंदौर शहर में विभिन्न स्थानों पर जल आपूर्ति स्रोतों में माइक्रोप्लास्टिक कणों की उपस्थिति का पता लगाने, और उनके अध्ययन तथा विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली की एक घटक प्रयोगशाला 'प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान (एम्प्री) को नियुक्त किया। एम्प्री ने भोपाल में दो[25] जल निकायों और दो[26] छनन संयंत्रों के छः स्थानों से जबकि इंदौर में, इसने एक[27] जल निकाय और एक[28] निस्पंदन संयंत्र से नमूनों को एकत्रित किया।

एजेंसी द्वारा किए गए कच्चे जल और उपचारित जल के परीक्षण के परिणामों से पता चला कि सभी अलग-अलग स्थानों से एकत्र किए गए सभी नमूनों **में माइक्रोप्लास्टिक्स** कण मौजूद थे जिन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है-

जल निकायों से लिए गए जल के नमूनों के परिणाम

परीक्षण के परिणामों से ज्ञात हुआ कि सभी अलग-अलग स्थानों से एकत्र किए गए सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक्स कण मौजूद थे। भोपाल की अपर लेक में माइक्रोप्लास्टिक्स मौजूदगी 1,480 से 2,050 कण/ घनमीटर तथा लोअर लेक (छोटा तालाब), भोपाल में, इसकी मौजूदगी 2,160 से 2,710 कण/ घनमीटर तक थी। इंदौर की पिपलियापाला झील में माइक्रोप्लास्टिक का स्तर 1,765 से 2,175 कण/ घनमीटर तक था। भोपाल में, माइक्रोप्लास्टिक की सबसे अधिक मात्रा लोअर लेक में देखी गई और सबसे कम

[25] भोज ताल (अपर लेक) और छोटा तालाब (लोअर लेक)।

[26] जल उपचारित संयत्र बिरला मंदिर और जल उपचारित संयत्र केरवा डैम।

[27] पिपलियापाला लेक।

[28] जल उपचारित संयत्र, देव धरम जल शोधन संयत्र।

माइक्रोप्लास्टिक की मात्रा केरवा बाँध जल उपचार संयंत्र के उपचारित जल के नमूने में देखी गई, जिसमें 330 कण/ घनमीटर की प्रचुरता थी। भोपाल और इंदौर जिलों के जल निकायों में माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी को चार्ट **4.4 और 4.5** में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.4 और 4.5: भोपाल और इंदौर नगरीय स्थानीय निकायों के जल निकायों में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी

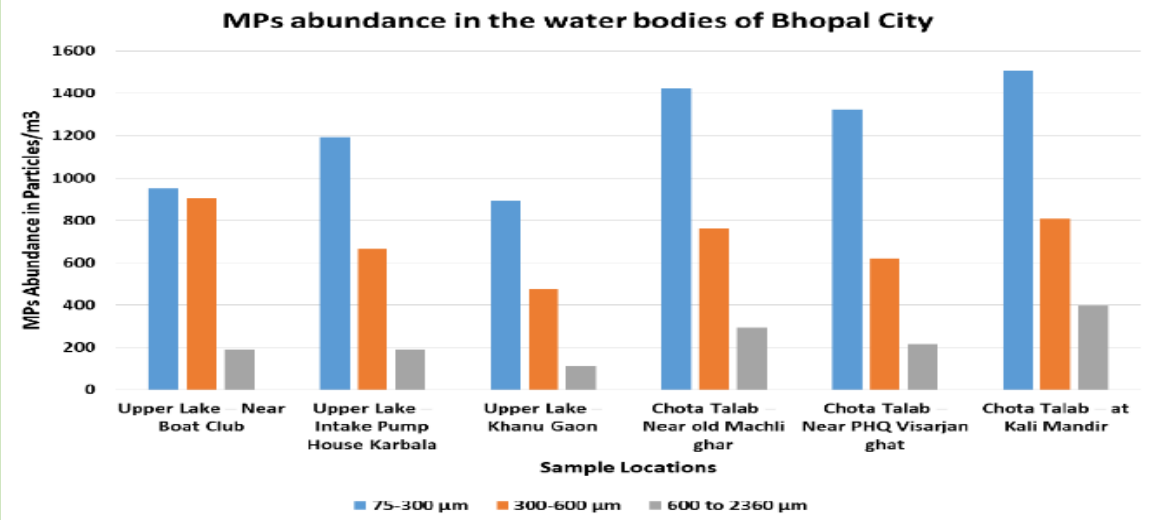

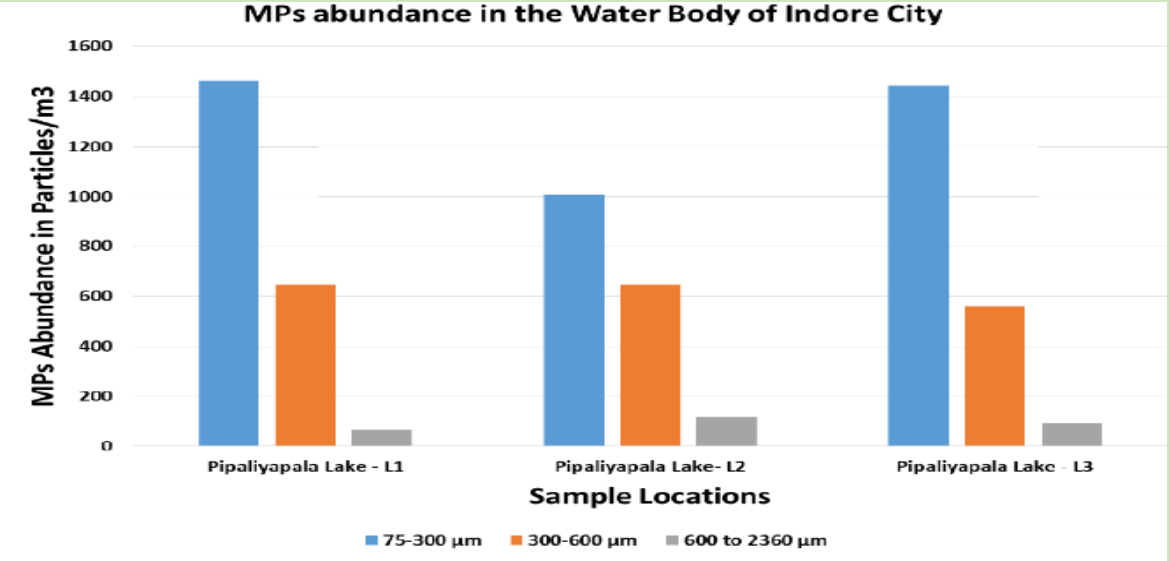

जल उपचार संयंत्रों से लिए गए जल के नमूनों के परिणाम

भोपाल के दो जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी-बिड़ला मंदिर और केरवा बाँध) द्वारा अंतर्ग्रहण और उपचारित किए गए जल के नमूनों के परीक्षण के परिणामस्वरुप, अंतर्ग्रहण जल के नमूनों में 790 कण/ घनमीटर (बिरला मंदिर) से 820 कण/ घनमीटर (केरवा बाँध) तक और उपचारित जल में 330 कण/ घनमीटर (केरवा बाँध) से 450 कण/ घनमीटर (बिड़ला मंदिर) के मध्य, माइक्रोप्लास्टिक कणों की मौजूदगी का पता चला। इसी प्रकार, जल उपचार संयंत्र

देव धारा, इंदौर में भी अंतर्ग्रहण और उपचारित किए गए जल के नमूने में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी 1,150 कण/ घनमीटर (अंतर्ग्रहण जल) और 600 कण/ घनमीटर (उपचारित जल) पाई गई। इंदौर और भोपाल के जल उपचार संयंत्रों से लिए गए जल के नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक्स की मौजूदगी **चार्ट 4.6** में दर्शाई गई है:

चार्ट 4.6: भोपाल और इंदौर में जल उपचार संयंत्रों में माइक्रो प्लास्टिक्स की मौजूदगी

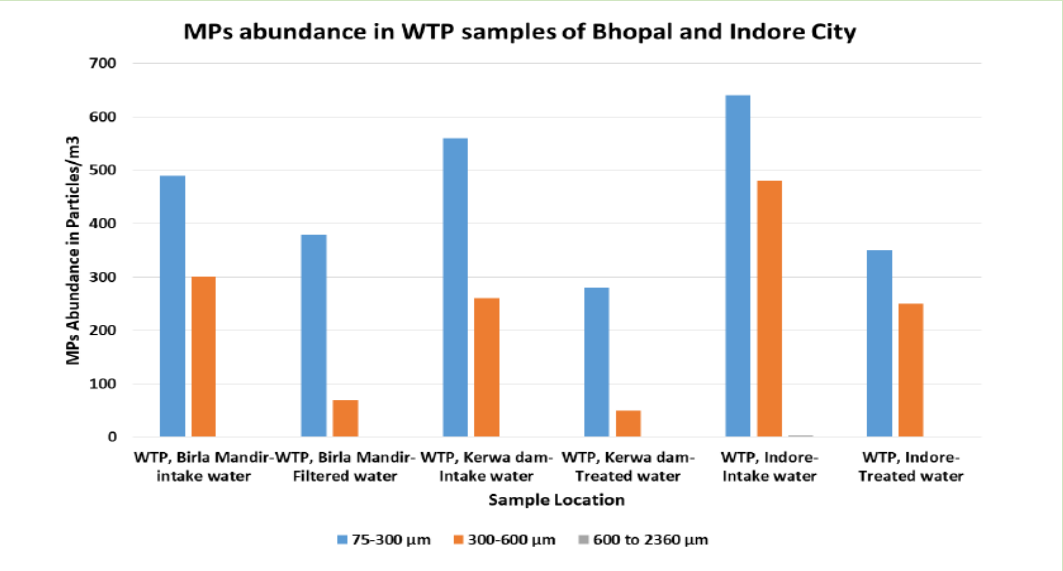

देखे गए अधिकतर कण रेशों के आकार के हैं। कुछ अन्य प्रकार के देखे गये कण टुकड़े, फिल्मों और छर्रों के आकार के हैं। अंतिम परिणाम **चार्ट 4.7** में दर्शाया गया है:

चार्ट 4.7: विभिन्न प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक्स कणों की जल में मौजूदगी

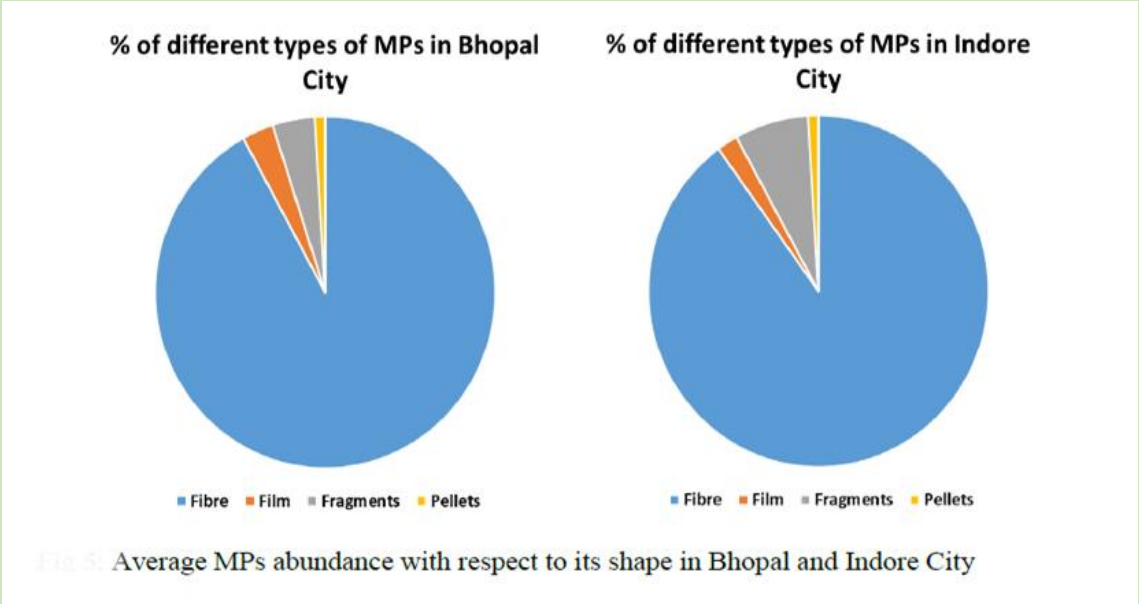

Fig 5. Average MPs abundance with respect to its shape in Bhopal and Indore City

निष्कर्ष

एजेंसी, यानी, सीएसआईआर-एम्प्री ने अपनी अध्ययन प्रतिवेदन में निष्कर्ष निकाला कि भोपाल और इंदौर शहर के जल निकाय माइक्रोप्लास्टिक्स से अत्यधिक दूषित हैं। इसके अलावा, जल उपचार संयंत्रों के जल नमूनों के विश्लेषण के आधार पर अध्ययन से निष्कर्ष निकाला गया कि प्राकृतिक और उपचारित जल में माइक्रोप्लास्टिक्स के अंश मौजूद हैं। अतः, शहरों में आपूर्ति किया जा रहा उपचारित जल लंबे समय में मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है।

जल निकायों के भी दूषित पाए जाने के कारण इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि माइक्रोप्लास्टिक जल निकायों में पाए जाने वाले लगभग हर जीवित जीव (जैसे मछली, घोंघे, कीड़े, कछुए, मेंढक, दलदली पक्षी, मोलस्क आदि) द्वारा गृहित कर लिया गया होगा।

अनुशंसाएँ

एजेंसी यानी सीएसआईआर-एम्प्री ने अपनी अध्ययन प्रतिवेदन में उपभोक्ताओं द्वारा प्लास्टिक की माँग को कम करने, एकल उपयोग वाले उत्पादों को पुन: प्रयोज्य उत्पादों के साथ बदलने, पुन: प्रयोज्य उत्पादों को बढ़ावा देने, विद्यमान प्लास्टिक उत्पादों को जैव प्लास्टिक उत्पादों के साथ बदलने और तंत्र में पहले से ही फ़ैले हुए माइक्रोप्लास्टिक को वापस निकालने की अनुशंसा की है।

इंदौर और भोपाल नगरीय स्थानीय निकायों में प्लास्टिक अपशिष्ट के समुचित संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और वैज्ञानिक निपटान की सुविधाएँ थीं तथा वे राज्य के अन्य शहरों की तुलना में अपशिष्ट प्रबंधन में भी आगे थे। इस तथ्य के बावजूद, एकत्र किए गए सभी नमूनों में माइक्रोप्लास्टिक कणों की मौजूदगी चिंता का विषय है और अन्य स्थानीय निकायों, जहाँ अब तक प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन शुरू नहीं किया गया है, में स्थित जल निकायों की स्थिति पर गंभीर संदेह पैदा करती है।

इसके अलावा, जल निकायों में माइक्रोप्लास्टिक कणों की मौजूदगी के कारण, जैसा कि उपरोक्त परीक्षण प्रतिवेदन में बताया गया है, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भोपाल और इंदौर शहरों के जल निकाय माइक्रोप्लास्टिक से अत्यधिक दूषित हैं तथा मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और परिणामस्वरूप होने वाले जल जनित रोगों जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पल्मोनरी विषाक्तता और चयापचय संबंधी विकारों की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इंगित किए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि इस मामले पर एम्प्री के साथ चर्चा की जाएगी।

यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य शासन, पीडब्ल्यूएम नियमों में निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य में पीडब्ल्यूएम नियमों को लागू करे तथा उपरोक्त नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पर्याप्त तंत्र विकसित करें। राज्य के नगरीय स्थानीय निकाय, पीडब्ल्यूएम नियमों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएँ स्थापित करें और प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करें। एमपीपीसीबी यह सुनिश्चित करे कि सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों ने अपने कामकाज के लिए, आवश्यक प्राधिकार प्राप्त कर लिये हैं और निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं।

4.2 ई-अपशिष्ट

ई-अपशिष्ट उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का एक प्रचलित, अनौपचारिक नाम है जो अपने 'उपयोगी जीवन' के अंत के करीब होते है। कंप्यूटर, टेलीविजन, स्टीरियो, कॉपियर और फैक्स मशीन आम इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हैं। इनमें से कई उत्पादों को पुन: उपयोग, नवीनीकृत या पुनर्चक्रण किया जा सकता है। जब इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को भूमिभरण स्थल में समाप्त किया जाता हैं, तो उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कुछ हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले विषाक्त पदार्थ जैसे; सीसा, पारा और कैडमियम आदि मिट्टी और जल में घुल जाते हैं जिससे जीवन और पारिस्थितिक तंत्र को हानि होती है।

ई-अपशिष्ट विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते अपशिष्टों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि विकसित देशों में, ई-अपशिष्ट उत्पादन, कुल ठोस अपशिष्ट उत्पादन का लगभग एक प्रतिशत है।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नियामक ढाँचा

एमओईएफसीसी, भारत सरकार ने (23 मार्च 2016) ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 अधिसूचित किए जो 1 अक्टूबर 2016 से लागू हुए। ये नियम ई- अपशिष्ट या अनुसूची-I में सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जिनमें उनके घटक, उपभोग्य सामग्री, भाग और पुर्जे शामिल हैं तथा जो उत्पाद को परिचालन योग्य बनाते हैं, के निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण में शामिल प्रत्येक प्रत्येक विनिर्माता, उत्पादक,

उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता, संग्रहण केंद्रों, विक्रेताओं, ई-खुदरा विक्रेता, नवीनीकरण कर्ता, विखंडन कर्ता और पुनर्चक्रण कर्ता पर लागू होते हैं।

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने अलग किए गए पृथक्कृत ई-अपशिष्ट के संग्रहण और ई-अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण तथा चैनलाइजेशन आदि के लिए नीति/ योजना/ कार्य योजना के गठन पर चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ई-अपशिष्ट नियम, 2016 के गैर-अनुपालन से संबंधित विभिन्न प्रकरण देखे। लेखापरीक्षा ने ई-अपशिष्ट नियमों के अनुसार अपेक्षित निगरानी में कुछ कमियाँ भी देखीं। चयनित नगरीय स्थानीय निकायों और एमपीपीसीबी द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन में पाई गई उपरोक्त कमियों की चर्चा आगे कंडिकाओं में की गई है:

4.2.1 पृथक्कृत ई-अपशिष्ट के संग्रहण हेतु नीति/ योजना/ कार्य योजना का तैयार न किया जाना

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के अंतर्गत अनुसूची-IV में निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करेगा कि यदि ई-अपशिष्ट नगर निगम के ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया जाता है तो उसे ठीक से अलग किया जाए, संग्रह किया जाए और अधिकृत विखंडनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता के पास भेजा जाए। उपर्युक्त को सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को एक नीति/ योजना/ कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 22[29] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में ऐसी कोई नीति/ योजना/ कार्य योजना तैयार नहीं की है। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि दो नगरीय स्थानीय निकायों यथा मंडलेश्वर और इंदौर ने अपने उत्तर में बताया कि उन्होंने ई-अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नीति/ योजना/ कार्य योजना तैयार की थी, हालाँकि, नगरीय स्थानीय निकाय मंडलेश्वर ने ऐसी नीति/ योजना के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। इसके अतिरिक्त, दस[30] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

ऐसी नीति/ योजना/ कार्य योजना के अभाव में ये नगरीय स्थानीय निकाय ई-अपशिष्ट नियमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सके जिसके परिणामस्वरूप इन नगरीय स्थानीय निकायों

[29] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, धार, जबलपुर, करेली, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मंदसौर, मुरैना, निवाड़ी, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी, और विदिशा।

[30] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, खिरकिया, नलखेड़ा, ओरछा, सागर, साँची, सतना और उचेहरा।

में ई-अपशिष्ट का पृथक्करण, संग्रहण और चैनलीकरण नहीं किया गया जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

4.2.2 पृथक्कृत ई-अपशिष्ट का संग्रहण और चैनलाइजेशन सुनिश्चित नहीं किया

पूर्वोक्त ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची-IV नियम-17 के अनुसार, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को यह सुनिश्चित करना होगा कि, यदि ई-अपशिष्ट को नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया जाता है तो उसे उचित रूप से पृथक किया गया, संग्रह किया गया और अधिकृत विखंडनकर्ता या पुनर्चक्रणकर्ता को चैनलाइज किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24[31] नगरीय स्थानीय निकाय पृथक्कृत ई-अपशिष्ट को संग्रहित नहीं कर रहे थे, जबकि तीन[32] नगरीय स्थानीय निकाय पृथक्कृत ई-अपशिष्ट को संग्रहित कर रहे थे और सात[33] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। इसके अलावा, नमूना जाँच किए गए कुछ नगरीय स्थानीय निकायों में ई-अपशिष्ट के पृथक से संग्रहण के लिए संग्रहण वाहन में कोई अलग बॉक्स नहीं लगाया गया था जैसा कि चित्रों में दिखाया गया है।

चित्र 4.15 और 4.16: ई-अपशिष्ट के लिए अलग बॉक्स के बिना संग्रहण वाहन

चित्र 4.15: नगर परिषद, पिपलानारायणवार, जिला-छिंदवाड़ा में ई-अपशिष्ट के लिए अलग बॉक्स के बिना संग्रहण वाहन

चित्र 4.16: नगर पालिका मंदसौर में ई-अपशिष्ट के लिए अलग बॉक्स के बिना संग्रहण वाहन

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

[31] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, जबलपुर, करेली, कुक्षी, मैहर, मालनपुर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, शहडोल, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

[32] धार, इंदौर और मंडलेश्वर।

[33] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, खिरकिया, ओरछा, साँची और सतना।

इस प्रकार, ई-अपशिष्ट डालने के लिए संग्रहण वाहनों में अलग बॉक्स का प्रावधान न होने के कारण, इसे कुछ नगरीय स्थानीय निकायों में अपशिष्ट भरण क्षेत्र पर नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित पाया गया जैसा कि चित्र **4.17** से **4.20** में दिखाया गया है:

चित्र 4.17 से 4.20: अन्य अपशिष्ट के साथ मिश्रित ई-अपशिष्ट

चित्र 4.17: दमोह भूमिभरण स्थल पर ई-अपशिष्ट के साथ मिश्रित अन्य नगरपालिका अपशिष्ट

चित्र 4.18: रतलाम भूमिभरण स्थल पर ई-अपशिष्ट के साथ मिश्रित अन्य नगरपालिका अपशिष्ट

चित्र 4.19: नगरीय स्थानीय निकाय भोपाल के परिसर में ई-अपशिष्ट पड़ा हुआ पाया गया।

चित्र 4.20: नगरीय स्थानीय निकाय करेली के परिसर में ई-अपशिष्ट पड़ा हुआ पाया गया।

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

इस प्रकार, सीसा, पारा और कैडमियम जैसे ई-अपशिष्ट के समुचित निपटान की कमी के कारण, भूमि और जल निकायों जैसे पारिस्थितिक तंत्र पर इन सामग्रियों का खतरनाक प्रभाव पड़ना जारी रहा।

4.2.3 एमपीपीसीबी द्वारा निगरानी में कमियाँ

एमपीपीसीबी अपने एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के माध्यम से राज्य में उत्पन्न प्लास्टिक अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन में शामिल विभिन्न हितधारकों की निगरानी करता है। एक्सजीएन सॉफ्टवेयर का समेकित सहमति और प्राधिकार (सीसीए) मॉड्यूल, प्लास्टिक, ई-अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उद्योगों को, निर्धारित अवधि के दौरान प्रदान की जानने वाली सहमति/ सहमति के नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदनों को तैयार करता है।

लेखापरीक्षा द्वारा एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के सीसीए मॉड्यूल के माध्यम से रिपोर्ट तैयार करके, ई-अपशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों से संबंधित डेटा प्राप्त किया गया तथा पाया गया कि अप्रैल 2017 से जनवरी 2023 की अवधि के दौरान कुल 18 ई-अपशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों को सहमति/ नवीनीकृत सहमति प्रदान की गई थी। इन 18 ई-अपशिष्ट क्षेत्र उद्योगों में से, लेखापरीक्षा में कुल 16 लाल श्रेणी के ई-अपशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा ने एमपीपीसीबी के एक्सजीएन सॉफ्टवेयर के सीसीए मॉड्यूल से अप्रैल 2017 से जनवरी 2023 तक की अवधि के लिए ई-अपशिष्ट में शामिल नमूना उद्योगों की विभिन्न प्रतिवेदनों की जाँच की और निम्नलिखित कमियों को पाया।

- **ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों का बिना सीसीए वैधता के कार्य करना**

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 13 में निर्धारित है कि प्रत्येक विनिर्माता, उपभोक्ता, थोक उपभोक्ता, संग्रहण केंद्रों, डीलरों, ई-खुदरा विक्रेताओं, रिफर्बिशर, डिस्मेंटलर और पुनर्चक्रणकर्ता जो ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध ई-अपशिष्ट या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पुर्जे, उपभोग्य, पार्ट्स और स्पेयर्स जो की उत्पाद को कार्यशील बनाते हैं को शामिल करते हुए विनिर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, खरीद, संग्रहण, भंडारण और प्रसंस्करण में शामिल हैं, को नियमों में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने, एमपीपीसीबी के एक्सजीएन सॉफ्टवेयर से निकाले गए ई-अपशिष्ट से संबंधित आंकड़ो के अध्ययन में पाया कि कुल 21 ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों में से, सात[34] उद्योगों ने सीसीए प्राप्त नहीं किया था, जबकि, इन उद्योगों को एक्सजीएन में 'संचालन में' दिखाया गया था। इस प्रकार, सात ई-अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योग सीसीए प्राप्त किए बिना संचालित थे। तथापि, इन उद्योगों के विरुद्ध एमपीपीसीबी द्वारा कोई कार्रवाई शुरू करना अभिलेखों में नहीं पाया गया। यह एमपीपीसीबी की ओर से अपर्याप्त निगरानी तथा उद्योगों द्वारा नियमों के बिना निरंतर संचालन किये जाने को दर्शाता है।

- **उद्योगों के निरीक्षण के संबंध में सीपीसीबी के निर्देशों का पालन न किया जाना**

सीपीसीबी ने एसपीसीबी को निर्देशित (दिसंबर 2019) किया कि वे पर्यावरण निगरानी के लिए छः महीनों के अंतराल पर अन्य लाल श्रेणी उद्योगों का अधिमानतः निरीक्षण करें।

---

[34] अरिहंत मार्केटिंग, शिवपुरी, असर ग्रीन कबाड़ी प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल, जबलपुर ई-वेस्ट क्लीनर्स, जबलपुर, सीहोर और जेएस केयर, उज्जैन, श्रद्धा सेल्स, भोपाल, टेक्नो क्राफ्ट, भोपाल और तरुण ई-वेस्ट इंडस्ट्रीज।

लेखापरीक्षा ने ई-अपशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16[35] लाल श्रेणी उद्योगों की समीक्षा की और पाया कि एमपीपीसीबी ने 14 अवसरों पर पाँच उद्योगों का छः महीनों से अधिक के अंतराल के पर निरीक्षण किया और सीपीसीबी के निर्देशों का पालन करने में विफल रहा।

- **उद्योगों द्वारा ऑनलाइन मासिक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना**

एमपीपीसीबी, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 तथा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अंतर्गत, उद्योगों को संचालन अनुमति (सीटीओ) प्रदान करता है और ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम-13 के अंतर्गत उत्पादक/ निर्माता और ब्रांड मालिक के रूप में पंजीकरण प्रदान करता है।

सहमति की शर्तों के अनुसार, निगरानी डेटा के संकलन में निगरानी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लिए गए नमूने और माप, दिशा-निर्देशों की घोषणा, प्रदूषकों के विश्लेषण के लिए परीक्षण प्रक्रियाएँ स्थापित करना इत्यादि शामिल रहते हैं। तदनुसार, आवेदक ऊपर निर्दिष्ट मासिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नमूने और माप लेगा और इन्हें एक्सजीएन के माध्यम से एमपीपीसीबी को ऑनलाइन प्रस्तुत करेगा और निगरानी गतिविधियों से उत्पन्न सभी सूचनाओं के ऑनलाइन अभिलेख संधारित करेगा।

लेखापरीक्षा ने ई-अपशिष्ट क्षेत्र के अंतर्गत चयनित 16[36] लाल श्रेणी के उद्योगों (एक चिकित्सालय सहित) की समीक्षा की और पाया कि उपरोक्त 16 लाल श्रेणी के उद्योगों में से दो[37] उद्योग, मासिक विवरणी प्रस्तुत करने में नियमित थे, जबकि पाँच[38] उद्योगों ने सहमति की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एमपीपीसीबी को कोई मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं की थीं। इसके बावजूद, एमपीपीसीबी ने दोषी उद्योगों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

---

[35] सिविल अस्पताल, डीके इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सलेंट सर्विसेस, गायत्री इनकॉरपोरेशन , मून स्टार एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मैसर्स अरिहंत मार्केटिंग, पूजा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सर्विसेज, मुस्कान कस्टमर केयर, प्रोमेथियस रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतगुरु सिस्टम, स्टार मोबाइल सर्विस सेंटर, सूर्या रोशनी लिमिटेड, टेक्नो माइंड्स, यूनिक इको-रीसायकल और यश एंटरप्राइजेज।

[36] सिविल अस्पताल, डीके इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्सलेंट सर्विसेज़, गायत्री इनकॉर्पोरेशन, मून स्टार एंटरप्राइजेज लिमिटेड, मेसर्स अरिहंत मार्केटिंग, पूजा मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट सर्विसेज, मुस्कान कस्टमर केयर, प्रोमेथियस रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतगुरु सिस्टम, स्टार मोबाइल सर्विस सेंटर, सूर्या रोशनी लिमिटेड, टेक्नो माइंड्स, यूनिक इको-रीसायकल और यश एंटरप्राइजेज।

[37] सिविल अस्पताल, ग्वालियर और सूर्या रोशनी लिमिटेड, मालनपुर।

[38] मून स्टार एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड, इंदौर, मेसर्स अरिहंत मार्केटिंग, प्रोमेथियस रीसाइक्लिंग प्राइवेट लिमिटेड, सतगुरु सिस्टम और यूनिक इको रिसायकल।

4.3 निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट

भारत में, सी एंड डी अपशिष्ट का औसत उत्पादन प्रति वर्ष लगभग 12 मिलियन टन है जो देश में कुल नगर पालिका ठोस अपशिष्ट उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत है। देश भर में आवास, उद्योग और बुनियादी ढाँचे के विकास से संबंधित निर्माण परियोजनाएँ बड़े स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं। मरम्मत और नवीकरण के अलावा, आर्थिक क्षेत्रों, औद्योगिक गलियारों का विकास, पुनर्विकास और पुनर्वास कार्य, सी एंड डी अपशिष्ट की मात्रा में योगदान देते हैं।

सी एंड डी अपशिष्ट के बढ़ते महत्व के साथ, भारत सरकार ने, सी एंड डी अपशिष्ट के लिए एक अलग विनियमन अर्थात् सी एंड डी अपशिष्ट नियम, 2016, तैयार करना प्रासंगिक समझा जो विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ-साथ सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए अनुपालन मानदंडों का वर्णन करता है।

सी एंड डी अपशिष्ट में ईंटें, टाइलें, पत्थर, मिट्टी, रोड़ी, प्लास्टर, ड्राईवॉल या जिप्सम बोर्ड, लकड़ी, नलसाजी फिक्स्चर, गैर-खतरनाक इन्सुलेटिंग सामग्री, प्लास्टिक, वॉलपेपर, ग्लास, धातु (जैसे, स्टील, एल्यूमीनियम), एस्फाल्ट, आदि शामिल हैं। भारत में सी एंड डी अपशिष्ट की संरचना **चार्ट 4.8** में दर्शाई गई है:

चार्ट 4.8: भारत में सी एंड डी अपशिष्ट की संरचना

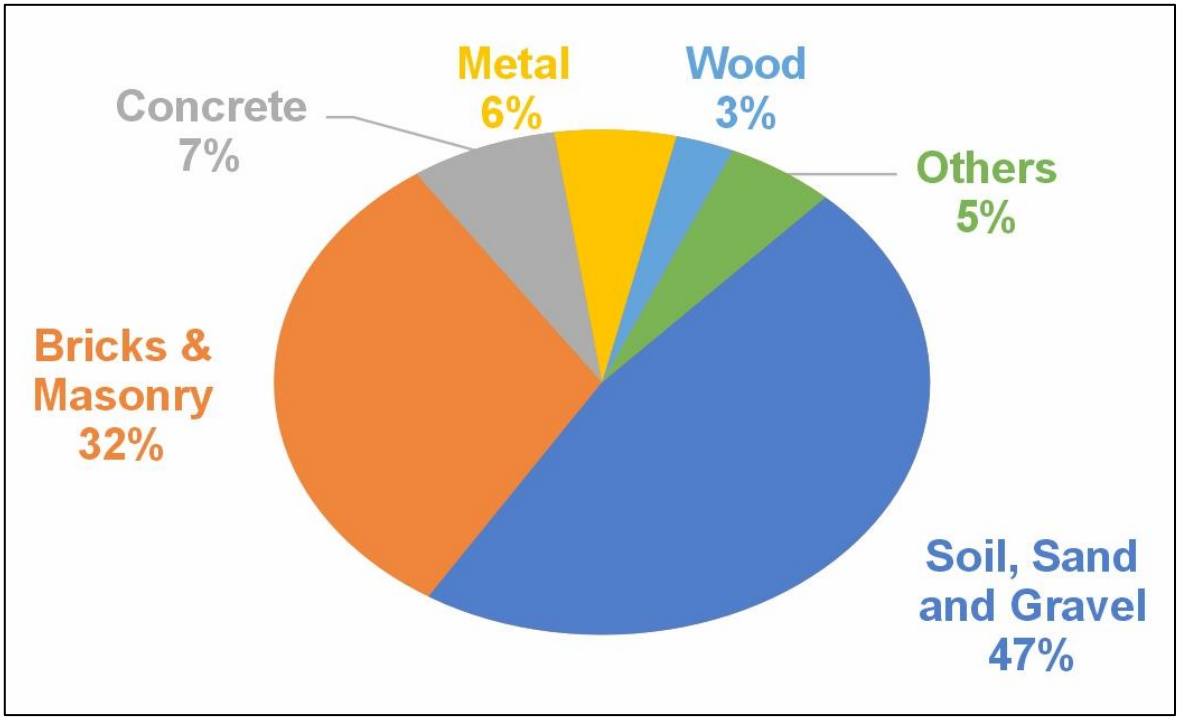

(स्रोत: आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का जून 2021 में प्रकाशित प्रतिवेदन)

ये नियम किसी व्यक्ति या संगठन या प्राधिकरण के किसी भी नागरिक ढाँचे के निर्माण, री-मॉडलिंग, मरम्मत और विध्वंस से उत्पन्न प्रत्येक अपशिष्ट पर लागू होते हैं जो निर्माण सामग्री, मलबे, रोड़ी जैसी सी एंड डी अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं।

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ

सी एंड डी अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से, निम्नलिखित आर्थिक तथा सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ (**तालिका 4.2**) प्राप्त किए जा सकते हैं-

तालिका 4.2: सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन के लाभ

आर्थिक और सामाजिक लाभ	• वैज्ञानिक सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन, सी एंड डी अपशिष्ट को एमएसडब्ल्यू स्ट्रीम में मिलाने से रोकता है। इससे प्रसंस्करण लागत कम हो जाती है और एमएसडब्ल्यू की दक्षता बढ़ जाती है। • सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन, नालों और जल निकायों में जमाव को रोकता है जिससे नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ को रोका जाता है। • सी एंड डी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन और पुनर्चक्रण से, भूमिभरण स्थल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा में कमी करके कीमती भूमि की बचत होती है। • सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण नए उद्यमों के माध्यम से रोजगार सृजित करता है। • सी एंड डी पुनर्चक्रित उत्पादों का उपयोग, नवीन सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों की मांग और आवश्यकता को कम करने में मदद करता है।
पर्यावरणीय लाभ	• सी एंड डी अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन धूल की उत्पत्ति को कम करता है। यह वायु प्रदूषण को काफी कम कर देता है। • नालियों और जलीय माध्यमों में सी एंड डी अपशिष्ट के अनधिकृत क्षेपण की रोकथाम से बाढ़ की संभावना कम हो जाती है। • प्रसंस्कृत सी एंड डी अपशिष्ट से पुनर्चक्रित उत्पादों के उपयोग से खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है।

(स्रोत: आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार का जून 2021 में प्रकाशित प्रतिवेदन)

लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने यूएडीडी, मध्यप्रदेश शासन और चयनित नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा सी एंड डी नियमों, 2016 के गैर-अनुपालन से संबंधित विभिन्न प्रकरणों यथा सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नीति तैयार करना, अपशिष्ट उत्पादकों के लिए अधिसूचना जारी करना, अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करना, सी एंड डी अपशिष्ट के लिए शुल्क का निर्धारण/ अधिसूचना और वसूली, सी एंड डी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए विस्तृत निर्देश जारी करना, सी एंड डी अपशिष्ट के लिए संग्रहण और प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने और सी एंड डी अपशिष्ट के लिए सुविधाओं को चालू करने और कार्यान्वयन के लिए आवश्यक स्थल की पहचान आदि से संबंधित कमियाँ पाई।

लेखापरीक्षा द्वारा देखी गई उपर्युक्त कमियों की चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गई है।

4.3.1 सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा नीति तैयार नहीं करना

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 9 (1) और नियम 13 के अंतर्गत अनुसूची-III में यह निर्धारित किया गया है कि राज्य शासन या केंद्र शासित प्रशासन में, विकास के प्रभारी सचिव इन नियमों की अंतिम अधिसूचना की दिनांक से एक वर्ष के भीतर, अपनी नीति दस्तावेज तैयार करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नगरीय विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने, नीति तैयार करने की निर्धारित तिथि, अर्थात सी एंड डी अपशिष्ट नियमों के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष, व्यतीत हो जाने के बाद से छः वर्ष बीत जाने के पश्चात भी मार्च 2023 तक, राज्य में सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कोई नीति तैयार नहीं की।

इस प्रकार, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में कोई नीति तैयार नहीं किए जाने के कारण, राज्य शासन सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के नियमों को पूरी गहनता के साथ लागू नहीं कर सका और विषयांकित नियमों का उल्लंघन भी किया। इसके अलावा, सी एंड डी प्रबंधन के नियमों के गैर/ आंशिक कार्यान्वयन से, सी एंड डी अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के लाभों जैसा कि ऊपर **तालिका 4.2** में चर्चा की गई है को उठाने से भी वंचित रह गए।

शासन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि शहरी विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन ने हाल ही में राज्य में सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए मसौदा नीति तैयार की थी, जो समीक्षाधीन थी और विभाग से अनुमोदन के बाद प्रकाशित की जाएगी।

तथ्य यह है कि शासन के पास अभी तक सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए कोई अनुमोदित नीति नहीं है।

4.3.2 अपशिष्ट उत्पादकों के लिए अधिसूचना जारी न होना

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 (1) के अनुसार, प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, प्रथम दृष्टया इन नियमों के अनुरूप संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्देशित या अधिसूचित किए गए अनुसार, कंक्रीट, मिट्टी और अन्य के संग्रहण, पृथक्करण और उत्पन्न सी एंड डी अपशिष्ट के भंडारण के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, इन नियमों के नियम 4 (2) के अनुसार, प्रत्येक उत्पादक को यह सुनिश्चित करना होगा कि अन्य अपशिष्ट (जैसे

ठोस अपशिष्ट) का मिश्रण इस अपशिष्ट के साथ न हों और इसे अलग से संग्रहित और निपटान किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14[39] नगरीय स्थानीय निकायों ने, उत्पादक को उसके द्वारा उत्पन्न, कंक्रीट, मिट्टी और अन्य के संग्रहण, पृथक्करण तथा सी एंड डी अपशिष्ट के अलग-अलग भंडारण के लिए उत्तरदायी ठहराने हेतु कोई अधिसूचना जारी नहीं की। हालाँकि, 16[40] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की थी जबकि चार[41] नगरीय स्थानीय निकायों ने कोई उत्तर नहीं दिया।

परिणामस्वरूप, इन नगरीय स्थानीय निकायों में उत्पन्न सी एंड डी अपशिष्ट को पृथक, एकत्रित, उचित रूप से संग्रहित और वैज्ञानिक रूप से निपटान नहीं किया जा रहा था जैसा कि **चित्र 4.21 और 4.22** में दिखाया गया है:

चित्र 4.21 और 4.22: अन्य अपशिष्ट के साथ मिश्रित सी एंड डी अपशिष्ट

चित्र 4.21: नगरीय स्थानीय निकाय, जबलपुर में सड़क किनारे मिला सी एंड डी अपशिष्ट

चित्र 4.22: नगरीय स्थानीय निकाय, नलखेड़ा में सड़क किनारे मिला सी एंड डी अपशिष्ट

(चित्र: लेखापरीक्षा दल)

[39] अकोदिया, ब्यौहारी, दमोह, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, नलखेड़ा, ओरछा, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, सागर और साँची।

[40] बालाघाट, बरघाट, बैतूल, धार, इंदौर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, निवाड़ी, पिछोर, रतलाम, सतना, शहडोल, शिवपुरी, विदिशा और उचेहरा।

[41] भिंड, भोपाल, ग्वालियर और मैहर।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि राज्य में सी एंड डी अपशिष्ट का कोई थोक उत्पादक नहीं था और नगरीय स्थानीय निकायों ने गैर-थोक सी एंड डी अपशिष्ट उत्पादक के मामलों में विशेषता-सूचक उपयोगकर्ता शुल्क की अधिसूचना जारी की थी, जिसमें असंसाधित सी एंड डी अपशिष्ट की खुली डंपिंग शामिल थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 14 नमूना जाँच किए गए नगरीय स्थानीय निकायों ने कंक्रीट, मिट्टी और अन्य के संग्रह, पृथक्करण और गैर-थोक सी एंड डी अपशिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पन्न सी एंड डी अपशिष्ट के अलग-अलग भंडारण के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी।

4.3.3 अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत नहीं करना

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 (3) में कहा गया है कि वे अपशिष्ट उत्पादक जो एक दिन में 20 टन या उससे अधिक या एक महीने में प्रति परियोजना 300 टन से अधिक उत्पन्न करते हैं, अपशिष्ट को चार धाराओं जैसे कंक्रीट, मिट्टी, स्टील, लकड़ी और प्लास्टिक, ईंटों और मोर्टार में पृथक करेंगे और अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करेंगे और निर्माण या विध्वंस अथवा पुनर्निर्माण कार्य शुरू करने से पहले स्थानीय प्राधिकरण से उचित अनुमोदन प्राप्त करेंगे तथा संबंधित प्राधिकारियों को योजना चरण से कार्यान्वयन चरण तक प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में सूचित रखेंगे और यह परियोजना दर परियोजना आधार पर होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24[42] नगरीय स्थानीय निकायों ने ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान नहीं की थी जो एक दिन में 20 टन या उससे अधिक या एक महीने में 300 टन अपशिष्ट प्रति परियोजना उत्पन्न करते हैं, हालाँकि, नगरीय स्थानीय निकाय, सतना ने ऐसे अपशिष्ट उत्पादकों की पहचान की थी। इसके आलावा, पाँच[43] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी और चार[44] नगरीय स्थानीय निकायों पर यह प्रावधान लागू नहीं था।

---

[42] अकोदिया, बरघाट, बैतूल, दमोह, धार, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, शिवपुरी, उचेहरा और विदिशा।

[43] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और मैहर।

[44] बालाघाट, ब्यौहारी, मुरैना और शहडोल।

परिणामस्वरूप, इन नगरीय स्थानीय निकायों के अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा कोई योजना प्रस्तुत नहीं की गई और नगरीय स्थानीय निकाय सी एंड डी अपशिष्ट नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सके, इस प्रकार ये सी एंड डी अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन के संभावित लाभों जैसा कि **तालिका 4.2 में** चर्चा की गई है, का उपयोग कर पाने से वंचित रहे।

शासन ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2023) कि एक नगरीय स्थानीय निकाय यानी जबलपुर को छोड़कर लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए सभी 24 नगरीय स्थानीय निकायों में सी एंड डी अपशिष्ट का कोई थोक उत्पादक नहीं था। इसलिए, अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन योजना प्रस्तुत करना लागू नहीं था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नमूना जाँच किए गए 24 नगरीय स्थानीय निकायों ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया है कि उन्होंने थोक उत्पादक की पहचान के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

4.3.4 सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रभारों का निर्धारण/ अधिसूचित और वसूली न करना

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 4 (5) के अनुसार, प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक को, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अधिसूचित, संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रासंगिक शुल्क का भुगतान करना होगा; ऐसे अपशिष्ट उत्पादक जो एक दिन में 20 टन या उससे अधिक या एक महीने में प्रति परियोजना 300 टन उत्पन्न करते हैं, उन्हें भंडारण, संग्रहण और परिवहन के लिए भुगतान के अलावा, उनके द्वारा उत्पन्न सी एंड डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण और निपटान के लिए भुगतान करना होगा। दरों का निर्धारण संबंधित स्थानीय प्राधिकरण या राज्य शासन द्वारा नामांकित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 19[45] नगरीय स्थानीय निकायों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रभारों को अधिसूचित नहीं किया और चार[46] नगरीय स्थानीय निकायों ने अपशिष्ट उत्पादकों के लिए प्रभारों को अधिसूचित करने से संबंधित कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की। हालाँकि, 11[47] नगरीय स्थानीय

[45] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, नलखेड़ा, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, सागर, साँची, उचेहरा और विदिशा।

[46] भिंड, भोपाल, ग्वालियर और मैहर।

[47] बेतूल, दमोह, धार, इंदौर, मंदसौर, मुरैना, निवाड़ी, रतलाम, सतना, शहडोल और शिवपुरी।

निकायों ने सी एंड डी प्रभारों को अधिसूचित किया था लेकिन इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा ऐसे प्रभारों की वसूली के संबंध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, नमूना जाँच किये गए किसी भी नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा उपभोक्ताओं से कोई सी एंड डी प्रभार नहीं वसूला जा सका, जिससे सी एंड डी अपशिष्ट प्रावधानों के अनुसार सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन पर 100 प्रतिशत लागत वसूली विफल हो गई।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सभी 34 नगरीय स्थानीय निकायों ने सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए शुल्क अधिसूचित कर दिए हैं।

हालाँकि, सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए शुल्क आरोपण की अधिसूचना के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.3.5 सी एंड डी अपशिष्ट के समुचित प्रबंधन हेतु विस्तृत निर्देश जारी न करना

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 6 (1) के अनुसार, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को इन नियमों के प्रावधानों के अनुरूप अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सी एंड डी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करने होंगे और स्थानीय प्राधिकरण को विध्वंस अपशिष्ट के उत्पादक से विस्तृत योजना या वचनबद्धता, जैसा लागू हो, की माँग करनी होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 20[48] नगरीय स्थानीय निकायों ने, उपरोक्त नियमों के अनुसार अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सी एंड डी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में, न तो कोई निर्देश जारी किए और न ही सी एंड डी अपशिष्ट के उत्पादकों से विस्तृत योजना या वचनबद्धता, जैसा लागू हो, की माँग की। इसके अलावा नौ[49] नगरीय स्थानीय निकायों ने ऐसे निर्देश जारी किए थे जबकि पाँच[50] नगरीय स्थानीय निकायों ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।

[48] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर और साँची।

[49] दमोह, धार, इंदौर, मंडलेश्वर, पिछोर, सतना, शहडोल, शिवपुरी और विदिशा।

[50] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, मैहर और उचेहरा।

सी एंड डी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के लिए विस्तृत निर्देशों के अभाव में, ये नगरीय स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सके।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सभी 34 नगरीय स्थानीय निकायों में संबंधित संयंत्र के साथ सी एंड डी अपशिष्ट का समुचित प्रबंधन था।

उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अवलोकन सी एंड डी अपशिष्ट के उचित प्रबंधन के संबंध में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों से संबंधित है। इसके अलावा, शासन ने 34 नगरीय स्थानीय निकायों में संबंधित संयंत्र में सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन पर समर्पित योजना कोई दस्तावेजी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।

4.3.6 सी एंड डी अपशिष्ट के लिए संग्रहण और प्रसंस्करण सुविधा स्थापित करने हेतु आवश्यक स्थल की पहचान न करना/ पहचान में देरी करना

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 13 के अंतर्गत अनुसूची-III के अनुसार, प्रत्येक नगरीय स्थानीय निकाय को इन नियमों के प्रकाशन की दिनांक से यानी मार्च 2016 से 18 माह की अवधि के भीतर यानी सितंबर 2017 तक, सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण हेतु, संग्रहण और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थल की पहचान करनी है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 24[51] नगरीय स्थानीय निकायों ने, इन नियमों की अधिसूचना के 54 माह बीत जाने के उपरांत भी, मार्च 2022 तक सी एंड डी अपशिष्ट के लिए संग्रहण और प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थल की पहचान नहीं की थी। कोई भी नगरीय स्थानीय निकाय समय-सीमा के भीतर सी एंड डी अपशिष्ट के लिए स्थल की पहचान नहीं कर सका। हालाँकि, छः[52] नगरीय स्थानीय निकायों ने निर्दिष्ट समय-सीमा के पश्चात स्थल की पहचान कर ली थी। इसके अलावा, चार[53] नगरीय स्थानीय निकायों ने ऐसे स्थलों की पहचान के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी।

---

[51] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंडलेश्वर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल और विदिशा।

[52] दमोह, धार, इंदौर, सतना, शिवपुरी और उचेहरा।

[53] भिंड, भोपाल, ग्वालियर और मैहर।

इस प्रकार, स्थल की पहचान न करने के कारण, 24 नगरीय स्थानीय निकाय सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सुविधाएँ स्थापित नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, ये नगरीय स्थानीय निकाय, सी एंड डी अपशिष्ट नियम, 2016 के अनुसार इसके खतरों को समाप्त करने के लिए सी एंड डी अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में असमर्थ रहे।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों ने सी एंड डी अपशिष्ट के लिए संग्रहण और प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने के लिए स्थलों की पहचान कर ली है।

प्रासंगिक दस्तावेजों या तथ्यों द्वारा समर्थित न होने के कारण उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

4.3.7 सी एंड डी अपशिष्ट के लिए सुविधाओं को संचालित न किया जाना / देरी से संचालित तथा कार्यान्वयित किया जाना

सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम 13 के अंतर्गत अनुसूची-III के अनुसार, एक मिलियन और उससे अधिक की आबादी, 0.5-01 मिलियन के बीच की आबादी और 0.5 मिलियन से कम आबादी वाले नगरीय स्थानीय निकायों को सी एंड डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक सुविधाओं को, इन नियमों के प्रकाशन की दिनांक से क्रमशः 18 महीने, 24 महीने और 36 महीने की अवधि के भीतर शुरू और कार्यान्वयित करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 24[54] नगरीय स्थानीय निकाय सी एंड डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं को शुरू और कार्यान्वित नहीं कर सके और पाँच[55] नगरीय स्थानीय निकायों ने सी एंड डी अपशिष्ट की सुविधाओं को शुरू करने और कार्यान्वयन के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की। इसके अलावा, पाँच[56] नगरीय स्थानीय निकायों ने इन नियमों के प्रकाशन की दिनांक से समय-सीमा के बाद इन सुविधाओं को शुरू और कार्यान्वित किया हालाँकि इन नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा इस संबंध में लेखापरीक्षा को कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

[54] अकोदिया, बालाघाट, बरघाट, ब्यौहारी, बैतूल, दमोह, जबलपुर, करेली, खिरकिया, कुक्षी, मालनपुर, मंदसौर, मुरैना, नलखेड़ा, निवाड़ी, ओरछा, पिछोर, पिपलानारायणवार, पोलायकलाँ, रतलाम, सागर, साँची, शहडोल और विदिशा।

[55] भिंड, भोपाल, ग्वालियर, मैहर और मंडलेश्वर।

[56] धार, इंदौर, सतना, शिवपुरी और उचेहरा।

इस प्रकार, सी एंड डी अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए सुविधाओं के शुरू और कार्यान्वित न होने के कारण, ये नगरीय स्थानीय निकाय, सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार सी एंड डी अपशिष्ट का पर्याप्त रूप से प्रबंधन करने में असमर्थ रहे। परिणामस्वरूप, सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन पर इसका प्रभाव पड़ा।

शासन ने उत्तर दिया (अगस्त 2023) कि सभी नगरीय स्थानीय निकायों ने सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सी एंड डी अपशिष्ट की सुविधाओं को शुरू और कार्यान्वित किया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नगरीय स्थानीय निकायों या शासन किसी के भी द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4.4 अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

14. विभाग द्वारा माइक्रोप्लास्टिक के कारण जल निकायों के प्रदूषण को रोकने के लिए एकल उपयोग/प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
15. नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा पीडब्लूएम नियमों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाएँ स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
16. एमपीपीसीबी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है कि सभी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण उद्योगों ने अपने कार्य संचालन के लिए आवश्यक प्राधिकार प्राप्त कर लिये है और वे निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं।
17. राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा प्रभावी नीति/योजना/कार्य योजना बनाकर ई- अपशिष्ट नियमों को लागू करना एवं ई-अपशिष्ट नियमों के अनुसार ई-अपशिष्ट के उचित पृथक्करण, संग्रहण और चैनलाईजेशन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ स्थापित किया जाना अपेक्षित है।
18. एमपीपीसीबी द्वारा ई-अपशिष्ट के उत्पादन और निपटान में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न सभी उद्योगों द्वारा ई-अपशिष्ट नियमों के प्रावधानों के अनुपालन की निगरानी करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र विकसित करना अपेक्षित है।

19. राज्य शासन द्वारा पीडब्ल्यूएम नियमों एवं सी एंड डी अपशिष्ट नियमों को कुशल तरीके से लागू करना एवं निगरानी तंत्र को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करके इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया की प्रभावी निगरानी किया जाना अपेक्षित है। शासन द्वारा सी एंड डी अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए नीति की शीघ्र स्वीकृति प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

भोपाल
दिनांक: 24 जून 2024

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)
मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 27 जून 2024

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.1 (अ))

ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाले नियामक ढांचे को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	अपशिष्ट के प्रकार	नियामक ढाँचा
1	ठोस अपशिष्ट	(1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (2) अप्रैल 2016 में भारत सरकार द्वारा जारी नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016.
2	प्लास्टिक अपशिष्ट	प्लास्टिक अपशिष्ट सी एंड डी अपशिष्ट, 2016
3	ई-अपशिष्ट	ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016
4	बायो-मेडिकल अपशिष्ट	बायो-मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016
5	सी एंड डी अपशिष्ट	सी एंड डी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
6	खतरनाक अपशिष्ट	परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचालन) नियम, 2016

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: कंडिका 1.3)

यूएलबी की त्रिस्तरीय प्रशासनिक व्यवस्था

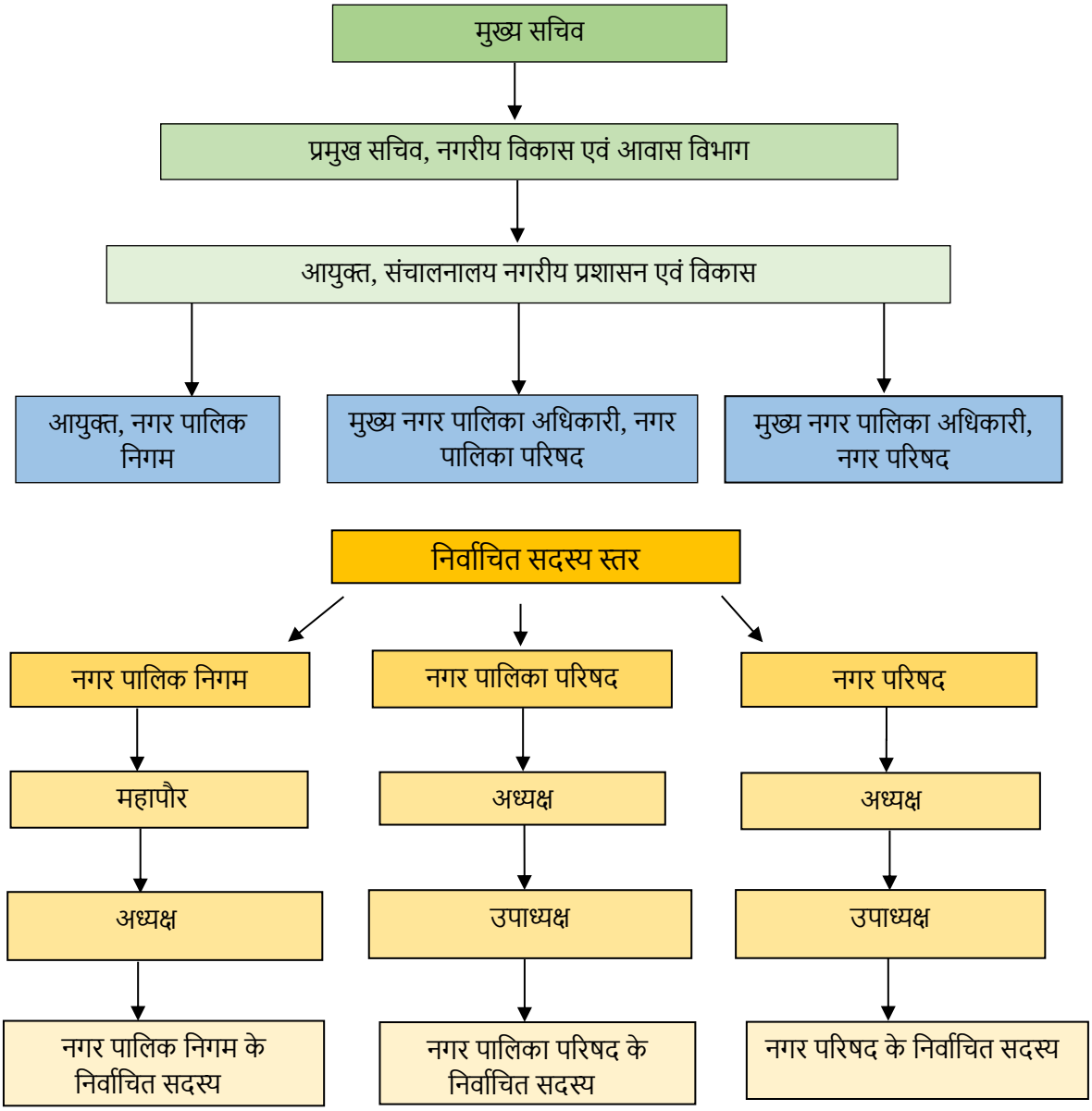

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: कंडिका 1.3)

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन और मलप्रवाह प्रबंधन से संबन्धित नगरीय स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना

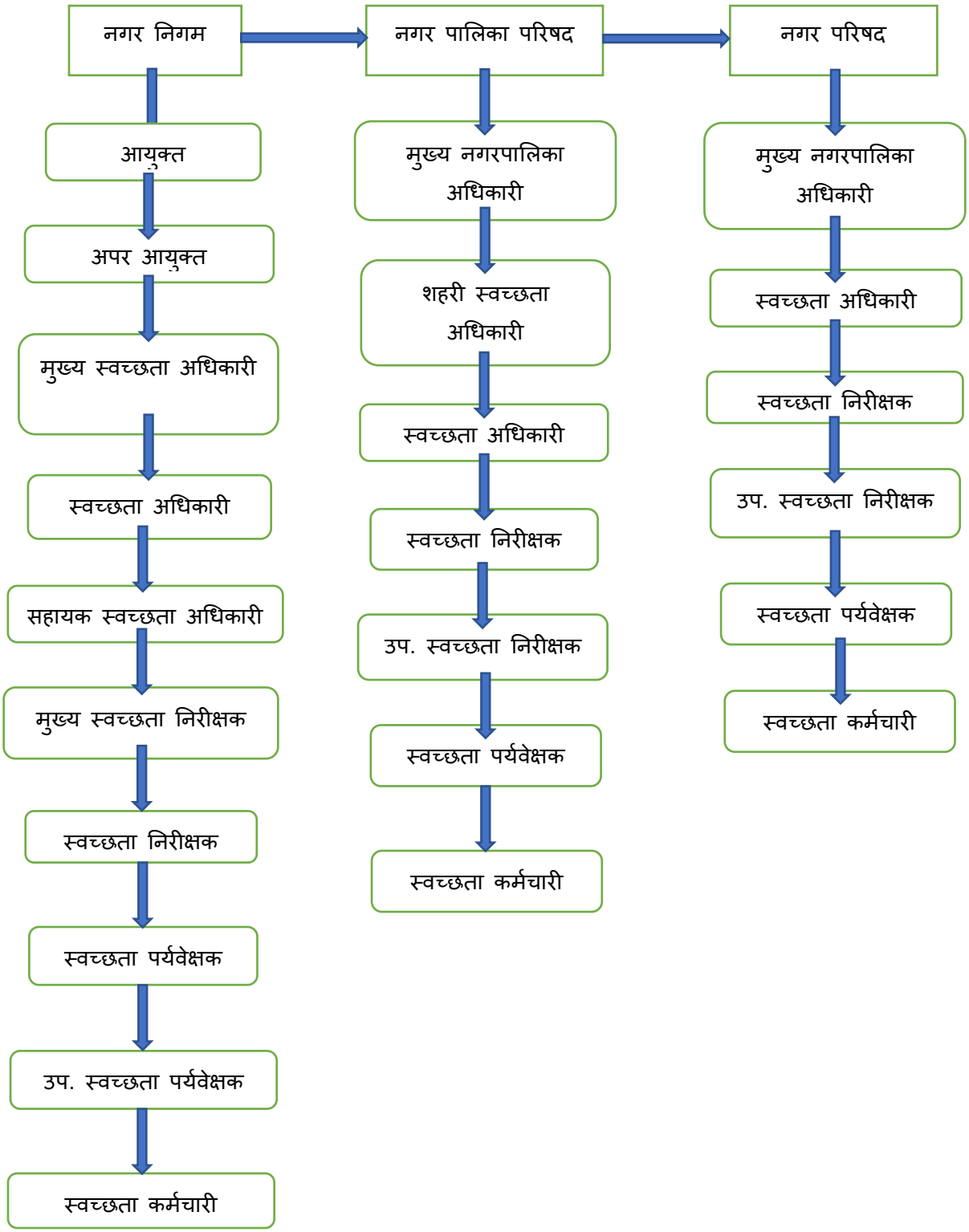

परिशिष्ट 1.4
(संदर्भ: कंडिका 1.6)
चयनित यूएलबी की सूची

क्र.सं.	विभाग	जिला	यूएलबी के नाम	यूएलबी के वर्ग
1	भोपाल	भोपाल	भोपाल	नगर पालिक निगम
		विदिशा	विदिशा	नगर पालिका परिषद
		रायसेन	साँची	नगर परिषद
2	चंबल	मुरैना	मुरैना	नगर पालिक निगम
		भिंड	भिंड	नगर पालिका परिषद
		भिंड	मालनपुर	नगर परिषद
3	ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	नगर पालिक निगम
		शिवपुरी	शिवपुरी	नगर पालिका परिषद
		ग्वालियर	पिछोर	नगर परिषद
4	इंदौर	इंदौर	इंदौर	नगर पालिक निगम
		धार	धार	नगर पालिका परिषद
		धार	कुक्षी	नगर परिषद
		खरगोन	मंडलेश्वर	नगर परिषद
5	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	नगर पालिक निगम
		बालाघाट	बालाघाट	नगर पालिका परिषद
		नरसिंहपुर	करेली	नगर पालिका परिषद
		छिंदवाड़ा	पिपलानारायणवार	नगर परिषद
		सिवनी	बरघाट	नगर परिषद
6	नर्मदापुरम	बेतूल	बेतूल	नगर पालिका परिषद
		हरदा	खिरकिया	नगर परिषद
7	रीवा	सतना	सतना	नगर पालिक निगम
		सतना	मैहर	नगर पालिका परिषद
		सतना	उचेहरा	नगर परिषद
8	सागर	सागर	सागर	नगर पालिक निगम
		दमोह	दमोह	नगर पालिका परिषद
		निवाड़ी	निवाड़ी	नगर परिषद
		निवाड़ी	ओरछा	नगर परिषद
9	शहडोल	शहडोल	शहडोल	नगर पालिका परिषद
		शहडोल	ब्यौहारी	नगर परिषद
10	उज्जैन	रतलाम	रतलाम	नगर पालिक निगम
		मन्दसौर	मन्दसौर	नगर पालिका परिषद
		आगर मालवा	नलखेड़ा	नगर परिषद
		शाजापुर	अकोदिया	नगर परिषद
		शाजापुर	पोलायकलाँ	नगर परिषद

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कंडिका 2.1)

ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के कई चरणों में हितधारकों की आवश्यक भागीदारी दर्शाने वाला विवरण

केंद्र सरकार (एमओईएफसीसी, एमओयूडी और सीपीसीबी)	कानून और नियम; नीतियाँ और मानदंड; दिशा-निर्देश, नियमावली और तकनीकी सहायता; वित्तीय सहायता; कानूनों एवं नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना।
राज्य शासन (यूएडीडी के प्रमुख अपर मुख्य सचिव और एमपीपीसीबी के प्रमुख अध्यक्ष)	महानगरीय शहरों में कानूनों और नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करना; राज्य नीति और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति; दिशा-निर्देश, नियमावली और तकनीकी सहायता; वित्तीय सहायता; एमओयूडी को सेवा स्तर बेंचमार्क पर रिपोर्टिंग; स्थानीय निकायों का क्षमता निर्माण; उपचार और निपटान गतिविधियाँ स्थापित करने के लिए सहमति प्रदान करना।
जिला (जिला कलेक्टर)	अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया पर यूएलबी के प्रदर्शन की समीक्षा करना; ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान सुविधाओं के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और आवंटन की सुविधा प्रदान करना।
यूएलबी (आयुक्त और मुख्य नगरपालिका अधिकारी)	एमएसडब्ल्यूएम सेवाएं प्रदान करना; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना की तैयारी; उपविधि तैयार करना; शुल्क लगाना और संग्रहण करना; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का वित्तपोषण; जन जागरूकता पैदा करना; ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र की भागीदारी।
अनौपचारिक क्षेत्र (अपशिष्ट पुनर्चक्रणकर्ता, एनजीओ, सीबीओ और निजी भागीदार)	विभिन्न चरणों में संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण; स्थानीय पुनर्चक्रण उद्योग को सहायता प्रदान करना; समुदाय की भागीदारी; जागरूकता पैदा करना; अपशिष्ट का संग्रहण और परिवहन; प्रौद्योगिकी प्रदाता.

(स्रोत: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016)

परिशिष्ट 2.2
(संदर्भ: कंडिका 2.3)
एमएसडबल्यू प्रबंधन सेवाओं की सात-चरणीय प्रक्रिया

चरण का क्रम	मुख्य चरण	उप चरण
चरण 1	***नीतियां, कार्यक्रम और कानूनी ढांचा***	राष्ट्रीय और राज्य रणनीतियों/ नीतियों की पहचान करना
		नीतियां/ रणनीतियाँ और उनके लक्ष्य
		राज्य स्तरीय/ क्षेत्रीय/ जिला ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
		यूएलबी के लिए समग्र लक्ष्यों की पहचान करना
		केंद्र/ राज्य और स्थानीय सरकार की भूमिका
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना में शामिल संस्थान और हितधारक
चरण 2	***वर्तमान स्थिति का आकलन एवं अंतराल विश्लेषण***	कानूनी एवं नीतिगत ढाँचा,
		संस्थागत और वित्तीय व्यवस्था
		तकनीकी पहलू
		सामाजिक सहभागिता
		एमएसडब्ल्यू सृजन, संग्रहण और परिवहन
		प्रसंस्करण एवं निपटान के लिए भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता
		एमएसडब्ल्यू प्रसंस्करण, उपचार और निपटान
		अपशिष्ट स्थलों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं की वर्तमान स्थिति
चरण 3	***एमएसएमडब्ल्यू योजना के लिए हितधारक परामर्श***	
चरण 4	***एमएसडब्ल्यूएम योजना का प्रारूप तैयार करना***	भविष्य के अनुमान
		जनसंख्या पूर्वानुमान
		प्रत्याशित जीवनशैली में परिवर्तन
		सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन
		नियम, विनियम और नगरपालिका उपनियम
		सामुदायिक भागीदारी/ आईईसी
		संस्थागत और वित्तीय संरचना
		भंडारण, संग्रहण (द्वार-द्वार और स्ट्रीट स्वीपिंग), परिवहन
		भूमि की पहचान और शहर मास्टर प्लान/ शहर विकास योजना में शामिल करना
		प्रसंस्करण और निपटान के लिए प्रक्रिया और सर्वोत्तम उपलब्ध प्रौद्योगिकी का चयन
चरण 5	***कार्यान्वयन हेतु अनुसूची***	समयसीमा
		जनशक्ति की आवश्यकता
		आर्थिक व्यावहारिकता

चरण 6	एमएसएमडब्ल्यू योजना सत्यापन के लिए हितधारक परामर्श	
चरण 7	एमएसडब्ल्यूएम योजना और पीपीपी सहित योजना कार्यान्वयन के लिए नगर पालिका परिषद की मंजूरी	

(स्रोत: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.17)

एमएसडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के अनुसार लक्षित दर्शक और आवश्यक जागरूकता का प्रकार

एमएसडब्लूएम प्रकरण	लक्षित दर्शक	जागरूकता बढ़ाया जाना
उत्पादन	अनौपचारिक बस्तियों और अस्थायी आबादी सहित शहर के सभी अपशिष्ट उत्पादक	• उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट की मात्रा कम करें • पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना
अपशिष्ट	समुदाय	गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगाकर खुले में गंदगी फैलाने से रोकना
अपशिष्ट जलाना	यूएलबी कर्मचारी, समुदाय, अस्थायी आबादी (अनौपचारिक श्रमिकों, कम आय समूह के इलाकों पर ध्यान देंना)	• निपटान विकल्प के रूप में अपशिष्ट को जलाने से रोकना • हीटिंग के लिए अपशिष्ट को खुले में जलाने से रोकना और प्रतिबंध लगाना (कठोर सर्दियों वाले शहरों में)
अपशिष्ट पृथक्करण	सभी अपशिष्ट उत्पादक: घर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, संस्थान, यूएलबी कर्मचारी	अपशिष्ट के स्थायी प्रबंधन, प्रसंस्करण और उपचार प्रणालियों के प्रदर्शन, और स्वास्थ्य और पर्यावरणीय पहलुओं को सुनिश्चित करने में अपशिष्ट पृथक्करण के महत्व के बारे में बताना
द्वार-द्वार संग्रहण	• द्वार-द्वार से संग्रह करने वाले अपशिष्ट (उदाहरण के लिए, घर, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, बाजार, संस्थान, आदि) • यूएलबी कर्मचारी, गैर-सरकारी संघटन, आरडब्ल्यूए आदि घर-घर जाकर संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं	• आवश्यक पृथक्करण के स्तर पर जानकारी प्रदान करना • विभिन्न अपशिष्ट अंशों के लिए अपशिष्ट संग्रहण कार्यक्रम पर जानकारी प्रदान करना (जहाँ लागू हो) • संग्रह के समय के बारे में जानकारी प्रदान करना
द्वितीयक संग्रह	• अपशिष्ट के परिवहन में शामिल एजेंसियां • स्वच्छता निरीक्षक और अन्य एमएसडब्ल्यूएम विभाग के कर्मचारी	• एमएसएमडब्ल्यू योजना के अनुसार अपशिष्ट का पृथक परिवहन सुनिश्चित करना • अवैध क्षेपण और कदाचार से बचने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, अपशिष्ट का कुशल परिवहन सुनिश्चित करना
परिवहन	अपशिष्ट के परिवहन में शामिल एजेंसियां, स्वच्छता निरीक्षक और अन्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों का इन	• एमएसडब्ल्यूएम योजना के अनुसार अपशिष्ट का पृथक परिवहन सुनिश्चित करना • अपशिष्ट के कुशल परिवहन को सुनिश्चित करने, अवैध क्षेपण और अपशिष्ट परिवहन में कदाचार से

एमएसडब्लूएम प्रकरण	लक्षित दर्शक	जागरूकता बढ़ाया जाना
	सेवाओं को प्रदान करने या निगरानी करने में शामिल होना	बचने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना सुनिश्चित करना
अपशिष्ट उपचार या प्रसंस्करण	• समुदाय • एमएसडब्ल्यूएम विभाग के कर्मचारी • एजेंसियां, एनजीओ, और औपचारिक और अनौपचारिक पुनर्चक्रणकर्ता • उपचार के ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण में शामिल	निम्नलिखित का प्रसार: • अपशिष्ट उपचार और प्रसंस्करण की बेहतर दक्षता के लिए पृथक्करण की आवश्यकता पर जानकारी • नियोजित उपचार और प्रसंस्करण सुविधाओं पर जानकारी • एमएसडब्ल्यूएम उपचार और प्रसंस्करण में पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों पर जानकारी • निगरानी आवश्यकताओं पर जानकारी • निगरानी डेटा के विश्लेषण पर आवधिक जानकारी
अपशिष्ट निपटान	• समुदाय • एमएसडब्ल्यूएम विभाग के कर्मचारी • ठोस अपशिष्ट के निपटान में सम्मिलित एजेंसियां, गैर सरकारी संगठन, और औपचारिक और अनौपचारिक ठोस में शामिल पुनर्चक्रणकर्ता अपशिष्ट निपटान	निम्नलिखित का प्रसार: • यूएलबी की अपशिष्ट निपटान योजनाओं की जानकारी • एमएसडब्ल्यूएम निपटान सुविधाओं में पर्यावरण सुरक्षा उपायों पर जानकारी • निगरानी की आवश्यकताओं पर जानकारी • डेटा की निगरानी के विश्लेषण पर समय-समय पर जानकारी

(स्रोत: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कंडिका 2.18)

विभिन्न क्षमता निर्माण दृष्टिकोण और प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिन्हें विभिन्न हितधारकों के लिए अपनाया जा सकता है

क्र.सं.	प्रशिक्षुओं के पद	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में भूमिका
1	वरिष्ठ अधिकारी	1. क्षेत्र स्तरीय कार्यान्वयन 2. क्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी करना 3. स्थल पर्यवेक्षण 4. फील्ड कर्मचारी का कल्याण 5. प्रतिक्रिया या नवप्रवर्तनों की रिपोर्टिंग 6. क्षेत्रिय एवं प्रशासनिक अमले की क्षमता का निर्माण
2	संग्रह कर्मचारी	1. द्वार-द्वार से संग्रहण 2. अलग किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग संग्रहित करना 3. नियमित एवं समय पर संग्रहण 4. पाइपों का उपयोग 5. यूएलबी को सहयोग
3	परिवहन कर्मचारी	1. पृथक किये गये अपशिष्ट का परिवहन 2. द्वितीयक संग्रह और परिवहन के बीच समन्वयन 3. वाहन मार्ग 4. निवारक रखरखाव 5. सुरक्षित एवं स्वच्छ अपशिष्ट
4	एनजीओ/ सीबीओ	1. सामुदायिक संग्रहण 2. सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से सामुदायिक क्षमता निर्माण। 3. संग्रहण दल और अपशिष्ट जनरेटरों की क्षमता निर्माण
5	निर्वाचित प्रतिनिधि	1. नीति निर्माण, योजना तैयार करना और कानून बनाना 2. बुनियादी ढाँचे का विकास 3. पर्यवेक्षण एवं निगरानी 4. निरंतर सुधार 5. मानव संसाधन विकास 6. बजट और वित्त 7. नागरिकों का सहयोग सुनिश्चित करें
6	प्रसंस्करण संयंत्र के कर्मचारी	1. संयंत्र में प्राप्त अपशिष्ट की मात्रा 2. प्राप्त अपशिष्ट का विश्लेषण 3. प्रक्रिया प्रारूप 4. प्लांट मशीनरी का ओ एंड एम 5. जो अपशिष्ट आगे नहीं बढ़ रहा है उसका निपटान 6. अग्नि, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण

प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

क्र.स.	प्रशिक्षण कार्यक्रम	प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण
1	विशेष प्रशिक्षण	निम्नलिखित को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए: (i) अयोग्य कर्मचारी और स्वच्छता कर्मचारी; (ii) जमीनी स्तर के कर्मचारी जैसे स्वच्छता पर्यवेक्षक (या समकक्ष); और (iii) स्वच्छता निरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता और वरिष्ठ अधिकारी। सभी अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को स्वच्छता कार्यकर्ताओं को निर्देश देने सहित प्रभावी और कुशल एमएसडब्ल्यूएम क्षेत्र के लिए आवश्यक कौशल में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। राज्य, देश और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न शहरों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं से वरिष्ठ कर्मचारियों को अवगत कराया जाना चाहिए।
2	पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के लिए हर 5 साल में कम से कम एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।
3	अध्ययन दौरे	उन संस्थानों या स्थानों पर जाकर सीखने को बढ़ाया जा सकता है जहाँ अच्छी प्रथाएं पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी हैं
4	व्यावसायिक विकास के अवसर	पर्यवेक्षी कर्मचारी सदस्यों को विभाग में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने और इस प्रकार नौकरी छोड़ने से बचने के लिए एमएसडब्ल्यूएम पदानुक्रम में पर्याप्त व्यावसायिक विकास के अवसर बनाए जाने चाहिए।

(स्रोत: नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कंडिका 2.19.4)

एसपीसीबी द्वारा वायु गुणवत्ता निगरानी का यूएलबी वार सारांश

क्र.सं.	यूएलबी के नाम	वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए, लिए गए नमूनों की संख्या					ऐसे उदाहरणों की संख्या जहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम एक परीक्षण किया गया
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	अकोदिया	0	0	0	0	0	0
2	बालाघाट	5	0	4	4	1	4
3	बरघाट	0	0	2	1	1	3
4	ब्यौहारी	0	0	0	0	0	0
5	बेतूल	1	2	0	2	4	4
6	भिंड	2	0	5	2	1	4
7	भोपाल	0	2	0	1	1	3
8	दमोह	2	8	4	2	3	5
9	धार	2	1	2	8	0	4
10	ग्वालियर	0	0	0	0	0	0
11	इंदौर	2	6	4	22	20	5
12	जबलपुर	0	2	6	1	2	4
13	करेली	1	0	2	0	1	3
14	खिरकिया	0	0	3	0	0	1
15	कुक्षी	0	0	0	0	0	0
16	मैहर	1	1	1	1	2	5
17	मालनपुर	0	0	0	0	0	0
18	मंडलेश्वर	0	0	0	0	0	0
19	मन्दसौर	1	4	21	2	2	5
20	मुरैना	3	2	3	3	3	5
21	नलखेड़ा	0	0	0	0	0	0
22	निवाड़ी	0	0	0	0	0	0
23	ओरछा	0	0	0	0	0	0
24	पिछोर	3	1	0	0	0	2
25	पिपलानारायणवार	1	2	2	4	4	5
26	पोलायकलां	0	0	0	0	0	0
27	रतलाम	2	5	12	0	4	4
28	सागर	3	2	2	2	6	5
29	साँची	0	2	2	0	0	2
30	सतना	1	1	1	1	2	5

क्र.सं.	यूएलबी के नाम	वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए, लिए गए नमूनों की संख्या					ऐसे उदाहरणों की संख्या जहाँ पिछले 5 वर्षों के दौरान कम से कम एक परीक्षण किया गया
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
31	शहडोल	3	4	4	3	1	5
32	शिवपुरी	0	2	0	1	1	3
33	उचेहरा	0	1	1	1	2	4
34	विदिशा	1	2	1	1	1	5
यूएलबी की संख्या जहाँ वर्ष में कम से कम एक बार निगरानी की जाती थी		17	19	20	19	20	95
5 वर्षों के दौरान 34 यूएलबी में किए जाने वाले परीक्षणों की कुल संख्या (1*34*5)							170
परीक्षण में कमी (संख्या में)							75
परीक्षण में कमी (प्रतिशत में)							44.12

(स्रोत: एमपीपीसीबी द्वारा सीपीसीबी को सौंपी गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पर वार्षिक प्रतिवेदन)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कंडिका 2.19.4)

एसपीसीबी द्वारा जल गुणवत्ता निगरानी का यूएलबी वार सारांश

क्र.सं.	यूएलबी के नाम	जल गुणवत्ता निगरानी के लिए, लिए गए नमूनों की संख्या					पिछले 5 वर्षों के दौरान तीन बार निगरानी के मामलों की संख्या (तीन या अधिक को तीन माना जाता है)
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	अकोदिया	0	0	0	0	0	0
2	बालाघाट	4	2	2	0	1	8
3	बरघाट	3	2	2	2	1	10
4	ब्यौहारी	0	0	0	0	0	0
5	बेतूल	3	0	0	6	3	9
6	भिंड	1	1	4	3	3	11
7	भोपाल	0	0	1	1	1	3
8	दमोह	4	2	4	4	2	13
9	धार	0	0	2	6	0	5
10	ग्वालियर	3	1	1	0	0	5
11	इंदौर	36	36	39	41	17	15
12	जबलपुर	4	2	9	2	4	13
13	करेली	4	1	2	0	2	8
14	खिरकिया	2	0	4	0	0	5
15	कुक्षी	0	0	0	0	0	0
16	मैहर	1	1	1	1	1	5
17	मालनपुर	0	0	0	0	0	0
18	मंडलेश्वर	0	0	0	0	0	0
19	मन्दसौर	0	3	2	0	1	6
20	मुरैना	3	1	5	2	2	11
21	नलखेड़ा	0	0	0	0	0	0
22	निवाड़ी	0	0	0	0	0	0
23	ओरछा	0	0	0	0	0	0
24	पिछोर	2	1	2	1	1	7
25	पिपलानारायणवार	1	2	2	2	4	10
26	पोलायकलां	0	0	0	0	0	0
27	रतलाम	1	1	1	1	1	5
28	सागर	4	2	4	4	4	14
29	साँची	0	1	3	0	0	4
30	सतना	4	1	1	1	1	7
31	शहडोल	3	2	3	5	1	12

क्र.सं.	यूएलबी के नाम	जल गुणवत्ता निगरानी के लिए, लिए गए नमूनों की संख्या					पिछले 5 वर्षों के दौरान तीन बार निगरानी के मामलों की संख्या (तीन या अधिक को तीन माना जाता है)
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
32	शिवपुरी	1	2	1	2	1	7
33	उचेहरा	0	1	1	1	1	4
34	विदिशा	1	1	0	2	1	5
34 यूएलबी में प्रति वर्ष 3 परीक्षण की दर से किए गए परीक्षणों की संख्या							202
प्रत्येक चयनित यूएलबी में परीक्षणों की संख्या प्रति वर्ष 3 परीक्षण की दर से (5 वर्ष x 34 यूएलबी x 3 नमूने)							510
कमी जहाँ 3 जल परीक्षण नहीं किए गए							308
कमी (प्रतिशत में)							60.39

(स्रोत: एमपीपीसीबी द्वारा सीपीसीबी को सौंपी गई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 पर वार्षिक रिपोर्ट)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.2.5)

अनुपचारित नगरीय मल-जल के स्थानीय जल निकायों में विलीन होने को दर्शाता विवरण

क्र.सं.	विवरण	वर्ष				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	यूएलबी, बालाघाट					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	91,645	92,758	93,886	95,026	96,181
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	2,073.93	2,099.11	2,124.64	2,150.44	2,176.58
	मलप्रवाह उपचार संयंत्रों (एसटीपी) के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	यूएलबी, शहडोल					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	98,143	99,900	1,01,688	1,03,508	1,05,361
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	2,220.98	2,260.74	2,301.20	2,342.39	2,384.32
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	यूएलबी, ब्यौहारी					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	28,701	29,350	30,013	30,692	31,385
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	649.50	664.19	679.19	694.56	710.24
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	यूएलबी, मंडलेश्वर					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	14,823	15,215	15,619	16,033	16,457
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	335.44	344.32	353.46	362.83	372.42
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	यूएलबी, बरघाट					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	14,531	14,916	15,311	15,717	16,134
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	328.84	337.55	347.45	355.68	365.11
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	यूएलबी, धार					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	1,12,883	1,15,874	1,18,945	1,22,097	1,25,332

क्र.सं.	विवरण	वर्ष				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	2,554.53	2,622.23	2,699.09	2,763.05	2,836.27
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	**यूएलबी, विदिशा**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	1,87,284	1,92,247	1,97,342	2,02,571	2,07,939
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	4,238.24	4,350.55	4,478.08	4,584.19	4,705.67
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	**यूएलबी, निवाड़ी**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	28,491	29,246	30,021	30,816	31,633
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	644.74	661.83	681.23	697.37	715.85
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	**यूएलबी, ओरछा**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	13,824	14,190	14,566	14,952	15,348
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	312.83	321.12	330.53	338.37	347.33
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	**यूएलबी, बैतूल**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	1,24,091	1,27,379	1,30,755	1,34,220	1,37,776
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	2,073.93	2,099.11	2,130.46	2,150.44	2,176.58
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	**यूएलबी, खिरकिया**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	27,305	28,029	28,772	29,534	30,317
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	617.92	634.29	652.88	668.36	686.07
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	**यूएलबी, पिपलानारायणवार**					

क्र.सं.	विवरण	वर्ष				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	10,322	10,595	10,876	11,164	11,460
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	233.58	239.77	246.80	252.65	259.35
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	**यूएलबी, दमोह**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	1,67,601	1,72,042	1,76,602	1,81,282	1,86,086
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	3,792.81	3,893.32	4,007.44	4,102.40	4,211.12
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	**यूएलबी, साँची**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	10,089	10,356	10,631	10,912	11,202
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	228.31	234.36	241.23	246.95	253.49
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	**यूएलबी, मालनपुर**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	15,674	16,090	16,516	16,954	17,403
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	354.71	364.11	374.78	383.66	393.83
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	**यूएलबी, कुक्षी**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	52,636	54,031	55,463	56,933	58,441
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	1,191.16	1,222.72	1,258.56	1,288.38	1,322.53
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	**यूएलबी, मंदसौर**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	75,795	77,803	79,865	81,981	84,154
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	1,715.23	1,760.69	1,812.30	1,855.24	1,904.40
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र.सं.	विवरण	वर्ष				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
18	**यूएलबी, अकोदिया**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	13,993	14,364	14,745	15,135	15,536
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	316.66	325.05	334.58	342.51	351.59
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	**यूएलबी, पोलायकलां**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	14,733	15,123	15,524	15,935	16,358
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	333.40	342.24	352.27	360.62	370.17
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	**यूएलबी, करेली**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	35,942	36,895	37,872	38,876	39,906
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	813.37	834.93	859.40	879.76	903.08
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	**यूएलबी, नलखेड़ा**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	20,043	20,574	21,120	21,679	22,254
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	453.58	465.60	479.25	490.60	503.60
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0	0	0	0	0
22	**यूएलबी, पिछोर**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	14,921	15,317	15,723	16,139	16,567
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	337.67	346.62	356.78	365.23	374.91
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	**यूएलबी, शिवपुरी**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	2,16,137	2,21,865	2,27,744	2,33,780	2,39,975
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	4,891.19	5,020.80	5,167.97	5,290.43	5,430.63

क्र.सं.	विवरण	वर्ष				
		2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	**यूएलबी, सतना**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	3,36,523	3,45,441	3,54,595	3,63,992	3,73,638
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	7,615.52	7,817.33	8,046.47	8,237.14	8,455.42
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	**यूएलबी, उचेहरा**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	22,147	22,734	23,337	23,955	24,590
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	501.19	514.47	529.56	542.10	556.47
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	**यूएलबी, मैहर**					
	यूएलबी की अनुमानित जनसंख्या	48,267	49,546	50,859	52,207	53,591
	प्रति वर्ष मल-जल उत्पादन	1,092.29	1,121.23	1,154.10	1,181.45	1,212.75
	एसटीपी के माध्यम से मल-जल का उपचार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल मल-जल उत्पादन		**39,921.56**	**40,898.30**	**41,999.71**	**42,926.79**	**43,979.77**
उपचारित कुल मल-जल		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
स्थानीय जल निकायों में विलीन कुल नगरीय मल-जल		**39,921.56**	**40,898.30**	**41,999.71**	**42,926.79**	**43,979.77**

(स्रोत: यूएलबी द्वारा प्रदान की गई जानकारी और संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाओं से लिया गया अनुमानित जनसंख्या डेटा)

1	114 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से मल-जल उत्पादन (135 एलपीसीडी जल आपूर्ति का 80% + आग, आदि के लिए छः एलपीसीडी) x 365 दिन ।
2	62 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से मल-जल उत्पादन (70 एलपीसीडी जल आपूर्ति का 80%+ आग, आदि के लिए छः एलपीसीडी) x 365 दिन ।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3 (ख))

गैर-कार्यात्मक मल कीचड़ उपचार संयंत्र

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	ठेका की संभावित राशि (₹ में)	कार्य आदेश क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अवधि (माह में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की तिथि	ठेकेदार को किया गया भुगतान	एफएसटीपी कार्य कर रहा है या नहीं (हां/नहीं)	एफएसटीपी पर लाए गए कीचड़ की मात्रा	उपचारित मल कीचड़ की मात्रा (केएलडी में)
1	भिंड	2,43,393.86	975, 22/02/2021	3	21/05/2021	संयुक्त भौतिक निरीक्षण के दौरान यह पूर्ण पाया गया, अंतिम बिल का भुगतान नहीं किया गया	97,211	नहीं	निरंक	निरंक
2	धार	27,43,390	5866, 19/11/2018	4	18/03/2019	01/02/2021	21,55,850	नहीं	निरंक	निरंक
3	करेली	27,76,897	2582, 06/10/2020	5	05/03/2021	05/03/2021	21,12,000	नहीं	170 केएलडी	
4	मन्दसौर	10,30,708	23, 05/09/2019	1	04/10/2019	21/12/2020	8,48,544	नहीं		
5	शहडोल	22,77,016	422, 22/11/2021	3	21/02/2022	अप्रैल 2022 तक पूर्ण नहीं, (केवल स्लज बेड)	8,39,336	नहीं	-	0

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	ठेका की संभावित राशि (₹ में)	कार्य आदेश क्रमांक एवं दिनांक	निर्धारित अवधि (माह में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की तिथि	ठेकेदार को किया गया भुगतान	एफएसटीपी कार्य कर रहा है या नहीं (हां/नहीं)	एफएसटीपी पर लाए गए कीचड़ की मात्रा	उपचारित मल कीचड़ की मात्रा (केएलडी में)
6	अकोदिया	7,33,000	895, 29/01/2019	3	28/04/2019	29/12/2020	8,91,663	नहीं	1,07,450 लीटर	
7	ब्यौहारी	7,33,688	931, 29/09/2020	1	28/10/2020	काम पूर्ण हो चुका है लेकिन अंतिम बिल तैयार नहीं हुआ है	4,54,682	नहीं	-	0
8	कुक्षी	6,63,000	2860, 10/09/2020	1	09/10/2020	10/10/2020	7,99,936	नहीं	निरंक	
9	मैहर	5,70,513	1739, 06/12/2019	2	05/02/2020	16/11/2021	1,80,528	नहीं	निरंक	निरंक
10	मालनपुर	7,10,571	180, 28/01/2022	*20 दिन*	15/02/2022	15/02/2022	3,07,678	नहीं		
11	पोलायकलां	7,33,636	177, 29/01/2019	1	28/02/2019	03/2020	2,52,714	नहीं	36,000 लीटर	
12	साँची	6,02,734	750, 20/11/2020	6	19/05/2021	01/02/2022	4,94,687	नहीं	निरंक	
13	ओरछा	8,30,000	699, 02/12/2019	3	01/03/2020	24/12/2019	7,19,748	नहीं	निरंक	निरंक
14	उचेहरा	6,98,487	1528, 17/11/2021	2	16/01/2022	04/01/2022	4,87,023	नहीं	निरंक	निरंक
योग							**1,06,41,598**			

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.5(3)(क))

विशिष्ट मशीनरी की तैनाती न होने के कारण ठेकेदार को अधिक भुगतान

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना का नाम/ क्षेत्र	ठेका की संभावित राशि	मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	प्रति क्यूबिक मीटर संबंधित वस्तुओं के लिए वसूली दर	ठेकेदार %	राशि (₹ में)
1	भिंड	मल-जल		6.1	डीएलसी का निर्माण	7,342.85	190	12.29%	15,66,604
				6.5	पीक्यूसी एम-30 ग्रेड का निर्माण	14,274.69	329	12.29%	52,73,557
				4.1	जीएसबी	1,842	51	12.29%	1,05,487
				4.3	डब्ल्यूबीएम ग्रेड-III	1,557	51	12.29%	89,166
2	ग्वालियर	लश्कर का मल-जल नेटवर्क		4.3	डब्ल्यूबीएम ग्रेड-III	32,446.46 (81,116.15*0.4)	51	(-) 11.165%	14,70,014
				6.1	डीएलसी का निर्माण	12,022.90 (60,114.54x0.2)	190	(-) 11.165%	20,29,303
				6.5	पीक्यूसी एम-30 ग्रेड का निर्माण	12,022.90 (60,114.54x0.2)	329	(-) 11.165%	35,13,899
		मोरार का मल-जल नेटवर्क		4.3	डब्ल्यूबीएम ग्रेड-III	17,072.73	51	1.50%	8,83,770
				6.1	डीएलसी का निर्माण	6,675.754	190	1.50%	12,87,419

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना का नाम/ क्षेत्र	ठेका की संभावित राशि	मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	प्रति क्यूबिक मीटर संबंधित वस्तुओं के लिए वसूली दर	ठेकेदार %	राशि (₹ में)
				6.5	पीक्यूसी एम-30 ग्रेड का निर्माण	6,675.754 (33,378.77x0.2)	329	1.50%	22,29,268
3	इंदौर	मल-जल (मैसर्स एन.पी. पटेल)	96.21	4.1	जीएसबी	34,144.67	51	(-)6.71%	16,24,532
				6.3	पीक्यूसी एम-40 ग्रेड का निर्माण	558.49	335	(-)6.71%	1,74,540
				6.11	पीक्यूसी एम-20 ग्रेड का निर्माण	2,864.59	319	(-)6.71%	8,52,249
			96.21	4.1	जीएसबी	8,305.93	51	(-)6.71%	3,95,178
				6.3	पीक्यूसी एम-40 ग्रेड का निर्माण	873.39	335	(-)6.71%	2,72,952
		मल-जल (मैसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन)	183.6	4.1	जीएसबी	42,150.37	51	11.84%	24,04,190
				6.3	पीक्यूसी एम-40 ग्रेड का निर्माण	2,437.91	335	11.84%	9,13,397
				6.11	पीक्यूसी एम-20 ग्रेड का निर्माण	14,727.88	319	11.84%	52,54,460
			183.6	4.1	जीएसबी	3,062.03	51	11.84%	1,74,660
				6.11	पीक्यूसी एम-20 ग्रेड का निर्माण	875.97	319	11.84%	3,12,533
4	विदिशा	विदिशा मल-जल	89.61	4.1	जीएसबी	31,760.96	51	6.79%	17,29,794
				4.3(i)(b)	डबल्यूबीएम	4,391.56	51	6.79%	2,39,177
				4.3(ii)(b)	डबल्यूबीएम	14,032.9	51	6.79%	7,64,272

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना का नाम/ क्षेत्र	ठेका की संभावित राशि	मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	प्रति क्यूबिक मीटर संबंधित वस्तुओं के लिए वसूली दर	ठेकेदार %	राशि (₹ में)
				4.3(iii)(b)	डबल्यूबीएम	2,063.98	51	6.79%	1,12,410
				6.1	डीएलसी	17,049.63	190	6.79%	34,59,387
				6.5	पीक्यूसी एम-30	16,042.32	329	6.79%	56,36,294
5	भोपाल	भोज आर्द्रभूमि और एडीबी	145	4.1	जीएसबी	15,913.07	51-10% =45.9	38.97% (+12%GST)	11,36,857
				6.1	डीएलसी	9,863.01	190-10% =171	38.97% (+12%GST)	26,25,093
				6.3	पीक्यूसी एम-40	254.67	335-10% =301.5	38.97% (+12%GST)	1,19,510
				6.5	पीक्यूसी एम-30	616.17	329-10% =296.10	38.97% (+12%GST)	2,83,974
				6.11	पीक्यूसी एम -20	14,973.19	319-10% =287.10	38.97% (+12%GST)	66,90,932
		कोलार मल-जल	135.14	4.1	जीएसबी	22,200.01	51-10% =45.9	19.87%(+12%GST)	13,68,026

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना का नाम/ क्षेत्र	ठेका की संभावित राशि	मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	प्रति क्यूबिक मीटर संबंधित वस्तुओं के लिए वसूली दर	ठेकेदार %	राशि (₹ में)
				6.1	डीएलसी	18,838.8	190-10% =171	19.87%(+12%GST)	43,24,918
				6.3	पीक्यूसी एम - 40	309.64	335-10% =301.5	19.87%(+12%GST)	1,23,109
				6.11	पीक्यूसी एम-20	29,377.9	319-10% =287.10	19.87%(+12%GST)	1,13,23,547
		शाहपुरा मल-जल	105.35	4.1	जीएसबी	31,205.12	102-10% = 91.8	31.93%(+12%GST)	42,32,823
				6.1	डीएलसी	13,197	190-10% =171	31.93%(+12%GST)	29,77,247
				6.5	पीक्यूसी एम - 30	202.32	329-10% =296.10	31.93%(+12%GST)	88,519
				6.11	पीक्यूसी एम - 20	19,877.33	319-10% =287.10	31.93%(+12%GST)	84,32,432
6	मुरैना	मल-जल		4.3(ii)(a)	डबल्यूबीएम	49,968	102	2.45%	52,21,606
				4.3(iii)(a)	डबल्यूबीएम	22,411	102	2.45%	23,41,927

क्र. सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना का नाम/ क्षेत्र	ठेका की संभावित राशि	मद संख्या	विवरण	निष्पादित मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	प्रति क्यूबिक मीटर संबंधित वस्तुओं के लिए वसूली दर	ठेकेदार %	राशि (₹ में)
				6.1	डीएलसी	32,886.01	190	2.45%	64,01,426
				6.11	पीक्यूसी एम - 20	64,139.66	319	2.45%	2,09,61,835
7	सागर	मल-जल	282.61	6.1	डीएलसी	30,365.94	190	5.83% above	61,05,892
			282.61	6.3	पीक्यूसी एम-40	7,736.61	335	5.83% above	27,42,864
8	रतलाम	मल-जल	120.54	4.1	जीएसबी	17,419.23	51	13.38%	10,07,246.07
				4.3(i)(b)	डबल्यूबीएम	13,506.58	51	13.38%	7,81,001.78
				4.3(ii)(b)	डबल्यूबीएम	13,452.33	51	13.38%	7,77,864.84
				4.3(iii)(b)	डबल्यूबीएम	4,762.36	51	13.38%	2,75,377.75
				6.1	डीएलसी	12,608.79	190	13.38%	27,16,210.76
				6.5	पीक्यूसी एम-20	21,644.41	329	13.38%	80,73,802.15
योग									**14,39,02,552**

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.5(3)(ख))

कम मोटाई के निष्पादन के कारण अधिक भुगतान

क्र. सं.	परियोजना का नाम	मद का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार मोटाई	निष्पादित मोटाई/ मद	लंबाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	गहराई (मीटर में)	मात्रा (क्यूबिक मीटर मे)	एसओआर दर (₹ में)	राशि (₹ में)	राशि प्रति एसक्यूएम (₹ में)	निविदा जोड़ें/घटाएँ %	राशि प्रति एसक्यूएम	मात्रा (क्यूबिक मीटर में)	राशि (₹ में)
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-4)	9 (6*7*8)	10	11 (9*10)	12 (11/6)	13	14	15	16
1	ग्वालियर लश्कर	बीएम	75 एमएम	50 एमएम	15	1	0.025	0.375	5,565	2,087	2,086.87/15=139.125	(-)11.165%	123.6	81,116.15	1,00,25,956
2		बीसी	75 एमएम	एसडीबीसी 25 एमएम	15	1	0.05	0.75	8,223	6,167.25	6,167.25/15=411.15	(-)11.165%	365.25	81,116.15	2,96,27,674
3	ग्वालियर मुरार	बीएम	75 एमएम	50 एमएम	15	1	0.025	0.375	5,565	2,087	2,086.87/15=139.125	1.50%	141.21	42,681.84	60,27,103
4		बीसी	75 एमएम	एसडीबीसी 25 एमएम	15	1	0.05	0.75	8,223	6,167.25	6,167.25/15=411.15	1.50%	417.31	42,681.84	1,78,11,559
योग									**27,576**						**6,34,92,291**

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.5(3)(ङ))

उत्खनित मिट्टी के मद मे भुगतान को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	परियोजना का नाम	बढ़त	ढोए गए मिट्टी की मात्रा	दर	निविदा %	राशि (₹ में)
1	कोलार परियोजना	5 कि.मी. तक	1,55,993.9	87.70	19.87	1,63,99,013
		1 कि.मी. तक	92,254.71	54.90	19.87	60,71,156
2	शाहपुरा प्रोजेक्ट	5 कि.मी. तक	72,546.42	87.7	31.93	83,93,810
3	भोज आर्द्रभूमि/ एडीबी	5 कि.मी. तक	1,10,951.1	87.3	38.97	1,34,60,672
		10 कि.मी. तक	5,712.51	123	38.97	9,78,839
			4,37,458.6			4,53,03,491
					12% जीएसटी	54,36,419
योग						**5,07,39,909**

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.5(3)(च))

रॉयल्टी शुल्क की कटौती न होना

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना	ठेका की संभावित राशि (₹ करोड़ में)	कार्य आदेश दिनांक	ठेका की अवधि (महीनों में)	मद					
						मद	उत्खनित मात्रा	रेत	गिट्टी	रॉयल्टी दर	राशि (₹ में)
1	ग्वालियर	लश्कर मल-जल	195.11	28/09/2017	24	बीएम	4,055.8	0	3,853.01	120	4,62,361
						एसडीबीसी	1,622.32	0	1,541.2	120	1,84,944
						डब्ल्यूबीएम	32,446.46	0	32,446.46	120	38,93,575
		मोरार मल-जल	204.90	25/09/2017	36	बीएम	2,134.09	0	2,027.38	120	2,43,286
						एसडीबीसी	853.63	0	810.94	120	97,313
						डब्ल्यूबीएम	17,072.73	0	17,072.73	120	20,48,728
2	मुरैना	मुरैना मल-जल	125.00	12/07/2016	24	डीएलसी का निर्माण (गिट्टी 0.725/ क्यूबिक मीटर एवं रेत 0.363/ क्यूबिक मीटर)	32,886	11,938	23,842	100	35,78,000
						सी सी एम-20 (गिट्टी 0.856/ क्यूबिक मीटर एवं रेत 0).471/ क्यूबिक मीटर)	64,243	30,258	54,992	100	85,25,000

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना	ठेका की संभावित राशि (₹ करोड़ में)	कार्य आदेश दिनांक	ठेका की अवधि (महीनों में)	मद					
						मद	उत्खनित मात्रा	रेत	गिट्टी	रॉयल्टी दर	राशि (₹ में)
						डबल्यूबीएम ग्रेड -II (गिट्टी 0.67/ क्यूबिक मीटर)	49,968	0	33,479	100	33,47,900
						डबल्यूबीएम ग्रेड-III (गिट्टी .67/ क्यूबिक मीटर)	22,411	0	15,015	100	15,01,500
3	इंदौर	मल-जल	96.21	24/01/2018	24	जीएसबी	46,223.69	7,412.73	6,964.83	120/125	82,73,068
			183.60	28/12/2017	24	जीएसबी	42,980.14	33,210.78	58,156.76	120/125	1,52,07,427
			230.50	25/07/2018	36	पत्थर चूर्ण	56,245.98	2,079.16	4,000.99	120/125	78,46,824
योग											**5,52,09,926**

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.5(3)(छ))

विलंब हेतु शास्ति अधिरोपित न करना

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना का नाम	ठेका मूल्य	कार्य आदेश की तिथि	अवधि (महीनों में)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	विलंब अवधि (महीनों में)	अधिरोपण योग्य शास्ति (₹ में)
1	ग्वालियर	ग्वालियर -मोरार	2,07,96,79,485	25/09/2017	24	24/09/2019	31/03/2022	30	20,79,67,948
2	ग्वालियर	ग्वालियर -लश्कर	1,73,32,61,508	04/10/2017	24	03/10/2019	02/02/2022	31	17,33,26,150
3	मुरैना	मुरैना	1,25,00,00,000	12/07/2016	24	11/07/2019	30/12/2021	32	12,50,00,000
4	भिंड	भिंड	79,50,00,000	08/12/2017	24	07/12/2019	अपूर्ण	33	7,95,00,000
5	सतना	सतना	1,91,56,81,218	05/12/2016	36	04/12/2019	28/05/2021 रोका गया	34	19,15,68,122
6	इंदौर	नाला टेपिंग	89,75,00,000	24/01/2018	24	23/01/2020	अपूर्ण	36	8,97,50,000
		मल-जल	1,83,60,00,000	28/12/2017	24	27/12/2019	अपूर्ण	37	18,36,00,000
7	सागर	मल-जल	2,99,10,56,000	08/07/2016	36	06/07/2019	अपूर्ण	36	29,91,05,600
योग									**1,34,98,17,820**

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.5(3)(ज))

ठोस चट्टान की लागत की वसूली न होने को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	ठोस चट्टान की उत्खनित मात्रा (क्यूबिक मीटर में) (अ)	ठोस चट्टान की मात्रा जिसकी वसूली की जा चुकी है (ब)	ठोस चट्टान की शेष मात्रा (अ-ब)	वसूली दर/ क्यूबिक मीटर (₹ मे)	राशि (₹ मे)
1	सागर	1,31,366.82	0	1,31,366.82	200	2,62,73,364
2	भोपाल (कोलार परियोजना)	28,473.33	0	28,473.33	200	56,94,666
3	भोपाल (एडीबी परियोजना)	10,715.89	0	17,890.89	200	35,78,178
4	भोपाल (शाहपुरा परियोजना)	29,548.31	0	29,548.31	200	59,09,662
योग						**4,14,55,870**

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कंडिका 3.5(10))

भराव के लिए दर को गलत तरीके से अपनाए जाने को दर्शाने वाला विवरण

जल आपूर्ति, मलप्रवाह और ट्यूबवेल कार्यों के आईएसएसआर के अनुसार		भवन निर्माण कार्यों के आईएसएसआर के अनुसार	
मद का विवरण	**मद का क्रमांक/ दर**	**मद का विवरण**	**मद का क्रमांक/ दर**
सभी प्रकार की मिट्टी में पाइप ट्रेंच के लिए खुदाई में मिट्टी का काम	15.1/ 129.10	नींव की ट्रेंच या नाली में यांत्रिक/ हस्तचालित 2.2साधनों से खुदाई में मिट्टी का काम	2.8/ 129.00
उपलब्ध खोदी गई मिट्टी को ट्रेंच एवं प्लिंथ के किनारो मे भरा जाना जिसकी परत 20 सेमी से अधिक न हो जिसमे प्रत्येक परत का संपीड़न किया जाना शामिल हैं।	15.8/ 29.00	उपलब्ध खोदी गई मिट्टी को ट्रेंच एवं प्लिंथ के किनारो मे भरा जाना जिसकी परत 20 सेमी से अधिक न हो जिसमे प्रत्येक परत का संपीड़न किया जाना शामिल हैं।	225/ 59.00

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.5(11) और (12))

एसटीपी के निर्माण पर एकमुश्त भुगतान और प्रति एमएलडी विभिन्न लागत दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना	ठेका की संभावित राशि (₹ करोड़ में)	निविदा प्रतिशत	एसटीपी की संख्या	स्थान	एसटीपी की क्षमता (एमएलडी में)	अनुमान के अनुसार एसटीपी की लागत	एसटीपी के लिए भुगतान (₹ करोड़ में)	लागत प्रति एमएलडी (कॉलम 9/ कॉलम 8) (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	विदिशा	विदिशा	86.9	6.79	1	जतरापुरा	22.25	17.8	18.16	0.80
2	भोपाल	भोज वेटलैंड एडीबी	145	38.97	1	प्रोफेसर कॉलोनी	2	3.17	4.94	1.59
					1	सिरीन नदी	5	6.47	10.08	1.29
					1	महोली दामखेड़ा	35	30.75	47.86	0.88
		कोलार	135.15	19.87	1	मिसरोद (मक्सी)	20.5	21.5	28.86	1.05
					1	सनखेड़ी	32	28.2	37.86	0.88
		शाहपुरा	105.35	31.93	1	जमुनिया	3.5	7	6.42	2.00
					1	बंसल अस्पताल	9.5	10.5	15.51	1.11
					1	चार इमली	4.5	5.5	8.13	1.22
					1	नीलबड़	6	7	10.35	1.17
3	सागर	अमृत	282.61	5.83	1	पथरिया हाट	43	38.7	43.34	0.90
4	मुरैना	अमृत	125	2.456	1	जौरी	25	22.55	26.47	0.90
5	इंदौर	अमृत	164.16	11.845	5	प्रतीकसेतु	8	8.14	8.14	1.02
						बिलालपुर	7	7.12	7.12	1.02
						राधास्वामी	6	6.11	6.11	1.02
						नाहरभंडारा	11	11.19	11.19	1.02
						चिड़ियाघर	35	27.34	27.34	0.78
		एबीडी	230.5	3.03	1	एबीडी क्षेत्र	10	10.37	10.37	1.04
6	ग्वालियर	लश्कर	195.11	-11.165	2	जलालपुरा	145	105.79	93.99	0.73

क्र.सं.	यूएलबी का नाम	परियोजना	ठेका की संभावित राशि (₹ करोड़ में)	निविदा प्रतिशत	एसटीपी की संख्या	स्थान	एसटीपी की क्षमता (एमएलडी में)	अनुमान के अनुसार एसटीपी की लागत	एसटीपी के लिए भुगतान (₹ करोड़ में)	लागत प्रति एमएलडी (कॉलम 9/ कॉलम 8) (₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						एनआरआई कॉलेज के पास	4	3.37	29.99	0.84
		मोरार	204.9	1.49	2	शताब्दीपुरम	8	5.8	5.89	0.73
						ललितपुरा	65	54.75	55.57	0.84
7	भिंड	भिंड	70.8	12.29	1	रतनुपुरा	12	12	13.48	1.00
योग									**537.17**	

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

संक्षिप्त शब्दों की शब्दावली

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
1	थ्री आर	कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण
2	एडीबी	एशियाई विकास बैंक
3	एएमपीआरआई	प्रगत पदार्थ तथा प्रक्रम अनुसंधान संस्थान
4	एएमआरयूटी	कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन
5	बी.जी.	बैंक प्रत्याभूति
6	बायो-सीएनजी	जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस
7	बीएम	बिटुमिनस मैकडैम
8	बीओडी	जैविक ऑक्सीजन मांग
9	बीटी	बिटुमिनस
10	सी एंड डी अपशिष्ट	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट
11	सीबी	क्षमता निर्माण
12	सीबीओ	समुदाय-आधारित संगठन
13	सीसी	सीमेंट कंक्रीट
14	सीसीए	संयुक्त सहमति प्राधिकरण
15	सीएमपी	शहरी प्रधान योजना
16	सीओडी	रासायनिक ऑक्सीजन मांग
17	सीपीसीबी	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
18	सीपीएचईईओ	केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन
19	सीएसआईआर	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
20	सीएसपी	शहरी स्वच्छता योजना
21	सीएसटीएफ	नगर स्वच्छता कार्य बल
22	सीटीई	स्थापना के लिए सहमति
23	सीटीओ	संचालन के लिए सहमति
24	डीआई	डक्टाइल आयरन
25	डीएम	जिला दंडाधिकारी
26	डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
27	डीटीडीसी	द्वार-द्वार संग्रहण

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
28	ईआईए	पर्यावरण प्रभाव आकलन
29	ईपीआर	विस्तारित निर्माता की जिम्मेदारी
30	एफएसएम	मल कीचड़ प्रबंधन
31	एफएसएसएम	मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन
32	एफएसटीपी	मल कीचड़ उपचार संयंत्र
33	जीसीसी	अनुबंध की सामान्य शर्तें
34	जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
35	जीएमसी	ग्वालियर नगर निगम
36	जीओआई	भारत सरकार
37	म.प्र.शा.	मध्य प्रदेश शासन
38	जीपीएस	भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली
39	जीएसबी	ग्रैन्युलर सब-बेस
40	जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
41	एचडीपीई	उच्च घनत्व पॉलीथीन
42	एचपीसी	उच्चाधिकार समिति
43	एचआरआईडीएवाई	विरासत शहर विकास और विस्तार योजना
44	आईसीबीपी	एकीकृत क्षमता निर्माण कार्यक्रम
45	आईसीसीसी	एकीकृत आदेश और नियंत्रण केंद्र
46	आईडीईए	संवादात्मक डेटा निष्कर्षण और विश्लेषण
47	आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
48	आईएमसी	इंदौर नगर निगम
49	आईएसएसआर	दरों की एकीकृत मानक अनुसूची
50	आईएसडब्ल्यूएम	एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
51	जेएमसी	जबलपुर नगर निगम
52	जेपीवी	संयुक्त भौतिक सत्यापन
53	एलडी	परिनिर्धारित क्षति (लिक्विडेट डैमेज)
54	एलओए	स्वीकृति पत्र
55	एलपीसीडी	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
56	एम एंड ई	निगरानी और मूल्यांकन
57	एमसी	नगर निगम

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
58	एमसीएल	नगर परिषद
59	एमआईसी	मेयर इन काउंसिल
60	एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
61	एमएलडी	मिलियन लीटर प्रतिदिन
62	एमओईएफ़	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
63	एमओईएफ़सीसी	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
64	एमओयूडी	शहरी विकास मंत्रालय
65	एमपीईआरसी	मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
66	एमपीपीसीबी	मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
67	एमपी	माइक्रो प्लास्टिक
68	एमपीपीडब्ल्यूडी	मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग
69	एमआरएफ	सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा
70	एमएसडब्ल्यु	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट
71	एमएसडब्ल्युएम	नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
72	एमटी	मीट्रिक टन
73	एमटीपीए	मिलियन टन प्रति वर्ष
74	एनएसीओएफ़	मेसर्स नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेसिंग एंड रिटेलिंग कोऑपरेटिव ऑफ इंडिया
75	एनएआरसी	राष्ट्रीय सलाहकार और समीक्षा समिति
76	एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
77	एनजीटी	नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
78	एनआईटी	निविदा आमंत्रण सूचना
79	एनएन	नगर निगम
80	एनओएए	संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रीय महासागर और वायुमंडलीय प्रशासन
81	एनपीपी	नगरपालिका परिषद
82	एनयूएलएम	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
83	एनवीवीएन लिमिटेड	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड
84	ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
85	ओसीईएमएस	ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली
86	पीडीएमसी	परियोजना विकास प्रबंधन सलाहकार

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
87	पीएच	हाइड्रोजन की क्षमता
88	पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
89	पीपीई	व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
90	पीक्यूसी	पेवमेंट गुणवत्ता कंक्रीट
91	पीडब्लूएम नियम, 2016	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
92	आर बिल	चालू देयक
93	आरए बिल	चालू खाता देयक
94	आरसीसी	प्रबलित सीमेंट कंक्रीट
95	आरडीएफ	व्युत्पन्न ईंधन से इनकार (रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल)
96	आरएफपी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
97	आरडब्ल्यूए	निवासी कल्याण संघ
98	एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
99	एसबीएम (यू)	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)
100	एसईआईएए	राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण
101	एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
102	एसएलएसी	राज्य स्तरीय सलाहकार समिति
103	एसएलबी	सेवा स्तर बेंचमार्क
104	एसओपी	मानक संचालन प्रक्रिया
105	एसओआर	दरों की अनुसूची
106	एसपीसीबी	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
107	एसपीवी	विशेष प्रयोजन वाहन
108	एसक्यूएम	वर्ग मीटर
109	एसएसटीएस	सीवरेज और सीवेज उपचार प्रणाली
110	एसटीपी	सीवेज उपचार संयंत्र
111	एसडब्ल्यू	ठोस अपशिष्ट
112	एसडब्ल्यूएम	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
113	एसडब्ल्यूएम नियम	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम
114	टीपीडी	टन प्रति दिन
115	टीएसएस	कुल निलंबित ठोस (टोटल सस्पेंडेड सॉलिड)

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	विवरण
116	यूएडीडी	नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय
117	यूडीडी	नगरीय विकास विभाग
118	यूडीएचडी	नगरीय विकास एवं आवास विभाग
119	यूएलबी	नगरीय स्थानीय निकाय
120	यूटीएस	केंद्र शासित प्रदेश
121	डब्ल्यू टू सी	अपशिष्ट से कंपोस्ट
122	डब्ल्यूआरटी	के सापेक्ष
123	डब्ल्यूबीएम	वाटर बाउंड मैकडैम
124	डब्ल्यूटीई	अपशिष्ट से ऊर्जा
125	डब्ल्यूटीपी	जल उपचार संयंत्र
126	एक्सजीएन	एक्स्टेंडेड ग्रीन नोड

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi